राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 11] दसवीं विधान सभा के ग्यारहवें सत्र का बाईसवां दिवस [संख्या : 14

सोमवार,

27 जुलाई, 1998

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री समर्थलाल मीणा, अध्यक्ष, पदासीन)

अनुरोध

उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन कार्यक्रम में परिवर्तन

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, बहुत अरसे के बाद यह परम्परा चालू हुई है कि इधर से पहले नमस्कार हुई है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कल रात को मैंने श्रीमान् को टेलीफोन किया था और यह निवेदन किया था कि 28 तारीख को दिल्ली के अन्दर कांग्रेस एक बहुत जबरदस्त रैली कर रही है जिसका नेतृत्व सोनिया जी कर रही हैं और हमारे बहुत से एम. एल. ए. साहिबान उस रैली में भाग लेने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ में वहां जाना चाहते हैं। हमने आपसे यह निवेदन किया था कि पूरे हाउस में हमेशा अपन आपस में एक–दूसरे को को–आपरेट करते रहे हैं, अब भी आपको हमसे को–आपरेट करना चाहिए और जो यह चुनाव आपने रखा है 28 तारीख को, वह आप 30 तारीख को कर दीजिए तो बड़ी कृपा होगी। आपने मुझे यह फरमाया था कि मैं राज्य सरकार से बातचीत करके आपको बतला दूंगा कि 30 तारीख रखी जाए या नहीं रखी जाए। लेकिन, श्रीमान्, मैं इन्तजार करता रहा आपकी तरफ से कोई मैसेज नहीं मिला। इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार दीदओदानिस्तः यह चुनाव कल कराना चाहती है और इसलिए करवाना चाहती है कि राज्य सरकार को मालूम है कि कल यह एम. एल. एज. यहां रहेंगे नहीं और इनको यह भी खतरा है कि इनकी खुद की पार्टी के अन्दर काफी बड़ी दरार आयी हुई है और उस घबराहट से यह देखते हैं कि कल इनकी एब्सेंस में चुनाव कराकर यह अपना डिप्टी स्पीकर बनाना चाहते हैं। लिहाजा मैं आपसे एक बार और विनम्र निवेदन करूंगा कि आप 30 तारीख को रख दें। हमारी तरफ से बीनाजी काक, जो एक्सपीरियएंस्ड, बहुत ही सुलझी हुई हैं, अगर उनको आप मौका देंगे तो आपको भी कार्य संचालन में बड़ी मदद मिलेगी। लिहाजा मेरा एक बार और

(श्री खेतसिंह राठौड़)

आपसे और राज्य सरकार से यह निवेदन है कि इस पर पुनर्विचार करें और यह तारीख 30 कर दें ताकि हमारे एम. एल. एज. जो रैली में जाएंगे, वह भी वापस आ जाएंगे और शांतिपूर्वक चुनाव में भाग लेकर हम कामयाब हो जाएं।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : मैं इसका समर्थन करता हूं और......(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया, माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसलिए वे इस बात को टालना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया, माननीय सदस्य, आप बिना आज्ञा के न बोलें, माननीय सदस्य। संसदीय मंत्रीजी। (व्यवधान) रामनारायण जी, किस सन्दर्भ में बोल रहे हैं आप? (व्यवधान) संसदीय मंत्री महोदय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (संसदीय कार्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय खेतसिंहजी ने जो कहा.............

श्री खेतसिंह राठौड़ : चीफ व्हिप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मुख्य सचेतक, माननीय श्री खेतसिंह जी ने जो कहा, उसमें मेरा निवेदन करना यह है कि 10 तारीख को श्रीमती सोनिया गांधी जी यहां पधारी थीं और कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने आग्रह किया था तब सब लोगों ने मिलकर यह तय किया था और उस दिन अपन ने हाउस की मीटिंग स्थगित कर दी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमने भी आपको को-आपरेट किया था आपके कुशाभाऊ ठाकरे आए उस रोज। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बात सुनिए। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : 25 तारीख को, शनिवार को बैठे हैं हम।.... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : यह तो रेसिप्रोकल मामला है, रेसिप्रोकल। माननीय मंत्री महोदय, यह तो रेसिप्रोकल है। एक दूसरे का अनुपूरक है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बात सुनिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया सुन लें। सुनें आप पहले, सुनें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : विधान सभा उपाध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया आपने प्रारम्भ कर दी। इसके पहले अगर यह तथ्य ध्यान में आता तो 30 तारीख को भी चुनाव कराया जा सकता था। दूसरी, बात यह है कि राजस्थान विधान सभा में आज तक की परम्परा रही है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्विरोध चुनाव होता रहा है और उपाध्यक्ष सत्तारूढ़ दल का रहता है। इस सम्बन्ध में कभी भी आज तक कोई प्रश्न नहीं उठाया गया। आज के दिन यह बात कहना ठीक नहीं है। यह किसी की मंशा नहीं थी कि माननीय सदस्य वहां रहेंगे इस कारण से 28 तारीख को चुनाव कराया जाए। भारतीय जनता पार्टी में न तो किसी प्रकार की दरार

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

है, न किसी प्रकार का मतभेद है। चुनाव की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है और मुझे आपसे आग्रह करना है कि माननीय सदस्य 28 तारीख को चुनाव में भाग लेकर रैली में चले जाएं। मैं पुनः यही अपील करना चाहूंगा। जहां तक बीनाजी का सवाल है, खेतसिंहजी ने कहा है कि वह बहुत अनुभवी हैं, यह उनको जानकारी है, अनुभवी हैं, विधान सभा में उनका खूब लाभ मिल रहा है और आगे भी उनका लाभ मिलता रहेगा। अध्यक्ष महोदय, हमारी परम्पराओं के अनुसार इस चुनाव को कराया जाए। यही मुझे निवेदन करना है।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री इतनी अनभिज्ञता की बात करते हैं, राज्य सरकार के केबिनेट मंत्री होते हुए भी। रैली का कार्यक्रम घोषित हो गया, अखबारों में आ रहा है कि 11 बजे सोनिया गांधी सम्बोधन करेंगी। वहां हम कैसे पहुंच पाएंगे, आप मुलाहिजा तो फरमाइए। अध्यक्ष महोदय, आपको अंधेरे में रखकर राज्य सरकार ने इस 28 तारीख का यह फायदा उठाने की कोशिश की कि यह लोग रहेंगे नहीं, इनकी गैर–हाजिरी के अन्दर हम चुनाव करा लेंगे और जीत जाएंगे और हमारा काम बन जाएगा। इन्होंने जानबूझकर बिजनेस एडवा–इजरी कमेटी में नहीं रखा। हमारे प्रतिपक्ष के नेता से हमारी पार्टी की तरफ से सलाह–मशविरा नहीं किया। आपने ऐसे ही प्रस्ताव दे दिया अध्यक्ष महोदय को और प्रोग्राम रखवा दिया और कह रहे हैं कि प्रक्रिया चालू हो गयी। हमारा आपसे निवेदन है, मान्यवर कि आप सत्ता पक्ष वालों से बात करके, राज्य सरकार से बात करके इसको 30 तारीख को रखवाने की कृपा करें।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : अध्यक्ष जी, आपका पद और उपाध्यक्ष का पद संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत है और एक बहुत स्वस्थ परम्परा चली आ रही है कि इनका जो निर्वाचन होता है, पक्ष–विपक्ष में बातचीत होती है। यदि यह परम्परा आज शुरू हो गयी कि एक दल को एक विशेष दिन बिल्कुल सूट नहीं करता, वह बहुत इंकंविनिएंट दिन है तो सत्ता में भाजपा बैठे चाहे और कोई पार्टी बैठे, वह पूरे साल मे ऐसा दिन जरूर ढूंढ निकालेगी जब कि एक दल विशेष को पूरी तरह से असुविधा हो और उसी दिन यदि चुनाव कराएंगे तो मैं समझता हूं कि संसदीय प्रणाली के लिए एक खेदजनक दिन होगा और यह स्वस्थ परम्परा नहीं होगी।

मान्यवर, आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि यह जानकारी में आने के पश्चात् कि कांग्रेस की रैली सोनिया जी के नेतृत्व में दिल्ली में होगी, यह तारीख निश्चित की गयी है। मान्यवर, यदि पहले तारीख निश्चित की गयी होती तो स्थिति के ऊपर विचार दूसरे ढंग से किया जा सकता था। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सरकार पर असर डालें, एक स्वस्थ परम्परा को कायम रखें और संसदीय प्रणाली के अन्दर कील ठोकने वाला कार्य इनसे आज न होने दें।

श्री अध्यक्ष : श्री शांतिकुमार धारीवाल।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे सीधा निवेदन है कि जब आप अध्यक्ष के लिए चुने गए तो आपने एक प्रेस–कान्फ्रेन्स लेकर आपने उसमें दो मुख्य बातें कहीं जिनको पूरे राजस्थान की जनता ने सराहा। पहली बात आपने यह कही कि मैं लीक से हटकर कुछ फैसले करूंगा और दूसरी बात आपने कही कि प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए अगर मुझे अलग से भी कुछ करना पड़े तो मैं करने की कोशिश करूंगा। आज यह मौका है, अध्यक्ष महोदय, प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए अगर आप कुछ योगदान दे सकते हैं तो मेहरबानी करके इस तारीख को आगे बढ़ाएं।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, प्रजातंत्र में और विधान सभा के कार्य संचालन में पक्ष का और विपक्ष का महत्वपूर्ण रोल रहता है। यहां पर विपक्ष की संख्या को देखते हुए सबसे अच्छा तो यह होता कि सदाशयता बरतते हुए उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को सौंपा जाता। पहली और दूसरी विधान सभा में उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया गया था। बाद में यह चीज डिस्कन्टीन्यू कर दी गयी। लेकिन क्या किसी अच्छी परम्परा को वापस प्रारम्भ नहीं किया जा सकता? इस पर सत्ता पक्ष कृपया विचार करें।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि नियमों में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि यह अधिकार अध्यक्ष का है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए दिन और समय नियत करते हैं और इससे आप सहमत होंगे कि 28 तारीख का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसमें संख्या के दृष्टिकोण से अगर सत्ता पक्ष इतना ही आश्वस्त है कि इनका उपाध्यक्ष जीतेगा तो फिर दो दिन इसको आगे सरकाने में इनको क्या एतराज है? क्यों आप डरते हैं? या तो आपके मन में कहीं पर शंका है या फिर जानबूझकर के आपने अपने अन्तर्विरोधों और विरोधाभासों को छिपाने के लिए ऐसा किया है। अगर आप आश्वस्त हैं तो इसको 28 तारीख से 30 तारीख कर दीजिए। छोटी–सी बात है, अध्यक्ष महोदय, इस बात को लम्बा करने की आवश्यकता नहीं है। 28 का 30 कर दीजिए, स्पष्ट मालूम पड़ जाएगा कि किसके पास बहुमत है और किसका उपाध्यक्ष जीतेगा। मैं तो यही निवेदन करना चाहूंगा।

श्रीमती कमला (बैराठ) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा कि यह देर में पता लगा कि कोई आपकी रैली है, इसको ऐसे नहीं रखना चाहिए। मैं आपको यह याद दिलाना चाहती हूं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के वक्त में हम लोगों की तरफ से यह कहा गया था कि 28 तारीख को अगर हाउस न चले तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि विपक्ष की तरफ से कोई भी विधायक यहां पर उपस्थित नहीं रह पाएगा। इसलिए एक दिन के लिए सदन को ना रखा जाये। लेकिन वो बात उस वक्त में नहीं रखी गयी। उसके बाद में अब यह स्थिति कि हम तो सदन की उस दिन छुट्टी करवाने का आपसे अवसर लेना चाह रहे थे कि हम लोग नहीं रह पायेंगे और आपने चुनाव ही उसी तारीख को रख

(श्रीमती कमला)

दिया जिस तारीख को हम लोग यहां उपस्थित नहीं रह पा रहे हैं। तो यह तो बहुत ही विचारणीय विषय है। आपके पूरे ध्यान में था, सत्ता पक्ष के पूरे माननीय मंत्रीगणों को ध्यान में था, उप मुख्य मंत्री महोदय भी वहां विराज रहे थे। इसलिए इस तारीख को आगे बढ़ाना समुचित रहेगा। इस पर आप रिकंसीडर करें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप अध्यक्ष महोदय पर दबाव नहीं डाल सकते इस तरीके से। (व्यवधान) आप दबाव में फैसले करवाना चाहते हैं?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (बल्लभनगर): मंत्रीजी खड़े होकर बोल ले ज्यादा अच्छा है।

श्री अध्यक्ष : उप नेता महोदय।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमारे दल के मुख्य सचेतक महोदय ने जिस तरीके से हल्के–फुल्के जवाब दिये हैं, मुझे बहुत अफसोस है। जरा भारीपन दिखाते तो ज्यादा अच्छा होता। यह पहला मौका है कि उनको मंत्री बनाया गया और इस विभाग का चार्ज भी उनको दिया गया। इन्होंने यह कहा कि आप कल वोटिंग में भाग लेकर वहां जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? उड़ कर जा सकते हैं?

अनेक माननीय सदस्य : हवाई जहाज से।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : कैसे जा सकते हैं? 11 बजे यहां पर उपाध्यक्ष के चुनाव का कार्यक्रम है और 11 बजे वहां रैली है और श्रीमती सोनियाजी उसको संबोधित करेंगी।

श्री नाथूसिंह गुर्जर (राज्य मंत्री, पंचायती राज) : वे लिखा हुआ पढ़ेंगी, कापी मंगवा लेना।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : नाथूसिंह जी, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी कि आप भी इतना हल्का–फुल्का जवाब दे दोगे। कम से कम आप बैठें–बैठे तो नहीं बोलें, बोलना है तो इजाजत लेकर बोल लें, मैं तो बैठ जाऊंगा। अगर आपको बोलना ही बहुत आवश्यक है तो मैं तो बैठ जाऊंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप फरमायें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : कम से कम नियमों का तो आप ख्याल रखें तो ज्यादा अच्छा होगा।

अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, कि सत्ता पक्ष को कम से कम इतना तो एडजस्टमेंट करना चाहिए कि वे कल के बजाय 30 तारीख को इसका समय निर्धारित करने के लिए आपसे आग्रह करें और यदि आग्रह नहीं करना चाहते और हठधर्मिता करना चाहते हैं तो, अध्यक्ष महोदय, हमें मजबूरी से इस चुनाव का बहिष्कार करना पड़ेगा। हमारी परिस्थितियां ऐसी पैदा हो गयी हैं कि मजबूरी में हमकों इसका बहिष्कार करना पड़ेगा। इसलिए मैं फिर आग्रह करना चाहूंगा आपके माध्यम से सत्ता पक्ष को कि कल के बजाय इस चुनाव को 30 तारीख को रखे अन्यथा

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

हमें मजबूर होकर इसका बहिष्कार करना पड़ेगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो संविधान की व्यवस्था है, विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के बारे मे संविधान के अनुच्छेद 178 में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की विधान सभा यथाशीघ्र अपने दो माननीय सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेंगी और जब–जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब–तब विधान सभा किसी अन्य सदस्य को, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, संवैधानिक प्रावधान यह है–अतिशीघ्र यह मेंडेटरी प्रोविजन है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव यथाशीघ्र करेगी। उसके तहत राज्यपाल महोदय अध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय करते हैं और उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख माननीय अध्यक्ष महोदय तय करते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई.......

श्री रामनारायण चौधरी : एक माह में अध्यक्ष का चुनाव तो नहीं कराया।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वह राज्यपाल महोदय तय करते हैं। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : राज्यपाल महोदय को एडवाइज कौन करेगा?

श्री महावीर प्रसाद जैन : सरकार ने एडवाइज किया है। (व्यवधान) आप मेरी बात पूरी तो सुन लो। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : तीन महीने से वेकेंट हैं।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष का चुनाव देरी से हुआ, इसकी गलती राज्यपाल महोदय की है, यही तो कहना चाहते हैं आप?

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं, नहीं। आप मेरी बात पूरी तो सुन लें।

श्री चन्दनमल बैद : सुन ली आपकी बात। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : तीन महीने तक यह पद खाली रहा है। (व्यवधान) तीन महीने तक वेकेंट था। इसके लिए टोटल फेल्योर आपकी है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : जब तीन महीने तक स्पीकर महोदय का पद खाली रहा तब तो कोई आपत्ति नहीं और आज तीन दिन में........(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : सत्ता पक्ष को +++ कि संवैधानिक व्यवस्थाएं सुना रहे हैं। आप अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की संवैधाानिक व्यवस्थाएं सुना रहे हैं, संविधान का आपने मखौल उड़ाया है। अध्यक्ष महोदय का आपने चुनाव नहीं करवाया.....(व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय को अध्यक्ष पद पर विराजमान होने से, आप चाहते थे कि अध्यक्ष महोदय उपाध्यक्ष के पद पर रहें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उसका कोई भी आप अर्थ निकालें, मैं तो संविधान में जो व्यवस्था है वह बता रहा हूं।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : इसीलिए आपने 20 दिन तक आपका चुनाव नहीं होने दिया। अध्यक्ष महोदय का चुनाव 20 दिन लेट क्यों करवाया? आप नहीं चाहते थे कि अनूसूचित जाति का अध्यक्ष पांच या छः तारीख को बने।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : माननीय मुख्य सचेतक जिस 178 का हवाला दे रहे हैं....(व्यवधान) तीन महीने चुनाव नहीं होने दिया। आज उसका कैसे हवाला दे रहे हैं?

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह बात आपके ध्यान में क्यों नहीं आयी?

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आप अनूसूचित जाति का अध्यक्ष बनाने के खिलाफ हैं और इसीलिए जब आप पर प्रेशर आया, जब आप पर दबाव आया, जब आपके पास कोई रास्ता नहीं था तो आपने अध्यक्ष बनाया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बोलने दें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप तो बहुत ज्यादा पढ़े–लिखे आदमी हो, आपको तो यह बात पहले ध्यान में आ जानी चाहिये। यदि आप ध्यान दिलाते तो शायद हम जो गलती कर रहे थे, अब उसका कोई भी मतलब लगाया जाय, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग हुई और उसमें चार तारीख तक का कार्यक्रम तय किया, उस दिन तक भी यह बात नहीं आयी थी। हम सब जानते हैं कि 28 तारीख को एप्रोप्रिएशन बिल पर बहस है और बहस का उत्तर होने के बाद वह पास होना है। उस दिन भी यह बात नहीं आयी थी, जैसा बैराठ से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा कि उस दिन हमने यह कहा था कि 28 तारीख को नहीं रखा जाय.............

श्रीमती कमला : कहा था।

श्री चन्दनमल बैद : कहा था।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यदि यह बात आती तो, अध्यक्ष महोदय, कभी भी कार्य सलाहकार समिति ने इस प्रकार बहुत उदारता से...........

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ नेता चन्दनमलजी बैद कह रहे हैं–कहा था, कमलाजी कह रही हैं–कहा था फिर क्यों कह रहे हैं ऐसे? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : जिस समय सोनियाजी की बात आयी कि 10 तारीख को यहां आयेंगी, उस समय हमने यह तय किया कि उस दिन की छुट्टी रखी जाय।

श्रीमती कमला : उप मुख्य मंत्रीजी से पूछ लें नहीं कहा हो तो। (व्यवधान) आप माने नहीं वह बात दूसरी है बाकी भाभड़ाजी से पूछिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब यहां आये, जब यहां जयपुर और भरतपुर में मीटिंग हुई, हमारे कुछ सदस्य वहां पर गये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं कहा किसी ने।

श्रीमती कमला : कहा था हमने।

श्री महावीर प्रसाद जैन : लेकिन विधायी कार्य इतना जरूरी होता है इसलिए हमने उस दिन छुट्टियां नहीं रखीं और यह कोशिश की कि यह विधान सभा ठीक प्रकार से चले और महत्त्वपूर्ण मुद्दे यहां पर आएं।

अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जानते हैं कि उपाध्यक्ष के चुनाव के बारे में जहां परम्परा का सवाल है, सरकारी पक्ष के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यहां पर होते रहें हैं, हुए हैं। संख्या बल का जहां सवाल है, हर समय यह बात तय हो चुकी है कि ये संख्या बल पर किसी प्रकार से ठहरते नहीं हैं। यह बात सही है कि आपको यह मौका मिल गया कि अभी आप जायेंगे। यह कहने का मौका आपको जरूर मिल गया कि यह बात जरूरी है, साहब, हमको जाना है। यदि वास्तव में इतना जरूरी था तो कार्य सलाहकार समिति के समय भी यह आ जाता। यह कार्य सूची जो तय की गयी है, कोई एक दल ने नहीं तय की..........

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, यह बार–बार गलतबयानी कर रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय ने तय नहीं की, यह सभी दलों के माननीय नेताओं ने मिल कर तय किया है। दुनिया में आज तक कोई ऐसा उदाहरण भी नहीं है कि कोई भी चुनाव का प्रोसिजर शुरू होने के बाद रोक दिया गया हो। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। न लोक सभा में है, न विधान सभाओं में कहीं पर है। अध्यक्ष महोदय, इसमें यह व्यवस्था है.........

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : राजीवजी की हत्या हुई उस वक्त चुनाव 15 दिन आगे चलते चुनाव में कर दिया था। क्या कह रहे हैं आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वे असाधारण परिस्थितियां हैं। यह क्या परिस्थितियां हैं?

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, इस चुनाव के लिए कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है कि बीच में नहीं रोका जायेगा। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : महावीरजी कह रहे हैं दुनिया में उदाहरण नहीं है, हिन्दुस्तान का उदाहरण है..........(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, अपने जो प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धी नियम है उसमें उपाध्यक्ष का जो चुनाव है.....

श्री मदन दिलावर (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : अब किस की हत्या हो रही है?

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, इतने गैर जिम्मेदाराना समाज कल्याण मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि अब किस की हत्या हो

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

रही है? इतने +++ खड़े होकर कह रहे हैं कि अब किस की हत्या हो रही है। जरा सोचिये। +++ आनी चाहिये। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 8 में उपाध्यक्ष के चुनाव के बारे में तय किया गया है कि उपाध्यक्ष का उस तिथि को चुनाव होगा जो अध्यक्ष निश्चित करें और सचिव प्रत्येक सदस्य को उस तिथि की सूचना भिजवाएं।

श्री रामनारायण चौधरी : अब लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संवैधानिक संस्थाओं की हत्या हो रही है।

श्री रामस्वरूप मीणा : यह लोकतंत्र की हत्या हो रही है और क्या होगा अगर इस तरह आप मारते रहे तो।

श्री रामनारायण चौधरी : क्या पढ़ रहे हो आप?

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं उपाध्यक्ष का जो निर्वाचन होना है, जो नियम हैं वह पढ़ रहा हूं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय जो सत्ता पक्ष सुझाव देता है कि हम उपाध्यक्ष का चुनाव कराना चाहते हैं आपने 28 तारीख का सुझाव दे दिया।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, इसमें यह कहा गया है कि इस प्रकार निश्चित तिथि के पूर्व दिन के मध्याह्न से पहले कोई भी सदस्य किसी भी समय इस प्रस्ताव की कि अन्य किसी सदस्य को सदन का उपाध्यक्ष चुने जाने की सचिव को सम्बोधित, लिखित रूप से सूचना दे सकेगा।

श्री रामनारायण चौधरी : यह पता है सबको।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरा निवेदन यह है कि आपने तारीख तय की, तारीख तय करने के बाद यह अधिसूचना सचिव की ओर से जारी कर दी गयी। और आज मध्याह्न पहले उसमें नामांकन भरना है। यह तय हो गया। अब वो नामांकन भर चुका और कल इसका चुनाव होना है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : नामांकन नहीं होता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : प्रस्ताव। प्रस्ताव दे दिया।

श्री महावीर प्रसाद जैन : प्रस्ताव आ गया। (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : वह नामांकन कह रहे हैं, नामांकन इसमें कहां है?

श्री महावीर प्रसाद जैन : प्रस्ताव आने के बाद में कल चुनाव होना निश्चित है। यह मेंडेटरी प्रोविजन है।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : सचेतक महोदय, नियमों को पढ़ लीजिये, अध्यक्ष महोदय, सर्वोपरि हैं, अध्यक्ष महोदय को अधिकार है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : और इसलिए किसी भी रूप से वह चुनाव नहीं रुक सकता।

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : रूल 306 में, अध्यक्ष महोदय किसी भी नियम को स्थगित कर सकते हैं, किसी भी प्रस्ताव को स्थगित कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय को सब अधिकार है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जहां तक सत्ता पक्ष का सवाल है, यह सत्ता पक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव के बारे में तय नहीं करता। अध्यक्ष महोदय, यह तो कार्य सूची में यह दिन उपलब्ध है और इसलिए यथा स्थिति चुनाव कराये जाने है, मैं समझाता हूं, अध्यक्ष महोदय ने कांस्टीट्यूशन के प्राविजन के अनुसार यह निर्णय लिया है तो इसको किसी रूप में बदला नहीं जा सकता। यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : 306 में प्रावधान है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन :......और जहां तक वहां जाने का सवाल है, हवाई जहाज से जाया जा सकता है। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत :......(व्यवधान) आप न्याय कीजिये, अध्यक्ष महोदय।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): इस हाउस में अध्यक्ष को अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : श्री चन्दनमल जी।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, सरकारी मुख्य सचेतक महोदय ने यह कहा कि कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग में यह सवाल नहीं उठाया गया था। हमको क्या सपना आता था कि 27 तारीख को नोमिनेशन मांगा जायेगा? (व्यवधान) हमको ज्यों ही नोटिस मिला, हमने आपको कान्टेक्ट करने की कोशिश की। मालूम हुआ कि आप राजगढ़ पधारे हुए हैं। ज्योंही राजगढ़ से आप वापस आये, हमारे मुख्य सचेतक महोदय ने आपसे सम्बन्ध स्थापित किया। मैं पूछना चाहता हूं कि 28 तारीख की जगह उपाध्यक्ष का चुनाव 30 को हो जाए तो क्या आकाश नीचे गिर जायेगा?

श्री रामस्वरूप मीणा : क्या फर्क पड़ेगा?

श्री चन्दनमल बैद : इतना अकोमोडेशन भी आप प्रतिपक्ष को नहीं देना चाहते हैं तो मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : सरकारी मुख्य सचेतक महोदय ने सरासर गलतबयानी की है और मुझ पर यह आरोप लगाया है कि माननीय सदस्या ने गलत कहा है। यहां तक कि कार्य सलाहकार समिति में बात हुई थी कि आप 28 तारीख को......

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, अगर भैरोंसिंह जी शेखावत आज यहां होते तो हमें पूरा विश्वास है कि वो को-आपरेट करते हमारी बात को तुरन्त स्वीकार कर लेते लेकिन भाभड़ा साहब से भी अपेक्षा है कि प्रजातांत्रिक....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराज जाएं। सदन के उप नेता महोदय बोल रहे हैं। कमलाजी, कृपया बैठें।

श्रीमती कमला : मैं उनके नोटिस में लाना चाह रही हूं।

श्री अध्यक्ष : मैंने उनको समय दिया है, आप बिराज जाएं।

श्रीमती कमला : उन्होंने समय दिया है मेरे को, बैठ गये वो।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहती हूं, मुख्य सचेतक महोदय, आपका पद बहुत बड़ा और गरिमामय है। आप इस तरह से किसी सदस्य पर आरोप लगा रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। बाकायदा बात हुई और आपने जब मना कर दिया कि नहीं, आपने हमको पहले एक बार मौका दिया था, हम आपको अभी 10 तारीख को दे चुके, अब हम नहीं देंगे तो हमने यहां तक कहा कि इसका मतलब 28 तारीख को आप अपना एप्रोप्रिएशन बिल राजी–खुशी कराना चाहते हैं, सदन एक तरफ से खाली रहेगा, ऐसा आप करना चाहते हैं। यहां तक बात हुई और आप कह रहे हैं कि कोई बात नहीं हुई। आप रखें या न रखें, आपकी मर्जी है लेकिन तथ्यों को तोड़–मरोड़ कर असत्य कह कर किसी सदस्य पर आरोप नहीं लगायें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शांत।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि तारीख तय करने में सत्ता पक्ष का कोई हाथ नहीं है। सत्ता पक्ष ने तो अध्यक्ष महोदय को केवल अपनी स्वीकृति दी है कि आप चुनाव करवाइये। तारीख तय करना, यह पूर्णत: अध्यक्ष महोदय के.........

श्री अध्यक्ष : स्वीकृति नहीं, निवेदन किया था।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : हां, निवेदन किया था। इसलिए यह अध्यक्षजी के विवेक पर है कि वह तारीख कब तय करें।

दूसरी बात यह है कि आप जो 28 तारीख की बात कह रहे हैं, कार्य सलाहकर समिति में इस सम्बन्ध में चर्चा होकर यह हुआ था कि चूंकि हमें बजट 29 को पास कराना है ताकि बाकी प्रक्रियाएं 30–31 को होकर 31 से पहले–पहले बजट पास हो जाए क्योंकि हमारा वोट ऑन एकाउन्ट 31 तक है इसलिए हम इन तारीखों में कोई फेरबदल नहीं कर सकते। यह हमारी मजबूरी है। इसको प्रतिपक्ष के नेताओं ने जो वहां मौजूद थे, स्वीकार किया।

तीसरी बात यह है कि इस सदन की आज तक जो परम्परा रही है, कभी भी यहां पर उपाध्यक्ष प्रतिपक्ष का नहीं हुआ। हमेशा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सत्ता पक्ष के ही रहे हैं.......

श्री रामनारायण चौधरी : 1952 में रहा था।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अब यदि इसमें कोई परिवर्तन करने की प्रतिपक्ष की इच्छा है तो यह बात सदन में नहीं होनी चाहिए। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष मिलकर भविष्य में इस प्रकार का निर्णय कर सकते हैं इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन चूंकि उन्होंने

(श्री हरिशंकर भामड़ा)

कभी नहीं किया इसलिए हम उसको करें, यह हमारी इच्छा होते हुए भी जो परम्पराएं सदन की पड़ी हुई हैं, हम उस मर्यादा को अपने तौर पर तोड़ना नहीं चाहते। इसलिए शुरूआत उनको ही करनी पड़ेगी यदि कभी उनका राज आया तो अन्यथा हमारे से सदन में बाहर बैठकर हम इस सम्बन्ध में चर्चा कर सकते हैं और कोई भी निर्णय हो सकता है।

अन्तिम बात यह है, मान्यवर, कि इन स्थितियों में हमको लग रहा है कि प्रतिपक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव में गम्भीर नहीं है। यदि वे गम्भीर होते तो चुनाव की चर्चा ही नहीं करते। चूंकि व गम्भीर नहीं हैं और केवल लोकतंत्र में अधिकार है इसलिए हम उसका उपयोग करेंगे भले ही हम हार जाएं, कोई चिन्ता की बात नहीं है, यह उनका अधिकार है। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हारने की उम्मीद तो आपको है इसीलिए तो आप कल चुनाव करवा रहे है।

श्री हरिशंकर भामड़ा : चुनाव में किसी को खड़ा करके हारना चाहें तो हारें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरी मान्यता है कि प्रतिपक्ष गम्भीर नहीं है और इसलिए जब गम्भीर नहीं है जिस बात में, तो उसमें फिर गम्भीरता से विचारना भी उपयुक्त नहीं है। क्योंकि बात ही गम्भीर नहीं है, गम्भीर होती तो हम जरूर इस बात पर विचार करते, हमें कोई आपत्ति नहीं थी।

अन्तिम यह है कि चूंकि आपने प्रक्रिया शुरू कर दी है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के यह फैसले हुए हैं कि एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद रुके नहीं। आपको ध्यान होगा कि विधान सभा के चुनाव हमारे यहां दीपावली के दिन और होली के दिन हुए हैं। सारे लोगों ने विरोध किया, सभी पॉलीटिकल पार्टीज ने विरोध किया मगर इलेक्शन कमीशन नहीं माना। ऐन होली के दिन चुनाव हुए हैं जो कि जनता को सुविधाजनक नहीं थे। परन्तु चूंकि इलेक्शन कमीशन ने तय कर दिया, प्रक्रिया चालू कर दी, इस बात को स्वीकार नहीं किया तो चुनाव हुए। इसलिए चुनाव आदि ऐसी–ऐसी चीजें हैं जो गम्भीर हो तब तो उस पर विचार करें। लेकिन इस प्रस्ताव में गम्भीरता ही नहीं है। यदि गम्भीरता होती तो निश्चित रूप से इस पर हम विचार करते और केवल यह चुनाव लड़ने के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है उसमें जीतने की कण मात्र भी अपेक्षा नहीं कि हम जीतेंगे, मगर चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि प्रतिपक्ष को भी इस सारी स्थिति को समझकर ही यह प्रस्ताव रखना चाहिए। हमने कोई डेट तय नहीं की। न हमने 28 तरीख जानबूझकर तय की है। डेट तय करने का काम अध्यक्ष महोदय का था, अध्यक्ष महोदय ने ही की है और अध्यक्ष महोदय ही इस बारे में अपना निर्णय दें। लेकिन जो प्रक्रिया चालू हो गयी है और चूंकि जैसा मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले हो चुके हैं ऐसी स्थिति में.........(व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, 30 को रखें तो सत्ता पक्ष को तो कोई आपत्ति नहीं हैं न?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : देखिये, मैं कभी खड़ा नहीं होता हूं और बहुत कम बोलता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि इस सदन की मर्यादा को आप रखेंगे। आपके मुख्य सचेतक खड़े होते हैं तो हमारे कोई आदमी को हम नहीं बोलने देते हैं, आपके नेता खड़े होते हैं तो हम बोलने नहीं देते हैं। अगर इस तरह की मर्यादा को आप रखना पसंद नहीं करेंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप अपना स्वभाव नहीं बदलें भले ही। आप चाहें जैसा करें लेकिन, मान्यवर, जब यह प्रक्रिया चालू हो गयी, ऐसी स्थिति में अब इस प्रक्रिया को बन्द करना, यह कानून का इन्टरप्रिटेशन, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने भिन्न–भिन्न समय पर जनरल इलेक्शंस को लेकर आब्जर्वेशंस किये हैं और चूंकि प्रतिपक्ष के प्रस्ताव में गम्भीरता नहीं है इसलिए इसको इतनी गम्भीरता से नहीं लेना चाहिए। यह मेरा निवेदन है।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्षजी, मैं दो बातें कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : बार–बार नहीं। (व्यवधान) माननीय सदस्य, कृपया बिराजें।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, सदन के उप नेता महोदय का यह कहना कि प्रतिपक्ष गम्भीर नहीं है, यह किस आधार पर कह दिया? आपको यह कैसे अहसास हो गया कि हम गम्भीर नहीं है। यदि हम गम्भीर नहीं होते तो हम 30 तारीख की मांग ही नहीं करते। हम गम्भीर हैं। हम चुनाव लड़ना चाहते हैं इसलिए हम मांग करते हैं कि 28 के बजाय इसको 30 तारीख को किया जाए।

श्री शैलेन्द्र जोशी : हैल्दी नार्म्स ऑफ डेमोक्रेसी इन पार्लियामेंट के लिए यह बहुत ही हैल्दी साइन रहेगा। इस चुनाव को 30 तारीख को करवाया जाए। 28 को कराना तो बाई पास होगा । (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : हल्के–फुल्के तरीके से यह कह दिया कि हम गम्भीर नहीं हैं। हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते? यह कोई कारण नहीं है। हम सही मायने में गम्भीर हैं और इसीलिए हम चाहते हैं। आप घबरा गये कि चुनाव होगा तो हमारी जीत होगी कि नहीं होगी। आप शंकित हैं इसलिए आप 28 तारीख के लिए मजबूर कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय...........

श्री अध्यक्ष : आधा मिनट।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं दो बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : एक ही मामले में माननीय सदस्य बार–बार खेड़े हों, ठीक नहीं है।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उप मुख्य मंत्रीजी ने जो यह बात कहीं कि यह

(१५)

(श्री जगदीप धनखड़)

पूरा कार्यक्रम अध्यक्ष करा रहा है, नम्बर–1, नम्बर–2, कि कानून में ऐसी व्यवस्था है कि जब इस चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गयी तो इस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं लग सकता। माननीय अध्यक्ष महोदय........

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष महोदय तो कहो कम से कम। "अध्यक्ष करा रहा है"। कुछ तो रखो।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष ही कर रहे हैं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि "अध्यक्ष करा रहा है", को प्रोसीडिंग से निकाल दिया जाए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह असंसदीय भाषा है।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय करा रहे हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बड़ा अच्छा लगा कि सत्ता पक्ष आपके प्रति बड़ा भारी आदर रखता है और मैं चूंकि हृदय से आपके प्रति आदर रखता हूं, मुझे यह बात कहते हुए बड़ी भारी प्रसन्नता है।

मान्यवर, मैं आपको दो बात कहना चाहता हूं। एक, कानून में इस प्रकार की कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है कि इस चुनाव को स्थगित नहीं किया जा सके। माननीय उप मुख्य मंत्री ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के या उच्च न्यायालय के ऐसे निर्देश हैं। ऐसा एक भी निर्णय नहीं है। आप सर्वोपरि हैं, आप नियमों के तहत इसको स्थगित कर सकते हैं।

दूसरी बात, मान्यवर, आपके निर्वाचन से भारी प्रसन्नता पूरे प्रान्त को हुई है। भारी प्रसन्नता हुई है और प्रतिपक्ष इस बात के लिये कोशिश कर रहा था कि आप जब उपाध्यक्ष थे, जल्दी माननीय अध्यक्ष बनें। मान्यवर, मैं माननीय उप मुख्य मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि जब कानून में व्यवस्था है कि एज सून एज पॉसिबल यह चुनाव होगा, आपने पहले क्यों नहीं किया? हमारे ऊपर आप आरोप लगाते हैं कि हम गम्भीर नहीं हैं। +++ तरीके से आपने अध्यक्ष के पद की गरिमा कम करने के लिये एक ऐसे दिन को चुना कि माननीय अध्यक्ष महोदय के प्रति एक ऐसी बात आये कि इन्होंने चुनाव कराया। माननीय अध्यक्ष, मैं आपसे अनुरोध करता हूं.........

श्री हरिशंकर भाभड़ा : हमने दिन नहीं चुना है।

श्री जगदीप धनखड़ : आप बैठे रहिये, I don't interrupt you. थोड़ी देर पहले आप ब्रीफ कर रहे थे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : हमने दिन नहीं चुना है।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री जगदीप धनखड़ : Take your seat, Mr. Bhabhra. Take your seat.

श्री हरिशंकर भाभड़ा : यह असत्य बोल रहे हैं, हमने दिन नहीं चुना है।

श्री जगदीप धनखड़ : I am holding the floor.

श्री हरिशंकर भाभड़ा : हमने दिन नहीं चुना है, अध्यक्ष महोदय, दिन आपने चुना है और इस तरह से यह प्रतिवाद चलता रहेगा तो इसका कोई अंत नहीं है।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं–नहीं, माननीय भाभड़ाजी राय देने में तो कोई कसर बाकी नहीं रखते। अध्यक्ष जी, पूरी गेंद आपके पाले में है। नियम आपको यह अधिकार देते हैं कि आप इसको आगे कर सकते हैं और चूंकि सत्ता पक्ष पूरा का पूरा मामला आपके ऊपर डाल रहा है +++ तरीके से, हम आपसे विशेष अनुरोध करते हैं कि नियमों की आड़ लेकर आप इसको स्थगित कीजिये और दो दिन पश्चात् कराइये।

श्री दलजीत सिंह (बाड़ी) : अध्यक्ष जी, यह निर्णय ना तो हां पक्ष को लेना है ना ही ना पक्ष को लेना है। हमारे उप नेता ने आपको पहले ही बता दिया है कि हम असमर्थ हैं 28 तारीख को। यह निर्णय आपको लेना है। ऐसा कोई मैसेज ना भेजें राजस्थान को कि बिना ना पक्ष के कोई चुनाव हुआ है। दो दिन में इस हाउस के संचालन में कोई फर्क नहीं आने वाला है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, आपका जो चुनाव सर्वानुमति से हुआ, उस दिन जो भावना और वातावरण बना, उसको बनाये रखें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ठाकरे जी आये थे तो हम तो नहीं गये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष जी, आपके प्रति जितना हमारा आदर है, जितना आत्मा से हम आदर करते हैं, इसी प्रकार से हमको आदर देंगे। आदरणीय सोनिया जी, जो हिन्दुस्तान की नेता हैं, उनके यहां जाने की हमको स्वीकृति प्रदान करें।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड बिराजें। अभी–अभी कहा गया कि किसी भी उच्चतम न्यायालय का ऐसा निर्देश नहीं है। रिकॉर्ड में गलत चीज चली जाएगी। मैं जानता हूं इस बात को, को–आपरेटिव के सिलसिले में बात गयी थी, चुनाव शुरू हो गये थे, चुनाव रोकना चाहती थी सरकार। उच्चतम न्यायालय का नाम.......(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : कहां को–आपरेटिव और कहां सदन में उपाध्यक्ष का चुनाव। (व्यवधान)

श्री रमाकान्त शर्मा : इसलिये यह बात गलत है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप एक गलत रूलिंग पेश कर रहे हैं।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(16)

श्री रामस्वरूप मीणा : आप विधान सभा को को–आपरेटिव से जोड़ रहे हो।

श्री शैलेन्द्र जोशी : गलत नजीर पेश मत कीजिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया, माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं।

माननीय खेतसिंह जी ने ज्योंही सदन शुरू हुआ, एक सवाल उठाया कि माननीय उपाध्यक्ष के चुनाव की जो तारीख है वह पोस्टपोन की जाय। उनके पक्ष मे विपक्ष के माननीय सदस्यों ने इस सवाल की पुष्टि करने का प्रयास किया। सत्ता पक्ष की ओर से माननीय संसदीय मंत्री ने, सदन के उप नेता महोदय ने और मुख्य सचेतक जी ने विशेष रूप से अपनी बात कही लेकिन तारीख पोस्टपोन की जाए इसके बारे में कोई ठोस प्रमाण न इधर के सदस्यों ने दिया, न इधर के सदस्यों ने दिया। नियमों के अन्दर यह प्रावधान है कि माननीय अध्यक्ष का चुनाव माननीय राज्यपाल महोदय करायेंगे, तारीख तय करेंगे और माननीय उपाध्यक्ष के चुनाव की माननीय अध्यक्ष महोदय तारीख तय करेंगे। वह तारीख, 25 तारीख तय कर दी और 28 तारीख को चुनाव है। इस प्रक्रिया को मैं बदलूं या न बदलूं, इस प्रक्रिया को बदलने के कोई ठोस सुझाव, ठोस प्रमाण तथ्यों के आधार पर मुझे नहीं मिले हैं। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह चुनाव की प्रकिया शुरू हो गयी है और निश्चित तिथि पर ही यह चुनाव होगा।

प्रश्न। श्री बनवारीलाल बैरवा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : तो हम इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे।

श्री अध्यक्ष : चुनाव आज नहीं है, चुनाव तो 28 को है।

श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : यह तो आपकी इच्छा है, आप बहिष्कार करें। आप वैसे ही हारने वाले हैं। वैसे भी आप जीत नहीं सकते, आप तो बहिष्कार ही करोगे और क्या करोगे। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, अगर आगे होता तो हम नामीनेशन भरते नहीं तो इसका बहिष्कार करेंगे। जब चुनाव होगा तब हम वाकआउट करेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री बनवारी लाल बैरवा

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जब हमारी बात ही नहीं मानी जा सकती तो फिर हम क्या करेंगे?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री बनवारी लाल बैरवा : मैं मौजूद हूं।

श्री अध्यक्ष : हां।

तारांकित प्रश्नोत्तर

मुद्रांक विक्रय पर कमीशन

295. श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) एवं **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या उप मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला जयपुर, नागौर व टौंक में कुल कितने स्टाम्प (मुद्रांक) विक्रेता किस–किस स्थान पर नियुक्त है? नाम व स्थान सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अधिसूचना संख्या एफ. 9 (14) वित्त/कर/98 दिनांक 9 जुलाई,1998 द्वारा राज्य के स्टाम्प (मुद्रांक) विक्रेताओं की विक्रय सीमा, रुपये 5,000/– से बढ़ा कर रुपये 20,000/– तक कर दी गयी है?

(3) क्या यह भी सही है कि रुपये 20,000/– तक विक्रय सीमा बढ़ाने से राज्य के मुद्रांक विक्रेताओं को व्यवसाय में पूंजी का अधिक विनियोजन करना पड़ेगा?

(4) क्या यह सही है कि विक्रय सीमा बढ़ा कर उन्हें मिलने वाले कमीशन को घटाकर 0.30 पैसे व 0.20 पैसे प्रति सैकड़ा कर दिया गया है? यदि हां, तो किस आधार पर?

(5) क्या यह भी सही है कि कमीशन कम किये जाने से जहां स्टाम्प विक्रेता को अधिक पूंजी का विनियोजन करना पड़ेगा वहीं इस बढ़ती मंहगाई में आय पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा? यदि हां तो क्या सरकार कमीशन राशि में की गयी कमी को बढ़ाने का विचार रखती है, ताकि स्टाम्प विक्रेताओं द्वारा किये जा रहे विनियोजन पर उचित आय हो सके? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, वित्त (श्री अनंग कुमार जैन) : (1) सूची संलग्न है।

(2) जी, हां।

(3) जी नहीं। यह आवश्यक नहीं है। केवल जो स्टाम्प विक्रेताओं द्वारा रुपये 5000/– की राशि से अधिक के स्टाम्प विक्रय करना चाहेंगे उन्हीं को आवश्यकता–नुसार राशि का विनियोजन करना होगा।

(4) जी नहीं। मुद्रांक विक्रय पर कमीशन निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	रुपये	रुपये प्रति सैकड़ा
1	रुपये 1 से 400 तक	2.00
2	रुपये 401 से 5000 तक	0.50
3	रुपये 5001 से 10,000 तक	0.30
4	रुपये 10,001 से 20,000 तक	0.20

दिनांक 9.7.98 से पूर्व 5000 तक की सीमा पर जो कमीशन दिया जाता था उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं की गयी है एवं रुपये 5000/– से जो सीमा बढ़ा कर रुपये 20,000/–तक की गयी है, उसमें 5001 से 10,000 तक 0.30 रुपये प्रति सैकड़ा एवं 10001 से 20,000 तक 0.20 रुपये प्रति सैकड़ा कमीशन देय है।

(18)

(श्री अनंग कुमार जैन)

(5) जी नहीं। मुद्रांक विक्रेताओं को दिनांक 9.7.98 से पूर्व 5000/– तक की राशि में जो कमीशन देय था उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं की गयी है एवं अब मुद्रांक विक्रय की सीमा बढ़ाने से उनकी आय पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा कमीशन बढ़ाने का कोई विचार नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह बहुत स्पष्ट नहीं है। पहले सन् 1960 तक तो व्यवस्था यह थी कि सरकारी लोग ही स्टाम्प बेचा करते थे। सन् 1960 के बाद व्यवस्था में यह परिवर्तन आया कि हमारी तरफ से कमीशन एजेण्ट नियुक्त किये गये। उसमें अब तक जो व्यवस्था थी वह ऐसी थी कि जो लोग इस काम धंधे में लगे हुए हैं उनकी पेट भराई का काम था। लेकिन अब इससे बड़ी दिक्कत यह आ गयी है कि बीस हजार के स्टाम्प, दस हजार के स्टाम्प स्टाम्प वेंडर रखेंगे। इतनी भारी राशि को इस पर खर्च करेंगे लेकिन उनको आय कितनी होगी? यह बहुत कम हो जाएगी। इसके लिए सीधा ही आप यह देख लें कि अगर कोई बीस हजार का स्टाम्प खरीदेगा तो उसको चालीस रुपये मिलेंगे और दस–दस हजार के दो खरीदेगा तो उसको साठ रुपये मिलेंगे। यह एक ऐसी दिक्कत आ गयी है। चलो बीस हजार का कोई मांगेगा तो बीस हजार का एक दिया जाएगा, दो तो उसको नहीं देंगे। मेरा निवेदन करना यह है कि अगर सरकार उनका कमीशन बढ़ाने की बात नहीं करती है तो जैसा पहले उनको कमीशन पर अलाउ था कि वह खरीददारों से ले लें कमीशन, इस तरह की कोई व्यवस्था करना चाहें तो वह ज्यादा मुनासिब होगा। चूंकि सैकड़ों लोगों के रोजगार से यह मामला जुड़ा हुआ है इसलिये इस पर विचार करके बतायें।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, मेरा राज्य सरकार से सीधा प्रश्न है। स्टाम्प विक्रेताओं की लम्बे समय से दो डिमांड चल रही हैं, एक तो यह कि जब रजिस्ट्रेशन की फीस और स्टाम्प ड्यूटी इतनी बढ़ गयी तो वह जो पांच हजार की सीमा थी उससे ज्यादा करने की, दूसरी यह कि हमारा कमीशन कम हो गया है। अब राज्य सरकार ने इनकी एक डिमांड मानकर पांच हजार की जगह बीस हजार तक के स्टाम्प देने की घोषणा कर दी लेकिन बीस हजार के स्टाम्प पर बीस पैसा प्रति सैंकड़ा कमीशन है। किस आधार से है? यह उचित नहीं है। अगर महीने में दो बार वो टर्न आउट करे तो भी कितनी बार में जाकर राशि का ब्याज कटे। प्राफिट की बात दूसरी है लेकिन बीस पैसा सैकड़ा बहुत ही कम इनका कमीशन है। इसलिये कई दिनों से तो आपके समक्ष अपनी दो डिमांड रख रहे थे, उनमें से एक आपने मानी है और दूसरे में आपने उनके पहले कमीशन से भी कम कर दिया इस बारे में आपको क्या कहना है?

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, पांच हजार तक राशि का उनका कोई कमीशन कम नहीं किया गया है। उनकी डिमांड थी कि पांच हजार से अधिक स्टाम्प बेचने का भी हमको अधिकार दिया जाए। पांच हजार से अधिक स्टाम्प बेचने का पहले उनको अधिकार नहीं था। राज्य सरकार ने उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए, उनको आर्थिक और फायदा मिले, बीस हजार रुपये तक की स्टाम्प की सीमा कर दी। अब जो वर्तमान में पांच हजार रुपये तक के स्टाम्प देते हैं उसके भी हमारे पास 1711 स्टाम्प वेंडर हैं और करीब 58 लाख रुपये प्रति वर्ष हम कमीशन देते हैं। अभी जो बीस हजार तक की सीमा बढ़ायी है, इससे करीब–करीब राज्य सरकार के कोष में 30–40 लाख रुपये का और भार पड़ेगा और यदि ज्यादा बिकते हैं तो और भी बढ़ सकता है। इसलिये यह कमीशन जो दिया जाता है यह राज्य सरकार को अपने खाते से देना पड़ता है। आपने इनके कमीशन और बढ़ाने का जो सुझाव दिया, अभी बीस हजार के ऊपर भी एक–दो घंटे के लिए भी अगर सुबह 11.00 बजे पैसा जमा कराता है और तीन बजे स्टाम्प निकल जाते हैं और चार बजे वापस स्टाम्प वेंडर उसको डिलीवर कर देता है तो उसके लिये भी उसको 40 रुपये रोज मिलेंगे। दिन भर में चार–छह घंटे के लिए बीस हाजर रुपये के इन्वेस्टमेंट से उसको 40 रुपये मिलते हैं। तो कोई कमीशन हमने कम नहीं किया बल्कि उनको अधिक अधिकार दिया है। उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो, उनको और अधिक कमीशन मिले और जनता को भी सुविधा मिले कि वह स्वयं ट्रेजरी में जमा कराती थी पैसा, स्टाम्प निकलवाती, उसको स्टाम्प वेंडर के माध्यम से मिल रहा है। इसलिये इसमें मुझे नहीं लगता कि उनको कोई नुकसान है। बल्कि उनको फायदा ही है। उनके फायदे की दृष्टि से ही राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा कि यह राशि बढ़ने के बाद करीब–करीब 90 लाख से एक करोड़ रुपये राज्य सरकार को देना पड़ेगा। यदि और कमीशन बढ़ाती है तो राज्य सरकार को और अधिक देना पड़ेगा, क्योंकि यह कमीशन न तो स्टाम्प खरीदने वाले से लिया जाता है और न जो पैसा जमा कराता है उससे लिया जाता है, राज्य सरकार अपने कोष से देती है। पूर्व में इस बात का ध्यान रखा गया है कि राज्य सरकार के ऊपर भी अधिक भार नहीं पड़े और स्टाम्प वेंडर्स को इसका बेनिफिट मिल जाए।

दूसरा, वहीं स्टाम्प वेंडर यह काम करेंगे जो पांच हजार के स्टाम्प निकलवाते थे। तो इसमें विशेष रूप से कोई नुकसान नहीं बल्कि आर्थिक फायदा है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा कि अभी फिलहाल राज्य सरकार का कमीशन बढ़ाने का कोई विचार नहीं है और चूंकि यह नया सिस्टम शुरू किया है, इसको देखने के बाद चार–छह, आठ महीने के बाद इसमें कोई व्यावहारिक कठिनाई आयी और इसके ऊपर माननीय सदस्यों का कोई नया दृष्टिकोण सामने आया तो Government is always open to consider rate.

(श्री अनंग कुमार जैन)

इस पर जब एक साल पूरा हो जाएगा उसके बाद निश्चित रूप से विचार किया जाएगा। अगर राज्य सरकार के सामने ऐसे कोई ठोस कारण आएंगे जिससे लगता है कि इस पर दुबारा विचार किया जाए तो निश्चित रूप से विचार किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जोशी ।

उच्च न्यायालय में लम्बित प्रकरणों का निस्तारण

296. **श्री शैलेन्द्र जोशी** (बांदीकुई) : क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे :–

(1) राजस्थान उच्च न्यायालय में गत पांच वर्ष के अधिक समय से लम्बित एकल पीठ रिट याचिकाओं, सिविल प्रथम अपील, सिविल द्वितीय अपील, सिविल पुनरीक्षण याचिकाओं, सिविल विविध अपीलों की संख्या क्या है? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्थान उच्च न्यायालय में एक वर्ष से अधिक लम्बित ऐसी फौजदारी अपीलों जिनमें मुलजिम जेल में हो, का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राजस्थान उच्च न्यायालय में खण्ड पीठ द्वारा श्रवण योग्य रिट याचिकाओं व स्पेशल अपील (सिविल) एवं स्पेशल अपील (रिट) जो गत दो वर्षों से अधिक समय से लम्बित है, का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष ऐसे डेथ रेफरेन्स संख्या में कितने हैं जो 6 माह से अधिक अरसे से लम्बित हैं?

(5) राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कितने पद कब से रिक्त हैं?

(6) सरकार द्वारा न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने के लिये अपने स्तर पर क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) सरकार द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय में दीर्घकाल से लम्बित विभिन्न प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिये क्या प्रयास किये गये? यदि नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, विधि (श्री कालीचरण सराफ) : (1) राजस्थान उच्च न्यायालय में गत पांच वर्ष से अधिक समय से लम्बित एकल पीठ रिट याचिकाओं की संख्या 7915, सिविल प्रथम अपीलों की संख्या 2325, सिविल द्वितीय अपीलों की संख्या 1039, सिविल पुनरीक्षण याचिकाओं की संख्या 132 एवं सिविल विविध अपीलों की संख्या 1359 है।

(2) राजस्थान उच्च न्यायालय में एक वर्ष से अधिक लम्बित फौजदारी अपीलों की संख्या 1368 है जिनमें मुलजिम जेल में है।

(3) राजस्थान उच्च न्यायालय में खण्ड पीठ द्वारा गत दो वर्षों से अधिक समय से लम्बित श्रवण योग्य रिट याचिकाओं की संख्या 10584, स्पेशल अपीलों (सिविल) की संख्या 415 एवं स्पेशल अपील (रिट) की संख्या 1788 लम्बित है।

(श्री कालीचरण सराफ)

(4) राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष ऐसे डेथ रेफरेंस की संख्या 5 (पांच) है जो 6 माह से अधिक समय से लम्बित है।

(5) राजस्थान उच्च न्यायालय में वर्तमान में 9 (नौं) न्यायाधीशों के पद रिक्त हैं। ये पद क्रमशः दिनांक 4.7.97, 8.7.97, 16.8.97, 16,12,97, 20.12.97, 22.12.97, 25.12.97, 11.4.98 एवं 2.6.98 से रिक्त हैं।

(6) राज्य सरकार जनता की प्रतिनिधि होने के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व भारत के मुख्य न्यायाधीश को केवल नाम ही सुझा सकती है। उक्तानुसार सुझाये गये नामों अथवा अन्य पात्रधारी व्यक्तियों के सम्बन्ध में विचार करने तथा उनको उपयुक्त पाने का एक मात्र क्षेत्राधिकार राज्य के मुख्य न्यायाधीश एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश को ही है। मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के अन्य दो वरिष्ठ न्यायाधीशों की राय के आधार पर, चयन प्रक्रिया के अनुसार अपना अभिमत राज्य सरकार के मार्फत केन्द्र सरकार तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश को भिजवाती है। राज्य सरकार ने गत एक वर्ष में इस सम्बन्ध में राज्य के मुख्य न्यायाधीश से औपचारिक विचार–विमर्श किया है। मुख्य न्यायाधीश की अनुशंषा प्राप्त कुछ नाम केन्द्र सरकार व सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भिजवाये भी गये थे, परन्तु संभवतः कुछ गतिरोध उत्पन्न होने के कारण चयन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी है। राज्य सरकार निकट भविष्य में ही राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश से विचार–विमर्श कर रिक्तियों को भरने के लिये उनका ध्यान आकर्षित करेगी।

(7) सरकार के प्रत्येक विभाग द्वारा पैनल लायर्स नियुक्त किये गये हैं जो याचिकाओं में विभाग की पैरवी करते हैं। विभाग की ओर से प्रभारी अधिकारी नियुक्त होते हैं जो प्रत्येक मामले के रिकार्ड के साथ पैनल लायर्स से सलाह कर जवाब तैयार कराते हैं। अति महत्त्वपूर्ण मामलों में राज्य के महाधिवक्ता व अतिरिक्त महाधिवक्ता ही की नियुक्ति की जाती है तथा शेष मामलों में राजकीय अधिवक्ता पैरवी करते हैं। उक्त पूरी कार्यवाही पर निदेशक, वादकरण तथा नियंत्रक, वादकरण द्वारा निगरानी रखी जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशें की रिक्तियों को भी यथासंभव भरने के प्रति सरकार प्रयासरत है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि उत्तर से प्रथम दृष्ट्या–गोचर होता है कि राजस्थान उच्च न्यायालय में अपीलों की संख्या, सिविल रिट की संख्या, क्रिमिनल अपील की संख्या, डेथ रेफरेंस की संख्याओं का अम्बार लगा हुआ है और, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है जस्टिस डिलेड कींस जस्टिस डिनाइड और यह भी मालूम है कि इन रिट याचिकाओं में से अधिकांश पांच साल से ज्यादा लम्बित है 7915, इसलिये इनका जो रिलीफ है वह इनफैक्चुअस हो गया है। रिलीफ प्रयोजनहीन हो गया है। ऐसी दशा में जबकि राजस्थान में सिविल अपीलों की संख्या 2325 है, पांच साल से ज्यादा..........

22

श्री अध्यक्ष : यह दोहराओ मत। यह तो आ गया। आप प्रश्न पूछो। प्रश्न पूछो, पूछो।

श्री शैलेन्द्र जोशी : जी हां, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं।

ऐसी स्थिति में जब किरायादारी बेदखली के लिये, जो मकान मालिक मकान खाली कराना चाहता है उसको मालूम है कि दस साल मुकदमा चल गया, पांच साल की पेंडिंग हो गयी, पन्द्रह साल हो गये, वह पेशेवर गुंडों से खाली कराना चाहता है बनिस्बत लीगल कींस अडाप्ट करके।

इसमें मेरे तीन प्रश्न है। पहला प्रश्न मेरा यह है, राजस्थान उच्च न्यायालय में सरकार को मालूम है कि अमुक दिन अमुक–अमुक जज रिटायर होंगे, उनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट मालूम है, उसके छह महीने पहले से ही उनकी जगह दूसरा जज नियुक्त हो, उसके लिये राजस्थान सरकार नाम भेजे और वह प्रक्रिया छह महीने पहले चालू कराये, क्या ऐसा कोई प्रोसीजर अडाप्ट किया है जिसमें किसी भी हाई कोर्ट के माननीय जज के रिटायर होने से छह महीने पहले ही प्रक्रिया जारी हो और उनके रिटायर होने के साथ–साथ ही नियुक्त हो जाए?

श्री अध्यक्ष : अब बिराजें। बिराजें–बिराजें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि दस साल से, दो साल से, चार साल से जो मुलजिम जेल में है, उसकी अभी ट्रायल पूरी नहीं हुई और ट्रायल पूरी होने के बाद उसको हाई कोर्ट की अपील से निर्दोष साबित कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार, विधान सभा, जिसका कि यह क्षेत्राधिकार है, उनके परिवारों को इसके दुष्परिणाम की वजह से, ना दीर्घकालीन निर्णय होंगे उसकी वजह से मुआवजा देने का कोई सोच रखती है? ऐसे निर्दोष व्यक्ति जो दस साल बाद, पन्द्रह साल बाद, अट्ठारह साल बाद एक्विटल होंगे उनके लिये कोई कानून बनाने जा रही है?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये अब।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा अंतिम सवाल यह है, जिस तरीके से 90 दिन तक जेल में रहने के बाद यदि चालान पेश नहीं होता है तो 167 सब–क्लाज–II सीआरपीसी में बेल एज ए राइट के रूप में रिलीज हो जाता है और मुलजिम बाहर आ जाता है उसी तरह यदि कोई मुलजिम एक साल, दो साल तक जेल में रहें और उसका फैसला नहीं होता है तो वह एज ए राइट बेल आउट हो जायेगा, क्या राज्य सरकार ऐसा कोई नियम बनाना चाहती है जो कि विधान सभा क्षेत्र में है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती बीना काक।

श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, उच्च न्यायालय में जो लंबित प्रकरण है उनके बढ़ते हुए अम्बार का यह भी कारण है कि राजस्थान उच्च न्यायालय में 16 न्यायाधीशों की नियुक्ति बाहर के राज्यों द्वारा की गयी है, जो कि 32 में करीब 50 प्रतिशत होते हैं प्रावधान यह है कि शायद वन थर्ड न्यायाधीश बाहर से आ

(श्रीमती बीना काक)

सकते हैं। मेरा यह मानना है वह न्यायाधीश राजस्थान के हालात को इतनी अच्छी तरह से यहां की संस्कृति को इतनी अच्छी तरह से नहीं समझते हैं और वह जो लम्बित प्रकरण हैं उनमें और देर होती जाती है क्योंकि वह किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो क्या राज्य सरकार ने इसका प्रतिवाद केन्द्र सरकार में प्रस्तुत किया है?

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र चौधरी ।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने प्रश्न के प्रथम भाग में यह उत्तर दिया है कि पांच वर्षों से इतने लम्बित हैं। मैं यह प्रश्न सीधा पूछना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय प्रशासन से इस सम्बन्ध में कभी कोई जानकारी मांगी है कि इतने लम्बित क्यों रहे? मांगी है तो क्या जानकारी मांगी है और उन्होंने क्या जवाब दिया है? नहीं तो अब मागेंगे क्या?

श्री अध्यक्ष : श्री खेतसिंह राठौड़।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा, आपने स्वयं ने अपने जवाब में यह कहा है कि नौ पद रिक्त पड़े हैं, जब आपके पास नौ पद रिक्त पड़े हैं तो क्या राज्य सरकार ने यहां के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के साथ में बैठकर के इस बारे में कोई परामर्श किया, कोई लिस्ट तैयार की और क्या आपने वह लिस्टें भारत सरकार को भेजीं और वहां से कोई मनाही आ गयी या उसमें कोई संशोधन आ गया? किस वजह से अभी तक यह नियुक्तियां नहीं हुई हैं? यह खास तौर से बतायें क्योंकि इतने लम्बे समय से केसेज पैंडिंग हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण सिंहजी ।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, एक कल्याणकारी राज्य का यह कर्त्तव्य है कि उसके नागरिकों को न्याय समय पर प्राप्त हो। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि इतने वर्षों तक 5–5, 10–10 वर्षों तक यह प्रकरण लम्बित रहें तो आपने उच्च न्यायालय के सम्बन्ध में और लोअर कोर्ट के सम्बन्ध में लंबित प्रकरणों के बारे में कोई कानून में परिवर्तन करने के लिए या नियमों में परिवर्तन करने के लिए उच्च न्यायालयों में जजेज से या प्रशासन से डिस्कशन किया? नहीं किया है तो क्या भविष्य में इस प्रकार का कोई कदम उठाने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष : श्री शांतिकुमार धारीवाल। आप नोट करिये, मंत्री महोदय, नोट करें।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, इधर भी आपकी निगाह हो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं जैसा आपने बताया है कि 7915 सिंगल बैंच पिटिशंस 5 साल से पैंडिंग हैं, 5 साल से कोई पिटिशन पैंडिंग रहे तो वह इन्फैक्चुअस भी हो जायेगी और इन्फैक्चुअस होने के बाद उस पिटिशनर के फंडामेंटल राइट्स को तो........

24

श्री अध्यक्ष : इतना समझाने की जरूरत नहीं है, आप प्रश्न पूछ लें। मंत्री महोदय काफी समझदार हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं पूछ रहा हूं। उसके फंडामेंटल राइट्स खतम हो गये तो उसके पिटिशनर को किस तरह से राहत पहुंच सकेंगे? इस बारे में आपने कुछ सोचा है कि पिटिशन दायर करने वाले की रिट पिटिशन सालों तक पैंडिंग रहने की वजह से इन्फैक्चुअस न हो इस प्रकार की...........

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें। श्री शिवनाथ सिंह जी।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष महोदय, जो फिगर्स माननीय मंत्री महोदय ने दी हैं पैंडिंग केसेज की वह चिन्ताजनक है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, इस मामले में, नये न्यायाधीश नियुक्त किये जायें, आपने कहा कि औपचारिक हमने बात की है, तो कब–कब आपने लिखित में और उनसे बैठकर वार्ताएं की और क्या बाधाएं थी जिसकी वजह से यह नियुक्तियां नहीं हो पायीं?

दूसरा मेरा निवेदन है कि जो मुकदमों का अम्बार लगा है वह रिट पिटिशंस के कारण से है। क्या आप मुख्य न्यायाधीश से बैठकर बात करेंगे कि रिट पिटिशंस जो अधिकांश फालतू होती हैं उनमें समय जाया होता है और मुलजिम जेल में पड़े रहते है या जिनके सिविल राइट्स अफेक्ट होते हैं उन लोगों को राहत नहीं मिलती है, अध्यक्ष जी, एक परम्परा बन गयी है..........

श्री अध्यक्ष : बिराजें। सवाल हो गया।

श्री शिवनाथ सिंह :.......परम्परा बन गयी है कि एक पोस्टकार्ड किसी ने भेज दिया कि रामनिवास गार्डन के अंदर से होकर गाड़ियां जायें या नहीं जायें, इस मामले में हाई कोर्ट लगा रहता है। गाड़ियां उधर से निकलेंगी तो चिड़ियों का दल कांपने लग जायेगा, गाड़ियां उधर से नहीं निकलेंगी तो चिड़ियों का दल नहीं कांपेगा। उधर से सड़क बनाओ। इस प्रकार की फालतू जो रिट्स होती हैं उनमें समय जाया होता है और सही मुकदमे हैं उनका फैसला नहीं होता है, क्या मुख्य न्यायाधीश से इस प्रकार की कोई व्यवस्था कराने की चेष्टा करेंगे?

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीप धनखड़। पाइंटेड क्वेश्चन।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी ओर निगाह जानी चाहिए आपकी।

श्री अध्यक्ष : आपको समय दे रहा हूं।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : आसन की निगाहें उधर ही उधर हैं। हम पर भी थो आप कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : अभी दे रहा हूं।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार है कि वह नियुक्ति सम्बन्धी कोई

(श्री जगदीप धनखड़)

परामर्श भारत के प्रधान न्यायाधीश को दे सके? यदि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इस प्रकार का परामर्श भारत के प्रधान न्यायाधीश को नहीं दे सकता तो क्या राज्य सरकार ने इस ओर कोई कदम उठाया है कि राज्य में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो?

श्री अध्यक्ष : बिराजें। एक सवाल और है, मंत्री महोदय। भूतपूर्व कानून मंत्री जी, बैठें।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर सवाल है, जैसा मंत्री महोदय ने प्रश्न नम्बर दो के उत्तर में स्वीकार किया है कि 1368 ऐसे फौजदारी मुकदमे हैं जिनमें एक साल से अधिक वह आदमी बंदी है। क्या इन लोगों की चिन्ता राज्य सरकार को नहीं करनी चाहिए?

श्री अध्यक्ष : यह सवाल आ गया।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : अध्यक्ष महोदय, खास करके इसलिए कहना चाहूंगा कि यह बांसवाड़ा, कुशलगढ़, डूंगरपुर जो आदिवासी क्षेत्र हैं, जो वनवासी क्षेत्र हैं उनमें जो फौजदारी केसेज हो जाते हैं, वो कहीं पर जमानत तक नहीं दे सकते, वकील की फीस नहीं दे सकते हैं ऐसे लोगों को वर्षों तक उन जेलों में रहना पड़ता है। न्यायाधीश उसकी चिंता नहीं करते तो राज्य सरकार को इसकी चिंता करनी चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार ऐसे केसेज के सन्दर्भ में, जिनमें लोग जेलों में सड़ रहे हैं और जिनकी पैरवी करने वाले नहीं हैं, क्या करना चाहती है?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री कालीचरण सराफ : अध्यक्ष महोदय, आज जो इतने मामले लम्बित है न्यायालयों में उसका एकमात्र कारण यह है कि हमारे यहां 9 पद रिक्त हैं। राज्य सरकार निश्चित रूप से चिंतित है कि इतने मामले लम्बित नहीं होने चाहिए पर न्यायालयों में जो न्यायाधीशों के रिक्त पद हैं उनको भरने का क्षेत्राधिकार राज्य सरकार के पास नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधिपति हैं वही इनको भरने में सक्षम हैं। हमारा काम केवल इतना है कि यहां माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति 3 जजेज की कमेटी बनायें, उसमें नाम प्रस्तावित करें, मुख्य मंत्रीजी से विचार–विमर्श हो और उसके बाद हम उनको सुप्रीम कोट के माननीय मुख्य न्यायाधिपति के पास भेज देते हैं।

जब यहां मुखर्जी मुख्य न्यायाधिपति थे उन्होंने 3 जजेज की कमेटी बनायी, मुख्य मंत्रीजी जी से विचार–विमर्श करके यहां से हमने नाम केन्द्र सरकार को भेजे और माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधिपति को भी भेजे। पर उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया। परम्परा यह रही है कि मुख्य न्यायाधिपति ही यह कमेटी बनाकर नाम प्रस्तावित कर सकते हैं। हमारा दुर्भाग्य यह है कि राजस्थान में अभी कोई स्थायी मुख्य न्यायाधिपति नहीं हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति यहां काम कर रहे हैं और परम्परा यह रही है कि

(श्री कालीचरण सराफ)

मुख्य न्यायाधिपति ही यह नाम भेज सकते हैं। तो पहले यहां मुख्य न्यायाधिपति की स्थायी नियुक्ति हो उसके बाद यह दुबारा मुख्य मंत्रीजी से विचार–विमर्श करके नाम भेजे और फिर उच्चतम न्यायालय उनको अपाइंट करे। राज्य सरकार बहुत चिंतित है कि इतने मामले लम्बित हैं और यह न्यायिक प्रक्रिया में डिले हो रहा है पर हमारे हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए हम इसमें कुछ भी करने में असमर्थ हैं। मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति राजस्थान में जल्दी हो इस बात का सरकार प्रयास कर रही हैं। मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति हो जाएगी तो उसके बाद यह प्रोसिजर अपने यहां जल्दी से जल्दी.........(व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : कुछ किया? क्या प्रयास किये हैं?

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : पत्र लिखा हो तो दिनांक बता दीजिए कि किस दिनांक को पत्र लिखा।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : यह तो खूब चाहते हैं कि कार्यवाहक ही रहे।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण जी चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा राज्य सरकार पर यह आरोप है कि गरीब लोग जो जेलों में पड़े हैं और जो लिटिगेंट्स हैं उनको समय पर इंसाफ, न्याय मिल सके, राजस्थान सरकार ने इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं किया है। मान्यवर, जो प्रक्रिया है जजेज की नियुक्ति करने की, उससे आप भली–भांति परिचित हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिकमण्डेशन से यह नियुक्तियां होती हैं। राज्य सरकार के मुख्य मंत्री अथवा उप मुख्य मंत्री तथा विधि मंत्री, विधि मंत्री का दायरा सीमित है, मुख्य मंत्री राज्यपाल और केन्द्र सरकार से मिलें, किस प्रकार से गरीब लोगों को इंसाफ मिले, किस प्रकार से जेलों में पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं, वे बाहर निकल सकें या उनका स्थायी रूप से निर्णय हो जाए यह अनफार्मल तरीके से राजस्थान सरकार का कर्त्तव्य है, मुख्य मंत्री का। विधि मंत्री ने एक टैक्नीकल जवाब दे दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके मार्फत राज्य सरकार से कि यह जो प्रश्न आया है, बड़ा गम्भीर है, कितने दिनों से लोग जेलों में पड़े हुए हैं, 25 हजार के आसपास मुकदमे बकाया हैं, पांच साल से ज्यादा पुराने हैं। मैं आपके मार्फत राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री, यहां के राज्यपाल, यहां के चीफ जस्टिस और केन्द्र के विधि मंत्री से, प्रधान मंत्री से बात करके कोई इस बात का रास्ता निकालें ताकि लोगों को राहत मिल सके, मदद मिल सके।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा, राज्य सरकार निश्चित रूप से इस बात के लिए चिंतित है कि इतने मामले लम्बित क्यों हैं। (व्यवधान) इसीलिए माननीय मुख्य न्यायाधीश मुखर्जी साहब ने तीन जजों की कमेटी बनाई, मुख्य मंत्री जी, महामहिम राज्यपाल महोदय से

(श्री कालीचरण सराफ)

विचार–विमर्श किया, हमने केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भिजवा दिया।

श्री शैलेन्द्र जोशी : राज्य सरकार नाम भेजने में स्लो रही है इसलिए इसके विरोध में मैं सदन में धरना देता हूं। (व्यवधान)

(माननीय सदस्य श्री शैलेन्द्र जोशी व श्री रामस्वरूप मीणा द्वारा सदन कूप में धरना)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त। यह क्या हो गया? (व्यवधान), बिराजें आप। हां, प्रश्नकाल समाप्त कर दिया।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट–1 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

उपभोक्ता संरक्षण मंच जिला उदयपुर में दायर पैन्शन प्रकरण

408. श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : क्या उप मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच उदयपुर द्वारा श्री जी.के. जोशी बनाम न्यासी बोर्ड/राज्य सरकार के मामले में राज्य पेंशनर को उपभोक्ता माना गया और राज्य एवं राष्ट्रीय आयोग एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की गई है? यदि हां, तो इस परिवार में सरकार द्वारा कितना व्यय यात्रा भत्ता आदि में किया गया?

(2) क्या उक्त निर्णय के पश्चात् सरकार द्वारा कोई नीतिगत निर्णय लेकर जिला कलक्टरों को दिशा निर्देश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो कब और क्या तथा नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त निर्णय के पश्चात् कौन–कौन से प्रकरण विभिन्न जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच में दायर किये गये?

(4) क्या यह सही है कि जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच श्रीगंगानगर के परिवाद संख्या 286/96 दिनांक 11.10.96 के अनुसार परिवादी पेंशनर को उपभोक्ता मानकर जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा रुपये 12036/– का भुगतान किया गया?

(5) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त परिवादी द्वारा परिवाद संख्या 748/96 द्वारा परिवाद दायर करने पर जिला कलक्टर श्रीगंगानगर ने शपथ पत्र दिनांक 16 फरवरी, 1997 द्वारा यह कहा है कि परिवादी उपभोक्ता की परिभाषा में नहीं आता जबकि पूर्व निर्णय में उसे उपभोक्ता मानकर भुगतान किया गया था? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई और नहीं, तो क्यों?

(6) क्या यह सही है कि जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच, अजमेर द्वारा उक्त प्रकरण में परिवादी को भुगतान की गई राशि संबंधित अधिकारी से वसूल किये जाने के आदेश दिये थे?

(7) क्या सरकार द्वारा उक्त प्रकरणों में अब तक किसी अधिकारी/कर्मचारी की

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

जिम्मेदारी तय की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। इस परिवाद में निम्न प्रकार व्यय हुआ है–

न्यायालय व्यय	–	10,600/–रु.
यात्रा व्यय	–	26,398/–रु.
अन्य व्यय	–	5,297/–रु.

(2) जी, नहीं। समय–समय पर कोषाधिकारियों द्वारा न्यासी बोर्ड को प्रेषित प्रकरणों में आवश्यक मार्गदर्शन दिया जाता रहा है।

(3) उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात् पेंशनरों द्वारा विभिन्न जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच में दायर किये गये प्रकरणों की सूची संलग्न है।

(4) इस परिवाद में कोषाधिकारी श्रीगंगानगर ने जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 11.10.96 की अनुपालना में 1.11.96 को 12036/–रुपये का भुगतान किया गया।

(5) जी, नहीं। इस वाद में कोषाधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा शपथ पत्र इस आधार पर दिया गया था कि उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 10.9.96 के विरुद्ध न्यासी बोर्ड द्वारा उच्चतम न्यायालय में पुनः निरीक्षण विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी जो उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिनांक 15.1.97 को खारिज की गई। इस आदेश की प्रति न्यासी बोर्ड में माह अप्रेल, 97 में प्राप्त हुई थी। अतः पुनः निरीक्षण याचिका के निरस्तीकरण की सूचना समय पर उपलब्ध न होने के कारण परिवादी को उपभोक्ता की परिभाषा में नहीं माना गया था। यह वाद जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 18.3.97 को खारिज किया जा चुका है।

(6) प्रश्न में वाद संख्या अंकित नहीं है।

(7) प्रकरण संख्या 286/96 में किसी अधिकारी/कर्मचारी की कोई त्रुटि नहीं होने के कारण जिम्मेदारी तय करने का प्रश्न नहीं उठता। प्रकरण संख्या 748/96 जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच श्रीगंगानगर द्वारा खारिज किया जा चुका है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–2 देखें)

पेंशन अदालत का गठन प्रकरण

409. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या उप मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य कर्मचारियों के पेंशन सम्बन्धी शिकायतों को शीघ्रता से निपटाने हेतु सरकार द्वारा पेंशन अदालत का गठन राज्यादेश क्रमांक एफ.7(7)एफडी/आर एण्ड/आई/94 दिनांक 24.11.94 से किया गया है?

(2) पेंशन अदालत की अब तक कितनी और कब–कब बैठकें आयोजित की गई तथा कितने मामले नवम्बर, 1994 से जून, 1998 तक के निर्णित हुए तथा कितने शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(3) क्या यह सही है कि विलम्ब से भुगतान के मामले, अदालत द्वारा निर्णित किये जाकर ब्याज के भुगतान के आदेश दिये गये? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) पेंशन अदालत में पेंशनर्स के प्रतिनिधि और न्यायिक अधिकारी को इनमें नहीं रखने के क्या कारण हैं? क्या सरकार अब इन्हें सम्मिलित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(5) अदालत में प्राप्त पेंशन प्रकरणों की कम्प्यूटरीकरण एवं मोनिटरिंग की क्या व्यवस्था है? यदि नहीं, तो क्यों?

(6) कया सरकार राज्य के दूर–दराज स्थानों से आने वाले पेंशनर्स की आर्थिक एवं अन्य परेशानियों को ध्यान में रखते हुए संभागवार अदालत की बैठकों का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? वर्तमान में संभागवार कितने प्रकरण लम्बित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या पेंशन अदालत की कार्यवाही सार्वजनिक रूप से आयोजित करने एवं अदालत के निर्णयों का प्रकाशन "राजस्थान पेंशनर्स" पत्रिका में प्रकाशनार्थ दिये जाने का सरकार विचार रखती है? यदि नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) पेंशन अदालत की अब तक आठ बैठकें आयोजित की जा चुकी है। जो क्रमशः दिनांक 9.3.95, 20.7.95, 14.9.95, 17.11.95, 27.5.96, 19.12.96, 6.6.97, 26.9.97 को हुई हैं। उक्त बैठकों में 208 प्रकरणों को निर्णित किया गया, जिसमें 186 प्रकरणों की अनुपालना की जा चुकी है तथा 23 प्रकरणों की अनुपालना शेष है।

(3) जी, नहीं। राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 89 में विलम्ब के लिए ब्याज के भुगतान का प्रावधान निहित है।

(4) पेंशन अदालत में विधि सचिव या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी जो उप सचिव स्तर से कम न हो सदस्य के रूप में सम्मिलित है तथा पेंशनर स्वयं या उनके प्रतिनिधि अदालत में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करते हैं अतः न्यायिक अधिकारी एवं पेंशनर का प्रतिनिधि दोनों का ही प्रतिनिधित्व सम्मिलित है।

(5) वर्तमान में पेंशन अदालत के पेंशन प्रकरणों की कम्प्यूटरीकरण की व्यवस्था नहीं है, शीघ्र ही चालू की जा रही है। पेंशन अदालत के प्रकरणों की मोनिटरिंग की व्यवस्था पहले से ही लागू है।

(6) जी, नहीं। जिला स्तर पर जिलाधीश की अध्यक्षता में पेंशन समितियां गठित की हुई है। जिले में पेंशन प्रकरणों का निस्तारण कर मोनिटरिंग नियमित रूप से करती है। पेंशन अदालत की बैठक में निर्णय हेतु विचारार्थ लम्बित पेंशन प्रकरणों की संभागवार सूची निम्न है :–

1. जयपुर–29 2. अजमेर–09 3. बीकानेर–14 4. जोधपुर–18 5. उदयपुर–09 एवं कोटा–10

(उप मुख्य (वित्त) मंत्री)

(7) जी नहीं। पेंशन अदालत का गठन मुख्यतः पेंशनरों की पेंशन सम्बन्धित कठिनाई के निराकरण हेतु किया गया है एवं सम्बन्धित पेंशनर को उनके प्रकरण की पूर्ण जानकारी दी जाती है।

विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में अनधिकृत शराब विक्रय पर रोक

410. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या उप मुख्य (आबकारी) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1956 के नियम 75 के उपनियम 4 के अन्तर्गत कितने मामलों में आबकारी आयुक्त ने इन प्रतिबन्धों में शिथिलता प्रदान की है? प्रत्येक छूट का विवरण कारण दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गत एक वर्ष में नियम विरुद्ध अवैध शराब विक्रेताओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) गत पांच वर्षों में अनुज्ञा–पत्र अथवा उसके स्टॉफ द्वारा शराब की अवैध दुकानें संचालित करने पर उनके विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) जिला अजमेर के विधानसभा क्षेत्र नसीराबाद में देशी तथा भारत निर्मित विदेशी शराब की कितनी उप दुकान/दुकानें है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान आबकारी अधिनियम 1956 के नियम 75 के उप नियम 4 के अन्तर्गत उचित कारण होने पर जिला आबकारी अधिकारी को मदिरा दुकान एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करने के अधिकार दिये गये है न कि प्रतिबंधित स्थल पर मदिरा दुकान लगाने के लिए शिथिलता प्रदान करने के। राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 75 के उप नियम 2 तथा 5 में मदिरा दुकानों के प्रतिबंधित स्थल का उल्लेख है तथा नियम के नीचे अंकित परन्तुक में आबकारी आयुक्त को उचित कारण होने पर शिथिलता प्रदान करने के अधिकार प्रदत्त किये गये हैं।

राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 75(12) में प्रतिबंधित स्थलों पर भारत निर्मित विदेशी मदिरा की 45 तथा देशी मदिरा की 36 दुकानों तथा नियम 75(5) में प्रतिबंधित स्थलों पर भारत निर्मित विदेशी मदिरा की 82 दुकानों तथा देशी मदिरा की 222 दुकानों के लिए वर्ष 1998–99 में शिथिलता प्रदान की गई है, जिनकी सूची परिशिष्ट "क" पर है।

(2) वर्ष 97–98 में नियम विरुद्ध दुकानें संचालित होने सम्बन्धित कोई भी अभियोग दर्ज नहीं किया गया है। आबकारी धावों में वर्ष 97–98 में कुल 6,347 अभियोग दर्ज किये गये जिसमें 5,702 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इन अभियोगों में जब्त की गई आबकारी वस्तुओं एवं वाहनों का विवरण निम्नानुसार है :–

(उप मुख्य (आबकारी) मंत्री)

जब्त सामग्री का प्रकार		मात्रा
1. देशी मदिरा		40015.63 बल्क लीटर
2. भा.नि.वि.मदिरा		34976.77 बल्क लीटर
3. बीयर		1970.62 बल्क लीटर
4. कच्ची एवं नाजायज शराब		98840.75 बल्क लीटर
5. भांग		220.075 कि.ग्रा.
6. डोडापोस्त		33933.900 कि.ग्रा.
7. अफीम		31.965 कि.ग्रा.
8. वाहन–	साइकिल	89
	मोपेड	30
	स्कूटर/मोटर साइकिल	94
	कार	17
	जीप	41
	बस	2
	ट्रक	14
	मारुति वैन	18
	ट्रेक्टर ट्रॉली	4
	ऑटोरिक्शा	10
	टैंकर	2
	अन्य	1

अनुज्ञाधारियों द्वारा अनुज्ञापत्रों की शर्तो की अवहेलना पाये जाने पर राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 58(सी) के अन्तर्गत अनुज्ञाधारियों के विरुद्ध 148 अभियोग दर्ज किये गये थे तथा उनमें से 90 अभियोग विभाग द्वारा संयोज्य किये गये।

(3) अनुज्ञाधारी अथवा उसके स्टाफ द्वारा शराब की कोई भी अवैध दुकान संचालित नहीं की गई थी। अतः किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

(4) अजमेर जिले के नसीराबाद विधान सभा क्षेत्र में देशी मदिरा की 29 दुकानें तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा की 4 दुकानें संचालित की जा रही है, जिनकी सूची निम्नानुसार है :–

देशी मदिरा दुकानात

1–नसीराबाद सिनेमा रोड, 2–नसीराबाद फ्लागंन 3–नसीराबाद स्टेशन रोड 4–नसीराबाद स्टेशन के पास 5–कोटा बाईपास बैराठ 6–दिलवाड़ा 7–भवानीखेड़ा 8–वादसूरी 9–सनोद 10–ग्रामसर 11–कानपुरा 12–तिहारी 13–ब्रिकचियावास 14–गढ़ी अर्जुनपुरा (जागीर) 15–बीर 16–केसरपुरा 17–मांगीलयावास 18–लामाना 19–ग्यारा 20–झडवास 21–पालना 22–श्रीनगर 23–नारेली 24–जेठाना 25–लाडपुरा 26–भूडोल 27–बडल्या 28–माखपुरा 29–खाजपुरा

भारत निर्मित विदेशी मदिरा दुकानात

1–नसीराबाद बैंक बड़ौदा के पास
2–नसीराबाद पेट्रोल पम्प के पास
3–रेल्वे स्टेशन नसीराबाद
4–श्रीनगर

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

वित्त निगम की स्थानान्तरण नीति

411. श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : क्या उप मुख्य (उद्योग) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान वित्त निगम के राज्य में कुल कितने कार्यालय है? इन कार्यालयों पर विभिन्न पदों पर कितने अधिकारी/कर्मचारी पद स्थापित हैं?

(2) क्या निगम में अधिकारी/कर्मचारियों के स्थानान्तरण सम्बन्धी कोई नीति हैं? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें? यदि नहीं, तो अब कब तक नीति बना दी जायेगी?

(3) उक्त निगम में ऐसे कितने अधिकारी/कर्मचारी हैं जो गत 5–7 वर्षो से एक ही स्थान/शाखा में पदस्थापित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार ऐसे अधिकारी/कर्मचारियों के स्थानान्तरण अन्यत्र करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य मे राजस्थान वित्त निगम के मुख्यालय सहित 58 कार्यालय है। विभिन्न कार्यालयों के विभिन्न पदों पर पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों की पदवार सूची परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) निगम में अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण सम्बन्धी नीति की प्रति परिशिष्ट "ख" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) निगम में गत पांच वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थापित अधिकरियों/कर्मचारियों की सूची परिशिष्ट "ग" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण निगम की गतिविधियों के संचालन एवं प्रशासनिक कारणों को दृष्टिगत रखते हुए किये जाते है। बार–बार स्थनान्तरण हर क्षेत्र में युक्ति संगत नहीं है। इससे अनावश्यक व्यय होता है। विशेष रूप से कर्मचारियों को बार–बार स्थानान्तरण में काफी असुविधाएं हो जाती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बुनकर संघ द्वारा विभागों को आपूर्ति सम्बन्धी नीति

412. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या उप मुख्य (उद्योग) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बुनकर संघ में विभागों को आपूर्ति हेतु समितियों से सामान क्रय करने हेतु दिनांक 5.12.92 को नीति निर्धारित थी?

(2) क्या उक्त नीति केन्द्रीय भण्डार से क्रय करने के लिये भी अधिकृत थी?

(3) क्या यह सही है कि उक्त नीति अपने बिन्दु 10 के अनुसार दिनांक 1.4.93 से स्वतः ही समाप्त हो जाती है? यदि नहीं, तो यह नीति कब समाप्त की गई? क्या इस नीति को मई, 1993 की आम सभा ने निरस्त कर दिया था?

(श्री हरिसिंह)

(4) क्या उक्त नीति के उल्लंघन करने पर गठित की गई कमेटी ने संघ के अधिकारियों को दोषी माना? यदि हां, तो किस–किस को तथा उनके विरुद्ध क्या–क्या कार्यवाही की गई?

(5) क्या उक्त समिति ने बकाया भुगतान निर्धारित नीति के अनुसार करने के लिये यार्न खरीद व प्रोसेस के बिलों को लेने व जांच करने के लिये अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी? यदि हां, तो क्या बिल लेकर व जांच पड़ताल कर बकाया भुगतान किया गया?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां।

(3) जी, हां। मई, 93 की विशेष आम सभा द्वारा इस नीति को निरस्त कर दिया गया था।

(4) जी, हां। बुनकर संघ के संचालक मण्डल द्वारा गठित त्रिसदस्यीय समिति जिसमें तत्कालीन संचालक मण्डल के उप सभापति श्री कमल संचेती, तत्कालीन संचालक मण्डल के सदस्य श्री सगीर अहमद एवं तत्कालीन संचालक मण्डल के सदस्य श्री अशोक जैन, निदेशक, उद्योग विभाग द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट के आधार पर निम्न संघ के अधिकारियों को दोषी माना गया था। उनके विरुद्ध माननीय उच्च नयायालय के आदेश अनुसार सहकारी विभाग के सहायक रजिस्ट्रार (उद्योग) द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट विधायकपुरी थाना में दर्ज करवाई गई थी। जिस पर माननीय न्यायालय में वाद विचाराधीन है। दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध उनके नाम के सामने अंकित कार्यवाही अमल में लाई गई :–

1. श्री एस.एस. सिघंवी (आर.ए.एस.) तत्कालीन प्रबन्ध संचालक, बुनकर संघ, वर्तमान में सेवानिवृत। राज्य सरकार द्वारा विभागीय कार्यवाही करवायी जा रही है।

2. श्री एस.एन.व्यास (आर.ए.एस.) तत्कालीन प्रबन्ध संचालक, बुनकर संघ, वर्तमान में सेवानिवृत। राज्य सरकार द्वारा करवाई गई जांच द्वारा दोष मुक्त किया गया।

3. श्री योगेन्द्र शर्मा, विपणन अधिकारी, श्री अमित बोहरा, उत्पादन अधिकारी तथा श्री पवन पारीक, सुपरवाइजर/सहा.प्र. को जांच रिपोर्ट के आधार पर संघ के संचालक मण्डल के सभापति श्री अब्दुल लतीफ द्वारा क्रमशः आदेश क्रमांक 61/सीएच/93 दिनांक 10.5.93, आदेश क्रमांक 53/सीएच/93, दिनांक 10.5.93 तथा आदेश क्रमांक 63/सीएच/93, दिनांक 10.5.93 को निलम्बित किया गया था। तत्पश्चात् संचालक मण्डल के सभापति श्री अब्दुल लतीफ द्वारा आदेश क्रमांक पीए/सीएच/आरबीएस/94, दिनांक 24.3.94 द्वारा बहाल किया गया। उक्त सभी कर्मचारियों के विरुद्ध, सी.सी.ए. नियम 16 के अन्तर्गत बुनकर संघ द्वारा सेवानिवृत आई.ए.एस. अधिकारी श्री पी.के.बी. कुरूप को जांच अधिकारी लगाकर जाँच करवाई जा रही है।

(34)

(उप मुख्य (उद्योग) मंत्री)

4. श्री सुभाष कुमार गोधा, स्टोर कीपर (प्रिंटिंग) के विरुद्ध बुनकर संघ द्वारा सी.सी.ए. नियम 16 के अन्तर्गत सेवानिवृत आई.ए.एस. अधिकारी श्री पी.के.बी.कुरूप से जांच करवाई जा रही है।

5. श्रीमती उमा व्यास, स्टोर कीपर (राजकीय आपूर्ति) के विरुद्ध बुनकर संघ द्वारा सी.सी.ए. नियम 16 के अन्तर्गत सेवानिवृत आई.ए.एस. अधिकारी श्री पी.के. बी. कुरूप से जांच करवाई जा रही है।

6. श्री के.सी. गुप्ता तत्कालीन सहायक लेखाधिकारी, वर्तमान में लेखाधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग में पदस्थापित है। माननीय न्यायालय में प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

7. श्री सुधीर विजय, तत्कालीन प्रबन्धक, बुनकर संघ की सेवा छोड़कर निजी कम्पनी में सेवारत है। माननीय न्यायालय में प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

8. श्री कैलाशचन्द्र शर्मा, तत्कालीन परियोजना अधिकारी, टौंक वर्तमान में प्रभारी अधिकारी, राजस्थान हैण्डलूम हाउस, कोटा में कार्यरत है। माननीय न्यायालय में प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण विचाराधीन है।

(5) जी हां। सिफारिश की थी। तत्कालीन उत्पादन अधिकारी श्री, अजीत सिंह कटियार द्वारा सूत क्रय, प्रोसेसिंग बिलों का रिकार्ड से मिलान किये जाने व सही पाये जाने तथा तत्कालीन सहायक लेखाधिकारी श्री के.सी. गुप्ता एवं संघ के लेखाधिकारी श्री अमोलक चन्द जैन द्वारा परीक्षण किये जाने उपरान्त सम्बन्धित समितियों को भुगतान किया गया था।

विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर से पानी का निकास

413. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : **क्या उप मुख्य (उद्योग) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–**

(1) क्या यह सही है कि विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में रोड नम्बर 14 से नहर बढ़ारना में औद्योगिक क्षेत्र के पानी निकास के लिये नाला बनाया गया है? क्या इसका कार्य पूर्ण हो गया है? इस पर क्या लागत आई?

(2) क्या यह भी सही है कि यह नाला निर्माण के बाद पहली बरसात में ही टूट गया है? यदि हां, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है? क्या सरकार इसकी मरम्मत का पैसा ठेकेदार से वसूल करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) यह सही है कि विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र रोड नं. 14 से बढ़ारना की तरफ औद्योगिक क्षेत्र के पानी के निकास के लिए नाला बनाया गया है। निर्माण कार्य प्रगति पर है। निर्माण कार्य के लिए माह जून, 1989 तक रुपये 39.90 लाख का खर्चा किया जा चुका है।

(उप मुख्य (उद्योग) मंत्री)

(2) अब तक निर्मित नाला वर्तमान में हुई बरसात में सही स्थिति में है। परन्तु नाले के ऊपर से गुजरने वाले बाईपास के कारण ह्यूम पाइप कलवर्ट के निर्माण का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाया जा रहा है। ह्यूम पाइप कलवर्ट के पाइप डालने के लिए नाले की जरूरत के अनुसार कुछ हिस्से को पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा बरसात के पूर्व ही तोड़ा गया है, इस कार्य को पूर्ण कर नाले को सही करने की जिम्मेदारी पी. डब्ल्यू. डी. की है। यदि नाले के निर्माण कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् छः माह अथवा एक बरसात का मौसम जो भी बाद में हो तक यदि कार्य में कोई खामी नजर आती है तो उसको ठेकेदार द्वारा स्वयं के खर्चे पर दूर करना होता है।

राज्य खनिज विकास निगम के सेवा मुक्त कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति

414. श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : क्या उप मुख्य (उद्योग) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लि. में वर्ष 1979 को पम्प ड्राइवर/हैल्पर्स को नियुक्ति दी गई थी? यदि हां, तो कब तथा किस वेतन श्रृंखला में? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त हैल्पर/ड्राइवर्स को वर्ष 1980 में आदेश जारी कर सेवा मुक्त कर दिया गया? यदि हां, तो किस–किसको, कब–कब एवं क्यों? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त सेवामुक्त हैल्परों/ड्राइवर्स में से कुछ ने श्रम न्यायालय में अपील की है? यदि हां, तो श्रम न्यायालय द्वारा क्या आदेश दिए गए? आदेश की प्रति एवं आदेशों की अनुपालना में की गई कार्यवाही विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि श्रम न्यायालय में निगम के अधिकारियों ने गलत शपथ–पत्र एवं दस्तावेज प्रस्तुत किए? यदि हां, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि हटाए गए हैल्पर्स/ड्राइवर्स में से कुछ को निगम ने श्रम न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में नियुक्ति प्रदान की है? यदि हां, तो कब तथा किस–किस को तथा उक्त पुनर्नियुक्त कर्मचारियों को कितनी–कितनी नगद राशि का भुगतान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) जिन कर्मचारियों को पुनः सेवा में नहीं लिया गया है क्या सरकार उन्हें अन्य कर्मचारियों की भांति पुनः सेवा में लेने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (रीको) की स्थापना वर्ष 1.11.79

(उप मुख्य (उद्योग) मंत्री)

को हुई थी। दिनांक 1.11.79 से पूर्व में नियुक्त कर्मचारियों से विकल्प लेने के पश्चात् उनका स्थानान्तरण रीको में किया गया था। रीको द्वारा वर्ष 1979 में पम्प ड्राइवरों/हैल्परों के पद पर नियुक्तियां दी गई थी। जिन पम्प ड्राइवरों/हैल्परों को नियुक्तियां दी गई थी, उनका नाम, पदनाम, नियुक्ति तिथियों एवं वेतन श्रृंखला आदि के विवरण की सूची "परिशिष्ट–अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जिन ड्राइवरों/हैल्परों को वर्ष 1979 में नियुक्ति दी गई थी उनमें से कुछ की सेवा मुक्ति की गई थी उनका विवरण "परिशिष्ट–ब" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) वर्ष 1979 में नियुक्त किए गए जिन ड्राइवरों/हैल्परों को वर्ष 1980 में सेवामुक्त किया गया था। उनमें से कुछ ने श्रम न्यायालय में प्रकरण दर्ज करवाया था। इन प्रकरणों में दिए गए निर्णयों एवं उनकी अनुपालना का विवरण "परिशिष्ट–स" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(4) वर्ष 1979 में नियुक्त किए गए ड्राइवरों/हैल्परों को वर्ष 1980 में हटाए जाने के सम्बन्ध में श्रम न्यायालय ने अपने निर्णय/विश्लेषण में यह नहीं माना है कि सम्बन्धित प्रभारी अधिकरी ने उनके समक्ष गलत शपथ–पत्र एवं दस्तावेज प्रस्तुत किए।

(5) वर्ष 1979 में नियुक्त किए गए ड्राइवरों/हैल्परों को 1980 में हटाए जाने के उपरांत श्रम न्यायालय के अवार्ड के सन्दर्भ में कोई नियुक्ति नहीं दी गई है। श्रम न्यायालय के अवार्ड के विरुद्ध रीको एवं सम्बन्धित श्रमिकों द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाएं दायर की गई है जो निर्णय हेतु विचाराधीन है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने रीको बनाम रेवडराम एवं अन्य के प्रकरण में एक अंतरिम आदेश दिनांक 18.2.98 को पारित किया है जिसके अनुसार दिसम्बर, 1997 से कार्य से हटाए जाने वाली दिनांक को देय वेजेस का भुगतान किया जावे। इससे पूर्व राजस्थान उच्च न्यायालय के कुछ निर्णयों के सन्दर्भ में "परिशिष्ट–द" पर संलग्न विवरण के अनुसार नकद भुगतान किया गया है।

(6) वर्ष 1979 में नियुक्त किए गए ड्राइवरों/हैल्परों में से जिनकी वर्ष 1980 में सेवामुक्ति की गई थी उनमें से अभी तक किसी भी व्यक्ति को नियुक्ति नहीं दी गई है क्योंकि अभी प्रकरण राजस्थान उच्च न्यायालय में निर्णय हेतु लम्बित है। उच्च न्यायालय के निर्णय उपरांत ही कार्यवाही अपेक्षित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

नगरपालिका बोर्ड (झुन्झुनू) की बैठकों की कार्यवाही

415. श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

(1) क्या यह सही हैं कि नगरपालिका झुन्झुनूं के पार्षदों ने नगरपालिका बोर्ड की बैठक की कार्यवाही विवरण को अंकित नहीं करने बाबत शिकायतें की हैं? यदि हां, तो कब? प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या पालिका बोर्ड की बैठक के समय विभागीय पर्यवेक्षक भिजवाने हेतु भी पार्षदों द्वारा मांग की गई है? यदि हां, तो कब?

(3) क्या पार्षदों द्वारा की गई उक्त मांग के पश्चात् बोर्ड की बैठकें हुई हैं? यदि हां, तो कब–कब एवं उनमें क्या पर्यवेक्षक उपस्थित रहे? यदि नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) नगरपालिका बोर्ड की बैठक के समय विभागीय पर्यवेक्षक भिजवाने हेतु पार्षदों द्वारा विभाग से कोई मांग नहीं की गई है।

(3) पर्यवेक्षक भिजवाने की विभाग से मांग ही नहीं की गई है, तो पर्यवेक्षक भिजवाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

नगरपालिका लाडनूं द्वारा वाहनों पर व्यय

416. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका लाडनूं जिला नागौर द्वारा जीप किराये पर ली हुई है? यदि हां, तो वर्तमान पालिका बोर्ड द्वारा कब से कब तक किस दर पर किराये पर जीप ली गई?

(2) उक्त जीपों पर किराये के अलावा ईंधन मद में कितना–कितना खर्चा किया गया और इसका क्या–क्या उपयोग किस–किस के द्वारा किया गया?

(3) किराये पर ली गई जीपों के किराये का निर्धारण किस प्रक्रिया से किया गया और इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया क्या है? संबंधित नियमों तथा आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त दरों की तुलना में जयपुर स्थित सरकारी संस्थानों को इससे बहुत ही कम किराये पर वाहन उपलब्ध हैं? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है?

(5) क्या सरकार ने अपने विभागों व संस्थानों मे वाहन किराये पर लेने हेतु किराये के उल्लेख सहित प्रक्रिया निर्धारित की है? यदि हां, तो क्या? प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान बोर्ड में वर्ष 1996–97 व 97–98 में जीप किराये पर ली गई थी। वर्ष 1996–97 में 440/– रुपये प्रतिदिन डीजल आयल नगरपालिका का, के हिसाब से व 97–98 में 550/– रुपये (डीजल

(स्वायत्त शासन मंत्री)

आयल सहित) सौ किलोमीटर प्रतिदिन चलने के हिसाब से किराये पर ली गई। उड़न दस्ते पर आज तक 44,200/– रुपये का किराया व ईंधन सहित भुगतान किया जा चुका है।

(2) उक्त जीपों पर किराये के अलावा ईंधन पर 2840/– खर्चा किया गया है, जो राशि 44,200/– में सम्मिलित है।

(3) किराये पर ली गई जीप का किराया कोटेशन प्रक्रिया से निर्धारित किया गया है। राशि 10 हजार से नीचे तक सीमित निविदाओं के आधार पर किया जा सकता है। नगर पालिकाएं स्वयं इस सम्बन्ध में सक्षम हैं।

(4) नगरपालिका लाडनूं द्वारा प्राप्त कोटेशन के आधार पर जीप किराये पर ली गई है। शेष भाग का उत्तर भाग सं. 3 में निहित है।

(5) जी, नहीं। विभाग ने कोई परिपत्र जारी नहीं किये हैं।

नगरपालिका क्षेत्र सोजत में विद्यालय को भूमि आवंटन

417. श्री माधव सिंह दीवान (सोजत) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका क्षेत्र सोजत में आदर्श विद्या मन्दिर को भूमि आवंटित की गई थी? यदि हां, तो कब, कितनी तथा किन–किन शर्तों पर?

(2) उक्त भूमि पूर्व में किस विभाग की थी, तथा नगरपालिका को कब हस्तांतरित हुई?

(3) क्या इस भूमि पर निर्माण कार्य शर्तों के अनुसार हुआ है? यदि हां, तो कितना?

(4) उक्त भूमि पर अब तक निर्माण न होने पर सरकार क्या कार्यवाही करेगी?

उत्तर

(1) यह सही है कि नगरपालिका क्षेत्र सोजत में आदर्श विद्या मन्दिर को दिनांक 3–7–95 की स्वीकृति के अनुसार चक नं. एक के खसरा नं. 5679 में 150 × 140 मीटर भूमि राजस्थान नगरपालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम 1974 के नियम 18 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 99 वर्षीय लीज की शर्तों पर निशुल्क आवंटित की गई।

(2) उक्त भूमि पूर्व में राजस्व विभाग की थी तथा दिनांक 16–11–84 को नगरपालिका में हस्तान्तरित हुई।

(3) उक्त भूमि पर अभी तक निर्माण कार्य नहीं हुआ।

(4) इस बारे में नगरपालिका भूमि निष्पादन नियम 1974 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

जयपुर नगर निगम को गृह कर से प्राप्ति

418. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री गोपीराम जाट)

(1) वर्ष 1997–98 में जयपुर नगर निगम को गृह कर की कितनी राशि प्राप्त हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राशि में सरकारी भवनों/भवनो/निगमों/बोर्डों आदि और जनता से कितनी राशि वसूल हुई? श्रेणीवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्षवार कितना गृह कर बकाया था और कितना–कितना वसूल हुआ अब कितना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) गृह कर वसूली पर कैम्पों के प्रचार आदि के अतिरिक्त कर्मचारियों पर कुल कितना व्यय हुआ? मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1997–98 में जयपुर नगर निगम को गृह कर से कुल 7,93,36,982/– रु. की आय हुई। विवरण संलग्न है।

(2) उक्त राशि में सरकारी भवनों (यह कर मुक्त है)/ भवनों/निगमों/बोर्डों आदि से 70,77,500/– रु. एवं जनता से 7,22,59,482/– रु. की आय प्राप्त हुई श्रेणीवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) प्रश्न में किस वर्ष से गृहकर का विवरण चाहा गया है, स्पष्ट नहीं है, फिर भी वर्ष 1997–98 का विवरण संलग्न है –

वर्ष	बकाया राशि
1997–98	16,96,49,792/–
7,93,36,982/–	9,03,12,810/–

(4) गृह कर वसूली पर कैम्पों के प्रचार आदि के अलावा कर्मचारियों के वेतन भत्तों आदि पर कुल 143.96 लाख रुपये व्यय हुआ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–3 देखें)

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का रूपान्तरण प्रकरण

419. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण की सीमा में कृषि भूमि पर ऐसे कितने भू–खण्ड हैं, जिनका 1981 के नियमों के अंतर्गत भूमि रूपान्तरण किये बिना ही कृषि भिन्न उपयोग हो गया है?

(2) गत दो वर्षों में उक्त प्राधिकरण ने कितने भूखण्डों का कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण किया है? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जयपुर विकास प्राधिकरण ने दो वर्षों से भूमि रूपान्तरण का कार्य बंद कर रखा है? यदि हां, तो किन आदेशों के अंतर्गत?

उत्तर

(1) 1981 के नियमों के अन्तर्गत भूमि रूपान्तरण किये बिना कृषि भिन्न उपयोग भूखण्डों का सर्वे नहीं कराया गया है इसलिए जवाब दिया जाना संभव नहीं है।

(५०)

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(2) गत दो वर्षों में प्राधिकरण द्वारा कुल 230 भूखण्डों का कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण किया गया है उनकी सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

रूकमणी बिड़ला अस्पताल जयपुर के नक्शें का अनुमोदन

420. श्री भीखा भाई (सागवाड़ा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण को रूकमणी बिड़ला अस्पताल जयपुर का नक्शा अनुमोदन हेतु किस तिथि को प्राप्त हुआ?

(2) उक्त प्राधिकरण द्वारा नक्शें में कमियों को ठीक करने हेतु किस–किस तिथि को अस्पताल निर्माणकर्ताओं को लिखा गया और नक्शें में इंगित कमियों को किस–किस तिथि को दुरस्त किया गया?

(3) नक्शा किस तिथि तक अनुमोदित कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) मानचित्र अनुमोदन हेतु आवेदन दिनांक 16.5.96 को प्राप्त हुआ था।

(2) प्राधिकरण द्वारा अस्पताल निर्माण–कर्ताओं को नक्शों की कमियों के सम्बन्ध में पत्र क्रमांक : डी–1255 दिनांक 4.11.96, डी–297 दिनांक 26.4.97, डी–328 दिनांक 5.5.97, द्वारा सूचित किया गया एवं अस्पताल निर्माणकर्ताओं द्वारा उनके पत्र दिनांक 3.3.97, दिनांक 11.4.97, दिनांक 30.4.97 एवं दिनांक 14.5.97 के द्वारा इनमें से कुछ कमियां पूरी की गई लेकिन मानचित्र स्वीकृति हेतु सभी कमियों को निर्माणकर्ताओं द्वारा अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

(3) निर्माणकर्ताओं द्वारा मानचित्र स्वीकृति हेतु निर्देशित सभी कमियां पूर्ण करने पर ही मानचित्र स्वीकृति पर नियमानुसार विचार किया जाना संभव हो सकेगा।

आवास मण्डल द्वारा जयपुर में किराया क्रय पद्धति से आवंटित मकान

421. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जयपुर शहर में मध्यम आय वर्ग में किराया क्रय पद्धति से मकान आवंटन करने हेतु कुल कितने प्रार्थना–पत्र सामान्य पंजीकरण योजना 1979 के अन्तर्गत मण्डल को प्राप्त हुए हैं?

(2) क्या वेतन भोगी और गैर वेतन भोगी व्यक्तियों के लिए मकान आवंटन करने हेतु मकानों को अलग–अलग एकजाही किया जाता है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जयपुर शहर में वर्ष 1979 की सामान्य पंजीकरण योजना के पूर्व की योजनाओं के

(श्री हीरालाल)

लिए आमंत्रित प्रार्थना–पत्रों में से मध्यम आय वर्ग के मकानों के आवंटन हेतु वेतन भोगी कर्मचारियों और गैर वेतन भोगी व्यक्तियों के कुल कितने–कितने प्रार्थना–पत्र वर्ष 1979 में लम्बित थे?

(4) वर्ष 1980–81 से 1992–93 तक की अवधि में जयपुर शहर में मध्यम आय वर्ग 'ब' के प्रत्येक वर्ष में कुल कितने–कितने मकान निर्मित किए गए और इन निर्मित मकानों में से वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए प्रत्येक वर्ष में कितने–कितने आरक्षित रखे गये तथा शेष व्यक्तियों के लिए कितने–कितने रिजर्व रखे गये?

(5) वर्ष 1980–81 से 1992–93 में किस–किस वरीयता संख्या के व्यक्ति को जयपुर शहर में उपरोक्त आय वर्ग के मकान आवंटित किये गये?

(6) उक्त आवंटित मकानों की प्रत्येक वर्ष में जयपुर शहर में प्रत्येक मकान की कितनी–कितनी कीमत मानसरोवर, सांगानेर आदि योजनाओं में ली गई?

(7) वर्ष 1993–94 से मार्च,1998 तक जयपुर शहर में मध्यम आय वर्ग के कितने–कितने मकान वर्षवार निर्मित कर आवंटित किये गये? इनमें से किराया क्रय पद्धति के कितने मकान आवंटित किये और कीमत वर्षवार कितनी–कितनी ली गयी?

उत्तर

(1) जयपुर शहर में सामान्य पंजीकरण योजना 1979 के तहत मध्यम आय वर्ग (अ) व (ब) में किराया क्रय पद्धति के 8114 आवेदकों द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए।

(2) जी हां। बोर्ड निर्णय के अनुसार वैतनिक वर्ग हेतु 40 प्रतिशत एवं अवैतनिक वर्ग हेतु 36 प्रतिशत आवंटन का प्रावधान होने के अंतर्गत ही वरीयता अलग–अलग वर्गीकृत की जाती है।

(3) जयपुर शहर में वर्ष 1979 में पंजीकरण से पूर्व वर्ष 1971 व 1973 के मध्यम आय वर्ग के वैतनिक एवं अवैतनिक वर्ग के कुल 2130 आवेदन पत्र आवंटन हेतु शेष थे।

(4) वर्ष 1980–81 से 1992–93 तक की अवधि में जयपुर शहर में मध्यम आय वर्ग 'ब' के पूर्ण किये गये मकान निम्नानुसार हैं :–

वर्ष	जयपुर	सांगानेर
1990–91	4855	189
1991–92	607	135
1992–93	870	376

निर्मित आवासों में से निम्न प्रकार से प्रत्येक वर्ष में मकान आरक्षित/रिजर्व रखे गए :–

1– वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए– 40 प्रतिशत

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

2– अनुसूचित जाति/जनजाति/सांसद/विधायक/पत्रकार/भूतपूर्व सैनिक/सैनिक विधवा/स्वतन्त्रता सेनानी/विकलांग/बोर्ड कर्मचारी	24 प्रतिशत
3– अवैतनिक वर्ग	36 प्रतिशत
	100 प्रतिशत

(5) वर्ष 1989–90 से वर्ष 1992–93 में निम्न वरीयता तक के आवेदकों को जिन्होंने नियमानुसार पूर्वग्रहण राशि जमा करवाई थी उन्हें आवासों का आवंटन लाटरी द्वारा किया गया था।

मध्यम आय वर्ग (ब) वैतनिक वर्ग 157 वरीयता तक

मध्यम आय वर्ग (ब) अवैतनिक वर्ग 101 वरीयता तक

(6) भाग 5 में आवंटित मकानों की प्रत्येक वर्ष में जयपुर शहर में प्रत्येक मकान की कीमत का विवरण परिशिष्ट अ,ब,स तक संलग्न है।

(7) मंडल द्वारा वर्ष 1993–94 से मार्च,1998 तक वर्षवार आवंटन लाटरी के मध्यम आय वर्ग में निम्न प्रकार से आवासों का आवंटन किया गया :–

वर्ष	नगद भुगतान पद्धति	किराया क्रय पद्धति
1993–94	763	–
1994–95	833	–
1995–96	129	370
1996–97	24	50
मार्च 98 तक	12	111
कुल योग	1761	531

इस प्रकार उक्त अवधि में किराया क्रय पद्धति के तहत 531 आवासों का आवंटन लाटरी द्वारा किया गया। कीमत परिशिष्ट अ, ब, स तक संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–4 देखें)

मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति की भुवनेश्वरी योजना

422. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति, जयपुर का पंजीकरण कब हुआ था? पंजीकरण से आज तक इस समिति के चुनाव कब–कब हुए एवं कौन–कौन अध्यक्ष कब–कब रहें?

(2) क्या यह सही है कि उक्त समिति द्वारा नवम्बर–दिसम्बर 1988 में किसी योजना के तहत भूखण्ड आवंटित किये है? यदि हां, तो किस–किस योजना के तहत किन–किन को? योजना एवं आवंटियों की सूची मय नाम पते सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामगोपाल बैरवा)

(3) क्या उक्त समिति द्वारा भुवनेश्वरी वाटिका नामक योजना में भू–खण्ड आवंटित किये थे? यदि हां तो कब–कब एवं किस–किस को? पट्टों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें

उत्तर

(1) मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति लि0, जयपुर का पंजीकरण दिनांक 20.2.56 को पंजीयन क्रमांक 603/एल पर हुआ है। समिति पंजीकरण के समय श्री विजय सिंह अध्यक्ष थे। तत्पश्चात् दिनांक 5.11.62 के निर्वाचन में श्री जगनसिंह अध्यक्ष निर्वाचित हुए। दिनांक 12.9.77 को निर्वाचन के आदेश हुए, किन्तु निर्वाचन नहीं कराने के कारण दिनांक 7.10.79 को प्रबंध कमेटी के स्थान पर प्रशासक लगाया गया, किन्तु माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन के कारण चुनाव नहीं हुए। उक्त रिट याचिका वर्ष 1985 में ड्रॉप हो गई। पुनः वर्ष 1994 में प्रशासक की नियुक्ति की गई, परन्तु अपर मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अस्थायी निषेध आज्ञा जारी होने के कारण निर्वाचन नहीं हो सके तथा वर्तमान में श्री जगनसिंह अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं।

(2) सूचना संकलित की जा रही है। जिसे बाद संकलन भिजवाया जाना प्रस्तावित है।

(3) जी हां, समिति द्वारा भुवनेश्वरी नामक योजना में भूखंड आवंटित किए हैं। समिति द्वारा किए गए आवंटन सम्बन्धी सूचना संकलित की जा रही है। जिसे बाद संकलन भिजवाया जाना प्रस्तावित है।

नाहरी का नाका जयपुर की कच्ची बस्तियों का सर्वेक्षण

423. श्री बाबूलाल (दूदू) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1971 एवं 1981 में जयपुर स्थित कच्ची बस्तियों का सर्वे करवाया जाकर समस्त सर्वेधारियों के नम्बरों की वर्ष 1983 में सुनवाई की गयी थी? यदि हां, तो इन्द्रा/वर्मा नाहरी का नाका बस्ती की सुनवायी के पश्चात् स्वीकृत सर्वे एवं अस्वीकृत किए गये सर्वे नम्बरों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सुनवाई के पश्चात् स्वीकृत सर्वेधारियों को ही भू–खण्ड आवंटन किया जाना था? यदि हां, तो इन्द्रा/वर्मा नाहरी कानाका कच्ची बस्ती के स्वीकृत सर्वेधारी को आवंटित भू–खण्ड संख्या आई 37–38 को निरस्त कर अस्वीकृत सर्वे–धारी को उक्त भू–खण्डों का आवंटन क्यों किया गया?

(3) क्या उक्त अस्वीकृत सर्वेधारी को नियम विरुद्ध आवंटन किये गये भू–खण्डों को निरस्त कर आवंटन की कार्यवाही मे अनियमितता बरतने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार नियमानुसार कार्यवाही करने का विचार रखती हैं?

(4) क्या सरकार अन्य अस्वीकृत सर्वे–धारियों को भी भू–खण्डों का आवंटन करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। इन्द्रा/वर्मा नाहरी का नाका बस्ती की सुनवाई के बाद स्वीकृत तथा

(४५)

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

अस्वीकृत किये गये सर्वे नम्बरों की सूची संलग्न है।

(2) जी हां। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी सर्वे सूची दिनांक 29–11–83 के अनुसार भूखण्ड संख्या आई 37 सर्वे नम्बर 42/14542 पर श्री जगदीश पुत्र कल्याण सहाय मीणा तथा भूखण्ड संख्या आई 38 सर्वे नम्बर 43/14543 श्री भगवान पुत्र बरदीचन्द नाम से दर्ज है तथा सर्वे स्वीकृत होने के उपरान्त उन्हीं व्यक्तियों को आवंटन किया गया था।

(3) प्रश्न के बिन्दु संख्या "दो" के उत्तर के बाद किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(4) अन्य अस्वीकृत सर्वेधारियों द्वारा नियमों के प्रावधान अनुसार ठोस प्रमाण प्रस्तुत करने पर आवंटन की कार्यवाही पर नगर निगम, जयपुर द्वारा कार्यवाही की जा सकेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

मोती भवन निर्माण सहकारी समिति जयपुर की पसीमांचडा सुदामापुरी–जमनापुरी योजना

424. श्री सुखलाल सेणचा (रायपुर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) मोती भवन निर्माण सहकारी समिति का पंजीकरण कब हुआ और इसके पदाधिकारी कौन–कौन हैं?

(2) क्या उक्त समिति द्वारा 4 सीमांचड़ा, सुदामापुरी व जमनापुरी नामक योजनाओं में भूखण्ड आवंटित किये गये हैं? यदि हां, तो कब–कब उक्त योजनाओं के नक्शों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त नक्शे जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत कर दिये गये हैं? यदि हां, तो कब?

उत्तर

(1) समिति का पंजीयन दिनांक 5.8.1972 को पंजीयन क्रमांक 2555/एल पर हुआ है। दिनांक 8.5.96 को निर्वाचित कार्यकारिणी के पदाधिकारी निम्न हैं :–

1. श्री झाबर सिंह पुत्र श्री बलदेवाराम — अध्यक्ष
2. श्री भागीरथ पूनिया पुत्र श्री गोदूराम — उपाध्यक्ष
3. श्री रेखाराम पुत्र श्री डूंगाराम — मंत्री
4. श्री आर.पी.गुप्ता पुत्र श्री नानगचन्द — कोषाध्यक्ष

(2) जी हां, इन योजनाओं में आवंटन उनके नाम के आगे अंकित वर्षों मे किये गये हैं :–

योजना का नाम	आवंटन वर्ष
1. 4–सी माचड़ा	1981 से 1997 की अवधि में किये गये हैं।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

योजना का नाम	आवंटन वर्ष
2 जमनापुरी–बी	वर्ष 1981 से 1997 के मध्य
3. जमनापुरी–सी	वर्ष 1980 से 1997 तक
4. जमनापुरी–पी	वर्ष 1981 से 1997 तक
5. सुदामापुरी 'ए'	वर्ष 1980 से 1997 तक
6. सुदामापुरी 'बी'	वर्ष 1981 से 1997 तक

उक्त योजनाओं के मानचित्रों की प्रतियां परिशिष्ट एक पर संलग्न है। नक्शे बहुत बड़े हैं अतः 6 प्रतियां ही संलग्न की जा रही हैं। यदि आवश्यकता होगी तो बाद में भिजवा दी जायेगी।

(3) जी हां। उपलब्ध सूचनानुसार जयपुर विकास प्राधिकरण में नक्शे प्रस्तुत करने की तिथियां निम्न प्रकार है :–

योजना का नाम	प्राधिकरण में नक्शे प्रस्तुत करने की तिथि
1. 4–सी मांचड़ा	19.4.97
2. जमनापुरी (बी)	18.4.97
3. जमनापुरी (सी)	18.4.97
4. जमनापुरी (पी)	18.4.97
5. सुदामापुरी "ए"	18.4.97
6. सुदामापुरी "बी"	18.4.97

(मानचित्र की प्रतियां प्रश्न शाखा में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना के स्वीकृत हैण्ड पम्प

425. श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेगें :–

(1) विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में वर्ष 1993 से मई,1998 तक कितने हैण्ड पम्प किस–किस ग्राम में अलग–अलग योजनाओं में स्वीकृत हुए? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त हैण्ड पम्प कब–कब कितनी–कितनी गहराई में लगाये गये तथा प्रत्येक हैण्ड पम्प पर कितना–कितना खर्चा हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1993 से मई 1998 तक विभिन्न योजनाओं में 749 हैण्ड पम्प स्वीकृत हुए। विवरण परिशिष्ट "क" पर हैं।

(2) 749 हैण्ड पम्पों में से 875 हैण्ड पम्प लगाये जा चुके हैं। चाही गई सूचना का विवरण परिशिष्ट "क" पर है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

(46)

तहसील छबड़ा एवं छीपाबड़ौद में हैण्ड पम्पों की मरम्मत

426. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा), **श्री कन्हैयालाल पाटीदार** (पिड़ावा) एवं **श्री उगमराज मेहता** (ब्यावर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

तहसील छबड़ा एवं छीपाबड़ौद के किन–किन गांवों में कितने हैण्ड पम्प लग चुके हैं? यदि नहीं, तो हैण्ड पम्पों को चालू कराने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है?

उत्तर

तहसील छबड़ा व छीपाबड़ौद के विभिन्न ग्रामों में 1111 हैण्ड पम्प लगाये जा चुके हैं इनमें से वर्तमान हैण्ड पंप मरम्मत अभियान के पश्चात् 986 हैण्ड पंप चालू थे। सूची परिशिष्ट "अ" पर है। इस अभियान में मरम्मत योग्य सभी हैण्ड पंप ठीक कर दिये गये हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन के हैण्ड पम्प विहीन विद्यालय

427. श्री कमल (हिण्डौन) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन में हैण्ड पम्प विहीन कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अब उक्त विद्यालयों में कब–तक हैण्ड पम्प लगा दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन सिटी में 125 प्राथमिक विद्यालय है, जिसमें से 41 प्राथमिक विद्यालय हैण्ड पम्प विहीन हैं। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त 41 प्राथमिक विद्यालयों में से 34 विद्यालयों के हैण्ड पम्प स्वीकृत हो चुके हैं। शेष सात विद्यालयों में बजट उपलब्धता के अनुसार स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–5 देखें)

अतारांकित प्रश्न सं. 428

(स्थगित)

जिला भरतपुर के कब्रिस्तान/श्मशानों की चारदीवारी प्रकरण

429. श्री तैयब हुसैन (कामां) : क्या वक्फ राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में सरकार द्वारा अब तक कितने कब्रिस्तानो, श्मशानों आदि की सीमाओं पर चारदीवारी बनवाई गई है? वर्तमान में भरतपुर जिले में कितनी व कौन–कौन सी बाउण्ड्री वाल बनाना विचाराधीन है?

(2) उक्त कार्य किस संस्था द्वारा कराये जाने प्रस्तावित है?

उत्तर

(1) राजस्थान वक्फ बोर्ड द्वारा अपने स्वंय के स्त्रोतों से राज्य में कुल 9 कब्रिस्तानों की चारदीवारी का निर्माण व मरम्मत का कार्य करवाया है। (परिशिष्ट "क") भरतपुर जिले में किसी भी कब्रिस्तान की चारदीवारी का निर्माण कार्य प्रस्तावित नहीं है।

(2) कब्रिस्तान की बाउण्ड्री वाल का निर्माण कार्य अपने स्वंय के स्त्रोत से राजस्थान वक्फ बोर्ड द्वारा किया जाता है। श्मशान की चारदीवारी के निर्माण कार्य का सम्बन्ध वक्फ विभाग से नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–6 देखें)

वन्य जीवों के शिकार पर रोक

430. श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पशु एवं पक्षी अभ्यारण्य स्थापित किये हुए हैं? यदि हां, तो किस–किस जिले में कहां–कहां?

(2) क्या उक्त अभ्यारण्यों में शेर, चीते, तेंदुए तथा गेंडें भी हैं? यदि हां, तो कितने–कितने? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इन अभ्यारण्यों में असामाजिक तत्वों द्वारा शिकार किया जाता है? यदि हां, तो सरकार उनकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने जा रही है?

(4) क्या सरकार कुछ और अभ्यारण्य भी स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां। जिलेवार विगत संलग्न सारणी "क" में दी गई है।

(2) उक्त अभ्यारण्य में शेर (टाइगर) तेदुंए (पेन्थर) उपलब्ध हैं। चीता और गेंडा राजस्थान में नहीं पाया जाता है। वर्ष 1997 में की गई गणना में पाए गए उक्त वन्य जीवों के विवरण की सूची "ख" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां। यदाकदा कुछ अभ्यारण्यों में असामाजिक तत्वों द्वारा शिकार करने की घटनाएं सुरक्षा के प्रयासों के बावजूद होती है। इनकी रोकथाम के लिए वन्य जीव प्रभाग में पदस्थापित अधिकारी/कर्मचारी तथा उड़नदस्ते प्रयत्नरत हैं। जिनके द्वारा मौके पर जांच कर चालान आदि की कार्यवाही की जाती है।

(4) फिलहाल नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–7 देखें)

गंगापुर रेंज वन खण्ड लिवाली (जिला सवाईमाधोपुर) में अवैध खनन

431. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री रामस्वरूप मीणा)

(1) क्या यह सही है कि जिला सवाई माधोपुर की गंगापुर रेंज वन खण्ड लिवाली में अवैध खनन कार्य हो रहा है? क्या इस बारे में सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि गंगापुर रेंज में नियुक्त रेन्जर के विरुद्ध जनता ने वन खण्ड लिवाली में हो रही अनियमितताओं की कोई शिकायत सरकार को प्राप्त हुई है? क्या ग्राम अमावरा में एनीकट के कार्य की कोई जांच कराई गई? यदि हां, तो इसमें क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखे।

(3) क्या यह सही है कि गंगापुर रेंज में वन खण्ड लिवाली के ग्राम गुड़ला में अवैध काश्त हो रही है? क्या उक्त अतिक्रमण की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो अवैध काश्त के कितने प्रकरण दर्ज हुए और उनमें क्या कार्यवाही हुई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। इस संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर जांच कराई गई थी। जांच रिपोर्ट के अनुसार शिकायत सही नहीं पायी गई है।

(2) जी, हां। ग्राम अमावरा में बनाये गये एनीकट की गुणवत्ता की जांच कराये जाने पर एनीकट मापदण्डों के अनुरूप पाया गया।

(3) जी, हां। वन खण्ड लिवाली के ग्राम गुडला में वन भूमि पर अवैध काश्त करने वालों के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत वर्ष 1985 में 13 तथा वर्ष 1996 में 3 कुल 16 प्रकरण न्यायालय सहायक वन संरक्षक सवाईमाधोपुर में दर्ज कराये गये। इनमें से 3 प्रकरणों में काश्त करने वालों को वन भूमि से बेदखल किया जा चुका है तथा अवशेष प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

उप वन संरक्षक जयपुर द्वारा रेंज में सीमा परिवर्तन

432. **श्री बाबूलाल** (दूदू) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि उप वन संरक्षक जयपुर (पूर्व) ने वर्ष 1995–96 में किन्हीं रेन्ज सीमाओं में परिवर्तन किया है? यदि हां, तो कब, किस अधिकार के तहत? उक्त संदर्भ में जारी किये गये आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखे।

(2) उप वन संरक्षक के क्षेत्राधिकारी में कौन–कौनसी रेंज में किस–किस पंचायत समिति क्षेत्र में साइड्स वर्ष 1993 से 1996 तक रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1995–96 में उप वन संरक्षक, जयपुर (पूर्व) ने अपने आदेशों से वृक्षारोपण स्थलों के नियंत्रण में परिवर्तन किया था। उक्त आदेश को स्वयं ही अपने ही आदेश से निरस्त कर दिया था। जारी किये गये आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(राज्य मंत्री, वन)

(2) वर्ष 1993–94 से वर्ष 1995–96 की वृक्षारोपण साइडों की रेंज एवं पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि

433. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

राज्य सरकार द्वारा गत दिनों अचानक आई गेहूं, शक्कर, चाय, प्याज, तेल, कैरोसीन आदि दैनिक उपयोग की वस्तुओं में मंहगाई को नियंत्रित करने के लिये क्या प्रभावी कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

गत दिनों राजस्थान राज्य सहित पूरे देश में कतिपय आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि की प्रवृत्ति रही है। गेहूं, शक्कर, चाय एवं कैरोसीन आदि के भावों में असामान्य वृद्धि नहीं हुई है किन्तु खाद्य तेल, आलू, प्याज आदि के भावों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है।

राज्य सरकार के पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं को छोड़कर अन्य वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित करने की शक्तियां नहीं है। खुली बाजार व्यवस्था में मांग एवं आपूर्ति सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत इन वस्तुओं का भी मूल्य निर्धारण होता है।

फिर भी राज्य सरकार बाजार भावों पर निगरानी रखे हुए है इस दृष्टि से संभागीय आयुक्तों को फैक्स संदेश दिनांक 17.7.98 को भेजकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत तेल पामोलीन की आवश्यकता के संबंध में सूचना चाही गयी है। तथा आलू, प्याज आदि को वाजिब कीमतों पर उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरण की संभावना का पता लगाने के लिये भी कहा गया है। जयपुर शहर में आलू, प्याज का वितरण सहकारी एवं उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आरम्भ भी करवाया गया हैं।

तहसील मुख्यालय कामां के विचाराधीन प्रकरण

434. **श्री तैयब हुसैन** (कामां) : क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार तहसील मुख्यालय कामां में विचाराधीन प्रकरणों को शीघ्र निपटारे हेतु कोई अन्य न्यायालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

जी नहीं। कामां में एक न्यायालय पहले से कार्यरत है जिसमें 2208 प्रकरण लम्बित हैं। एक नया न्यायालय खोलने के लिये 1700–2000 वाद होने का मानदण्ड निर्धारित है। इस प्रकार कामां में दो न्यायालयों

(राज्य मंत्री, विधि)

हेतु 3400–4000 वाद लम्बित होने चाहिए। कामां में उपरोक्त संख्या में लम्बित वाद नहीं होने के कारण वहां पर एक अतिरिक्त न्यायालय खोलना वांछनीय नहीं है।

जिला बांसवाड़ा में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची

435. **श्री फतेह सिंह** (कुशलगढ़) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश की सभी जिला परिषदो द्वारा शिक्षकों की भर्ती हेतु साक्षात्कार लेकर योग्यता सूची पूर्व में बनायी गयी थी? यदि हां, तो किन–किन जिला परिषदों द्वारा? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योग्यता सूची में से कितने प्रार्थी अध्यापकों को नियुक्ति दी गई तथा कितने शेष हैं? जिला परिषदवार सख्या सूची सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिला परिषद बांसवाड़ा द्वारा साक्षात्कार लेकर योग्यता सूची बनायी गयी थी? यदि हां, तो कब? क्या यह भी सही है कि इसे निरस्त कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि उक्त योग्यता सूची निरस्त करने से कई अभ्यर्थी भविष्य में नियुक्ति से वंचित रह जाएंगे? यदि हां, तो क्या सरकार आगामी चयन प्रक्रिया में कोई विशेष प्रावधान रखने का विचार सखती है? यदि हां, तो क्या और नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, नहीं। 1996 में विज्ञापित कर प्रदेश की 31 में से 30 जिला परिषदों द्वारा शिक्षकों की भर्ती हेतु 1997 में योग्यता फार्मूले के आधार पर योग्यता सूची बनाई गई थी। सूची संलग्न है। (परिशिष्ट–अ)

(2) योग्यता सूची में से कुल 8599 तृतीय श्रेणी अध्यापकों को नियुक्ति दी गयी व विभिन्न न्यायालयों द्वारा स्थगन आदेश जारी हो जाने के कारण 978 पद शेष है। जिला परिषद वार विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट–'ब')

(3) जी, हां। माह मार्च, 1997 में साक्षात्कार लिये जाकर योग्यता सूची बनाई गई थी योग्यता सूची को निरस्त नहीं किया गया। शैक्षणिक सत्र की समाप्ति पर योग्यता सूची स्वतः निरस्त हो जाती है।

(4) चूंकि योग्यता सूची निरस्त ही नहीं की गई थी अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–8 देखें)

ग्राम पंचायतों में सचिवों के रिक्त पदों पर नियुक्ति

436. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य की ग्राम पंचायतों में सचिवों के कितने पद रिक्त है और सरकार कब तक भरने का विचार रखती है?

(श्री रामस्वरूप मीणा)

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में सहायक सचिवों को ग्राम सेवक पदेन सचिव पद पर नियुक्त करने के संबंध में दिनांक 22 फरवरी, 1995 व 5 दिसम्बर, 1996 को आदेश पारित किया है जिसमें सरकार को निर्देश दिया है कि उक्त को नियुक्ति दी जाये? यदि हां, तो सरकार ने इन्हें अब तक नियुक्ति क्यों नहीं दी?

(3) क्या यह भी सही है कि पंचायतों में एक ही सचिव के पास तीन–चार ग्राम पंचायतों का कार्यभार है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार अब इनको नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य की ग्राम पंचायतों में सचिव ग्राम पंचायतों के 1611 (811 पुराने एवं 800 नये सृजित) पद रिक्त हैं। उक्त पदों को सीधी भर्ती से भरने के लिये शीघ्र ही लिखित परीक्षा आयोजित करने की कार्यवाही की जायेगी।

(2) जी, हां। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 5.12.96 में दिये गये निर्देशों के अनुसार सहायक सचिव के रूप में कार्यरत रहे व्यक्तियों को बोनस अंक दिये जाने पर भी वरीयता सूची में नहीं आये एवं कमेटी द्वारा स्क्रीन किये जाने पर ग्राम सेवक के पद पर समायोजन हेतु पात्र नहीं पाये गये, इसलिये नियुक्ति नहीं दी गई।

(3) जी, हां। कुल ग्राम पंचायतों के मुकाबले ग्राम सेवक पदेन सचिव, ग्राम पंचायत उपलब्ध नहीं है, इसलिये ग्राम पंचायतों के कार्य संचालन के लिये कुछ सचिवों के पास एक से अधिक पंचायत का चार्ज दिया हुआ है।

(4) जी, नहीं।

पंचायत समिति सराड़ा में अध्यापकों की नियुक्ति

437. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : क्या पंचायती राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति सराड़ा में कई ऐसे प्राथमिक विद्यालय है, जिनमें छात्रों की संख्या अधिक है परन्तु अध्यापक एक ही है ? यदि हां, तो कहां–कहां? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार छात्रों की संख्या के आधार पर वहां अध्यापक लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। पंचायत समिति सराड़ा में 24 प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जहां एक ही अध्यापक है व छात्रों की संख्या निर्धारित मापदण्ड से अधिक है। सूची संलग्न हैं। (परिशिष्ट 1)

52

(राज्य मंत्री, पंचायती राज)

(2) जी, हां। वर्तमान में अध्यापकों के चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है, चयन प्रकिया जारी है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–9 देखें)

विकास अधिकारी हिण्डौन द्वारा सरपंच अलीपुरा के विरूद्ध दर्ज प्रकरण

438. श्री कमल (हिण्डौन) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी करौली ने विकास अधिकारी हिण्डौन के सरपंच अलीपुरा के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु कोई आदेश कमांक 1717–20 दिनांक 22 जनवरी, 1998 जारी किया है ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी करौली के द्वारा उक्त आदेश किस नियम के तहत दिया गया है ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या उक्त आदेश की पालना विकास अधिकारी द्वारा कर दी गई है ? यदि हां, तो कब और और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। निरीक्षण प्रतिवेदन के अंतिम पैरा में उक्त आदेश दिये गये है। प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, करौली द्वारा निरीक्षण के दौरान निकली बकाया राशि के आधार पर आदेश दिए गए। निरीक्षण की प्रति इस प्रश्न के भाग सं0 1 के संदर्भ में सदन के पटल पर रख दी है।

(3) जी नहीं। वांछित दस्तावेज प्राप्त होते ही अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–10 देखें)

विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में विद्यालयों का क्रमोन्नयन

439. श्री रामनारायण किसान (फुलेरा) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में कितने प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, किस–किसको और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के अंतर्गत पंचायत समिति सांभर (सम्पूर्ण) एवं पंचायत समिति दूदू (आंशिक) शामिल हैं। पं.सं. सांभर में 136 एवं पं. स. दूदू (विधान सभा फुलेरा

(राज्य मंत्री, पंचायती राज)

क्षेत्र में) (केवल) 2 प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। जिनके नामों की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट–1)

(2) प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का कार्य शिक्षा विभाग द्वारा देखा जाता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–11 देखें)

पंचायत समिति मनोहर थाना में रिक्त पद

440. श्री जगन्नाथ वर्मा (मनोहर थाना) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पंचायत समिति, मनोहर थाना में किस–किस श्रेणी के कितने पद कब–कब से रिक्त हैं?

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) उक्त पंचायत समिति में शिक्षा प्रसार अधिकारी के कितने पद कब से रिक्त चल रहे हैं? क्या किसी शिक्षा प्रसार अधिकारी को अन्यत्र प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित करके उसका वेतन पंचायत समिति मनोहर थाना से उठाया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) पंचायत समिति मनोहर थाना में विभिन्न श्रेणी के कुल 68 पद रिक्त हैं। विवरण सहित सूची संलग्न है। (परिशिष्ट–1)

(2) जी, हां। रिक्त पदों को उपलब्ध होने/रोक हटने पर शीघ्र भरने की कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त पंचायत समिति में दिनांक 19.3.96, 11.9.97 एवं 28.5.97 से 3 पद रिक्त हैं। उक्त पंचायत समिति में विभागीय आदेश दिनांक 8.8.97 द्वारा श्री इन्द्राजसिंह को नवलगढ़ से मनोहर थाना तथा श्री राम प्रताप सिंह को पंचायत समिति झुन्झुनूं से पंचायत समिति मनोहर थाना लगाया गया था, परन्तु श्री इन्द्राजसिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से तथा श्री रामप्रताप द्वारा राज. अपील प्राधिकरण से स्थगन आदेश लेने के कारण उन्होंने पंचायत समिति मनोहर थाना में कार्यभार ग्रहण नहीं किया।

श्री इन्द्राजसिंह का स्थानान्तरण पंचायत समिति मनोहर थाना से पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ किया गया था, व उन्होंने उक्त आदेश की पालना में अपनी उपस्थिति पं.स. लक्ष्मणगढ़ में दी, परन्तु पं.स. लक्ष्मणगढ़ में पद रिक्त न होने के कारण उनको पं.स. मनोहर थाना के रिक्त पद के विरुद्ध वेतन का भुगतान किया जा रहा है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–12 देखें)

पथ परिवहन निगम में संगणक की नियुक्ति

441. श्री जीतराम (मालपुरा) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने विभागीय स्तर पर संगणक के पद हेतु अपने कर्मचारियों से आवेदन पत्र मांगे थे? यदि हां, तो मुख्य प्रबन्धकों को उक्त पदों के आवेदन पत्र कब तक प्राप्त करने के आदेश दिये गये थे?

(2) क्या यह भी सही है कि प्रबन्धक टौंक आगार को भी दिनांक 15 अप्रेल,1998 तक संगणक हेतु प्रार्थना पत्र दिये गये थे? यदि हां, तो वहां किस–किस व्यक्ति के किस–किस दिनांक को कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इन अभ्यर्थियों में से कुछ लोगों के आवेदन पत्र समय से प्रस्तुत करने के बाद भी महाप्रबन्धक द्वारा कोई विचार नहीं करके उन्हें साक्षात्कार हेतु नहीं बुलाया गया? यदि हां, तो क्यों? जिन अभ्यर्थियों को नहीं बुलाया उनके नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि इन पदों पर सरकार ने नियुक्ति दे दी है? यदि हां, तो कितने पदों पर तथा नियुक्ति का आधार क्या था? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार प्रबन्धक की गलती से साक्षात्कार हेतु शेष रहे अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। विज्ञप्ति संख्या 3419 दिनांक 11.8.97 द्वारा दिनांक 30.8.97 तक एवं विज्ञप्ति संख्या 218 दिनांक 24.3.98 द्वारा दिनांक 15.4.98 तक आवेदन पत्र मुख्य प्रबन्धक के मार्फत सचिव, सेवा चयन मण्डल को प्रेषित करने थे।

(2) जी, हां। टौंक आगार में संगणक के पद हेतु 2 कर्मचारीगण द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये थे। टौंक आगार में प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(3) जी, नहीं। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन–पत्र निर्धारित दिनांक 15–4–98 तक सचिव, सेवा चयन मण्डल को प्राप्त हो गये थे, उन सभी पर विचार कर साक्षात्कार हेतु बुलाया गया था।

(4) कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता, कार्यानुभव, निगम में की गई सेवा का रिकार्ड एवं कम्प्यूटर तकनीकी के सम्बन्ध में योग्यता को ध्यान में रखते हुए सेवा चयन मण्डल द्वारा साक्षात्कार लिया जाकर चयन किया गया। चयनित किये गये व्यक्तियों की सूची परिशिष्ट–2 पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, यातायात)

(5) जी, नहीं। टौंक आगार में प्राप्त दो आवेदन पत्रों में से श्री हरिनारायण जाट पुत्र श्री लादूलाल को साक्षात्कार हेत बुलाया गया था। द्वितीय आवेदक श्री हीरालाल पारीक का आवेदन पत्र दिनांक 15–4–98 के बाद मुख्यालय में प्राप्त होने से विचार योग्य नहीं था, इसके अतिरिक्त श्री हीरालाल पारीक निगम में दिनांक 24–7–96 से नियमित वेतन श्रृंखला में कार्य कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में विज्ञप्ति की शर्त अनुसार तीन वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण न होने के कारण भी आवेदन पत्र खारिज योग्य हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–13 देखें)

बिसाऊ (झुन्झुनूं) में टिकटों की चोरी प्रकरण

442. श्री कमल (हिण्डौन) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जून, 1993 में बुकिंग घर बिसाऊ (झुन्झुनूं) से 13153/– रुपये के टिकटों की चौरी की कोई वारदात हुई थी? यदि हां, तो क्या पुलिस थाना बिसाऊ में प्रकरण दर्ज कराया गया? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखे।

(2) इस वारदात में किसको, कब, किस आधार पर दोषी पाया गया है? पुलिस थाना बिसाऊ द्वारा की गई जांच रिपोर्ट मय विवरण के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त चोरी गये टिकटों की बरामदी हुई? यदि नहीं, तो इसका अंतिम समायोजन किसके आदेश से, किस तरह किया गया?

(4) क्या यह सही है कि बिना कोई प्रमाण के मई, 1997 से एक कर्मचारी को दोषी मानते हुए उसके वेतन से 500/– रुपये प्रतिमाह की वसूली की जा रही है? यदि हां, तो किस आधार पर व किसके आदेश से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार इस प्रकरण की जांच कर वास्तविक अपराधी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। पुलिस थाना, बिसाऊ में इस प्रकरण के सम्बन्ध में दर्ज कराई गई रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(2) इस प्रकरण में पुलिस थाना, बिसाऊ द्वारा एफ.आर.नं. 11 दिंनाक 3.8.93 को अदम पता माल मुलजिम में दी गई है, जो न्यायालय द्वारा दिनांक 21.12.93 को स्वीकृत की जा चुकी है। इस सम्बन्ध में थानाधिकारी, बिसाऊ के पत्र दिनांक 18–7–98 की प्रति परिशिष्ट–2 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। संबंधित बुकिंग क्लर्क श्री बलवीर सिंह से वसूली की जाकर इस राशि का समायोजन किया जा रहा है। अप्रेल,97

(राज्य मंत्री, यातायात)

से मई, 98 तक 7000/– रु0 वसूल किये जा चुके हैं, तथा रु0 6153/– वसूल करना शेष है।

(4) इस प्रकरण में श्री बलबीर सिंह, बुकिंग क्लर्क को मुख्य प्रबंधक, झुन्झुनूं द्वारा जारी नोटिस दिनांक 26–6–93 के उत्तर पर विचार कर आदेश दिनांक 27–7–93 द्वारा इनके वेतन से रुपये 13,153/– वसूली के आदेश प्रसारित किये गये थे।

(5) जी नहीं। इस प्रकरण में न्यायालय द्वारा अंतिम रिपोर्ट स्वीकार की जा चुकी है। अतः अन्य कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) श्री हीरालाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र बामनवास में मोरेल बांध की नहर निर्माण हेतु अधिगृहित की गई भूमि का काश्तकारों को मुआवजा नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। प्रस्तावक माननीय सदस्य को प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :–

(1) श्री खेतसिंह राठौड़, सदस्य विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में वर्षा नहीं होने से अभाव व अकाल की स्थिति उत्पन्न होने के सम्बन्ध में।

(2) श्री आर.पी.शर्मा एवं एक अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर शहर के मध्य स्थित सुजान गंगा नहर में फैल रहे प्रदूषण एवं गंदगी के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। मुख्य प्रस्तावक माननीय सदस्य को प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

प्रकिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के सहायक लोक अभियोजकों को केन्द्र के समान वेतनमान देने के सम्बन्ध में।

(2) श्री अर्जुन लाल जीनगर, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र गंगरार की ग्राम पंचायत पावली की कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा निर्मित की गई

57

(श्री अध्यक्ष)

सम्पर्क सड़क के कई जगह से टूट जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री गोपीराम जाट, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर जिले के चन्दवाजी ग्राम के राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय में कार्यरत चिकित्सक द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

(4) श्री राधेश्याम गंगानगर, सदस्य, विधान सभा की ओर से इंदिरा गांधी नहर परियोजना के सिंचित क्षेत्र में करोड़ों रुपए का किया गया व्यय निरर्थक होने के सम्बन्ध में।

(5) श्री शम्भूदयाल बड़गूजर, सदस्य, विधान सभा की ओर से केकड़ी एवं भिनाय तहसीलों में भू–आवंटन पर लगी रोक हटाने के सम्बन्ध में।

(6) श्रीमती कमला, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला जयपुर की तहसील शाहपुरा के मनोहरपुर कस्बे में गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–8 पर स्थित टोल नाका कायम होने से क्षेत्र में व्याप्त भारी परेशानी के सम्बन्ध में।

(7) श्रीमती इंदिरा मायाराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से आवास विकास संस्थान में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

(8) श्री दयाराम परमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से बावलवाड़ा के पास सोम नदी पर पुल का निर्माण कर जनता को राहत प्रदान करने के सम्बन्ध में।

(9) श्री रतनलाल ताम्बी, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की चिकित्सा संस्थाओं में डाक्टर एवं अन्य स्टाफ की कमी के सम्बन्ध में।

(10) श्री भीमराज भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से स्वायत्त शासन विभाग के एक अधिशासी अधिकारी द्वारा कथित अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सरकारी नौकरी हासिल करने के प्रकरण की जांच करवाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री खेतसिंह राठौड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला जोधपुर की तहसील शेरगढ़ के ग्राम साबारसर, सांई हिम्मतपुरा, भोग सागर व चाबा में पीने के पानी की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।

(12) श्री रामगोपाल बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से क्रय विक्रय सहकारी समिति, इटावा (कोटा) में व्याप्त अनियमितताओं से संस्था को हो रहे नुकसान के सम्बन्ध में।

(13) श्री राकेश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से नागौर में सूचना कार्यालय एवं जन सम्पर्क कार्यालय भवन का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(14) श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा, सदस्य, विधान सभा की ओर से बयाना को ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(15) श्री रघुवीर सिंह मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला परिषद उदयपुर के विद्यालयों में पूर्व में संविदा पर नियुक्त अध्यापकों को नियुक्ति देने के सम्बन्ध में।

(16) श्री भीमसेन चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से कस्बा लूणकरणसर के औद्योगिक क्षेत्र में घरेलू गैस सिलेण्डर की मरम्मत व सफाई यूनिट स्थापित करने के कारण आबादी क्षेत्र में पर्यावरण के बिगड़ने के सम्बन्ध में।

(17) डाक्टर मूलसिंह शेखावत, सदस्य, विधान सभा की ओर से निर्वाचन क्षेत्र रीको द्वारा अनावश्यक भूमि अवाप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

(18) श्री रामचन्द्र रावत, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील कोटपूतली में चरागाह भूमि पर अतिक्रमण करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री हीरालाल मीणा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने, श्रीमती इन्दिरा मायाराम, परसादीलाल मीणा, शिवनाथ सिंहजी और कई माननीय सदस्यों ने चूरू जिलें में एक महिला को नंगा कर बेरहमी से पीटने, एस. पी. और डी.वाई.एस.पी. के सामने अमानुषिक तरीके से यातना पहुंचा कर गम्भीर चोटें पहुंचाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव दिया था और चार दिन पहले आपने व्यवस्था दी थी कि मैं राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त कर रहा हूं। यह इतना गम्भीर मामला है, राज्य सरकार इसको टालना चाहती है, जवाब नहीं दे सकती क्यों कि एस.पी. औरडी. एस.पी. इसमें इन्वाल्वड हैं। दो–दो–तीन–तीन थाने, दूधवा थाना, चूरू कोतवाली इसमें इन्वाल्वड हैं और होम मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि 29 को विधान सभा समाप्त होने वाली थी, अब 4 तक बढ़ा दी, इस मामले को हाउस में लाया नहीं जाए और इसकों दबा दिया जाए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस सम्बन्ध में क्या स्थिति है, हमें बतलाने की मेहरबानी करें।

श्री अध्यक्ष : यह सूचना अभी राज्य सरकार से आई नहीं है। मैं आज दुबारा ताकीद करूंगा कि सूचना जल्दी आ जाए। श्री हीरालाल।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि दिनांक 16.7.98 को मदन दिलावर मैंने.......

श्री अध्यक्ष : यह निवेदन आप रोज कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप कृपया विराजें।

श्री मोहनलाल मोदी : मैं मेरा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। मेरे ऊपर जो आरोप लगाए हैं, उनका जवाब तो दूं, साहब, मैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आखिर ये इस तरीके से आरोप लगा दिए गए..... (व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : मैं इस आरोप का जवाब देना चाहता हूं, या तो वे साबित करें.....

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : आपने वायदा किया।

श्री मोहनलाल मोदी : या तो वे साबित करें या वे माफी मांगें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : माफी मांगें।

श्री मोहनलाल मोदी : मुझे आपने कल भी समय देने की बात की थी।

श्री अध्यक्ष : मैं आज ही समय दूंगा। कृपया विराजें। समय दूंगा, श्री हीरालाल। मैंने निवेदन कर दिया कि मैं आज ही आपको समय दूंगा।

श्री मोहनलाल मोदी : आपने कल भी यही कहा था कि समय दूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिना आज्ञा के बार–बार बोलते हैं। माननीय रामस्वरूप जी, आप अपना ख्याल रखें या न रखें, सदन का ख्याल तो रखें। कृपया, माननीय सदस्य......

श्री हीरालाल मीणा (बामनवास) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। बामनवास तहसील में मोरेल बांध की नहर निकालने के लिए सन् 1965 में भूमि आबंटित की गई थी। उक्त भूमि में नहर निर्माण कर दिया गया है और नहर निर्माण करने के बाद 1965 से लेकर आज दिन तक उनको 200 बीघा जमीन का मुआवजा नहीं मिला। उसमें 217 बीधा जमीन अधिगृहित की गई थी जिसके अन्दर 17 बीघा भूमि सिवाय चक वगैरह मिलाकर राजकीय भूमि है। बाकी 20 बीघा भूमि काश्तकारों की है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उनको मुआवजा देगी या नहीं देगी? उनकी 200 बीघा भूमि है। यदि आज काश्तकारों की एक बीघा भूमि भी जाती है तो उन्हें कितना नुकसान भोगना पड़ता है। सन् 1965 में एक पत्र द्वारा मैंने पूछा था, उन्होंने ~~बताया~~ भुगतान की कार्यवाही के लिए केस तैयार कर लिया गया है। इतने दिनों बाद भुगतान का केस तैयार करते हैं तो कब तक उनको भुगतान होगा?

मेरा सरकार से यही कहना है कि उन काश्तकारों को जिनकी भूमि गई, किसी की एक बीघा, किसी की कितनी भूमि गई उनको आज की रेट से कब तक सरकार मुआवजा देगी या नहीं देगी? प्रश्न के जवाब में यहां कहा है कि हमने मुआवजा केस तैयार कर लिया है। 17–18 साल में तो अभी तक इनसे मुआवजे का केस तैयार हुआ है। फिर सरकार कब तक भुगतान करेगी? इन काश्तकारों को न्याय दिलाएं और काश्तकारों को तुरन्त भुगतान होना चाहिए, मेरा तो यही निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री खेतसिंह जी। शेरगढ़ में वर्षा न होने के कारण स्थगन प्रस्ताव। आपने दिया है या नहीं दिया है?

(60)

श्री खेतसिंह राठौड़ : दिया है, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष : दस्तखत तो आपके ही है।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अभी राहत मंत्री जी के पास भी गया था, वे उठकर चले गये। मेरे पास में उनका जवाब आया है और उन्होंने स्वयं इस बात को माना है कि जोधपुर जिले की, खास तौर से फलौदी और शेरगढ़ तहसील में बहुत ही खस्ता हालत है। पिछले 45 दिनों से वहां बरसात नहीं हुई। जो फसल बोयी गयी थी, ट्रेक्टर से काफी खर्चा करके काश्तकारों ने अपनी फसल बोयी वह फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई है। घास जल गई है, पीने के पानी की वहां समस्या पैदा हो गई है। इसलिए हमने निवेदन किया था कि आप वापस राहत कार्य चालू करें। उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है और वे अभी यहां हाजिर थे, उन्होंने एक रिपोर्ट भी बतलायी थी जिसमें उन्होंने यह कहा था कि वास्तव में वहां पर हालत बहुत खराब है और अकाल राहत कार्यों के बारे में वे राज्य सरकार से कुछ परमिशन ले रहे हैं या कुछ कार्यवाही कर रहे हैं, ऐसी बात उन्होंने मुझे बतलायी है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि जल्दी से जल्दी वहां पर पीने के पानी की खास तौर से व्यवस्था की जाए, चारे की व्यवस्था की जाए, धान भी बहुत मंहगा हो गया है और राहत कार्य भी खोले जाएं।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र चौधरी।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के पश्चिमी भाग में जोधपुर, बाड़मेर और नागौर के कई इलाकों में और पाली में भी वर्षा की असमान स्थिति के कारण पेयजल का भारी संकट पैदा हो गया है। सारे तालाब खाली पड़े हुए हैं और मवेशियों के चारे की भी भारी समस्या पैदा हो गई है। यहां पर पूर्व में भी मुख्य मंत्री जी से अनुरोध किया गया, उप मुख्य मंत्री महोदय भी यहां बैठे हुए हैं, वहां हालत इतने खराब हो गए हैं, फसलें चौपट हो गई हैं और जिन कुछ जगहों में फसलें हुई हैं वहां पर भी कातरे का भयंकर रोग फैल गया है जिसके कारण फसलें पूरी तरह समाप्त हो गई हैं। इसलिए मैं यह चाहूंगा, अकाल राहत मंत्रीजी तो यहां पर नहीं हैं, परन्तु उप मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, वे जब इसका जवाब दें तब उसमें इस बात का उल्लेख करें कि वे क्या करेंगे अकाल राहत के मामले में।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। श्री पूनमचन्द विश्नोई।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, फलौदी क्षेत्र थार मरूस्थल का मध्य है। वहां पर थोड़े गांवों में बरसात आज से डेढ़ महीने पूर्व ही हुई थी, कुछ फसलें भी हुई थीं। उसके पश्चात् इतनी तेज गर्मी पड़ी कि वे सब फसलें नष्ट हो गई। अकाल राहत के कार्य 15 जुलाई से बन्द कर दिये गये। पेयजल की समस्या अति विकट है। वहां पर चारे का, अनाज का, पेयजल का, मजदूरी का अभाव है। इसलिए इस सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही करके अनाज उपलब्ध करायें, चारा उपलब्ध करायें, रोजगार उपलब्ध करायें,

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

पानी उपलब्ध करायें, यही मेरा निवेदन है। पानी की समस्या हमारे यहां और भी विकट है, क्योंकि सब लोग ढाणियों में एक–एक बस गये हैं। गांव में तो कोई आबादी है नहीं जहां ट्यूबवैल है। 15–15 किलोमीटर तक पेयजल नहीं है। मेरा निवेदन है कि अकाल राहत मंत्रीजी इस सम्बन्ध में कुछ कहें।

श्री अध्यक्ष : श्री आर.पी.शर्मा।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आधा मिनट लूंगा। मेरे जिले में भी हालत बहुत खराब हैं।

श्री अध्यक्ष : आपका नाम नहीं है इसमें।

श्री भीमराज भाटी : नाम नहीं है लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप इस पर चर्चा भी कर चुके।

श्री भीमराज भाटी : जी हां। जिलाधीश महोदय से रिपोर्ट भी आयी है, वह रिपोर्ट भी इस वक्त आयी नहीं, सदन में सूचित किया नहीं, इसलिए आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि हमारे जिले में भी हालत बहुत खराब है। जो शुरूआत में बरसात हुई थी वह भी नहीं हुई थी इसलिए पीने के पानी की बड़ी भारी किल्लत हो गई है। टैंकर्स बंद कर दिये हैं। 15 जुलाई को वे बंद कर देते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्य मंत्री जी, यहां विराजमान है, उनसे निवेदन करूंगा कि पीने के पानी की, विशेषकर जानवरों के लिए भारी तकलीफ पैदा हो गई है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उप मुख्य मंत्री जी जवाब दें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि बरसात नहीं होने के कारण ऐसी आशंका बन रही है कि यदि आने वाले एक सप्ताह में बरसात नहीं हुई तो पूरे तौर से फसलें नष्ट हो सकती हैं। लेकिन मुख्य सचेतक महोदय, माननीय विश्नोई जी, सभी इस बात को जानते हैं कि अकाल घेषित करने की एक प्रक्रिया है, उसका कोड बना हुआ है जिससे सरकार बंधी हुई है। अभी 15 जुलाई तक जो काम हो रहे थे वे काम सरकार ने, रबी की फसल में और ओलावृष्टि के कारण जो नुकसान हुआ उन गांवों की लिस्ट बनाकर केवल उन्हीं गांवों में चालू किए थे। स्पेशली अकाल ग्रस्त घेषित करके किये थे जिनको 15 जुलाई को बंद कर दिया। सामान्यतया प्रक्रिया यह है कि अक्टूबर में गिरदावरी होती है, गिरदावरी होने के बाद अभी सरकार किसी भी हालत में अकाल तो घोषित कर ही नहीं सकती।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अभावग्रस्त घोषित करें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अकाल या अभाव दोनों ही नहीं कर सकती जब तक कि वो

(262)

(श्री हरिशंकर भामड़ा)

स्पेशल गिरदावरी वगैरह नहीं कराये। फिर भी सरकार का इस ओर ध्यान है, हम जांच कर रहे हैं और यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो निश्चित रूप से लोगों को काम देने की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था सरकार अपनी ओर से करेगी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : स्थिति तो उत्पन्न हो ही गयी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिए। श्री रामस्वरूप मीणा। 295.

श्री हरिशंकर भामड़ा : श्रावण में अभी भी ग्वार और मोठ की बिजाई की संभावनाएं होती हैं। इसलिए उतने समय तक तो अपने को प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

राज्य के सहायक लोक अभियोजकों को केन्द्र के समान वेतनमान

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत राजस्थान में सहायक लोक अभियोजकों को केन्द्र के समान वेतनमान देने के बारे मे निवेदन करना चाहता हूं। राज्य सरकार की पैरवी करने वाले सहायक लोक अभियोजकों को बार–बार आंदोलन करने व धरना देने के बावजूद भी आज तक केन्द्र के समान वेतन देने की सरकार द्वारा घोषणा नहीं की गई, सरकार ने अपने इन वकीलों को कार्यालय सुविधा भी नहीं दी। न ही पैरवी करने वाले अधि–वक्ताओं को चैम्बर की व्यवस्था की। सरकार ने एक कमेटी भी बना दी जो स्टडी ट्यूर कमेटी है, लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट पर आज तक एक्शन नहीं लिया गया। सरकार के अभियोजकों को मूलभूत सुविधाओं के बारे में क्या नीति है, यह स्पष्ट करे। इस प्रकिया के माध्यम से मैं सदन का ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं ताकि इनको भी केन्द्र के समान वेतन एवं सुविधाएं मिल सके।

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुनलाल जीनगर– (अनुपस्थित)। श्री गोपीराम जाट।

चन्दवाजी ग्राम के राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय में कार्यरत चिकित्सक द्वारा अनियमितता

श्री गोपीराम जाट (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मैं जयपुर जिले के चन्दवाजी ग्राम में स्थित राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय में कार्यरत चिकित्सक द्वारा की जा रही अनियमितता की ओर राज्य के आयुर्वेदिक मंत्री का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं।

इस चिकित्सालय में कार्यरत चिकित्सक कभी समय पर नहीं आते हैं जिससे रोगियों को भारी असुविधा होती है। ये अपने परिचित दवाई की दुकान से औषधियां खरीदने के

(श्री गोपीराम जाट)

लिए मरीजों को बाध्य करते हैं। फर्जी चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करते हैं एवं कई तो ऐसे चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी कर दिये जो इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। कई बार रोगी रजिस्टर के पेज ही बदल डाले गये हैं। एक माह से अधिक के चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने का इनको अधिकार नहीं है किन्तु इनके द्वारा ये दिये गये है। उदाहरण के लिए ओ.पी.डी. नं. 5898 दिनांक 9.12.97 से 10.1.98 तक, ओ.पी.डी. नं. 6774 दिनांक 22.1.98 से 19.2.98 तक जारी किये गये हैं। रोगी रजिस्टर में कांट–छांट करना इनके लिए आम बात है। रजिस्टर में कुछ नाम एवं रोग प्रमाण पत्र में कुछ नाम देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए 5810 दिनांक 4.12.97 देखा जा सकता है। पूर्व मे इनका कई बार स्थानान्तरण हो गया किन्तु हर बार निरस्त कर दिया जाता है। ये एलोपैथिक औषधियां भी लिखते हैं। कई बार महिला रोगियों से अश्लील हरकतें करने की शिकायतें भी आम बात है जिससे महिला रोगी इनसे इलाज करवाते हुए डरती हैं।

अतः ऐसे चिकित्सक का स्थानान्तरण तुरन्त किया जाकर सारे रिकार्ड का ऑडिट करवाना चाहिए एवं दोषी चिकित्सक के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री राधेश्याम गंगानगर–(अनुपस्थित)। श्री शम्भूदयाल बड़गूजर।

केकड़ी एवं भिनाय तहसीलों में भू–आबंटन पर रोक

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी) : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत केकड़ी एवं भिनाय तहसीलों में भू–आवंटन पर लगी रोक हटाने के सम्बन्ध में निवेदन है कि बीसलपुर परियोजना के कारण मेरे विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के 17 गांव डूब में आये हुए हैं तथा विस्थापितों को बसाने हेतु 12 ग्राम आरक्षित घोषित किये हुए हैं।

विस्थापितों को बसाने हेतु केकड़ी एवं भिनाय तहसील के आरक्षित ग्रामों में 60 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत के अनुपात में चरागाह भूमि आरक्षित कर दी गयी है। इसमें हमें कोई एतराज नहीं है लेकिन 1992 से भू–आवंटन पर लगी रोक के कारण दोनों तहसीलों के किसानों को एक इंच जमीन भी आवंटन नहीं कर पाये हैं तथा वर्षों से लम्बित धारा 91 के मुकदमों, भू–संशोधन आबादी विस्तार के मामलों का भी निस्तारण नहीं हो पा रहा है जिसके कारण क्षेत्र के किसानों में भारी रोष व्याप्त है। कई बार राजस्व मंत्रीजी ने क्षेत्र के दौरे के समय उपरोक्त रोक को तुरन्त हटवाने की घोषणा भी की थी लेकिन अभी तक भू–आवंटन पर रोक नहीं हटायी गयी है। दोनों तहसीलों में विस्थापितों को आरक्षित चरागाह भूमि 60 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत के अतिरिक्त उपलब्ध सिवाय चक भूमि आवंटन पर रोक हटवाने की कृपा करावें।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती कमला–(अनुपस्थित)। श्रीमती इन्दिरा मायाराम–(अनुपस्थित)। श्री दयाराम परमार।

बावलवाड़ा (खैरवाड़ा) के पास सोम नदी पर पुल का निर्माण

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र के गांव बावलवाड़ा के पास से सोम नदी नामक एक बहुत बड़ी नदी बहती है। इस नदी में वैसे तो साल भर पानी बहता रहता है लेकिन बरसात के दिनों में उसकी मात्रा बहुत बढ़ जाती है जिससे उस नदी के दूसरे किनारे बसे हुए गांव राछां, कातर, कुम्हारपाड़ा, आंखीपाड़ा, राणावाड़ा, गराजा, महुडिया, सागवाड़ा और आकोट आदि की जनता को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है क्योंकि इन गांवों की जनता को बावलवाड़ा के बाजार से अपने दैनिक उपयोग की वस्तुएं लेने आना–जाना पड़ता है। इसी बावलवाड़ा गांव से ही तहसील मुख्यालय, पंचायत समिति मुख्यालय और अन्यत्र कहीं भी जाना हो तो नदी पार करके बावलवाड़ा तो आना ही पड़ता है। इन गांवों के छात्रों को उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए बावलवाड़ा ही आना–जाना पड़ता है। कभी–कभी तो बरसात के दिनों में कई दिनों तक छात्र विद्यालय ही नहीं जा पाते हैं।

इसके अलावा झाड़ोल पलियाखेड़ा–बावलवाड़ा सड़क भी यहीं आकर मिलती है लेकिन बरसात के दिनों मे यह मार्ग भी बन्द हो जाता है। एसी स्थिति में मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी से यह मांग करता हूं कि बावलवाड़ा के पास सोम नदी पर एक पुल का निर्माण कर 10 गांवों की जनता को राहत दिलायी जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री रतनलाल ताम्बी।

जहाजपुर क्षेत्र में चिकित्सा संस्थाओं में स्टाफ की कमी

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : अध्यक्ष महोदय, जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सा संस्थाओं में डाक्टर एवं अन्य स्टाफ की कमी से उत्पन्न समस्या पर राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं।

जहाजपुर स्थित रेफरल अस्पताल में 10 डाक्टरों के पद रिक्त है। एक डाक्टर तो जोइन करके ही एक माह पूर्व चले गये और वहां अन्य सृजित पद भी रिक्त हैं। इसी तरह क्षेत्र मे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उच्चीकृत उपस्वास्थ्य केन्द्र एवं उप केन्द्रों में कम्पाउंडर, नर्स एवं अन्य पद भी जहाजपुर तहसील एवं कोटड़ी तहसील के जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले भाग में रिक्त हैं।

जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में अनेक स्थान लम्बे समय से रिक्त हैं इससे जनता को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अनेक लोगों को उपचार के लिए अन्यत्र भारी आर्थिक खर्चा करके जाना पड़ता है तथा कई लोग बीमारियों से ग्रस्त होकर असामयिक मृत्यु के शिकार बन जाते हैं।

(श्री रतनलाल ताम्बी)

अतः मैं इस विशेष उल्लेख के माध्यम से चिकित्सा मंत्री महोदय का ध्यान जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र की चिकित्सा संस्थाओं में रिक्त स्थानों की पूर्ति एक पखवाड़े में कर जनता को परेशानियों से राहत देने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, यह मेरे क्षेत्र की समस्या बहुत गम्भीर है। एक मिनट में मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : हां, बहुत गम्भीर है। श्री भीमराज भाटी।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस सम्बन्ध में आप क्या करने जा रहे हैं, आप बताये नहीं तो मुझे आज धरने पर बैठना पड़ेगा। यह बहुत गम्भीर समस्या है। आप इसको गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं। मैंने अनेक पत्रों द्वारा निवेदन किया है, व्यक्तिगत तौर से निवेदन किया है। समस्या हमारी गम्भीर है।

श्री अध्यक्ष : सुनें अब आप। माननीय सदस्य, कृपया आप सुनें।

श्री नारायण सिंह : यह सारे राजस्थान का सवाल है। शहरों के अन्दर डाक्टर हैं, गांवों में बिल्कुल डाक्टर नहीं है। खाली जगह पड़ी है। कम्पाउण्डर नहीं हैं, कोई व्यवस्था नाम की चीज बाकी नहीं रही।

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा, शायद माननीय सदस्य को स्मरण होगा कि जहाजपुर के अन्दर जो वर्तमान में चिकित्सालय है, इस चिकित्सालय में वर्षो से शैयाओं की वृद्धि की मांग चली आ रही थी। पिछले वर्ष सरकार ने शैयाओं की वृद्धि की ओर शैयाओं में वृद्धि के साथ ही कुछ नये पदों का सृजन भी हुआ है। अभी यह कहा गया कि राजस्थान के अन्दर चिकित्सकों के पद रिक्त पड़े हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे राज्य के अन्दर 3560 चिकित्सा अधिकारियों के पद हैं जिनमें से 152 पद रिक्त पड़े है। अध्यक्ष महोदय, संकट तो इस बात का है कि चिकित्सकों का आर.पी.एस.सी. से चयन हो जाये, अभी 548 चिकित्सकों का चयन किया आर.पी. एस.सी. ने, हमने उनको दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों मे पदस्थापित कर दिया, अब 300 से कम ने जोइन किया। हमारे सामने संकट यह है। हमारे चिकित्सालयों को योग्य चिकित्सक मिलें, अगर इच्छा वाले स्थान पर हो जाये तो ठीक है, इसके लिए हमने जिला स्तर पर तदर्थ नियुक्तियां भी पूरे राजस्थान में प्रारम्भ कर दी हैं और उसके सार्थक परिणाम भी आये। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, हो सकता है कि जहाजपुर में कुछ पद रिक्त हों परन्तु यह कहना कि सारे पद खाली हैं, इससे मैं सहमत नहीं हूं। फिर भी मैं निवेदन करूं कि जो चिकित्सा अधिकारियों के पद हैं, जूनियर स्पेशलिस्ट, सीनियर स्पेशलिस्ट की तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वह तो डी.पी.सी. होने के बाद ही उनकी पदोन्नति होती है परन्तु जो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

चिकित्सा अधिकारियों के पद रिक्त हैं, हम आपके जिले में भी जिला स्तर पर तदर्थ नियुक्तियां देने का अधिकार आजकल में ही दे देंगे और जिले के अन्दर जो भी योग्यताधारी हों, वह अगर आना चाहें तो उनको आपके चिकित्सालय में पदस्थापित कर देंगे। उसके अलावा फिर भी चिकित्सा अधिकारियों के सारे पद जितने भी जहाजपुर में रिक्त है, उनको निश्चित रूप से 15 दिन के अन्दर–अन्दर भरने का पूरा प्रयास करूंगा और जो जूनियर स्पेशलिस्ट, सीनियर स्पेशलिस्ट हैं, उनका तो डी.पी.सी. के माध्यम से होगा, इसमें समय लगेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमराज भाटी।

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, एक सुझाव पूरे राजस्थान का ही दे रहा हूं मैं।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इंफार्मेशन।

श्री अध्यक्ष : नहीं, इसमें वाद–विवाद नहीं होता है।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि शैयाएं बढ़ा दी गई हैं, हमारे बयाना में भी 30 शैया के स्थान पर 50 बढ़ाई हैं, परन्तु उसका अभी तक बजट नहीं मिला है और वहां पर ....

श्री अध्यक्ष : यह जहाजपुर का सवाल है, बयाना का नहीं है। श्री भीमराज भाटी। (व्यवधान) कृपया, इसमे प्रश्न–उत्तर नहीं होता। नहीं, नहीं, बैठिये। बैठिये आप। कृपया सुनिये। दूसरे माननीय सदस्य का समय बरबाद नहीं करें। श्री भीमराज भाटी बोल रहे हैं? बोलना शुरू करिये।

स्वायत्त शासन विभाग के अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र की जांच

श्री भीमराज भाटी (पाली) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत एक अधिशासी अधिकारी, स्वायत्त शासन विभाग द्वारा नाजायज तरीके से अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सरकारी नौकरी हथियाने के प्रकरण की जांच कर कार्यवाही करने बाबत् निवेदन करना चाहता हूं।

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा दिनांक 14.12.79 से 27.12.79 तक अधिशासी अधिकारी, चतुर्थ श्रेणी के पद हेतु साक्षात्कार लिये गये थे। इन साक्षात्कारों के पश्चात् चयनित प्रत्याशियों की सूची में उस अधिकारी का नाम क्रम संख्या 35 पर अंकित था, जिसके आगे अनुसूचित जाति लिखा हुआ था जब कि वह अधिकारी जाति से माली है। उपरोक्त सच्चाई प्रकट होने पर एक शिकायत तत्कालीन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर को प्राप्त हुई थी, जिस पर उन्होंने जिला कलक्टर, पाली से यह प्रमाणित होने के

(श्री भीमराज भाटी)

बाद कि वह अधिकारी जाति से माली है, उन्हें इस आरोप पर निलम्बित कर दिया कि उन्होंने झूठा प्रमाण पत्र देकर नौकरी हथियाई है। किन्तु प्रदेश में दिसम्बर,1993 में भाजपा सरकार सत्तारूढ़ होते ही उन्हें बहाल करके उनका पदस्थापन सुमेरपुर नगरपालिका में कर दिया गया। सुमेरपुर मे उनके कार्यकाल के दौरान विभिन्न शिकायतों के आधार पर निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर ने उन्हें निलम्बित कर उनका मुख्यालय देवगढ़ मदारिया कर दिया किन्तु निलम्बन के उपरान्त भी वह अधिकारी लगभग तीन माह देवगढ़ में अधिशासी अधिकारी के रूप में कार्य करता रहा। तत्पश्चात् निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग को ज्ञात होने पर उन्होंने इनके विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज करवाने की सिफारिश माननीय स्वायत्त शासन मंत्री से की किन्तु माननीय मंत्री महोदय ने भी इस प्रकरण को दबाने का प्रयास किया।

उस अधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र देने के प्रकरण में चल रही जांच में राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से प्राप्त तथ्यों के आधार पर सुनवाई का पूरा मौका देकर इन्हें दिनांक 21.01.97 को राजकीय सेवा से बरखास्त कर दिया किन्तु तत्कालीन माननीय उप मंत्री, स्वायत्त शासन एवं वर्तमान में राज्य मंत्री ने सारे कायदे–कानूनों को ताक में रखकर इनकी बरखास्तगी के आदेशों को स्टे कर दिया जबकि सेवा नियमों में स्टे का कोई प्रावधान नहीं है। उस अधिकारी ने राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से यात्रा भत्ता भी प्राप्त किया है जो मात्र अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रत्याशियों को ही दिया जाता है।

अतः मैं लोक हित के इस गम्भीर मामले में स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सम्पूर्ण प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच बाबत् किसी कमेटी का गठन किया जाये एवं दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय, राजकीय सेवा में डाइरेक्टर, लोकल सेल्फ ने उसको सस्पैण्ड कर दिया, बरखास्त कर दिया उसके बावजूद मंत्री महोदय ने आज तक भी उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की और उसमें स्टे का कोई प्रोविजन नहीं है, उसके बावजूद भी कर दिया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। श्री खेतसिंह जी राठौड़।

शेरगढ़ तहसील के ग्रामों में पीने के पानी की व्यवस्था

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख की सूचना देना चाहता हूं।

तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर में ग्राम पंचायत साबरसर, ग्राम पंचायत साई, ग्राम

(श्री खेतसिंह राठौड़)

पंचायत हिम्मतपुरा, भीमसागर व चाबा के लिए पीने के पानी की काफी बड़ी योजना बनाई जा रही है। काम रोज चल रहा है मगर कई राजस्व ग्राम तो इन्हीं पंचायतों में आये हुए हैं, वे इस योजना से अलग रख दिये गये हैं।

मान्यवर, पंचायत समिति साबरसर में मीरपुरा, खेतसिंह नगर, अमृतियों का बेरा, पंचायत समिति सांई में सिंधियों की ढाणी, दर्जियों की ढाणी, बस्ते की ढाणी, पंचायत समिति हिम्मतपुरा में भीलों की ढाणी, जाटों की ढाणी, इसी प्रकार चाबा में मेड़ितियों की ढाणी व सोढ़ों की ढाणी तथा भीमसागर में हिरणखुडी, स्वामियों की ढाणी तथा सवालेयों की ढाणी मुख्य इस योजना से वंचित रह गई हैं और अब मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इनका सर्वे करवा कर इन ढाणियों को इस मुख्य योजना के साथ जोड़ने की कृपा करावें। इन ढाणियों की कुल संख्या 4000 के करीब है और मवेशी 12,000 के ऊपर हैं। कुल मिलाकर 16000 की आबादी पीने के पानी की व्यवस्था से वंचित रह जायेंगे। इसलिए इस प्रस्ताव के जरिये माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि इन सभी ढाणियों का फिर से सर्वे करवा कर इस मुख्य योजना के साथ इनको भी जोड़ा जाकर इन स्थानों को पीने के पानी की सुविधा दी जाये। यही मेरा निवेदन है।

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जब पानी की चर्चा थी, मांग थी उस समय यदि मेरा ध्यान दिलाते तो अधिक....

श्री खेतसिंह राठौड़ : मान्यवर, उस समय मुझे यह ख्याल था कि ये ढाणियां इसमें जुड़ी हुई हैं लेकिन बाद में जब मालूम किया, वहां पंचायतों के नाम आये ही नहीं है, इन–इन पंचायतों की सारी योजना ले ली गई है......

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : मेरी बात तो सुन लें आप पूरी। मैं आपको आरोपित नहीं कर रहा हूं, कल आप नहीं थे, गैर–हाजिर थे, यह मैं नहीं कह रहा हूं। इसमें भाग नहीं लिया, वह मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन कल अगर कह देते तो आज उत्तर दे देता, मैं तो यह कह रहा हूं, इसमें अब विचार कर लेंगे।

श्री जगदीप धनखड़ : आज करवा दीजिये, मान्यवर। पानी का तो एक ऐसा मामला है कि ढाणियों को.........

श्री भंवरलाल शर्मा : अब इस पर विचार कर लेंगे।

एक माननीय सदस्य : बहुत कृपा हुई।

श्री जगदीप धनखड़ : .....जितनी मदद की जाये, उतनी करनी चाहिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, तो कोई आपत्ति नहीं है, आपत्ति किसको है।

श्री जगदीप धनखड़ : और जगह तो व्यवस्था होती रहती है, ढाणियों में कम व्यवस्था होती है।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप इनका समर्थन करके कमजोर क्यों बना रहे हो, वे खुद ही पावरफुल हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामगोपाल बैरवा–(अनुपस्थित)।

श्री जगदीप धनखड़ : मैं समर्थन करके कमजोर नहीं बना रहा हूं, मैं इनकी नाव पर बैठकर आगे जाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : राकेश मेघवाल–(अनुपस्थित)। श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा।

बयाना को ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाना

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत बयाना को ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने के क्रम में निवेदन करना चाहता हूं ।

बयाना को ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के रूप मे विकसित किया जावे क्योंकि बयाना का विजयगढ़ का किला, उषा मन्दिर, लाल महल, अकबर का सलीमी मंच, तलाकनी मस्जिद, ब्रह्मवाद की बावड़ी, कुम्भलगढ़ की देवी का मन्दिर, हाल उच्चारण में कोट देवी का मंदिर आदि स्थानों के बारे में पौराणिक पुस्तकों में उल्लेख है। जैसे प्रेमसागर आदि में बयाना के उषा मंदिर, कोट के मंदिर अर्थात् कुम्भलगढ़ की देवी का उल्लेख आया है। यही नहीं, कृष्ण एवं बाणासुन का युद्ध, शिवशंकर भोलेनाथ का युद्ध, कृष्णजी का युद्ध का उल्लेख आया है। अकबर साम्राज्य के समय खानवा का युद्ध स्थल, विजयपाल का किला, ऐसे अनेकों दर्शनीय स्थल हैं। यही नहीं, प्राकृतिक स्थल के रूप में सप्त कुण्ड एवं इनके नीचे के स्थान पर छोटा सा बांध बनाकर पर्यटक स्थल की शोभा को बढ़ाया जा सकता है।

अतः माननीय मंत्रीजी आगरा, फतेहपुर सीकरी, भरतपुर से ही बयाना को ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर जोड़ने का श्रम करें। यह भारत का ऐतिहासिक स्थल बयाना पर्यटन के रूप में प्रथम स्थान से विख्यात हो सकता है। मैं यही सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री रघुवीर सिंह मीणा–(अनुपस्थित)। श्री भीमसेन चौधरी।

लूणकरणसर के आबादी क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत कस्बा लूणकरणसर के औद्योगिक क्षेत्र में इस वर्ष घरेलू गैस सिलेंडर्स की मरम्मत व सफाई यूनिट स्थापित करने से मण्डी एवं आस–पास के आबादी क्षेत्रों के समक्ष पर्यावरण समस्या उत्पन्न

(श्री भीमसेन चौधरी)

होने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं।

कस्बा लूणकरणसर के औद्योगिक क्षेत्र में इस वर्ष घरेलू गैस सिलेंडर्स की मरम्मत व सफाई करने की यूनिट स्थापित की गई है जिससे मण्डी एवं आसपास के आबादी क्षेत्रों के समक्ष पर्यावरण की समस्या पैदा हो गई है। जहरीली गैस से जन स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा है। ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण –पत्र लिये बिना व पर्यावरण विभाग को सूचना दिये बिना उद्योग प्रारम्भ किया गया है व वातावरण को स्वस्थ रखने हेतु कोई प्रयास नही किये गये हैं। पर्यावरण सुधार हेतु कोई उपाय न किये जाने तक उक्त यूनिट का कार्य स्थगित रखवाया जावे या यूनिट मण्डी क्षेत्र से दूर रखा जावे। आशा है, इस समस्या के समाधान का शीघ्र प्रयास किया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष : डा. मूलसिंह शेखावत।

झुंझुनूं में रीको द्वारा अनावश्यक भूमि अवाप्ति

डा. मूलसिंह शेखावत (झुंझुनूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत उद्योग मंत्री का ध्यान मेरे निर्वाचन क्षेत्र झुंझुनूं में रीको द्वारा की जा रही भूमि अवाप्ति की ओर दिलाना चाहता हूं।

सर्वप्रथम महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा राजस्थान पत्रिका में दिनांक 12.12.95 में 208 बीघा 10 बिस्वा जमीन अवाप्ति करने की विज्ञप्ति जारी की गयी थी। तत्कालीन भूमि अवाप्ति अधिकारी झुंझुनूं द्वारा इसमें हस्तक्षेप करके 10 बीघा जमीन छोड़ दी गई और बाकी शेष बची 198 बीघा 10 बिस्वा जमीन अवाप्त करने की एक तरफा कार्यवाही शुरू कर दी गयी। किसानों व खातेदारों को विश्वास में नहीं लिया गया। जो 10 बीघा जमीन छोड़ दी गयी व शेष अवाप्त की गयी भूमि की एक ही जैसी परिस्थिति है जिसकी जांच विशेष अधिकारी भूमि, रीको, जयपुर द्वारा दिनांक 16.6.98 को कर ली गयी है और मौखिक रूप से उन्होंने भी माना है कि जो जमीन छोड़ी गयी है वह समान परिस्थितियों के अनुसार गलत है।

जो 198 बीघा 10 बिस्वा जमीन अवाप्त की जा रही है उसमें 34 खातेदार हैं जिनके बाल–बच्चे पूर्ण रूप से इस कृषि योग्य भूमि पर आश्रित हैं। इनमें जो खसरा नं. 273, 264, 277, 275, 283, 266 में लगभग 250 प्लाट कटे हुए हैं, जो गरीब परिवार के लोगों व अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों के हैं, उक्त प्लाट शहर से दूर आधुनिक सुख–सुविधाओं से वंचित रहकर अपनी आर्थिक हैसियत के अनुसार इन गरीब लोगों ने खरीदे थे जिनको आज रीको पूर्ण रूप से उजाड़ने पर तुली हुई है। इस 198 बीघा 10 बिस्वा जमीन में आज भी 20 परिवार अपने बाल–बच्चों सहित बसे हुए है और जो 10 बीघा जमीन छोड़ दी गई है उसमें जो प्लाट खाली पड़े हैं वे 650/– रुपये

(डा. मूलसिंह शेखावत)

प्रति वर्गगज के हिसाब से बेचे जा रहे हैं जब कि इसके बराबर में रीको द्वारा मात्र 14 रुपये प्रति वर्गगज की दर से भूमि ली जा रही है। रीको, झुंझुनूं द्वारा 157 फैक्ट्री के प्लाट दिये हुए हैं इनमें सिर्फ आठ फैक्ट्री कार्य कर रही हैं, शेष फैक्ट्रियों को रिअलॉट कर दिया जावे तो रीको, झुंझुनूं को इस अवाप्त की जा रही भूमि की आवश्यकता ही नहीं रहेगी।

महोदय, रीको, झुंझुनूं रिहायशी भूखण्डों को अवाप्त कर गरीबों के घर उजाड़ रही है जबकि रीको, झुंझुनूं में रिहायशी कालोनी के लगभग 250 प्लाट बचे हुए हैं जिनमें से 150 प्लाटों में मकान बने हैं व 100 प्लाट खाली हैं और 9 प्लाट अभी रीको के पास अलॉट होने बाकी हैं। जब रीको को उद्योग विकास हेतु भूमि की जरूरत थी तो व्यावसायिक प्लाट के बजाय रिहायशी कालोनी में अधिकाधिक प्लाट क्यों काटे जा रहे हैं? रीको, झुंझुनूं द्वारा पूर्व में रीको का सड़क, नाली का पूर्ण कार्य किया हुआ था परंतु अब सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, झुंझुनूं द्वारा अपनी कूटनीति उच्च अधिकारियों से मिलीभगत कर पूर्व में बनायी गयी सड़कों को तोड़कर व नालियों को तोड़कर नया निर्माण किया जा रहा है। विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि रीको, झुंझुनूं के इस तोड़फोड़, कच्चे कार्य व निर्माण कार्य हेतु 80 लाख रुपये का बजट स्वीकृत हुआ है जो राजकोष का दुरुपयोग है।

सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, रीको, झुंझुनूं ने रीको के मानदण्डों को चुनौती देते हुए कई अवांछनीय कार्य करने की कोशिश की है जिसमें पूर्व निर्धारित पार्क में सरकारी आवासीय क्वार्टर्स बनाने की योजना बनायी थी जो कि कोर्ट के हस्तक्षेप करने से रोकी गयी। अतः सरकार से मेरा निवेदन है कि उपरोक्त सभी बिन्दुओं को मद्देनजर रखते हुए खातेदार व प्लाट धारियों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उनके प्लाट व जमीन अवाप्त नहीं किये जाय एवं भ्रष्ट अधिकारी तुरन्त बदले जायं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र रावत।

कोटपूतली तहसील में चरागाह भूमि पर अतिक्रमण

श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत तहसील कोटपूतली में चरागाह भूमि पर अतिक्रमण करने से उत्पन्न स्थिति पर विशेष उल्लेख का प्रस्ताव निम्नप्रकार है :–

तहसील कोटपूतली की सभी ग्राम पंचायतों में स्थिति चरागाह भूमि पर लोगों ने जबरन कब्जा कर लिया है और बाकी बची हुई चरागाह भूमियों पर लोगों ने अतिक्रमण करने की होड़ लगी हुई है। सरकार ने जानवरों के चरने हेतु चरागाह भूमियों को सुरक्षित रखा था किन्तु अधिकारियों की लापरवाही व कमियों के कारण चरागाह भूमि पर अतिक्रमण करने

(श्री रामचन्द्र रावत)

वाले लोगों के विरुद्ध सरकार कोई सख्त कार्यवाही नहीं करती जिसके कारण लोगों में कोई भय नहीं है। कई स्थानों पर तो लोगों ने तालाब, श्मशानों को भी नहीं छोड़ा है, उन पर भी लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। चरागाह पर अतिक्रमण करने से कई गांवों में तो लड़ाई–झगड़े एवं हत्याएं तक हो जाती हैं किन्तु सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है, केवल कागजों में ही ऐसे चरागाह सुरक्षित है।

तहसील कोटपूतली के ग्राम सांगठेड़ा में 28 बीघा चरागाह भूमि है तथा इसमे पशुओं के पीने का जोहड़ हरिजन लोगों के तथा अन्य लोगों के श्मशान हैं, उन पर भी इसी ग्राम के कुछ प्रभावशाली लोगों ने लाठी के बल पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। कई बार तो इस ग्राम में तनाव व्याप्त हो गया तथा शांति भंग होने की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और इसकी जानकारी प्रशासन को भी है किन्तु इसके बाद भी इन अतिक्रमणों को नहीं हटाया गया है और पशुओं के सामने भी अतिक्रमण करने से स्थिति भयंकर खराब हो रही है। अतः इस प्रस्ताव के माध्यम से मैं राजस्व मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं कि तहसील कोटपूतली मे सभी चरागाह भूमियों से लोगों के अतिक्रमण को सख्ती से हटाने के लिए उप खण्ड अधिकारी एवं जिला कलक्टर को सख्त निर्देश प्रदान करें ताकि गांवों में शांति बनी रहे और पशु भी खुले रूप से इन चरागाह में चर सकें।

श्री अध्यक्ष : श्री राधेश्याम गंगानगर।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के सिंचित क्षेत्र में किया गया व्यय

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय सिचाई मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के सिंचित क्षेत्र में मई में लगभग दो करोड़ रुपये के निरर्थक व्यय का मामला प्रकाश में आया है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ने वर्ष 1994–95 तथा 1995–96 के लेखों की जांच के बाद रिपोर्ट में लिखा है कि कच्चे खालों को पक्का करने के कामों में निर्देशों की पालना बिलकुल ही नहीं की गई। बिना सर्वे प्लानिंग एवं डिजाइन के निर्माण करवाये गये इससे लगभग दो करोड़ रुपये का व्यय निरर्थक रहा तथा उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकी। निर्देशों के अनुसार पूरे चक का लेवल लेकर निर्माण कार्य करवाने थे। नहर के पैंदे में एक, चार और आठ के अनुपात से मसाले का उपयोग करते हुए पैंदे में मसाला डालकर उसके ऊपर इटें जमाई जानी थी। नाका गेट आर.सी.सी. एवं स्टील का उपयोग करते हुए बनाये जाने थे। प्लास्टर में एक–चार के अनुपात से जो सामग्री मिलानी थी, उसमें 0–25 भाग रेता मिलाया जाना था परंतु ऐसा नहीं किया गया इसलिए इस मामले में बहुत ही भ्रष्टाचार व्याप्त है, अतः मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय सिचाई मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो सिंचित क्षेत्र में निरर्थक करोड़ों रुपये का व्यय हुआ है उसकी जांच की जाये तथा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जाये। मैं आपका आभारी रहूंगा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री अध्यक्ष : श्री किशन मोटवानी।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से विशेष उल्लेख के जरिए राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि अक्टूबर, माह में 786 उर्स का मेला अजमेर में भरेगा और यह भी सत्य है कि राज्य सरकार ने इस ओर चिन्ता व्यक्त की है और अपनी और से 16 करोड़ रुपये भी सैंक्शन किए हैं और भेजे हैं और कार्य चल रहा है, मैं इस ओर इंगित करूंगा कि आज से 5–6 माह पूर्व में एक दुकानदार और ग्राहक के बीच में झगड़ा हुआ जिसको फिर दंगे का रूप भी दिया गया और कई केसेज बने। मैंने पूर्व विधान सभा सत्र में भी निवेदन किया था कि इस माहौल को जब तक हम डिफ्यूज नहीं करेंगे तब तक जो भी मेला भरने वाला है उसमें वह भरेगा नहीं। लोग आएंगे नहीं कांफिडेंस क्रिएट नहीं होगा। और यह सत्य हुआ, जो मिनी उर्स आज से दो माह पूर्व हुआ था उसमें मात्र सौ–सवा सौ बसे आंयी और लोगों का रूझान इस कारण उसमें उलझा रहा कि पता नहीं वहां क्या स्थिति है और मैंने मेरी बात कहने के बाद गृह मंत्री जी ने अपने मन्तव्य का तो जरूर यहां इजहार किया किन्तु उसके अनुरूप कार्य नहीं किया गया । मैं आज फिर भी कहना चाहता हूं कि जब तक आप एटमास्फीयर को डिफ्यूस करते हुए एटमास्फीयर कांजिनियल नहीं बनायेंगे तब तक जिस 786 उर्स की सबको आकांक्षा है कि बहुत बड़ा मेला भरेगा वह भर नहीं पायेगा मैं उसके लिए निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी उन पुरानी केसेज में गिरफ्तारियां चालू हैं जब कि यहां आश्वासन दिया गया था कि आगे गिरफ्तारियां नहीं होंगी। वहां जो केसेज थे आज चालान भी पेश हो गया उसके बाद कोई न कोई। अनर्गल एप्लीकेशन

(12.53)

(श्रीमती तारा भण्डारी, सभापति, पदासीन)

दे देता है तो उसमें आपकी इन्क्वायरी और इन्वेस्टीगेशन चालू है और भय का वातावरण वहां व्याप्त कर दिया जाता है।

तो मेरा कहना यह है कि आप एक तो जो वहां पर अभी इन्वेस्टीगेशन स्टेज पर, इन्क्वायरी स्टेज पर कोई मामले हैं उनको समाप्त करो। मेरा तो यह कहना है कि दोनों पक्षो के विरुद्ध आपने जो कैसेज कर रखे हैं सम्भव हो सके तो उसको विवश करें। विवश करने से एक एटमासफियर बनेगा। वहां जो आप इतने रुपये 16 करोड़ थे और इससे पूर्व 6 करोड़ इस दरगाह क्षेत्र के डवलपमेंट में पूर्व में भी खर्च कर चुके हैं, इतना खर्च करने के बाद भी अगर वे जायरीन आने हैं वे आये नहीं, उसका मंतव्य पूरा नहीं हो, तो वह व्यर्थ हो जाएगा खर्च करना। इसलिए मैं इन दो–तीन मुद्दों की तरफ आपका ध्यानाकर्षण करता हूं इनको करें आप। एक तो आने वाले समय में गिरफ्तारियां करना बंद करें और जो कोई अनर्गल एप्लीकेशन दे दें उस पर आप इन्क्वायरी

(श्री किशन मोटवानी)

और इन्वेस्टीगेशन कर रहे हैं, वह बंद करें आपके कैसेज जो कोर्ट में पैण्डिंग हैं, कृपा करके आप मंतव्य बनायें और एटमासफियर बनाने के लिए उनको विवश करें। मेरा निवेदन यह है कि अब जो आपने 16 करोड़ दिये हैं उसके व्यय के प्रति भी आप सचेत रहें। किस तरह व्यय हो रहा है उस पर भी सचेत रहें कि अच्छी तरह खर्च हो, वह उस क्षेत्र में खर्च हो जो मेला क्षेत्र है। यह नहीं हो कि उसका पैसा अन्य क्षेत्रों में खर्च हो जो मेले से किसी तरह कन्सर्न नही हो। इसलिए मैं राज्य सरकार का उस और ध्यान आकर्षित करते हुए अपनी बात कहना चाहूंगा कि आप कृपा करके इन मुद्दों पर गौर करें और कार्यवाही करें ताकि सार्थकता हो जाए। आपकी भी जो चिन्ता और चिन्तन है उसकों भी सार्थक रूप मिले। धन्यवाद ।

श्री सभापति : श्री कमल कोली।

श्री कमल (हिण्डौन) : माननीय सभापति महोदया,.......(व्यवधान) वह तो बनाना तो है ही। मेरे दौसा थाने के अन्तर्गत एक मुकदमा दर्ज हुआ था। एक छात्रा का स्कूल जाते समय कुछ लोगों द्वारा अपहरण कर लिया गया। 30 अप्रेल को उसकी एफ.आई.आर दर्ज करवा दी गई। वह अनसूचित जाति की छात्रा थी। पुलिस ने इस मामले में अभी तक कोई सार्थक कार्यवाही नहीं की है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस मामले में सख्ती बरत कर शीघ्र अपराधियों को पकड़वायें और उस छात्रा को बरामद करें। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री गोविन्द सिंह जी गुर्जर। श्री भीमराज जी भाटी। श्री शैलेन्द्र जी जोशी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : 295 ?

श्री सभापति : शून्यकाल में लिखा है आपने।

श्री शैलेन्द्र जोशी : हां, जी?

श्री सभापति : पर्ची है आपकी शून्य काल में।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय सभापति महोदया, मैंने 295 दिया था लेकिन मेरा आया नहीं था इसलिए पूछा।

मैं आपके माध्यम से माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वर्तमान में राजस्थान के अन्दर इडिबल आयल (खाद्य तेल) का अभाव है और एक कृत्रिम अभाव पैदा कर दिया गया है जिससे खाद्य तेल की कीमत 45, 50 और 55 रुपये किलो हो गई है। चाहे वह सरसों का तेल हो, चाहे मूंगफली का तेल हो। इसी तरह एक आलू और प्याज की कीमत 12 से 15 रुपये किलो हो गई है।

माननीय सभापति महोदया, माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ने विधान सभा, क्योंकि जयपुर में चल रही है इसलिए जयपुर शहर और राजधानी में एक चिल्लाहट नहीं हो इसलिए जयपुर शहर राजधानी में तो समस्त राशन की दुकानों पर असेंशियल कमोडिटी एक्ट के अन्तर्गत इन चीजों का, इन आइटमों

75

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

का, जींस का प्रावधान रख दिया कि राशन की दुकानों पर खाद्य तेल, आलू और प्याज मिलें किन्तु यह एक तरह से सब्स्क्राइब्ड रेट पर राजस्थान के अन्दर राशनिंग शोप पर मिलें, चाहे वह सब–डिवीजन पर हो, चाहे तहसील पर हो इसकी कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है।

मैं आपके माध्यम से माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वे समूचे राजस्थान को एकरूपता से देखें और राशन की दुकानों पर खाद्य तेल, चाहे वह सरसों का तेल हो, चाहे मूंगफली का तेल हो और सब्जियों में आलू, प्याज हो, यह चीजें राशन डीलर के यहां उचित मूल्य पर बिकवायी जाएं जिससे राजस्थान की समूची जनता को लाभ मिल सके। सभापति महोदया, इन आइटमों का एक कृत्रिम अभाव है। जिनकी मोनोपाली है सब्जी मंडी में, जिन खाद्य तेल व्यापारियों की मोनोपाली है उन्होंने एक आर्टिफिशियल क्राइसेज क्रिएट कर दिया है। राज्य सरकार उनकी जो जमाखोरी है उसका पर्दाफाश नहीं कर रही है, न ही उनको जब्त कर रही है। इसी तरह आलू और प्याज का जो भण्डारण किया हुआ है और जिसको मार्केट में नहीं आने दिया जा रहा है उसके लिए खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री निष्फल हैं। मेरा माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि समय रहते हुए वे राजस्थान की समस्त गृहणियों की चिन्ता से चिन्ताग्रस्त हों। धन्यवाद।

श्री भीमराज भाटी : माननीय सभापति महोदया जी.........

श्री सभापति : मैंने आपका नाम पुकारा, आप नहीं थे।

श्री भीमराज भाटी : हां, मैं बाद में पहुंचा हूं।

श्री सभापति : ठीक है, बोलिये।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : माननीय सभापति महोदया जी, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान और विशेष करके गृह मंत्री जी का ध्यान हमारे पाली जिले में जो विश्व प्रसिद्ध एक रणकपुरजी का मंदिर है, उसमें 21 जुलाई को एक मूर्ति का सिर और उसका धड़ बिल्कुल यहां से अलग हो गया था, उस प्रकरण की ओर दिलाना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदया जी, किसी भी मन्दिर में, चाहे वह जैन मंदिर हो चाहे कोई भी मंदिर हो, किसी भी मूर्ति को स्थापित करने के पहले उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद फिर शुभ मुहूर्त में चूना, सीमेंट, व्हाइट सीमेंट वगैरह से उसको ठीक से रखा जाता है। अब इस पर्टिकुलर मंदिर जो अन्तरराष्ट्रीय महत्व का आर्किटेक्ट के पाइंट ऑफ व्यू से बहुत जबरदस्त एक हिन्दुस्तान का बड़ा ठोस नमूना है। अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर इसके आर्किटेक्ट के बारे में और इसके बारे में बात की जाती है, ऐसे मंदिर में अगर किसी भगवान की मूर्ति के साथ इस तरह से हो,

(श्री भीमराज भाटी)

और बताया वहां पर यह जा रहा है कि कोशिश यह की जा रही है कि मंदिर में पूजा करने के लिए जो ग्रुप्स घुसे थे.........
...उन ग्रुप्स में से ही बच्चों ने किसी को छेड़छाड़ कर दी होगी, बच्चों की छेड़छाड़ करने पर इस तरह के वर्षों पुराने मंदिर में किसी मूर्ति का गिरना या इस तरह की बात संभव नहीं है। माननीय सभापति महोदया, यह बहुत ही संवेदनशील मामला है और धार्मिक और बड़ा भावात्मक आस्था का प्रश्न है। इस तरह से मंदिरों में चोरियों की घटनाएं, मंदिरों में से मूर्तियों को उठा कर ले जाने की घटनाएं, भगवान के आभूषण और गहने आदि चुराने की घटनाएं निरन्तर बढ़ती जा रही हैं। इस विशेष प्रकरण में मेरा आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि किन्हीं उच्च अधिकारियों को भेजकर जांच करायें।

एक बात और मैं गृह मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं। मेरी एस.पी. साहब से दो–तीन मर्तबा बात भी हुई है। वहां एक आदिवासी इलाका लगा हुआ है, वहां के आदिवासी लोगों का सोच कुछ और है। इस तरह का मामला कोई और नहीं हो, क्योंकि यह बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ी बात है, आपके इस तरह के एक्सपर्टस हो, फोरेंसिक एक्सपर्टस हो, फोटोग्राफर्स हो जो फिंगर प्रिन्ट ले सके और जो भी व्यवस्था आप महरबानी करके करा सके, वह करें। बहुत जबरदस्त मंदिर है। वह इतनी शानदार जगह है शायद गृह मंत्री जी ने अवश्य देखा होगा, विश्व की अनूठी कला का एक नमूना है वह रणकपुर जी का मंदिर। इस बारे में मेरा आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय से निवेदन है कि अपने स्तर पर, उच्च स्तर पर यहां से कोई एक्सपर्टस भिजवा करके मूर्ति टूटने की घटना की, मेहरबानी करके, जांच करवायें। धन्यवाद।

श्री सभापति : खेतसिंह जी।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : सभापति महोदया, मैं माननीय गृह मंत्री जी और खनिज मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे शेरगढ़ तहसील में करीब तीस हजार लोग खानों पर लगे हुए हैं और जैसा कि माननीय मंत्री महोदय आपको मालूम है, सेंड स्टोन की वहां बहुत क्वेरीज हैं और करीब 19 गांवों में पट्टियां और इमारती पत्थर निकलता है, उसमें लेबर लगते हुए अवैध खनन बेहद हो रहा है। पहले भी मैंने आपसे निवेदन किया था और गत वर्ष आपने करीब दो हजार खानियें लगवाकर उनको लाटरी से आवंटित करवायी थी। उससे आपका राजस्व बढ़ा और लोगों में भी एक परमानें सी आई। खान का सुधार हुआ और वहां के मजदूरों को राहत मिली। मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं कि आज भी करीब पांच हजार से ऊपर ऐसी खानें हैं जो अवैध कट रही हैं। आप आदेश दीजिए डाइरेक्टर माइंस को कि वह आगे आदेश देवें और नयी खानों को नाप कर जल्दी से जल्दी उनके नक्शे बनवा करके और आप वही लाटरी सिस्टम से अलाट करवा दीजिए। इसमें किसी को शिकायत भी नहीं होगी

(श्री खेतसिंह राठौड़)

और आपने जो पहले यह सिस्टम कर रखा है एक्स फौजियों के लिये, अनुसूचित जाति के लिये, अनुसूचित जनजाति के लिये, जनरल कैटेगरी के लिये इसी आधार पर लाटरी से निकलवा कर आवंटित करेंगे तो आपकी रेवेन्यू बढ़ जायेगी, लोगों को मजदूरी मिल जायेगी और उनको बड़ी राहत मिलेगी। यह मेरा आपसे खास कर निवेदन है। जवाब दे दीजिए।

श्री सभापति : श्री शांतिकुमार जी धारीवाल।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : ऐसा है कि इल्लीगल खनन होता है तो मलवे को दूसरी जगह पास में डाल देते हैं जिससे आगे जो खनन का काम है वह बाधित हो जाता है, यह एक और ही मसला है। इसलिए आप रेगुलराइज करेंगे तो वह मलवा वहां डालने नहीं देंगे, नहीं तो जहां खनन होता है वहां पहाड़ लग जायेंगे।

श्री कैलाश मेघवाल (खनिज मंत्री) : इसमें कल लाटरी निकलने वाली थी, उसमें माननीय विधायक को भी वहां उपस्थित रहना था इसलिए हमने वह अभी पोस्टपोन कर दी है। विधान सभा सत्र के बाद एक एरिया की लाटरी तो निकल जायेगी। बाकी जो आपने सूचना दी है उस सूचना के आधार पर मैं डेलिनियेट करवा कर और क्वेरी लाइसेंस से, उसी पद्धति से जैसा आपका सुझाव है, मैं वहां पर करवा दूंगा और कोशिश करूंगा कि इल्लीगल माइनिंग कम से कम हो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से स्वायत्त शासन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कोटा शहर में 57 कच्ची बस्तियां हैं और उन 57 कच्ची बस्तियों में जो लोग रह रहे हैं वह गरीबी की रेखा से नीचे के हैं। मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि नगर निगम द्वारा और नगर विकास न्यास द्वारा भी कई बार इनका सर्वे हो चुका, लेकिन आधारभूत सुविधाएं इनको कभी उपलब्ध नहीं करवाई गईं। न पट्टे बांटे गये। पानी, बिजली, बाढ़ से बचाव और खासकर लोक सुविधाएं की परेशानियां इन लोगों को उठानी पड़ती है। हजारों की तादाद में लोग इनमें रहते है। लेकिन पिछले चार या पांच वर्षों में इनके सुधार के लिये निगम के द्वारा और न्यास के द्वारा कुछ नहीं करवाया गया है। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया इस पर ध्यान दें और इन बस्तियों के उत्थान के लिये उचित निर्देश दें ताकि वहां के लोगों का जीवन स्तर कुछ ऊंचा बढ़ सके। कुछ–न–कुछ प्रयास करावें। धन्यवाद।

श्री अर्जुनदास मदान : माननीय सभापति महोदया, माननीय श्री शांति धारीवाल जी ने जो विषय उठाया उस विषय में कोई संदेह नहीं है कि वह झुग्गी–झौंपड़ियों का अधिकांश क्षेत्र मेरे विधान सभा क्षेत्र का भी भाग है और मैं यहां तक कह सकता हूं कि दो तिहाई जो कच्ची बस्तियां हैं वह लाडपुरा के क्षेत्र में आती हैं और एक तिहाई बस्तियां कोटा क्षेत्र में आती हैं। अभी माननीय जलदाय मंत्री महोदय वहां पधारे भी थे, आपने कुछ

78

(श्री अर्जुनदास मदान)

घोषणाएं भी की, लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आज भी वहां पर झुग्गी–झौपड़ियों में रहने वाला आदमी मानवीय जीवन व्यतीत करने के जो साधन उसको मिलने चाहिये थे उससे वंचित है। निश्चित रूप से समाज की दृष्टि में वह उपेक्षा का जीवन व्यतीत कर रहा है। पानी की व्यवस्था करने का आप आदेश देकर आये थे लेकिन वह भी पूरी स्थिति में नहीं मिल पाया, पट्टे की तो कोई बात ही नहीं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो दो–दो सौ सालों से वहां पर लोग बैठे हैं आज उनके पट्टों का निर्धारण नहीं हो सका, इससे लोन भी नहीं ले सकते। मेरी भी इन शब्दों के साथ याचना है, मैं भी उसमें अपना समायोजन करता हुआ यह चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देवें।

श्री सभापति : श्रीमती बीना काक।

श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर) : माननीय सभापति महोदया, आपके माध्यम से मैं स्वायत्त शासन मंत्री जी का ध्यान सुमेरपुर में बेशकीमती जमीन के निःशुल्क आवंटन पर दिलाना चाहती हूं। माननीय सभापति महोदया, सुमेरपुर नगरपालिका बोर्ड, जो कि बी.जे.पी. बहुमत का है, ने नगरपालिका को नुकसान पहुंचाते हुए आर.एस.एस. द्वारा संचालित एक स्कूल है, आदर्श विद्या मंदिर, उसको एक कामर्शियल एरिया के अन्दर बहुत कीमती जमीन निःशुल्क आवंटित करने का बहुमत के आधार पर प्रस्ताव पारित कर दिया। कलक्टर के पास जब यह बात पहुंची तो उन्होंने भी राज्य सरकार को इसे निरस्त करने के लिए कहां और इस पर अपनी अस्वीकृति जाहिर की। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि कृपया इस मामले की सारी पत्रावली अपने पास मंगवा कर इसमें जांच करें। यह जमीन स्कूल के उपयुक्त नहीं है, कामर्शियल है। इसमें इस तरह की ज्यादती न करके और जो जनता में व्याप्त असन्तोष है उसको देखते हुए अविलंब मंत्री जी इसमें हस्तक्षेप करें और इसके आवंटन को निरस्त करने की या इस फाइल पर ठप्पा न लगाने की कृपा करें।

श्री सभापति : बिराजिए। श्री परसादी लाल जी।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : माननीय सभापति महोदया, मैंने माननीय मंत्रीजी को निवेदन किया था कि मेरे लालसोट में 3.15 एम.बी.ए. का ट्रांसफार्मर जले हुए 8–9 दिन हो गए। बरसात नहीं हो रही है, किसानों की फसलें बरबाद हो गई। इसलिए मेरा आपके मार्फत मंत्री जी से निवेदन है कि इस गर्मी के मौसम में जो फसलें सूख रही हैं, जैसा आपने अभी कहा, आप आज ही वहां ट्रांसफार्मर लगाने के लिये विभाग के अधिकारियों को निर्देश देंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री राजेन्द्र चौधरी ।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : सभापति महोदया, स्वायत्त शासन मंत्री जो आज यहां बिराजे हुए हैं, मैं आपका बहुत ही गंभीर

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों का सम्मान हमने हमेशा किया है और आजादी की 50 वीं वर्षगांठ भी चल रही है। पण्डित जवाहर लाल नेहरू जी की शताब्दी वर्ष के अन्तर्गत राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया था कि स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों की मूर्तियां लगाई जायेंगी और उनका सम्मान किया जायेगा। सभापति महोदया, चूरू जिले के महान स्वतन्त्रता सेनानी स्वर्गीय चन्दनमल जी बहड़ मूर्ति लगाने के लिये वहां प्रस्ताव पारित किया गया और उसके बाद राज्य सरकार के स्तर पर जितनी भी कार्यवाहियां कीं, सारी पूरी नहीं की गई ....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : किस की लगवा रहे हैं?

श्री राजेन्द्र चौधरी : चन्दनमल जी बहड़ बोल रहा हूं, महान स्वतन्त्रता सेनानी थे।

मंत्री महोदय, सारी पत्रावली पर राज्य सरकार के द्वारा, मुख्य अभियंता द्वारा स्वीकृतियां जारी हो गयीं, पिछले 10 वर्षों से यह प्रकरण चल रहा है और आज हालात यह हैं कि बीकानेर कमिश्नर के पास में वह प्रकरण आ गया है और वह प्रकरण वहां पर विचाराधीन है और उस पर निर्णय नहीं किया जा रहा है जब कि नगरपालिका चूरू ने भी अपनी सारी बात कह दी है, सारी कुछ कार्यवाही हो गयी है। स्वर्गीय चन्दनमल जी के पुत्र जो 76 वर्ष के हैं, महावीर प्रसाद जी बहड़, वे भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उन्होंने बहुत ही गम्भीर चेतावनी और बड़े असहाय होकर यह बात कही है कि आने वाली 15 अगस्त को जब हम आजादी की 50 वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, उस कार्यक्रम का समापन हो रहा है और उसके पहले तक यदि यह मूर्ति लगाने का निर्णय नहीं किया तो मैं आत्मदाह करूंगा, यह उन्होंने घोषणा की है और राज्यपाल महोदय को भी उन्होंने टेलीग्राम किया है और मुख्य मंत्री जी को भी किया है और कल वे स्वंय मेरे से मिले थे। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह राजनीति का मुद्दा नहीं है, यह पूरे सदन का मुद्दा है। यह कहना चाहता हूं कि सरकार के स्तर से जिस तरह से स्वतंत्रता संग्राम के सैनानियों का सम्मान किया जाना चाहिए, सभापति महोदया, जिस तरह से पेपरबाजी और घपला करके इसको डिले किया गया, इसको इतना रोका गया जिसके कारण आज तक स्वतंत्रता सैनानी असहाय होकर यह बात कह रहा है कि मुझे आत्मदाह करना पड़ेगा, मेरे पास सारी फाइल है, सारी कार्यवाही होकर जिला बीकानेर के अन्दर जो कमिश्नर है उसके पास फाइल पड़ी हुई है, मैं चाहूंगा, मंत्रीजी, आप सदन में इस समय इसकी घोषणा करें कि वह मूर्ति 15 अगस्त से पहले लगेगी। वह मूर्ति उनके पास है, सारी बातें हैं और आप जब तक इसके बारे में सदन में घोषणा नहीं करेंगे, मैं सदन से उठूंगा नहीं। इस बात की मैं घोषणा करता हूं।

श्री सभापति : श्री अमराराम जी।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

(कांग्रेस के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना)

श्री शैलेन्द्र जोशी : सभापति महोदया, एक तरफ हम स्वतंत्रता सैनानियों को 50 साल पर विभूषित कर रहे हैं, प्रशंसित कर रहे हैं....(व्यवधान) यह गलत है.....(व्यवधान). ...राजनीति करने के लिए.......(व्यवधान) इस तरह से पालिटिकल बेसिस पर मूर्ति स्थापना करने के लिए यह मनोवृत्तियां गलत हैं... (व्यवधान)

श्री सभापति : विराजिये, विराजिये। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इसका जवाब तो दिलवाओ साहब...(व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिये...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : इस तरह की टेंडेंसी गलत है। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : यह सरकार स्वतंत्रता सैनानियों को ....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये। यह शून्यकाल है, शून्यकाल.... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : सभापति महोदया, इनसे स्टेटमेंट कराइये...(व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : हमारे जिले में भी स्वाधीनता संग्राम, बिजौलिया के आन्दोलन ...(व्यवधान)

श्री सभापति : विराजिये, स्थान पर जाइये। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : हमारा इतिहास है किन्तु उन स्वतंत्रता सैनानियों की जितनी उपेक्षा हुई है, उनके परिवार के लोगों को जो सुविधाएं सुलभ होनी चाहिए, नहीं दी जाती है। (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : स्वतंत्रता सैनानियों का अपमान किया जा रहा है। उनकी मूर्ति नहीं लगाने दी जा रही है राजनीतिक आधार पर। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : रोजगार के नियोजन में स्वाधीनता संग्राम के सैनानियों के साथ जो न्याय नहीं हो पाता है ....(व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिये, बिराजिये।

श्री रतनलाल ताम्बी : बहुत ही यह ऐसी सरकार है जो स्वाधीनता आन्दोलन को कुचलने वाली सरकार रही है।

श्री सभापति : विराजिये ।

श्री रतनलाल ताम्बी : उस नीति का संरक्षण देने वाली सरकार रही है।

श्री सभापति : बिराजिये।

श्री रतनलाल ताम्बी : इसलिए मैं समझता हूं राज्य सरकार को स्वाधीनता सैनानियों के बारे में काफी गम्भीरता से उनको सुख सुविधाएं उनका यथोचित सम्मान करने की अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए।

(श्री रतनलाल ताम्बी)

कई स्वाधीनता सैनानियों को स्वाधीनता होते हुए भी पूरी आर्थिक सुविधाएं और उन्हें चयनित करके कार्यवाही नहीं की जाती है। यह प्रशासन के लिए कलंक की बात है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सीटों पर पधारे आप। सीटों पर पधारिये, अच्छा लगेगा। यह शून्यकाल है, शून्यकाल में मजबूर नहीं कर सकते। बिराजें आप। सीटों पर पधारे, अच्छा लगेगा। (व्यवधान) विराजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : सभापति महोदया, आजादी के 50 साल में स्वतंत्रता सैनानी आत्मदाह की सोचें.......

श्री सभापति : आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : मूर्ति लगाने के लिए संसदीय प्रणाली में.....(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : माननीय सभापति महोदया, मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री किशन मोटवानी : जिम्मेदारी, मंत्रीजी, आपकी है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस सदन में आप कुछ बोलें। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : जो विषय राजेन्द्र जी चौधरी ने उठाया है, आप कृपया एक छोटा--सा स्टेटमेंट दे दीजिये।

श्री सभापति : अब आप अपने स्थान पर पधारे, विरोजिये।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : स्थान पर तो आ जायेंगे।

श्री सभापति : आपकी हो गयी बात।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आप बड़े संवेदनशील हैं, छोटी–छोटी बातों पर आप स्टेटमेंट दे देते हैं, अपनी बात कह देते हैं तो कृपया संवेदनशील से संवेदनहीन न बनें, संवेदनशील बने रहें। आपसे आग्रह है कि स्टेटमेंट दे दीजिये जिससे इस चीज का...

श्री सभापति : विराजिये, विराजिये। इनको सीटों पर भेजें आप।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदया, मेरा यह नम्र निवेदन है कि आत्मदाह करने की नौबत आ गयी और एक स्वतंत्र सेनानी की मूर्ति की बात है, लोग वहां पर पूर्ति लगाना चाहते हैं तो फिर आफत क्या है? मेरे ख्याल से आप एग्री करेंगे। आप इसका जवाब दे दीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीया सभापति महोदया, एक बात आपने उठायी, मुझे तो कोई जानकारी नहीं है और आपने यह शर्त लगायी है कि यहां घोषणा कब करोगे। यह सम्भव है क्या मेरे लिए अभी यह कहना कि कब लगेगी। आप बैठिये, आप बोलेंगे नहीं।

श्री सभापति : आप स्थान पर बैठकर बोलिये, माननीय सदस्य।

श्री भंवरलाल शर्मा : अब आप धरने पर बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : वेल से नहीं, स्थान पर जाइये। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : अब आप खयाल रखिये। (व्यवधान) बात तो सुनो मेरी।

श्री सभापति : स्थान पर जाकर बोलें। विराजिये, विराजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : तो अब बात ही नहीं सुनोगे आप? बात ही नहीं सुनोगे? (व्यवधान) आप मुझे कहने दो।

श्री सभापति : सुनिये, कुछ कह रहे हैं, मंत्री जी।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीया सभापति महोदया, सरकार से यह अपेक्षा करना, एक सैकण्ड पहले कोई बात कहना और जिसकी जानकारी हमको बिल्कुल नहीं हो, उसकी तुरन्त मैं......

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप आश्वासन दे दीजिये कि 15 से पहले यह फैसला हो जायेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं दे रहा हूं, साहब, आप सुनें तो सही।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हाथ का हाथ तो कहां से लेंगे?

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरी बात तो सुनो, बात ही नहीं सुनोगे? (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : सभापति महोदया, सब अखबारों में 24 तारीख को छप गया .....(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : कोई बात सुनने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं आप। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : आप अखबार ही नहीं पढ़ते। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : तो मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि जो भावना आपके दिमाग में स्वतंत्रता सेनानियों को...... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : पण्डित दीनदयाल की मूर्ति 22 लाख की आप लोग बना रहे हैं जब कि पण्डित दीनदयाल न तो स्वतंत्रता सेनानी हैं, न और कुछ हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : जो सम्मान स्वतंत्रता सैनानियों का आपके दिमाग में है उससे अधिक सम्मान हमारे दिमाग में है।

श्री राजेन्द्र चौधरी : तभी 10 साल से मूर्ति नहीं लगा रहे हैं आप और यह सारी कार्यवाही, आपकी फाइल देखकर, यह सारी फाइल है.....(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : This is no way

श्री राजेन्द्र चौधरी : यहां सम्मान की बात करते हो।

श्री भंवरलाल शर्मा : This is no way. अगर आप नहीं सुनना चाहते हो तो (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : आप कह रहे हो कि हमारे अन्दर सम्मान है। यदि आपके अन्दर सम्मान होता .....(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : दे रहा हूं न जवाब आपको। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : अलवर नगर के अन्दर आप पण्डित दीनदयाल उपाध्याय की 22 लाख की मूर्ति लगा रहे हैं।

श्री सभापति : बिराजिये, बिराजिये, शैलेन्द्र जोशी जी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : किस हैसियत से लगा रहे है? (व्यवधान)

श्री सभापति : मंत्री जी कुछ कह रहे है। शैलेन्द्र जी, मंत्री जी कुछ कह रहे हैं, विराजिये आप। सुनिये तो सही।

श्री भंवरलाल शर्मा : अब यह तो, सभापति महोदया, पूरे सदन के मैम्बर्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी आप पर है। हितो की रक्षा उनकी ही करनी है, हमारी नहीं करनी क्या?मैं बोल रहा हूं, आप मेरे को सुनती ही नहीं। नहीं, यह बीच–बीच में बोल रहे हैं। ऐसी कोई विवाद वाली बात ही नहीं है, यह कोई ऐसा विवादास्पद इश्यू नहीं है जिसमें कोई वाद–विवाद हो। स्वतंत्रता सैनानी का सम्मान आपसे ज्यादा हम करते हैं। आपको ध्यान होगा कि अभी इन्हीं दिनों में स्वतंत्रता सैनानियों के लिए एक भवन का निर्माण कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए यह विवाद का मामला नहीं है लेकिन जो विषय आपने उठाया उसकी जानकारी एक सैकण्ड करने दोगे या नहीं करने दोगे। उसी में आप यहां पर बैठ गये और +++ यहां चले गये....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : क्या अखबार में नाम की बात कर रहे हो, आप अखबार मे नाम की बात कैसे कर रहे हो? आपको यह कहना चाहिए कि हमारी जानकारी में यह बात नहीं आयी है। (व्यवधान)... आप क्या बात कर रहे हो।

श्री भंवरलाल शर्मा : Please, Shri Kishan Motwani, you will cooperate me.

श्री शैलेन्द्र जोशी : स्वतंत्रता सैनानियों को आप आत्मदाह कराओगे या सम्मान देंगे? (व्यवधान)

श्री भवंरलाल शर्मा : उनकी बात तो छोड़ो आप। (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिये, बिराजिये आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : सभापति महोदया, यह मामला बहुत गम्भीर है...(व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिये, माननीय सदस्य, मंत्री जी को कहने दीजिये। (व्यवधान) बिराजिये।

श्री राजेन्द्र चौधरी : हम क्षेत्र की जनता की भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, अखबार में नाम देने के लिए बात कह रहे हैं, क्या? (व्यवधान) यह बात आपने कैसे कह दी? (व्यवधान) आपने यह बात कैसे कही कि

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(८५)

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

अखबार में नाम लेने के लिए आ गये यहां पर। (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिये, बिराजिये।

श्री राजेन्द्र चौधरी : कार्यवाही से इन शब्दों को वापस लिया जाय ....(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : बड़े दुःख की बात है,यह हमारे हक की बात है.....(व्यवधान)

श्री सभापति : विराजिये।

श्री राजेन्द्र चौधरी : मंत्री महोदय ने आरोप लगाया है ....(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : आई विदड्रा। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : नन्दलाल जी रोज स्वतंत्रता सैनानियों के लिए जेल गये थे वह भी अखबारों के लिए गये थे क्या? (व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराजिये, विराजिये। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : वह भी अखबारों के लिए गये थे क्या? (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : आई विदड्रा। (व्यवधान)

श्री सभापति : विराजिये। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह आप अपने शब्दों को विदड्रा कीजिये। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : आई विदड्रा. आई विदड्रा. (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : एक हल्की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप सुनते नहीं हो क्या कह रहे हैं मंत्री जी, सुनिये तो सही। उन्होंने विदड्रा कर लिये अपने शब्द।

श्री भंवरलाल शर्मा : विदड्रा कर लिये मैंने।

श्री सभापति : सुनते भी नहीं हैं, उन्होंने विदड्रा कर लिये अपने शब्द।

श्री भंवरलाल शर्मा : आई विदड्रा, आई विदड्रा, आई विदड्रा। अब तो सुनोगे बात।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : स्वतंत्रता सैनानियों के रास्ते पर चलोगे तो वह भी बहुत बड़ा सम्मान होगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : अब, माननीय सदस्य,आपने यह कहा कि यह मामला करीब 10 साल से लम्बित है, यह आज का नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री भंवरलाल शर्मा : 10 साल से लम्बित मामला बता रहे हैं, 10 साल मान लेता हूं मैं तो 10 साल में 5 साल की जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर डाल दीजिये ......

श्री राजेन्द्र चौधरी : नहीं, 8 साल ।

श्री भंवरलाल शर्मा : 8 साल मान लीजिये। पर आपके कार्यकाल में भी नहीं

(श्री भंवरलाल शर्मा)

हुआ यह, होना चाहिए था। पर इसका यह मतलब नहीं है कि अब नहीं होना चाहिए। अब यह मतलब नहीं कि नहीं होना चाहिए। हमने एक निर्णय लिया है, आज जो मूर्ति लगाने की पद्धति है वह मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहले यह राज्य सरकार के पास मामले आते थे और राज्य सरकार यह निर्णय करती थी कि मूर्ति लगानी है कि नहीं लगानी है। लेकिन इसमें....(व्यवधान) What has happened to you Mr. Rajendra ?

श्री राजेन्द्र चौधरी : अब कमिश्नर करता है। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : हो क्या गया है आपको? (व्यवधान) बोलने तो दो मुझे। इसमें क्या होता है....(व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन : इस तरह अब ये बोल लेंगे? देखें, अब इनके नेता बोल लेंगे? (व्यवधान) जब इनको समझा दिया, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, बार–बार खड़े हो रहे है। (व्यवधान) यूं करने से क्या होता है? आप बोलने लग जाएंगे?

श्री भंवरलाल शर्मा : यह तो कोई बात नहीं हुई। (व्यवधान) इससे क्या होगा। मेरी बात नहीं सुनेंगे। (व्यवधान) इसमें व्यवस्था यह है, साहब । (व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन : जब ये मानते ही नहीं तो फिर क्या बात है। ये जवाब ही नहीं सुनना चाहते। इसका मतलब इनके मन में वास्तव में सम्मान नहीं है। (व्यवधान) आपने ही +++ ले रखा है क्या सम्मान का, और बात सुनना नहीं चाहते हो।

श्री भंवरलाल शर्मा : प्रतिपक्ष बहुत जिम्मेदार है, बहुत गम्भीर है। एकाध माननीय सदस्य कभी उत्तेजित होते हैं बाकी जो सामने बैठे हैं बहुत गम्भीर हैं। यदि वे मेरा कहना नहीं मानते, कभी–कभी, वह अलग बात है। तो मेरा आपसे यह निवेदन है.... (व्यवधान) अच्छा कोई बात नहीं, नहीं मानते होंगे। अच्छी बात है।

मेरा निवेदन यह है कि अब व्यवस्था यह है कि हम राज्य सरकार में यह निर्णय किया करते थे, वह अब हमने बदल दिया है क्यों कि बड़ा समय लगता था, टाइम लगता था। बात होती थी अब हमनें सम्भागीय स्तर पर एक इसकी समिति बना दी है। कमिशनर उसमें अध्यक्ष रहते हैं और सम्बन्धित नगरपालिका के माननीय अध्यक्ष होते हैं, फिर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी उसमें बैठते हैं, हमारे नियोजन विभाग के लोग बैठते हैं। वे वहीं निर्णय कर देते हैं। तो बीकानेर में इसलिए गया होगा कि हमने यह व्यवस्था की है, ताकि यहां चक्कर नहीं लगाना पड़े हमारे और जिनकी मूर्ति लगनी हैं, उनके परिवार को धक्के नहीं खाने पड़े और वहीं निपटारा हो जाए। इसलिए जो हमने व्यवस्था पहले ही कर दी उस व्यवस्था

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

के अन्तर्गत वहां गया। अब क्यों विलम्ब हो रहा है? अगर आप मुझे थोड़ा मौका देंगे तो विलम्ब को भी मिटाएंगे और कोई और अड़चन आ रही होगी तो वह भी मिटाएंगे। इस मामले में मेरे से अधिक जानकारी माननीय भाभड़ा साहब को है। क्यों कि मुझे तो जानकारी है नहीं, लेकिन इन की जो जानकारी है वह भी आपके सामने आ जाती है। तो इसमें ऐसी उत्तेजना की कौनसी बात है? आप मुझे अकेले भी कह देते तो मैं कर देता इसको। क्या इसमें झंझट करते हो बार–बार? इसमें अपनी प्रतिष्ठा गिरती है, राजेन्द्रजी। इसमें अपनी प्रतिष्ठा गिरती है, अखबारों में आता है कि विपक्षी लोग छोटी–छोटी बात में बैठ जाते हैं। यह मत किया करो।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : सभापति महोदया, (व्यवधान) आप बैठिये। (व्यवधान) प्लीज, बैठिये अब आप।

श्री राजेन्द्र चौधरी : भाभड़ा साहब, एक लाइन निवेदन करनी है। (व्यवधान)

श्री सभापति : सुनिये, माननीय चौधरी जी, सुनिये। बैठिये। माननीय उप मुख्य मंत्रीजी कुछ कह रहे हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप बैठिये।

श्री राजेन्द्र चौधरी : कमिशनर के पास विचाराधीन है। (व्यवधान) 12.12.97 से विचाराधीन है कमिशनर के पास, यह जानकारी दे रहा हूं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : बैठिये, आप।

सभापति महोदया, मैं 10 साल से इसके पीछे लगा हुआ हूं। म्युनिसिपेलिटी में प्रस्ताव पारित कराने के बाद दुर्भाग्य यह हुआ कि मूर्ति निर्माण कराना जिनके जिम्मे था, वे मूर्ति नहीं बना पाए। नौ साल तक वह मूर्ति बनी नहीं। अब दो महीने पहले वह मूर्ति बनकर तैयार हुई है। वे सब मेरे पास आए थे। मैंने कलक्टर को इमीजिएटली फोन कर दिया कि 15 तारीख से पहले–पहले आप सारी प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी कर मूर्ति लगाने की व्यवस्था करें। अब मैं आज फिर कलक्टर को इस बारे में कह दूंगा। इसमें कोई हिचक नहीं है। देरी केवल मूर्ति निर्माण नहीं करने के कारण हुई है। इस बात को मूर्ति वाले खुद जानते हैं। वे मेरे से रोज मिलते हैं।

श्री सभापति : माननीय अमरारामजी।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय भाभड़ाजी, आपने कलक्टर साहब को तो फरमा दिया लेकिन जैसा मंत्री महोदय ने बताया कि.....(व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : हां, कमिशनर को भी कह दूंगा।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मामला कमिशनर साहब के यहां पेंडिंग है। इसलिए कमिशनर साहब को कह दीजिए कि 15 अगस्त से पहले पहले मूर्ति लग जाए।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : कह दूंगा, बिलकुल कह दूंगा। आपसे ज्यादा यह काम मेरा है।

श्री रामेश्वरलाल भाटी (सुजानगढ़) : माननीय सभापति महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि अपोजिशन वालों को कुछ करना नहीं है। (व्यवधान) इनको ध्यान में है कि वह मूर्ति लगना तय हो चुका है और होने जा रहा है। ये प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से ये राजनीति हमेशा करते रहे हैं और इनको ध्यान में है कि यहां भी राजनीति की जा सकती है। जब मूर्ति लगना तय हो गया, 8 साल तक विलम्ब हुआ उसमें इन्होंने बिल्कुल भी बात नहीं उठायी, आज जब मूर्ति लगना तय हो गया है....

श्री सभापति : बिराजिए, बिराजिए।

श्री रामेश्वरलाल भाटी : मूर्ति तैयार हो गयी है, हम लगाना चाहते हैं तो ये विरोध करना चाहते हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपकी पार्टी के कितने लोग जेल में गये? कितने लोग जेल में गये थे?

श्री सभापति : बिराजिए, शैलेन्द्रजी, बिराजिए।

श्री शैलेन्द्र जोशी : नाम बता दो। नाम गिनाओ। किसकी मूर्ति लगाओगे? (व्यवधान) किसने क्या किया था देश के लिए, कितने लोग गये? क्या बात करते हो। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं गया हूं। (व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : आप पैदा नहीं हुए थे। (व्यवधान) आप पैदा हीं नहीं हुए थे। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : इनके पिताजी जेल गये हैं। आपके पिताजी गये क्या? इनके पिताजी जेल गये हैं। (व्यवधान) इनके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपकी पार्टी का जन्म ही नहीं हुआ। (व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : आप जेल में गये थे क्या? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप क्या पूछना चाहते हो, आपकी पार्टी का जन्म ही नहीं हुआ था।

श्री सभापति : बिराजिए, मानीय सदस्य।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : शैलेन्द्रजी तो जेल में वकालत करने गये थे, फीस लेने के लिए। (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिए, परसादीलालजी, विराजिए।

श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी : सभापति महोदया, ये केवल राजनीति कर रहे हैं, राजनीति। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : इनको +++ नहीं आती। (व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : तो इनको जानते कि ये स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करते हैं।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री परसादीलाल मीणा : इनके पिताजी जेल में गये थे। उनके पिताजी जेल में भी गये थे, क्या, बोलो?

श्री सभापति : फिर, आप बिराजिए, परसादीलालजी। यह वाद–विवाद का विषय नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : आप भी इन्दिरा गांधी की जेल में रहे हैं और इमरजेंसी में मैं भी रहा हूं।

श्री सभापति : विराजिए। (व्यवधान) बोलने दें अब। अमरारामजी। (व्यवधान) माननीय सदस्य, शांति रखें।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय सभापति महोदया, मैं स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान सीकर के श्री कल्याण अस्पताल की व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहूंगा कि सीकर जिले में एक मात्र 'ए' क्लास का हास्पिटल है जिसमें इस कदर अव्यवस्थाएं हो रही हैं कि इण्डोर पेशेंट्स को जो भोजन और दूध की व्यवस्था थी वह पिछले डेढ़ महीने से बंद है। सभापति महोदया, केवल वही व्यवस्था नहीं, बल्कि अस्पताल की आज यह हालत है कि अस्पताल में जितने भी शौचालय हैं उनकी हालत यह है कि स्वस्थ व्यक्ति, अगर अटेंडेंट दो दिन उनके अन्दर चला जाए तो वह बीमार हो जाए। आज अस्पताल की अव्यवस्थाओं की हालत यह है कि रात्रि को दस–दस कुत्ते, एक–एक इण्डोर बोर्ड में आपको मिल जायेंगे, कभी भी आप चैकिंग करके देख लें। पूरे अस्पताल में गंदगी का साम्राज्य है। कोई प्रशासन नहीं, कोई डाक्टर कभी आए या नहीं आए। आज अस्पताल मे जो तमाम डाक्टर हैं उनका सीकर के प्राइवेट अस्पतालों में बोर्ड लगा हुआ है। जो भी गरीब पेशेंट उस अस्पताल में आता है, उसको इस बात के लिए बाध्य किया जाता है कि वह उस प्राइवेट हास्पिटल में, जहां वे डाक्टर जाते हैं, जाकर दिखाएं या उनके घर जाकर दिखाएं। उस अस्पताल में डाक्टर और नर्सिंग स्टाफ भी, बेकदर अव्यवस्था का शिकार है। सीकर जिले की तमाम जनता इन अव्यवस्थाओं की शिकार है।

सभापति महोदया, केवल यही नहीं, नेशनल हाइवे नम्बर 11 है, जिस पर आए दिन इतने बड़े एक्सीडेंट होते हैं जिसमें दस–दस लोग एक साथ मरते हैं, उनके लिए दवाई की व्यवस्था होती है, क्यों कि जब एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट होने वालों के साथ कोई भी उनका परिजन नहीं होता है उनके लिए कोई दवाई लाकर देने वाला नहीं होता है, हर एक्सीडेंट में न उनके लिए दवाई मिलती है, न उनका सही तरह से क्योर होता है। इसलिए जो अव्यवस्था है, मैं स्वास्थ्य मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहूंगा कि अस्पताल में जो बड़े लोग हैं, जो पैसे वाले हैं वे प्राइवेट हास्पिटल में इलाज करा सकते हैं लेकिन बहुमत जनता जो गरीब है, जो सरकारी अस्पताल से फायदा उठा सकती है उस व्यवस्था को बिल्कुल अव्यवस्थित कर दिया गया है। मैं मंत्री महोदय से

(श्री अमराराम)

चाहूंगा कि उसकी व्यवस्थाओं को ढंग से करें जिससे जनता का लाभ हो सके और जनता का जो पैसा लग रहा है उसका सदुपयोग हो। ऐसी अव्यवस्थाओं को मिटाने की मंत्रीजी व्यवस्था करेंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री लक्ष्मण सिंहजी।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : सभापति महोदया, अभी पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा के कारण से उत्पन्न हुई स्थिति की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित किया गया, मैं दक्षिणी राजस्थान, विशेषकर उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा इत्यादि में जो वर्षा की कमी है उसकी तरफ सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

सभापति महोदया, आज के पेपर में स्टेटमेंट आया है कि किन–किन जिलों में औसत से कम वर्षा हुई है उनमे राजस्थान के जितने भी जिले हैं उनमें से चार जिले दक्षिणी राजस्थान के हैं, उदयपुर सम्भाग के जिले हैं। जुलाई के महीने में वहां पर करीबन 25 से 48 प्रतिशत औसत वर्षा की कमी हुई है। इसलिए सबसे पहले तो मैं सरकार से और माननीय राहत मंत्रीजी, अगर वे सुन रहे हैं तो उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया इस विषय के ऊपर वे एक डिटेल्ड स्टेटमेंट सदन के सामने प्रस्तुत करें। वे कल से नहीं,अगले 3 दिन के बाद में, एक–दो तारीख के बाद में 3 तारीख को या 31 तारीख को डिटेल्ड स्टेटमेंट दें कि दक्षिणी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में किन–किन जिलों के अन्दर क्या–क्या स्थिति है।

इसके साथ ही सभापति महोदया, सरकार को अभी से अपनी तैयारियां शुरू करनी चाहिए तीन विषयों में। पहला तो घास की कमी इस वर्ष अत्यधिक होने वाली है इसलिए किन–किन स्टेट्स से हमको घास मंगवानी है उसके विषय में अभी से कार्य–योजना बनानी चाहिए। जो कई एडजोइनिंग स्टेट हैं, वहां पर वर्षा ठीक हो रही है, जैसे पंजाब और हरियाणा है, वहां पर बरसात ठीक है। उत्तर–प्रदेश में बरसात ठीक है तो वहां से घास मंगाने के लिये अभी से सरकार को पाइप–लाइन के अन्दर अपनी योजना डालनी चाहिये। इसके साथ–साथ अकाल राहत की डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटीज को भी गठित करने की आवश्यकता के ऊपर अभी से सोचना चाहिये और कलक्टर्स को यह निर्देश दिये जाने चाहिये कि अगर यही स्थिति कुछ दिनों और बनी रहती है तो कौन–कौन से अकाल राहत कार्य शुरू करने हैं। अकाल राहत कार्य शुरू करने के विषय में सरकार को गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। इसके साथ–साथ में जो पेयजल की सबसे विकट स्थिति होगी, उसके लिए किस प्रकार से अगले आने वाले समय में लोगों को राहत देंगे, राहत कार्य शुरू करवाएंगे किस प्रकार से पेयजल की व्यवस्था बनाएंगे और किस प्रकार से घास का इन्तजाम करने वाले हैं, इस विषय में सरकार का एक स्टेटमेंट हो। मैं इसकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री शिवकिशोर सनाढ्य।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : सभापति महोदया, मैं दो निवेदन करना चाहता हूं। एक तो यह है कि अभी बजट के अन्दर जो निजी विद्यालय है, उनके ऊपर भूमि कर लगाया है। वह जो बिल्डिंग बनाते हैं उसके लिए न तो आप उनको जमीन देते हैं और अगर आपने उनके ऊपर इस तरीके से कर लगाया तो इसकी वजह से क्या होने वाला है? यह सरकार अनपापूलर होगी और यह जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले निजी विद्यालय हैं, यह धीरे–धीरे समाप्त हो जाएंगे अगर इस तरीके से इन पर कर लगाया गया तो। जो बहुत पैसा लेते हैं उनके ऊपर अगर किसी तरह से कर की व्यवस्था की जाए तो ठीक है। यह कर नहीं लगाये जाएं, यह मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।

दूसरा आपके माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज उदयपुर की सारी कोर्ट्स बन्द हैं। हाई कोर्ट की बैंच को लेकर जो अधिवक्ता आन्दोलन कर रहे थे, उन अधिवक्ताओं का एक डेपुटेशन जयपुर में आया हुआ है। और अगर, इस तरीके से वहां पर यह कोर्ट्स बन्द रहे और अधिवक्ताओं की हड़ताल चलती रही तो न्याय मिलना मुश्किल हो जाएगा। आज अपराध के कारण से जो सैकड़ों गरीब लोगों को पुलिस ने पकड़ रखा है, उन सबको न्याय नहीं मिल पाएगा। मैं राजस्थान सरकार का इस तरफ भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 1940 में हाई कोर्ट मेवाड़ में था और उसके अन्दर थे, जवान सिंहजी राणावत, पहले वहां के जज रहे है। और इस तरीके से हाई कोर्ट की बैंच थी। जब राजस्थान के अन्दर मेवाड़ का मर्जर हुआ, भोपालसिंहजी ने मर्जर किया तो सबसे पहले यह आश्वासन दिया गया था कि अगर हाई कोर्ट यहां पर रही है तो कम से कम वहां पर आपकी हाई कोर्ट की बैंच लगने लग जाएं, महीने में एक दिन लगे, दो दिन लगे तो वहां के जो आदिवासी, जो कुशलगढ़, बिछीवाड़ा में है, बिछीवाड़ा जो गुजरात की सीमा से मिलता है, कुशलगढ़ जो मध्य प्रदेश की सीमा से मिलता है, इन दूर के लोगों को, वनवासियों को लाभ मिल सकेगा। इस बात की चिन्ता की जानी चाहिये कि उदयपुर की कोर्ट्स अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण बन्द है, यह लम्बे समय तक नहीं चले। इस तरफ मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूँ।

श्री सभापति : श्री रतनलाल ताम्बी–(अनुपस्थित)। श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ जो एक अन्याय हो रहा है, उसी प्रकार की एक घटना परसों घटी है, हमारे यहां एक बड़वासर माता का एक मन्दिर है, जो मीणा समाज का सबसे बड़ा मन्दिर है, यह सपोटरा के अन्दर आता है, पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, वहां डकैत आये और डकैतों ने आकर के माता के जो गहने थे, उनको चुराया। इन

(श्री रामस्वरूप मीणा)

गहनों के अन्दर एक तो माताजी की नथ है, उसकों ले गये, कुण्डल ले गये, कनगटी ले गये, मुकुट ले गये और तीन सोने की चूड़ियां चुरा कर ले गये। इसके साथ चार चांदी के गहने ले गये, पैरो की चूड़ियां, छत्र वगैरह और बीस हजार रुपये नकद ले गये। बड़वासर माताजी का मंदिर सपोटरा तहसील के अन्दर है, हमारे मीणा समाज के उसके पुजारी थे, उसको गम्भीर रूप से घायल किया क्योंकि उसने एक व्यक्ति को उनमें से पहचान लिया था जो भेद देकर के वहां उन डकैतों को लाया था। पहचान भी लिया, माननीय गृह मंत्रीजी, उसमें से एक व्यक्ति को। आपकी पुलिस बाद में गयी थी वहां मौके पर लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वह डकैत वहां से भाग चुके थे। माननीय सभापति महोदया, मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि आये दिन मूर्ति चोरी की घटनाएं, इस प्रकार की डकैतियां मन्दिरों के अन्दर बढ़ती चली जा रही है।

श्री सभापति : विराजिये, ध्यान आकर्षित हो गया।

श्री रामस्वरूप मीणा : यह बड़े दुःख की बात है। कृपया, आप हमारे मीणा समाज के साथ न्याय करेंगे और निर्देश देंगे ताकि उन बदमाशों को तुरन्त पकड़ा जा सकें और वहां शांति स्थापित हो सकें। वहां पर अशांति फैल रही है जगह–जगह। बाहर एक–डेपुटेशन भी आया हुआ है जो आपसे मिलना चाहता है।

श्री सभापति : बिराजिये हो गया ध्यानाकर्षण। बिराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : बड़वासर माता की डकैता का पता लगाया जाए, साहब, तुरन्त ही। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री नाथूराम अहारी।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : माननीय सभापति महोदया, वैसे मेरे से पहले दक्षिणी राजस्थान के चार जिलों का हवाला माननीय रावत साहब ने दिया है, मैं उनका समर्थन करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि डूंगरपुर में मैं अभी आया था, 25 तारीख को मीटिंग थी, पूरे जिले के कार्यकर्ता आये थे, वहां पर एक बरसात हुई थी 15 और 16 को, तो फसल कई लोगों ने बो दी थी, वह नष्ट हो गयी और फिर 29 और 30 को फिर बरसात हुई, फिर बोई, वह भी आज खतम हो गयी है। घास बिल्कुल नहीं है। तालाबों में बिलकुल पानी नहीं आया है। इस टाइम तालाब लबालब भरे रहते थे लेकिन तालाबों में बिलकुल पानी नहीं आया है। हैण्डपम्पों में भी पानी नहीं है। तो मैं अकाल राहत मंत्रीजी से और सरकार से यह निवेदन करता हूं कि डूंगरपुर जिले में जल्दी से जल्दी कोई टोली भेजकर के इसका सर्वेक्षण करें और एक दो दिन में सर्वे करवा करके स्पष्टीकरण दें कि वहां क्या कर रहे हैं, इस अकाल राहत में आप कितनी तैयारी कर रहे हैं? यह मैं मंत्रीजी का ध्यानाकर्षण करता हूँ।

श्री सभापति : श्री शंकरलालजी। बिराजिये। आपको दुबारा बुलवाएंगे। आपका नाम पुकारा था, आप नहीं थे।

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : माननीय सभापति महोदया, मैं अकाल राहत

(92)

(श्री शंकरलाल अहारी)

मंत्रीजी का ध्यान दिलाते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि डूंगरपुर जिले में वर्षा नहीं हो रही है और वर्षा के न होने से काफी लोगों को, काफी किसानों को परेशानी हो रही है। वहां के किसान काफी भयभीत हो रहे है। ऐसी परिस्थिति में वहां सबसे पहले घास की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं के लिये मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वह हमको व्यवस्था पहले से करवाये और यहां से एक अध्ययन टोली को भी भेजें ताकि हमारा पूरा सर्वे करके सरकार को निवेदन कर सकें।

श्री सभापति : विराजिये, हो गया।

श्री शंकरलाल अहारी : और वहां पर अकाल का काम चालू कराने का अनुरोध करता हूं।

श्री सभापति : श्री रतनलालजी।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय सभापति महोदया, राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने 29.5.1998 को एक स्थानान्तरण की नीति प्रसारित की और उस नीति के अन्तर्गत बताया कि स्थानान्तरण किनको करना चाहिये और उसमें निश्चित अवधि दी है 15 जून तक, उसके बावजूद पंचायत समितियां और जिला परिषद पुरानी तारीखें लगाकर–लगातार स्थानान्तरण कर रही है, कैन्सिल कर रही है और इन दिनों में एक तरह से यह उद्योग–धन्धा बना हुआ है। भीलवाड़ा जिले के शिक्षक संघ ने भी इसमें काफी भ्रष्टाचार और काफी पैसा लेने–देने की बातें कही हैं और मुझसे भी कुछ अध्यापक मिलते रहे हैं। उन लोगों ने जो बताया, उसके अनुसार उस नीति की पूरे तौर से पालना नहीं होकर के खुले आम दुरुपयोग हो रहा है। शिक्षा विभाग ने अपनी नीति के बिन्दु 21(2) ,उसमें प्रशासनिक दृष्टि से स्थानान्तरण के लिये यह प्रावधान किया है कि यदि कोई शिकायत किसी की है तो उसके लिये सरसरी जांच की जाएगी, उन व्यक्तियों को सुना जाएगा और सुनने के बाद में प्रशासनिक स्थानान्तरण करने का निर्णय होगा। पंचायत–राज में प्रशासनिक स्थानान्तरण के नाम पर.....

श्री सभापति : हो गयी बात, बिराजिये।

श्री रतनलाल ताम्बी : पंचायत समिति से बाहर स्थानान्तरण किये है।

श्री सभापति : ध्यानाकर्षण हो गया।

श्री रतनलाल ताम्बी : यह पूरा नहीं हुआ, साहब।

श्री सभापति : पूरा हो गया।

श्री रतनलाल ताम्बी : पंचायत समिति के बाहर भी बड़ी तादाद में स्थानान्तरण करके दुर्भावना के साथ परेशान किया जा रहा है, राजनैतिक तौर से। इसलिए मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि स्थानान्तरण की नीति के खिलाफ भीलवाड़ा जिले में पंचायत समिति और जिले में जो भी स्थानान्तरण किये हैं, उनकी पूरी तौर से

(श्री रतनलाल ताम्बी)

जांच कर जिन अधिकारियों ने नियमों का उल्लंघन किया है, उनके खिलाफ कार्यवाही करके, साधारण तन्ख्वाह के अध्यापकों को एक कोने से दूसरे कोने में डालकर जो परेशान किया जा रहा है, उनको वापस उन्हीं पंचायत समितियों में जहां पर वे थे, यदि उन पर कोई आरोप है, जांच है .....

श्री सभापति : बिराजिये, बात हो गयी। बिराजिये।

श्री रतनलाल ताम्बी : तो स्थानान्तरण हो, वरना किया गया स्थानान्तरण निरस्त किया जाए।

श्री सभापति : श्री बनवारीलाल जी।

श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। टौंक एक बहुत ही मजहब और मुख्तलिफ जगह थी, बहुत सुसभ्य लोग वहां रहते हैं लेकिन पिछले दिनों से कुछ गैर–मामूली बातें हो रही है। पिछले सप्ताह काफी चाकूबाजी के केस हो गए, जबकि टौंक की यह परम्परा नहीं रही है। एक नौजवान जिसका नाम जावेद इकबाल था, उसका अमावस्या के दिन सरे आम भरी दोपहर कतल कर दिया गया। उसके मुल्जिमान के पकड़ते–पकड़ते दूसरा वाकया फिर 25 तारीख को हो गया। कुछ असामाजिक तत्वों ने मिलकर एक जावेद मसूद नाम का एक नौजवान था, बहुत अच्छा आफिसर था, उसको घेर लिया और उसको मजूह कर दिया और आज वह यहां अस्पताल के अन्दर पड़ा है। माननीय गृह मंत्रीजी, मैं आपका ध्यान इसलिए आकर्षित कर रहा हूं कि दो घटनाएं नहीं है, उनके पीछे बहुत गंभीर साजिशें चल रही हैं और अगर यह वाकियात चलते रहें तो मामलात बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करके यह बात कहना चाहता हूं कि जिस तरीके की आज वहां हरकतें और जो बातें चल रही हैं, उनके ऊपर आप ध्यान दें और व्यवस्था को सुदृढ़ और सुनिश्चित करें। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रामनारायण जी चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : सभापति महोदया, मेरे निर्वाचन क्षेत्र मण्डावा के कुछ गांवों में पीने के पानी की बड़ी भारी समस्या उत्पन्न हो गयी है। लूटू रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम के तहत 32 गांव आते हैं, मान्यवर, जिनमें एक गांव टमकोर भी आता है, उस गांव की जनसख्या 6,000 है। जो गरीब तबका है उनको खारा पानी दिया जा रहा है और आधे गांव को, जो सम्पन्न लोग हैं, उनको मीठा पानी सप्लाई किया जा रहा है, जबकि दोनों से बराबर का बिल वसूल किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस भेदभावपूर्ण नीति को मिटाया जाये और पूरे गांव को मीठा पानी दिया जाये। भूदा का बास, राणासर, ढाणी चारण आदि गांवों में माननीय मंत्री महोदय 1994 में मई–जून के महीने में गए थे और उन्होंने आदेश दिया

(श्री रामनारायण चौधरी)

था कि भूदाकाबास और राणासर व ढाणी चारण को नई लाइन डालकर जापासर से जोड़ दिया जाए। मान्यवर, वह लाइन डल गयी, चार साल हो गए अभी तक एक बूंद पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। इसी तरह से इसी गांव में इसी स्कीम से मुखा का बास गांव है, उसको आज तक सप्लाई नहीं मिली। गांव को जोड़ रखा है लेकिन पानी नहीं जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पीने के पानी की भयंकर समस्या है। ऐसे ही पंचायत समिति अल्सीसर में एक खातियों की ढाणी तथा पाटोदा में आज एक साल हो गया, विधायक के कोटे से एक हैण्डपम्प स्वीकृत है लेकिन अब तक वह नहीं लगाया जा सका है। मैं आपके मार्फत से पी. एच. ई. डी. के मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं कि संकटग्रस्त गांवों को पानी दें। मल्सीसर में पाइप लाइन डाल दी गयी है, उसकी सप्लाई भी अभी चालू नहीं की।

श्री सभापति : श्री फतेहसिंह– (अनुपस्थित)। श्रीमती शशीदत्ता।

श्रीमती शशीदत्ता (टीबी) : माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान एक बहुत अहम् समस्या की ओर आकर्षित करना चाहूंगी। मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में मैस में जो कर्मचारी कार्यरत हैं, माननीय मंत्रीजी के नॉलेज में है पूरा, बीस–बीस, इक्कीस–इक्कीस साल से कार्यरत हैं उन लोगों को आज तक माननीय उपाध्यक्ष महोदया......

श्री सभापति : श्रीमती शशीदत्ता।

श्रीमती शशीदत्ता : हां, कल बनने वाली हैं न इसलिए। माननीय सभापति महोदया, इसमें सबसे बड़ी जो विसंगति है, यहां एक लम्बी–चौड़ी सूची मैं माननीय मंत्री महोदय को पेश करना चाहूंगी और आरोप भी लगाना चाहूंगी कि इस सूची में जो व्यक्ति हैं, वह सभी या तो अनुसूचित जनजाति के हैं या अनुसूचित जाति के हैं, गुर्जर हैं, कोली हैं, माननीय मंत्रीजी, किस दुर्भावनावश या किन कारणों से इन व्यक्तियों को आज दिन तक स्थायी कर्मचारी नहीं माना। मात्र 540 रुपए में ये लोग अपना किस तरह से इस शहर में जीवनयापन करें? एक कमरे में 15–15, 20–20 लोग रह रहे हैं। सबसे बड़ी बात, माननीय सभापति महोदया, मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगी कि यह कहते हैं कि यह डैली वेजेज के हैं......

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : यह डैली वेजेज के नहीं हैं।

श्रीमती शशीदत्ता : इनको अनुबन्ध पर रखा हुआ है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को दिखाना चाहूंगी कि यह मस्टर रोल आप लोगों का भरा हुआ है। इस पर आपके वहां के चीफ वार्डन के हस्ताक्षर हैं, आपके यहां जो भी अन्य अधिकारीगण हैं, उनके भी हस्ताक्षर हैं। बार–बार यह आपके नॉलेज में भी आता है लेकिन यह आज तक मैं समझ नहीं पायी हूं कि किस दुर्भावना से आप इनको आज तक कन्फर्म नहीं कर रहे हैं, एक बात।

(श्रीमती शशीदत्ता)

मेरा दूसरा स्पेसिफिक प्रश्न, माननीय मंत्री महोदय, आपसे यह है कि यह जो लिस्ट है इसमें यह लोग आपके विरुद्ध हाई कोर्ट में गये, इन लोगों की एक लम्बी सूची है और हाई कोर्ट ने यह फैसला देते हुए आपको आदेश दिया है, मैं इसकी लास्ट लाइनें आपको पढ़कर सुना रही हूं।

"पैरा संख्या–दो में वर्णित सूची के अनुसार सभी श्रमिक मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के ही कर्मचारी हैं। उपरोक्त समस्त श्रमिक, जिन्हें विपक्षी संस्थान की सेवा में दो वर्ष से अधिक का समय पूर्ण हो चुका है, विपक्षी संस्थान में प्रचलित नियमित न्यूनतम पद की न्यूनतम वेतन श्रृंखला दिनांक 1.1.97 से प्राप्त करने के अधिकारी है।"

माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि अगर वह किसी दुर्भावना से ग्रसित हैं या कोई त्रुटि है, मेरे ख्याल से इस आदेश में कोई त्रुटि नहीं है, माननीय मंत्री महोदय, और यह गरीब कर्मचारी, जो 1976 से आपके यहां कार्यरत हैं, कुछ लोग उससे पहले से भी कार्यरत हैं तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि जब फैसला हो चुका है तो इनको तुरन्त आप नियमित वेतनमान देने का निर्णय करें और मैं तो यह आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि सदन में घोषणा करें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। धन्यवाद।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (उच्च शिक्षा मंत्री) : माननीय सभापति महोदया, बीस वर्ष से तो यह काम मेरे पास नहीं है, पिछले चार वर्षों से चेयरमैन के नाते मैं इस काम को देख रहा हूं। मेरी जानकारी में यह बात नहीं है कि यह किस संवर्ग के अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं और जो आपने अभी हाई कोर्ट के फैसले की चर्चा की है, इसको मैं दिखवाऊंगा और दिखवाने के बाद अगर हाई कोर्ट का ऐसा आदेश होगा और नियमों में होगा तो निश्चित रूप से इनको कन्फर्म करूंगा। अभी एट रेंडम कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं, न कोई दुर्भावना है। उन्होंने आरोप भी क्या लगाया मैं तो समझ नहीं सका। अच्छा होता अगर वह इसको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या अन्य किसी माध्यम से लातीं तो मैं पूरी तैयारी करके आता और यहां बातें करता। एबरप्टली कोई सवाल उठाया है तो मैं इसको दिखवाऊंगा और दिखाकर जो करना सम्भव है, वह करूंगा।

श्री सभापति : श्री चुन्नीलाल गरासिया–(अनुपस्थित)। श्री अर्जुनदास मदान, सभापति, जन लेखा समिति.......(व्यवधान)

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री मोहनलाल मोदी, सदस्य का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : सभापति महोदया, अध्यक्ष महोदय ने मुझे स्पष्टीकरण देने के लिए टाइम दिया था। मैं अपना स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। श्री मदन

(श्री मोहनलाल मोदी)

दिलावर, समाज कल्याण मंत्री ने 16.7.98 को मेरे प्रति गलत आरोप लगाए। मैंने विशेषाधिकार दिया उस पर तो कोई निर्णय हुआ नहीं लेकिन मैं अपना यह स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि उन्होंने यह कहा कि यह मेरे घर आये थे। दूसरा, उन्होंने यह कहा कि 9 छात्रावास मैंने ऐसे बन्द करा दिये जिसका पैसा ये उठाते थे और सामान घर ले जाते थे। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि मैं कौनसे छात्रावास चलाता था, मैं किस तरह से छात्रावासों के पैसे ले गया और कैसे मैं सामान ले गया? मैंने न कोई छात्रावासों के पैसे कभी लिये, न कोई सामान कभी लिया, न उन्होंने वहां 9 छात्रावास बन्द किये। यह सारी इस हाउस में ऐसी बयानबाजी की है, मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि या तो वे इस सदन में माफी मांगे या अपने इस कथन पर खेद व्यक्त करें। ऐसी असत्य बात करना, मेरे जैसा व्यक्ति, उनका मैंने कभी घर देखा नहीं, उन्होंने यह कह दिया कि मेरे घर आये थे आप, इसलिए गये थे कि छात्रावास बंद कर दिये। मैं आज तक कोई दो–चार मंत्रियों के सिवाय किसी के घर नहीं गया हूं, न मैं कभी कोई ट्रांसफर की राजनीति करता हूं। मैं तो बहुत अपने हिसाब से चलने वाला आदमी हूं। मेरे पर इस तरह का आपने आरोप लगा दिया। आप या तो जांच करायें या उनसे खेद व्यक्त करायें। कम से कम यह जांच तो होनी चाहिये।

श्री सभापति : श्री अर्जुनदास जी।

श्री मोहनलाल मोदी : मैं मंत्री के कथन की, मंत्री की +++ करता हूं और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इसकी जांच करायें।

श्री अर्जुनदास मदान (सभापति, जन लेखा समिति) : सभापति महोदया, मैं जन लेखा समिति, 1997–98 के निम्नांकित तीन प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

श्री मदन दिलावर (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : सभापति महोदया, आपने यह कहा है कि मैंने आरोप गलत लगाया है। मैंने जो कहा है वह सत्य है। डूंगरपुर के नौ छात्रावास मैंने बंद इसलिए किये थे क्योंकि जो संस्थाएं चल रही थीं वे संस्थाएं पैसा तो समाज कल्याण विभाग से ले रही थीं परन्तु वहां बच्चे नहीं हैं और पैसा वैसे ही उठा रही थीं। यह रिकार्ड पर है और इसलिए बंद किये क्योंकि उनके पैसे इनकी पार्टी के राजनीतिक कार्यकर्ता थे और इन्होंने मेरे को सिफारिश की थी कि इनको बन्द मत करो, आरोप नहीं था वो, वो सच था........

श्री मोहनलाल मोदी : किसकी बात कर रहे हैं? आप डूंगरपुर की बात कर रहे हैं। क्या समझ रहे हैं आप? आप मेरे को समझे क्या अभी तक? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : डूंगरपुर से क्या लेना–देना। नीमकाथाना, सीकर के रहने वाले हैं, डूंगरपुर के छात्रावास बंद किये और मोदीजी से कह रहे हैं। (व्यवधान)

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(97)

श्री मोहन लाल मोदी : क्या डूंगरपुर के 9 छात्रावास बंद किये हैं आपने? आपने सारे राजस्थान में......(व्यवधान)......डूंगरपुर से मेरा क्या सम्बन्ध है?.....(व्यवधान).....

श्री परसादी लाल मीणा : क्या कोई पत्र लिखा है माननीय सदस्य ने? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : उन नौ छात्रावासों का नाम बताएं। उनको कौन चलाते थे? उनका नाम बताएं वरना किस तरह कहां.. .(व्यवधान).....

श्री मोहन लाल मोदी : ऐसे +++ मंत्रियों को कांग्रेस के.....(व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजें आप।

श्री मोहन लाल मोदी : मैंने कोई पत्र लिखा हो तो बता दीजिये। मैं आपके घर गया हूं तो बता दीजिये। (व्यवधान) इस तरह की बात करते हो +++

एक माननीय सदस्य : +++ आपको। (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजें।

श्री मोहन लाल मोदी : ऐसे मंत्री को +++ (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : पत्र लिखा है तो अभी बताइये? लिखा है तो बताइये। (व्यवधान) डूंगरपुर में इनका क्या लेना–देना? (व्यवधान)

श्री नारायण सिंह : डूंगरपुर की बात कर रहे हैं, यह नीमकाथाना की बात है?

श्री परसादी लाल मीणा : डूंगरपुर में या कहीं भी इन्होंने कोई पत्र लिखा है आपको, कभी आपके पास आफिस में गये हैं, उसका विवरण दें या माफी मांगनी चाहिये। गलत– सलत बयान देकर बैठ जाते हैं यहां। (व्यवधान) +++

श्री सभापति : बिराजिये।

श्री मोहन लाल मोदी : कभी आपके घर छोड़कर दफ्तर ही नहीं गया।

श्री परसादी लाल मीणा : आप बताइये इनका पत्र कोई हो तो, नहीं तो सदन से माफी मांगिये। +++ (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिये। (व्यवधान)

श्री नारायण सिंह : इनके दफ्तर जाएं तो इनके घर समझते हैं क्या?

श्री सभापति : बिराजिये।

श्री मोहन लाल मोदी : लेकिन मैं कभी गया नहीं। इन्होंने कहा कि नौ छात्रावास डूंगरपुर में बंद किये। अब नीमकाथाना में तो हैं नहीं, नीमकाथाना में तो बंद नहीं किये.....(व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : आप इनको प्रताड़ित करें। या तो माननीय सदस्य का कोई प्रमाण बतायें ये कभी इनसे मिले, इनसे कोई सिफारिश की, इनसे कोई याचना

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री परसादी लाल मीणा)

की तो यह बतायें या इनसे माफी मांगे। (व्यवधान) +++ यह बी. जे. पी. के नाम पर +++ है। ऐसे लोग सरकार के नाम पर +++ बैठे हैं इधर। बताइये पत्र। (व्यवधान)

श्री नारायण सिंह : आपके घर कौन जाता है, घर नहीं दफ्तर में.....(व्यवधान) मिले नहीं आपसे। ऐसा व्यवहार, इस तरह की भाषा का प्रयोग करने वाले आदमी हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिये आप। (व्यवधान) आपकी बात हो गयी। उनका स्पष्टीकरण भी हो गया, इन्होंने खण्डन भी कर दिया, बिराजें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : छात्रावास बंद किये तो उन आदिवासी जनजाति छात्रों का गला घोंटा है।

श्री मोहन लाल मोदी : डूंगरपुर का क्या लेना–देना है? (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : स्पष्टीकरण क्या हो गया? नीमकाथाना, सीकर से है और वो डूंगरपुर की कह रहे हैं। (व्यवधान) मोदीजी कभी गये ही नहीं.....(व्यवधान).....

श्री परसादी लाल मीणा : सदन से माफी मांगिये आप। (व्यवधान) यह माननीय सदस्य का अपमान नहीं, पूरे सदन के सदस्यों का अपमान है। अकेले सदस्य का अपमान नहीं है, पूरे सदन का अपमान है।

श्री सभापति : उनका खण्डन हो गया, बिराजें। (व्यवधान) श्री धनखड़ जी बिराजिये।

श्री मोहन लाल मोदी : खण्डन कहां हुआ है?

श्री परसादी लाल मीणा : ऐसे +++ मंत्रियों से हम नौ साल में नहीं मिले हैं। (व्यवधान) हमको बता रहे हैं कि यह कितने +++ लोग हैं।

श्री सभापति : बिराजें आप।

श्री परसादी लाल मीणा : आप बतायें कोई हमारे सदस्य का पत्र हो तो, नहीं तो माफी मांगे। (व्यवधान) माफी मांगनी चाहिये, माफी मांगिये।

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदया, समाज कल्याण पर जब कुछ प्रश्न–उत्तर चल रहा था तब माननीय सदस्य ने खड़े होकर यह कहा कि मदन दिलावर समाज कल्याण का सारा पैसा खा गया, तब मैंने यह बात कही। यह कहते हैं कि रिकार्ड बताइये। आपस में चर्चा करने का रिकार्ड होता है क्या? और इस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं यह।

श्री मोहन लाल मोदी : मैं तो जांच कराओ तो जांच साबित करा दूं। सभापति महोदया, जांच कराओ। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : हम मदनजी दिलावर पर आरोप नहीं लगाते, सरकार के खिलाफ आरोप लगाते हैं, पर्सनल मदन दिलावर पर नहीं लगाते, आपको ख्याल होना चाहिये।

श्री सभापति : बिराजिये आप।

+++ शब्द / अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री मदन दिलावर : पर्सनल आपने मदन दिलावर पर कहा है कि मदन दिलावर समाज कल्याण का पैसा खा गया।

श्री परसादी लाल मीणा : मदन दिलावर से नहीं, राज्य सरकार से हमारा आशय होता है न कि कोई मदन दिलावर या भंवरलाल शर्मा से। (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिये, हो गयी बात।

श्री परसादी लाल मीणा : आप इसको व्यक्तिगत लेते हैं। एक सदस्य का अपमान नहीं पूरे सदन के सदस्यों का अपमान किया है।

श्री नारायण सिंह : इन दोनों की जांच हो....(व्यवधान).....मोहनजी हैं या दिलावर जी हैं.....(व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिये। उनका स्पष्टीकरण हो गया, बात पूरी हो गयी। उनका स्पष्टीकरण हो गया, बिराजें आप। (व्यवधान) श्री अर्जुनदास मदान।

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदया, मैं कहना चाहता हूं......

श्री सभापति : चौधरीजी आप वरिष्ठ सदस्य हैं, बिराजें हो गया। उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया, बात पूरी हो गयी।

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदया, विवाद का विषय है अभी।

श्री सभापति : नहीं है विवाद का विषय। बिराजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : एक मिनट सुनिये।

श्री सभापति : बिराजिये। शून्यकाल में विवाद का विषय नहीं, बिराजें आप। उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया, बात हो गयी। बिराजें आप।

श्री रामनारायण चौधरी : आप सुनिये तो सही।

श्री सभापति : बिराजें। हो गया।

श्री रामनारायण चौधरी : क्या हो गया?

श्री सभापति : बात हो गयी और क्या।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सदस्य 25 साल पहले.......(व्यवधान)

श्री सभापति : नहीं बिराजें। इस पर चर्चा नहीं। स्पष्टीकरण हो गया।

श्री मोहन लाल मोदी : माफी मांगनी चाहिये। मंत्री महोदय को माफी मांगनी चाहिये।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सदस्य 25 साल पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं।

श्री नारायण सिंह : प्रोसिडिंग में है और हमेशा रहेगा।

श्री परसादी लाल मीणा : या तो मदन दिलावरजी माफी मांगे नहीं उनके गुरुजी, चतुर्वेदी जी माफी मांगे। (व्यवधान) ऐसे शिष्य पालना ठीक नहीं है। ऐसे हल्के लोगों को आप मुंह मत लगाइये। (व्यवधान)

श्री अर्जुनदास मदान : सभापति महोदया, मैं जन लेखा समिति के 1997–98 के___ (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री मोहन लाल मोदी : XXX

श्री परसादी लाल मीणा : XXX

श्री नारायण सिंह : XXX

श्री सभापति : बिराजिये आप, अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा।

श्री रामनारायण चौधरी : XXX

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदया, अनुदान की मांगों पर.....(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आपको मालूम है क्या बात है?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं आपकी अनुमति से बोल रहा हूं और आप खड़े हो गये।

श्री सभापति : बिराजें तो सही आप।

श्री रामनारायण चौधरी : बात तो सुनो।

मान्यवर, विवाद का विषय यह है कि माननीय मदन जी दिलावर ने समाज कल्याण की मांगों पर बोलते हुए माननीय सदस्य, श्री मोहनलाल जी मोदी जो नीमकाथाना से आ रहे हैं उन पर यह आरोप लगाया......

श्री सभापति : यह बात हो गयी, बिराजिये। मोदीजी ने कह दी यह बात।

श्री रामनारायण चौधरी : कही है न उन्होंने बात, तो उस पर जवाब दें। क्या, माननीय मंत्री महोदय, मोदीजी आपके पास आये थे?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : प्रक्रिया नियमों में बहुत व्यवस्थाएं हैं उसके अन्तर्गत आइये। यह बिना विषय के ही क्या है? हो गया जो भी होना था।

श्री मोहन लाल मोदी : बिना विषय कैसे हैं? एक मंत्री हाउस को धोखे में रखे......

श्री सभापति : बिराजिये, मोहनजी मोदी, आपकी बात हो गयी।

श्री मोहन लाल मोदी : हाउस में गलत बयानी करें, हाउस के अन्दर गलत बयानी करना, दूसरा कोई तरीका नहीं है?

श्री परसादी लाल मीणा : हाउस में कही है यह बात। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : इन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया।

श्री परसादी लाल मीणा : प्रक्रिया, क्या है प्रक्रिया? हाउस में कही है यह बात।

श्री सभापति : हाउस में कही है तो हाउस में स्पष्टीकरण हो गया। (व्यवधान) बिराजिये आप। हाउस में इसका स्पष्टीकरण हो गया।

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय को ताड़ना देनी चाहिये। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : इससे चतुर्वेदीजी की प्रतिष्ठा को आंच लगती है। (व्यवधान) ऐसे शिष्य रखे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय मंत्री महोदय के घर मोहनजी मोदी गये नहीं। (व्यवधान)

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री शैलेन्द्र जोशी : सचेतक महोदय पर कोई.......(व्यवधान) इसकी मर्जी आये जितना बोलें।

श्री सभापति : बिराजें।

श्री रामनारायण चौधरी : उन्होंने कहा, माननीय सदस्य मेरे पास आये थे।

श्री सभापति : चौधरीजी, बिराजें। मोहनलाल जी का स्पष्टीकरण हो गया। मोहन लालजी, आप बिराजें, यह शून्यकाल है और शून्यकाल में.....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : हाउस में कोई भी प्रश्न बिना प्रक्रिया के नहीं उठाया जा सकता है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : असत्य आरोप लगाते है। (व्यवधान) एक विधायक का एक मंत्री से मिलना दुश्वार हो गया।

श्री सभापति : बिराजें। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : मैं जांच कराना चाहता हूं। मेरी आत्मा को तकलीफ हुई है।

श्री सभापति : हो गयी आपकी बात।

श्री मोहन लाल मोदी : मैं जांच कराना चाहता हूं। जांच करवायें।

समिति का प्रतिवेदन

जनलेखा समिति, वर्ष 1997–98 का 117वां, 119वां एवं 120वां प्रतिवेदन

श्री अर्जुनदास मदान : (सभापति, जनलेखा समिति) : सभापति महोदया, मैं जनलेखा समिति, 1997–98 के निम्नांकित तीन प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं :–

(1) जन लेखा समिति, वर्ष 1997–98 के 23वें प्रतिवेदन (नवीं विधान सभा) में आबकारी विभाग से सम्बन्धित समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक 117वां प्रतिवेदन,

(2) वर्ष 1994–95 से 1995–96 तक के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में समाविष्ट यातायात विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 119वां प्रतिवेदन, एवं

(3) वर्ष 1989–90 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में समाविष्ट भू–राजस्व विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 120वां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री मोहन लाल मोदी, सदस्य का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री सभापति : बिराजें आप। व्यवधान नहीं करिये। बिराजिये।

श्री नारायण सिंह : कार्यवाही से एक्सपंज करवा दीजिये। (व्यवधान)

श्री सभापति : बात हो चुकी है, बिराजिये।

एक माननीय सदस्य : बात हो रही है लेकिन उसका क्या है? (व्यवधान)

श्री सभापति : बात हो गयी, बिराजें। आप सदन के ध्यान में ले आये।

एक माननीय सदस्य : क्या मंत्रीजी इस तरह सदस्यों पर आरोप लगायेगे। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : बात अब शुरू हुई है, हो नहीं चुकी है। क्या हमारा अधिकार नहीं है मंत्रियों से मिलना? (व्यवधान) क्या हमारा अधिकार नहीं है मंत्रियों को पत्र लिखना?

श्री नारायण सिंह : आप इनको कार्यवाही से निकालें।

श्री परसादी लाल मीणा : हमारे इलाके के सिवाय मंत्रियों से मिलना पाप है?

श्री सभापति : बिराजिये।

श्री मोहन लाल मोदी : सभापति महोदया, या तो ये माफी मांगें और मांफी नहीं मांगते हैं तो मैं वैल में धरना दूंगा।

(माननीय सदस्य, श्री मोहन लाल मोदी द्वारा सदन के वैल में धरना)

श्री सभापति : मोदीजी, आप बिराजें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मंत्रियों से मिलना दुष्कर हो गया। मंत्रियों से मिलें तो यहां पर ये क्या आरोप लगा दें?

श्री महावीर प्रसाद जैन : वो प्रोसिडिंग्स तो मंगवाओ उसमें किसने क्या कहा है, देखो। आप किसी के ऊपर कोई आरोप लगा रहे हो, श्री मदन दिलावरजी ने यह कर दिया, वो कर दिया तो वो प्रोसिडिंग्स देखनी चाहिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माफी मांगें। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : बिल्कुल बैठेंगे माफी मांगने तक। जब तक मदन दिलावरजी माफी नहीं मांगे तब तक माननीय सदस्य धरने पर बैठेंगे, हम भी इनके साथ हैं।

(माननीय सदस्य, श्री परसादी लाल मीणा द्वारा सदन के वैल में धरना)

श्री सभापति : बिराजें आप।

श्री नारायण सिंह : किसी भी मैम्बर पर कोई टिप्पणी करते हैं तो आप एक्सपंज कराते है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजिये।(व्यवधान)

श्री नारायण सिंह : बात कही और उसके बाद उस पर यह......(व्यवधान) यह प्रोसीडिंग्स में हमेशा के लिए रहेगा। (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजें। (व्यवधान)

श्री नारायण सिंह : इससे बड़ी मानहानि किसी मैम्बर के लिए दूसरी कोई हो नहीं सकती। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय सदस्य के खिलाफ टिप्पणी बहुत गलत है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें आप। (व्यवधान) माननीय चौधरीजी, आप बार–बार एक ही बात कह रहे हैं बिराजिये। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : ...... और ऐसे मंत्रीजी जिनकी छवि ऐसी, कौन उनसे मिलना चाहेगा। शालिनी शर्मा का नाम आपने ही रैफर किया था। (व्यवधान) समाज कल्याण बोर्ड का चेयरमैन बनाने के लिए। मैंने नहीं किया था।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : मदनजी की खिलावट है, यह कैसे कह दिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उन्होंने खण्डन कर दिया।

श्री रामनारायण चौधरी : कहां खण्डन कर दिया? नहीं किया। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : अपनी मर्यादा को खण्डित कर दिया। (व्यवधान)

श्री नारायण सिंह : इस कार्यवाही में रहेगी यह बात।

श्री जगदीप धनखड़ : खण्डन कहां किया है। घनश्यामजी, हर व्यक्ति की एक रेपुटेशन होती है। मोहन मोदीजी की क्या यह रेपुटेशन है? अगर ऐसी बात कही है तो यह बड़े +++ की बात है। (व्यवधान)

श्री नारायण सिंह : .....कि मोहन मोदीजी ऐसे थे, हमेशा के लिए यह बात रहेगी। (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिये। बात हो गयी। माननीय सदस्य, आप भी अपने स्थान पर पधारें। आपने अपनी बात कह दी। बिराजें। (व्यवधान) श्री अर्जुनदास मदान।

श्री अर्जुनदास मदान : सभापति महोदया, मैं दो बार उपस्थापित कर चुका हूं।

श्री नारायण सिंह : हमारी मांग यह है कि आप प्रोसीडिंग्स देख लें। अगर प्रोसीडिंग्स में किसी के खिलाफ कोई हो तो उसको एक्सपंज करा दें। क्या बड़ी बात हो गयी इसमें?

श्री सभापति : बिराजिये, माननीय सदस्य। बार–बार व्यवधान नहीं करिये। (व्यवधान)

श्री नारायण सिंह : यह बात उनके लिए कह दे तो एक सैकण्ड में एक्सपंज हो जायेगी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप क्या कर रहे हो? आप बैठो न।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अब आप कह रहे हो कि कार्यवाही से एक्सपंज हो जाए.....

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री रामेश्वर लाल भाटी : माननीय सभापति महोदया, विषय केवल यही है कि माननीय सदस्य दिलावरजी से मिले थे या नहीं मिले? यह गम्भीर विषय इसलिए नहीं है कि हर विधायक ....(व्यवधान)

श्री सभापति : श्री राकेश जी मेघवाल।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : माननीय सभापति महोदया, मैं निम्न दो याचिकाएं उपस्थापित करता हूं :–

राजकीय माध्यमिक विद्यालय गच्छीपुरा (नागौर) एवं राजकीय प्राथमिक विद्यालय खेड़ीलीला को क्रमोन्नत

(1) राजकीय माध्यमिक विद्यालय गच्छीपुरा (नागौर) एवं राजकीय प्राथमिक विद्यालय खेड़ीलीला को क्रमोन्नत करने बाबत एवं

जिला नागौर के ग्राम पंचायत मुख्यालय गच्छीपुरा को सड़कों से जोड़ना

(2) जिला नागौर के ग्राम पंचायत मुख्यालय गच्छीपुरा को सड़कों से जोड़ने बाबत।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री मोहन लाल मोदी, सदस्य का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री नारायण सिंह : आपके लिए गम्भीर नहीं है। हमारे लिए गम्भीर है। आपका इस तरह का आचरण हो सकता है। हमारा आचरण इस तरह का नहीं है।

श्री सभापति : बिराजिये, माननीय सदस्य, बात हो गयी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : बात कहां हो गयी? आपत्तिजनक टिप्पणी की, माननीय मंत्री महोदय से माफी मंगवायी जाए। (व्यवधान)

श्री नारायण सिंह : मदनजी दिलावर ने मोहनजी मोदी के लिए यह गलत बात क्यों कही कि माननीय मोदीजी.....(व्यवधान) मेरे ऊपर दबाव दिया था।

श्री सभापति : श्री भीमराजजी भाटी।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : अनुपस्थित।

श्री भीमराज भाटी : उपस्थित।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अब तो दिखाई देना भी बन्द हो गया।

श्री भीमराज भाटी : जिस सदन में माननीय सदस्यों के प्रति खुले आम आरोप लगाये जाते हैं और उस कार्यवाही को आगे से बढ़ाते जा रहे हैं और फिर मुझे कह रहे हैं कि बोलिये और अनुपस्थित। क्या अनुपस्थित?

श्री सभापति : आपकी याचिका उपस्थापति करिये।

श्री भीमराज भाटी : ..... और आप इतने जिम्मेदार लोग फ्रंट बैंचों पर बैठे हुए वहां से कह रहे हैं कि अनुपस्थित। सदन की +++

श्री सभापति : आप याचिका उपस्थापित करिये।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री भीमराज भाटी : याचिका तो उपस्थापित कर दूंगा लेकिन यह कौनसा तरीका है?

जिला पाली के ग्राम बल्दों की ढाणी से जवडीया तक सड़क निर्माण

माननीय सभापति महोदया, मैं जिला पाली के ग्राम बल्दों की ढाणी से जवडीया तक सड़क निर्माण किये जाने बाबत एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री जगदीप धनखड़ : पाइंट आफ आर्डर।

श्री सभापति : प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत श्री शिवनाथ सिंह, श्री रामनारायण चौधरी, श्रीमोहन लाल मोदी, श्री नारायण सिंह, श्री महादेव सिंह, डा. जितेन्द्र सिंह और श्री अमराराम, सदस्य विधान सभा सीकर तथा झुन्झुनूं जिलों में चेजा पत्थर एवं बजरी पर वसूले जा रहे सैल्स टैक्स में विसंगति होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। श्री शिवनाथ सिंहजी।

(माननीय सदस्यों द्वारा धरना समाप्त)

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : पहले ये उठ जाएं।

सभापतिजी, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत .....(व्यवधान) सुनो तो सही।

श्री परसादी लाल मीणा : ....(व्यवधान) इतने सीनियर बुजुर्ग आदमी के खिलाफ इतनी गम्भीर टिप्पणी के बाद आप हंस रहे हैं बैठे–बैठे +++

श्री सभापति : बिराजिये।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : आपने उस गम्भीर टिप्पणी को देखा होगा। आपको यही नहीं मालूम कि किस रेफरेंस में यहां बात कही गयी है। अगर आपने उसे देखा है....(व्यवधान) किस तरीके का हुआ? आपने देखा ही नहीं। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : +++ की कोशिश मत करो। +++ (व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : परसादी लाल जी, आप बोल रहे हैं या हंस रहे हैं?(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपके साथ .... (व्यवधान) कैसा लगेगा आपको?

श्री सभापति : बिराजिये माननीय सदस्य।

श्री भीमराज भाटी : बुजुर्ग आदमी के खिलाफ.....(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : इन जैसे व्यक्ति का ....(व्यवधान) कर रहे हैं। ये सही चर्चा करने का केन्द्र नहीं है। (व्यवधान)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : ठीक है।

श्री सभापति : बिराजें, श्री परसादी लालजी।

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री परसादी लाल मीणा :...(व्यवधान) जीवन में।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : ज्यादा उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ठीक कहता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : मदन दिलावर जैसे लोग बी.जे.पी. को ले डूबे।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप खुद का चरित्र देखें।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य :...(व्यवधान) प्रोसीडिंग्स उठाकर देखो आप कि किस रेफरेंस में क्या बात कही गयी? जब तक ....(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपने....(व्यवधान) की है उनकी बात।

श्री सभापति : बिराजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपके पास कोई ओपन लाइसेंस नहीं है चरित्र हत्याएं करने का। मन में आये उसी की चरित्र हत्या करते हो।

श्री परसादी लाल मीणा : वह भी बुजुर्ग हैं मैं सम्मान करता हूं इनका बहुत। (व्यवधान)

श्री सभापति : परसादी लालजी, आपस में नहीं।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं भी उनका सम्मान करता हूं और आपका भी करता हूं।

श्री परसादी लाल मीणा : आप अपमान कर रहे हैं या सम्मान कर रहे हैं उनका। (व्यवधान)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैंने कहा कि क्या है, यह तो बताओ।

श्री परसादी लाल मीणा : ये भी आपके ऐसे ही कपड़े फाड़ेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय परसादीलालजी, बिराजिये। (व्यवधान) आप मत बोलो। आपस में बात कर रहे हैं, आसन को सम्बोधित करिये। (व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : कुछ तो रहम कीजिये। कुछ तो सदन के बुजुर्ग सदस्यों की व्यवस्था की जाए।

श्री सभापति : बिराजिये, ध्यानाकर्षण चल रहा है।

श्री भीमराज भाटी : हम आपसे प्रोटेक्शन चाहते हैं। माननीय सदस्य की इज्जत का आपके माध्यम से प्रोटेक्शन चाहते हैं। अगर इस तरह से हल्के–फुल्के ढंग से लिया गया और उनकी बातों को इस तरह से लिया गया तो कहां जाकर अन्त होगा इसका और हम नये सदस्य कहां जायेंगे?

श्री सभापति : शिवनाथ सिंहजी।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

सीकर–झुंझुनूं जिलों में चेजा पत्थर एवं बजरी पर सैल्स टैक्स में विसंगति

श्री शिवनाथ सिंह (गुढा) : सभापतिजी, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत सीकर तथा झुंझुनूं जिले में चेजा पत्थर एवं बजरी पर वसूले जा रहे सैल्स टैक्स में विसंगति होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में माननीय वित्त मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मंत्री, वित्त) : माननीय सभापति महोदया, आपकी अनुमति से।

मैं निवेदन करना चाहता हूं। राज्य सरकार द्वारा पत्थर और बजरी आकस्मिक वस्तुएं घोषित की हुई हैं, परिणामस्वरूप इनके विक्रय संव्यवहार करने वाले व्यवहारियों से कर वसूली प्रभारी जांच चौकी या अन्य प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किये जाने की व्यवस्था है।

राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 79 के अधीन इन आकस्मिक वस्तुओं के कर संकलन हेतु संविदा के आधार पर जांच चौकी की स्थापना किये जाने की व्यवस्था है। इन प्रावधानों के अनुसरण में श्री किशन सिंह पुत्र श्री शैतान सिंह, निवासी लोसल जिला सीकर को राजस्व जिला सीकर और झुन्झुनू में उत्खनित चुनाई के पत्थर और बजरी पर देय बिकी कर के संग्रहण का कार्य, संविदा के आधार पर दिनांक 20.6.98 से 30.6.99 तक की अवधि के लिए रुपये 2,47,01,157/– (अक्षरे दो करोड़ सैंतालीस लाख एक हजार और एक सौ सत्तावन मात्र) के संदाय पर प्रदत्त किया गया है।

यह भी उल्लेखनीय होगा कि राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 9 सब क्लाज (1) के उपबंधों के अधीन कतिपय वस्तुओं के विक्रय या क्रय पर संदाय करके रकम को वजन, परिमाण या माप, वेट–वोल्यूम और मेजरमेंट के आधार पर नियत कर वसूल करने की व्यवस्था है, जो न्यायिक निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में पूर्णतः विधिक है।

सीकर जिले में चुनाई के पत्थर और बजरी पर कर की वसूली की पूर्व और वर्तमान स्थिति :

वर्ष 1997–98 में सीकर जिले में विभागीय जांच चौकियां स्थापित कर बिक्री कर की वसूली की जा रही थी और चुनाई के पत्थर (चेजा पत्थर) और बजरी पर बिक्री कर की दर निम्न प्रकार निर्धारित थी :–

चुनाई का पत्थर–फुल ट्रक (9 टन) 84/– रुपये प्रति ट्रक प्रति टन दर 9 रुपये 33 पैसे।

बजरी – फुल ट्रक (9 टन) 90/– रुपये प्रति ट्रक प्रति टन कर– रु.10/–

उपर्युक्त धारा 9 के अनुसार मानकीकरण की दृष्टि से वजन के आधार पर 10/– रुपये प्रति टन की कर दर का निर्धारण

(108)

(श्री अनंग कुमार जैन)

किया गया है। इस प्रकार पूर्व में चुनाई के पत्थर पर वसूल की जा रही कर की रकम में 67 पैसे मात्र प्रति टन ही की नगण्य वृद्धि की गयी है। बजरी पर वसूल की जा रही कर की रकम में परिवर्तन नहीं किया गया है। इस प्रकार सीकर जिले में चुनाई के पत्थर और बजरी पर कर की रकम में सम्मिलित रूप से पूर्व की तुलना में मात्र 3.47 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है।

जिला झुन्झुनूं में चुनाई के पत्थर और बजरी पर कर की वसूली की पूर्व और वर्तमान स्थिति :

वर्ष 1997–98 में झुन्झुनूं जिले में जांच चौकियां स्थापित कर बिक्री कर की वसूली की जा रही थी और चुनाई के पत्थर (चेजा पत्थर) और बजरी पर देय बिक्री कर की दर निम्न प्रकार निर्धारित थी :–

चुनाई का पत्थर– फुल ट्रक (9 टन) 72/– रुपये प्रति ट्रक प्रति टन दर रुपये 8/–

बजरी– फुल ट्रक (9 टन) 84/– रुपये प्रति ट्रक प्रति टन दर 9.33/–

अब राजस्थान विक्रय कर अधिनियम 1994 की धारा (9) के अन्तर्गत वजन के आधार पर 10 रुपये प्रति टन की कर दर का निर्धारण किया गया है। इस प्रकार पूर्व मे चुनाई के पत्थर पर वसूल की जा रही कर की रकम में दो रुपये प्रति टन की वृद्धि की गयी है। बजरी पर वसूल की जा रही कर की रकम में 67 पैसे मात्र प्रति टन की नगण्य वृद्धि की गई है। इस प्रकार झुन्झुनूं जिले में चुनाई के पत्थर और बजरी पर कर की रकम में सम्मिलित रूप से 15.41 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इस प्रकार सीकर और झुन्झुनूं जिलों में चुनाई के पत्थर और बजरी पर कर की रकम में संयुक्त रूप से मात्र 9.11 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है।

यह कथन अतिशयोक्तिपूर्ण एवं भ्रामक है कि दस रुपये प्रति टन की दर पत्थर और बजरी की वर्तमान बाजार कीमत का चालीस से साठ प्रतिशत भाग है। जैसा कि उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि नयी व्यवस्था के अनुसार दस रुपये प्रति टन बिक्री कर वसूल करने से पूर्व की तुलना में सम्मिलित रूप से मात्र 9.11 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है। इन आकस्मिक वस्तुओं के सामान्य मूल्य वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में बिक्री कर की उक्त दरें पूर्णतः उचित हैं।

यह कथन भी तथ्यों के प्रतिकूल है कि सीकर और झुन्झुनूं जिलों में चुनाई के पत्थर और बजरी पर देय बिक्री कर की रकम अन्य जिलों से कई गुना ज्यादा है। वस्तुतः जयपुर जिले में भी उपर्युक्त आकस्मिक वस्तुओं पर प्रति टन दस रुपये की दर से ही कर राशि वसूल की जा रही है।

यह नवीन व्यवस्था मूल रूप से अपंजीकृत व्यवहारियों से कर वसूल करने के क्रम में प्रभावी है तथा इससे इन जिलों के पंजीकृत व्यवहारी प्रभावित नहीं हो रहे हैं। इस नयी व्यवस्था से इन जिलों में पत्थर और बजरी

(श्री अनंग कुमार जैन)

के खनन एवं विक्रय कार्य पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है और न ही निर्माण कार्य प्रभावित हुआ है।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं सैल्स टैक्स के सैक्शन–9, सब क्लाज–3 की ओर।

The amount of a tax payable under sub-section (1) may be fixed with reference ..... The amount of tax notified under sub-section (1) and (2) shall not exceed the amount of maximum tax liability provided in sub-section (1)."

इसका मतलब यह है कि आपके शिड्यूल मे चेजा पत्थर पर सैल्स टैक्स की दर बारह प्रतिशत है और किसी भी सूरत में इस कानून के प्रावधानों के अनुसार आप बारह प्रतिशत से अधिक सैल्स टैक्स पत्थर की कीमत पर नहीं लगा सकते। आपने कहीं भी यह जिक्र नहीं किया है कि पत्थर की कीमत प्रति ट्रक कितनी आपने आंकी है और उस पर आपने यह टैक्स लगाया है।

माननीय सभापति जी, मैं दो–तीन सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। झुन्झुनूं जिले के लिये आपने कहा है कि पहले प्रचलित दर 8 रुपये प्रति टन थी और उसको आपने दस रुपये प्रति टन किया है। माननीय सभापति जी, झुन्झुनूं जिले में सैल्स टैक्स के अधिकारी विभिन्न स्थानों पर चौकियां लगाकर सैल्स टैक्स वसूल किया करते थे और वह दर भी बारह प्रतिशत ही थी। प्रति ट्रक पचास रुपये वसूल किया करते थे जिसकी रसीदें मेरे पास हैं और माननीय मंत्रीजी चाहेंगे तो इनके अधिकारियों के साथ बैठकर, आपके साथ बैठकर मैं इस पर विचार करने को तैयार हूं। जो पचास रुपये प्रति ट्रक वसूल किया जाता था, आज आपकी नयी नीति के अनुसार 120 रुपये प्रति ट्रक वसूल किया जा रहा है जिसकी भी रसीद मेरे पास है। आपने कहा 8 से 10 किया है, पच्चीस प्रतिशत की बढ़ोतरी आपने अपने हिसाब से मानी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पचास रुपये से 120 रुपये बढ़ाये गये हैं। दो से ढाई गुना के आस–पास हो गया है। इसलिए माननीय मंत्रीजी, आपको जो फीड बैक हुआ है आपके डिपार्टमेंट की तरफ से, वह सही नहीं है। आप अपने डिपार्टमेंट से मांग लीजिये सूचना, 20 जून के पहले आपके विभाग की चौकियां लगाकर जो वसूली की जाती थी उसकी रसीदें आपके पास हैं वह रसीदें क्या कहती हैं और आज आपने लगाया वह क्या कहती हैं।

दूसरा माननीय सभापतिजी, आपने अपने स्टेटमैंट में जो कहा है उसकी एक लाइन मैं पढ़ना चाहता हूं।

"राज्य सरकार द्वारा पत्थर और बजरी आकस्मिक वस्तुएं घोषित की हुई हैं, परिणामस्वरूप इनके विक्रय संव्यवहार करने वाले व्यवहारियों से कर वसूली प्रभारी जांच

(110)

(श्री शिवनाथ सिंह)

चौकी या अन्य प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किये जाने की व्यवस्था है।"

तो मैं जानना चाहूंगा, जो नोटिफिकेशन आपने निकाला है। और नीलामी आपने की है, कौन–कौनसी चौकियां आपने नीलाम की हैं,जहां पर कि वह ठेकेदार वसूली कर सकता है। इस बारे में भी मैं आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि आपने इसमें कुछ दिया नहीं है इसलिए। माननीय सभापति जी, जो आपने प्रतिशत बढ़ोतरी बतलाई है उसके हिसाब से ही.......झुन्झुनूं जिले में पच्चीस प्रतिशत की गयी है, यह आपने रिकार्ड दिया है।

(14.18)

(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति, पदासीन)

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पच्चीस प्रतिशत की बढ़ोतरी किस आधार पर की गयी है? या तो आपके आठ रुपये प्रति टन जो पिछली साल तक वसूल होता था वह निर्धारित दर से कम था? तो आपके अधिकारियों ने राज के खजाने में इतना घाटा क्यों दिया? यदि वह बारह प्रतिशत थी आठ रुपये प्रति टन के हिसाब से तो फिर अब की बार आप दस कैसे कर सकते हो? दोनों में से सामंजस्य तो होना चाहिये। या तो आप यह स्पष्ट कहिये कि हम पहले बारह प्रतिशत से कम वसूली किया करते थे या बारह प्रतिशत की वसूल करते थे तो आज आपने उसको सवाया क्यों किया है?

माननीय सभापति जी, आपके इस स्टेटमेंट में जो दर दर्शाई है और हमारे यहां जो मौके पर हैं, मौके के हिसाब से, मंत्री महोदय, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि डेढ़ रुपया मण के हिसाब से हमारे यहां चेजे का पत्थर मिलता है। डेढ़ रुपया मण, इसके हिसाब से चालीस रुपये या साढ़े सैतीस रुपये प्रति टन चेजे के पत्थर की कीमत हमारे यहां क्वेरी पर है और आज क्वेरी पर जो पत्थर की कीमत है उस पर बारह प्रतिशत ले सकते हो वह आपकी रेट आती है चार पाइंट समथिंग। चार पाइंट समथिंग प्रति टन आप ले सकते हो कानूनी रूप से। आपके अधिकारियों ने आपको गलत फीड किया है कि बाजार में आकर वह पत्थर चार रुपये मण बिकता है। मैं मानता हूं तीन रुपये, साढ़े तीन रुपये मण बिकता है लेकिन उसमें ट्रांसपोर्ट का चार्जेज, सैल्स टैक्स की कीमत, रायल्टी की कीमत, चुंगी की कीमत, सब समाहित है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस बात की छांट कीजिये कि पत्थर की कीमत, जो क्वेरी पर निकलता है और जो पत्थर की कीमत होती हैं उसके ऊपर ही आप सैल्स टैक्स वसूल कर सकते हो उससे अधिक वसूल नहीं कर सकते हो।

माननीय मंत्रीजी, एक निवेदन और करना चाहूंगा। आपने जो लीज होल्ड प्लाट्स हैं, जिन लोगों ने लीज ले रखी है, उसमें रायल्टी भी शामिल है, सैल्स टैक्स की कीमत भी उसमें शामिल है, तो उस लीज होल्डर्स के स्थान से निकाले जाने वाले पत्थर पर भी यह जो आपका नया ठेकेदार

(श्री शिवनाथ सिंह)

आया है, यह 120 रुपये प्रति ट्रक वसूल कर रहा है। डुप्लीकेसी हो गयी। जहां लीज होल्डर ने सैल्स टैक्स वसूल कर लिया उसके बाद आपके ठेकेदारों का वसूल करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, हमारे दूसरे साथी कहेंगे लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप स्पष्ट तौर से घोषित कीजिये कि आपकी इस नयी नीति के हिसाब एक ट्रक पर कितना रुपया वसूल करने का अधिकार इस ठेकेदार को है। वसूली चौकियां जो आपने नीलाम की हैं, वह कौन–कौनसे प्वाइंट पर हैं जिन पर यह वसूल कर सकता है और लीज होल्डर्स से यह वसूल कर सकता है कि नहीं कर सकता है? इन तीन–चार बातों की आप जानकारी दीजिये, इसके बाद मैं और कुछ निवेदन करना होगा, तो जरूर करूंगा।

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मंत्री, वित्त) : माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि 9 रुपये टन...(व्यवधान) 10 रुपये टन सरकार चार्ज करती है। एक ट्रक पर 90 रुपये लेते हैं। माननीय सदस्य के सवाल से कुल मिलाकर मैं यह समझ पाया कि या तो ठेकेदार के द्वारा, शायद आपका वहम् है, ज्यादा पैसा वसूल किया जा रहा है.....

श्री शिवनाथ सिंह : वसूल कर रहा है, उसकी हमारे पास रसीद है। (व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन : नहीं लेना चाहिये। मैं आपके ~~माध्यम से माननीय~~ सदस्य को यह विश्वास दिलाता हूं कि ठेकेदार हमने जो रेट उसको अलाउ की है उससे अगर अधिक वसूल कर रहा है, माननीय सदस्य मुझे लिख कर देंगे, रसीद लगाकर देंगे, तो निश्चित रूप से जांच करवाउंगा। उस ठेकेदार के खिलाफ नियमों में जो भी प्रावधान होंगे, निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। पहली बात तो मैं यह निवेदन कर रहा हूं। आप मुझे अवगत करा देंगे तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

श्री शिवनाथ सिंह : आपके हिसाब से कितने होने चाहिये एक ट्रक पर, यह मैं कह रहा हूं? कितना अलाऊ आपने एक ट्रक पर किया है, यह स्पष्ट कर दो आप हमें कि इससे अधिक नहीं लेगा वह।

श्री अनंग कुमार जैन : मैंने बताया ना 9 टन के 90 रुपये। 10 रुपये टन, 9 टन मानते हैं लेकिन यदि वह माल ज्यादा भर कर ले जाता है 12 टन होगा तो उस पर 120 रुपया लग जाएगा अगर कोई एतराज करता है। नार्मली राज्य सरकार यह मानती है कि एक ट्रक में 9 टन माल होता है, 9 टन पर 90 रुपये हम लेते हैं लेकिन यदि किसी को लगता है कि इसमें 9 के बजाय 12 टन माल है, 15 टन माल है तो उसका वेट करवा लिया जाता है और वेट के बाद जो एक्सट्रा होता है वह लिया जाता है लेकिन 10 रुपये प्रति टन के हिसाब से

(112)

(श्री अनंग कुमार जैन)

लिया जाता है। उसके बावजूद भी यदि आपको कहीं भी एक परसेंट भी शक है कि ठेकेदार के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित की गयी दर से अधिक पैसा लिया जा रहा है तो राज्य सरकार निश्चित रूप से कार्यवाही करेगी और प्रावधान के अंदर जो भी उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होगी, वह निश्चित रूप से की जाएगी।

दूसरा, माननीय सदस्य ने अभी बताया कि टैक्स जो चार्ज किया जा रहा है वह 12 प्रतिशत से अधिक है। माननीय सभापति महोदय, हमने इसकी पेरेलल स्टडी भी की और वह 12 प्रतिशत के आस–पास ही है, उससे अधिक नहीं पड़ता है। मैं आपको उदाहरण के रूप मे बताना चाहता हूं कि विभिन्न विभागों के द्वारा जो कंस्ट्रक्शन के कार्य कराये जाते हैं और उनकी जो बी.एस. आर. है, बजरी की है रुपीज 200 पर क्यूबिक मीटर और उससे अगर आप केलकुलेट करें तो एक ट्रक पर 152 रुपये 82 पैसे होता है, हम तो 90 रुपये ही चार्ज करते हैं। मगर उसमें 152.82 रुपये डिपार्टमैंट में एड होते हैं और इस हिसाब से वह रेट हमने तय कर रखी है। यह तो 12 परसेंट से भी कहीं अधिक पड़ती है लेकिन राज्य सरकार ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि जो पब्लिक से टैक्स वसूल किया जाए, वह जो ठेकेदार वसूल कर रहा है उस टैक्स का कास्ट में और उसमें 12 परसेंट से ज्यादा टैक्स का रेश्यों नहीं आवे। इस बात का भी पूरा ध्यान रखा गया है। जब 10 परसेंट था, अभी 12 परसेंट टैक्स किया उसके पहले 10 परसेंट टैक्स था, उस वक्त निश्चित रूप से रेट थोड़ी कम थी और 10 परसेंट के हिसाब से जो बैठता था उस वक्त सात, आठ, नौ रुपये टन था।

दूसरा, मैंने कहीं अपने स्टेटमेंट में किसी बात को छिपाया नहीं है। पहले 9 रुपये 33 पैसे लेते थे, वही मैंने अपने स्टेटमैंट में डिस्क्राइव किया है। अब 10 रुपये टन लेते हैं तो वह भी अपने स्टेटमैंट में लिखा है। पेरेलल स्टडी भी आपको दी है और जो चौकियां उनको अधिकृत की गयी हैं जिलों में उनके भी नाम मैं बता देना चाहता हूं ताकि वह भी माननीय सदस्यों के ध्यान में आ जाए। सीकर में तो सांवली है और देवीपुरा है। झुंझुनू के अंदर भैंरूघाट और बसवाता यह दो चौकियां हैं इनके ऊपर उनको अधिकृत किया है कि यहां से यह वसूल करके, रसीद काट करके टैक्स वसूल करें और उसके बावजूद भी यदि आपको लगता है कि इससे अधिक चौकियां स्थापित की हैं तो आप मुझे बताएंगे तो निश्चित रूप से 24 घंटे के अन्दर वह चौकियां बंद कर दी जाएगी। मुझे जिस क्षण आप बताएंगे 24 घंटे के अन्दर अनाधिकृत चौकी चल रही होगी उसको बंद कर दिया जाएगा और विभाग के द्वारा उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही की जाएगी। तो मेरा आपके माध्यम से बहुत विनम्र शब्दों में माननीय सदस्यों से निवेदन है कि मैं जो आपके सारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का मतलब समझ पाया

(श्री अनंग कुमार जैन)

कि कहीं न कहीं ठेकेदार या तो ज्यादा पैसा ले रहा है, या आपके दिमाग में यह शक है तो मुख्य रूप से यह बात आप मुझे लिखकर दे दें, रसीद की कापी लगा कर दे दें तो मैं तीन दिन के अंदर–अंदर इसकी जांच करवा लूंगा और तत्काल, कम से कम तीन दिन का समय तो लगेगा, वहां तक हमारा अधिकारी जाएगा, जाकर आस–पास पूरी जांच करेगा, तलाश करेगा। मैं इतना आशवस्त कर सकता हूं कि तीन दिन के अंदर–अंदर हमारे अधिकारी जांच करके जांच रिपोर्ट पेश कर देंगे और उसके बाद उसके खिलाफ जो भी कार्यवाही होगी, वह निश्चित रूप से की जाएगी।

श्री शिवनाथ सिंह : मान्यवर, आपने आठ रुपये झुंझुनूं के लिये पहले की रेट दी है। पिछली साल तक आप आठ रुपये प्रति टन वसूल करते थे। रेट आपकी वही 12 परसेंट थी। आपने आठ से दस किया है तो इसका आधार क्या है? पिछली बार 12 परसेंट के हिसाब से आप आठ रुपये टन लिया करते थे, आपने इस बार दस रुपये क्यों किया है? मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, उसको आठ रुपये से 12 आपने क्यों, कैसे कर दिया? सवाया कर दिया। 25 परसेंट की बढ़ोतरी की, आप हमको कोई जस्टिफिकेशन तो बताइये।

श्री सभापति : माननीय सदस्यों के कोई प्रश्न है क्या जो एक साथ जवाब दे दे, तो बता दीजिये। फिर एक–एक बार जवाब देने का कोई अर्थ नहीं है न।

श्री अमराराम (धोद) : सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि जो इन्होंने कम्पेरिटिव रेट सीकर और झुंझुनू की बतायी है उनमें ही अगर फर्क है कि सरकार झुंझुनू में रेट यह लेगी और सीकर में यह रेट लेगी तो इसका क्या कारण है? क्या सीकर में जो बजरी और पत्थर है वह झुंझुनू वाले से बढ़िया है?

दूसरा, मैं यह जानना चाहता हूं, मंत्रीजी ने सीकर में दो चौकी बतायी है सांवली और देबीपुरा, जबकि सीकर जिले में जहां–जहां भी बजरी और पत्थर निकलता है वहां सब जगह अनाधिकृत चौकी लगाकर जबरदस्ती लूट रहे हैं? केवल जबरदस्ती ही नहीं दादागिरी के साथ, लाठियों के साथ वसूल कर रहे हैं। आपके मंत्रीजी जब सीकर गये थे अभिनंदन कराने, वहां के कुशलपुरा गांव के चार सौ लोगों ने आकर ज्ञापन दिया कि जबरदस्ती वसूल कर रहे हैं। यह सही है कि जो दो चौकियां हैं, जो तिजारत करते हैं बजरी और पत्थर लाकर बिक्री करते हैं उनसे आप सैल्स टैक्स ले लेंगे। आपने उन्हीं दो का दिया है ट्रक और ट्रोली का लेकिन वह किसान जो अपने घर के काम के लिये, अपने कच्चे मकान को पक्के में बदलने के लिये खुद निकालकर बजरी लाता है, पहाड़ से खुद पत्थर निकाल कर लाता है, ऊंटगाड़ी से, बैलगाड़ी से इन सब से उन्होंने लेना शुरू कर दिया। तो मैं मंत्रीजी से जानना चाहूंगा, वह जो अपना खुद बजरी,

(114)

(श्री अमराराम)

पत्थर निकाल कर ला रहे हैं उनसे भी यह जबरदस्ती वसूल किया जा रहा हैं और वही हालत हो रही है? सभापति महोदय, मंत्री महोदय से मैं कहना चाहूंगा कि चुंगी में जहां–जहां ठेके दिये गये थे और जिस तरह से चुंगी के ठेकेदारों ने किया था उससे कहीं ज्यादा पूरे गांव के लोगों से सीकर और झुंझुनू में इसी तरह से इन ठेकेदारों ने और यह ठेकेदार केवल बजरी के ही नहीं हैं, सीकर जिले में यही शराब के ठेकेदार हैं जिन्होंने मनमर्जी कर रखी है पूरे जिले के एक–एक गांव में जहां पत्थर निकलता है, जो कोई गरीब 50 साल की आजादी के बाद अपना पक्का मकान बना ले। यह जो आपने रेट दी है, यह भी आप बताएं कि जो दुगुनी रेट कर दी है, जो 50 से दुगुनी कर दी, जहां कुछ नहीं लगता था वहां आपने बीस–बीस रुपये एक–एक ऊंटगाड़ी पर लेना शुरू कर दिया और केवल यही रहेगा और अगर आपने अंकुश नहीं लगाया और बंद नहीं किया, मंत्री जी, मैं यह जानना चाहूंगा कि आपका विभाग इन चौकियों से वसूल कर रहा था तो ठेके पर देने की कहां आवश्यकता पड़ गयी? क्या विभाग इसमें सक्षम नहीं था? किन कारणों से इसको ठेके पर दिया गया है यह मंत्री जी स्पष्ट करें और इन दो चौकियों के अलावा सीकर और झुंझुनू में अनाधिकृत रूप से प्राप्त कर रहे हैं उनको रोकने की क्या सक्षम कार्यवाही करेंगे? मैं समझता हूं यह वही ठेकेदार होंगे जो आपके विभाग के अधिकारियों को खरीदने में सक्षम होते हैं। जो उच्चाधिकारियों से आप बराबर इस तरह से, किस तरह......(व्यवधान) मेरा आपसे यही निवेदन है कि अगर आप जनता को राहत देना चाहते हैं तो पुनः विभाग के द्वारा ही इसकी जो रेट हैं उनके अनुसार लेने का काम करें।

श्री अनंग कुमार जैन : सभापति महोदय, मैं..........

श्री सभापति : सबके एक साथ ही जवाब हो जायेंगे।

श्री मोहन लाल मोदी : सबके साथ दे देना जवाब।

श्री सभापति : सबके एक साथ दे देना।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़) : सभापति महोदय, प्रश्न यह है कि पहले 90 रुपये 9 टन पर किया है। लद्‌ढे और ट्रेक्टर ट्राली पर आपने कुछ नहीं बताया कि कितना किया है। हकीकत यह है कि ट्रेक्टर ट्राली में ढाई–तीन टन से बेसी माल नहीं आता है। ठेकेदार वहां कोई नाप तौल कुछ नहीं और सीधी पर्ची पकड़ाता है 6 टन की और 6 टन पर वह रुपये 60 वसूल करता है। लद्‌ढे वाले से 30 रुपये वसूल करता है। एक आपने चौकियां जहां बतायी है, चौकियों के अलावा यह जो भू–माफिया और शराब का ठेकेदार हैं, इन्होंने एक गिरोह बना रखा है और जीपों में घूम–घूमकर के और यहां तक है कि मिट्‌टी अपने खेत में डालने के लिए, खेत को लेवल करने के लिए या जो

(श्री नारायण सिंह)

खारी जमीन है उसको ठीक करने के लिए जो घाले की मिट्टी है वह ले जाते हैं उस पर ठेकेदार जबरदस्ती बजरी कहकर वसूल कर रहा है और ऐसी स्थिति सीकर जिले में कर दी है कि आम आदमी इससे दुःखी है। त्राहि–त्राहि मची हुई है और दुनिया भर के केस थानों में रजिस्टर्ड हो रहे हैं ठेकेदार और गांव वालों के खिलाफ। आप कह रहे हैं सीकर में दो चौकियां हैं। वहां 100 चौकियां नहीं बल्कि 500 चौकियां है। हर गांव में मोबाइल चौकियां हैं। वहां ठेकेदार बिहार और यू. पी. से आदमी लाते हैं ठेके पर, जो क्रिमीनल टाइप के हैं उन लोगों को जीपों में बैठा–बैठा करके लोगों को मारना, पीटना, जबरदस्ती वसूली करना, ट्रैक्टर्स को रोक देना, ट्रकों को खड़ा कर देना, उनके साथ मारपीट करना, गांव के लोगों के साथ ज्यादती करना, इस तरह से सारी जगह चौकी कर रखी है। यह कहां तक उचित है? आप क्या करना चाहते हैं? अभी आप कहेंगे कि आप आरोप लगा रहे हो, मैं कभी न तो आरोप लगाने का न हल्की–फुल्की बात करने का आदी हूं। ठेकेदार यह कहता है कि मैंने एक करोड़ रुपये चुनाव में लगाया है और उसका कंपनसेट करने के लिए, जो पैसा मैंने लगाया है उससे दुगुना पैसा वसूल करने का मेरे को ठेका दिया है। यह कह रहे हैं, यह कहां सही है और कहां गलत है?

श्री मोहन लाल मोदी : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से 2–3 बातें पूछना चाहूंगा। पहले तो आपने टेंडर्स किये होंगे फिर उसको मंजूर किया होगा। उसकी शर्तें भी रखी होंगी। उसमें बैंक गारंटी भी रखी होगी। तो क्या वह बैंक गारंटी आपकी टाइम पर जमा हुई? बैंक गारंटी के बाद काम करने की शर्त थी लेकिन काम पहले चालू हो गया। बैंक गारंटी मेरे ख्याल से बाद में आयी। तो एक तो यह बात आप रखें।

दूसरी बात, आपने यह कहा कि पहले 8 रुपये टन यह ले रहे थे आपके वहां, क्या इस राजस्थान में भी अलग–अलग आपकी रेट्स है? यहां जयपुर की रेट्स, आज की रेट बताना चाहता हूं, 30 रुपये ट्रेक्टर के लेते हैं जबकि वहां 60 रुपये लेते हैं। आज जयपुर में 40 रुपये 200 फीट बजरी के ट्रक के हैं, वहां 120 रुपये तक वसूल करते हैं। यह आज आपके सामने जयपुर में हैं। तो क्या जयपुर में और सीकर–झुंझुनू में सैल्स टैक्स में इतना बड़ा अन्तर है। सैल्स टैक्स तो सेल पर होता है। आपने दो चौकियों का नाम बताया है। यह तो एक–एक आदमी के घर जाकर के किसके यहां चेजा चल रहा है, कितना पत्थर लगाया, कितनी बजरी लगायी उससे डंडे मारकर पैसे वसूल करते हैं। सारी जगह इनकी दुकानें हैं, शराब की दुकानें हैं और वह जाकर के वसूल करते हैं। एक आदमी अपने घर के लिए, जानवरों का ठान कहते हैं उसमें मिट्टी डालने के लिए मिट्टी लाता है तो उसमें भी वह बजरी के पैसे वसूल करते हैं। यह क्या बिल्कुल इस तरह हो गया। कांग्रेस के राज में काश्तकारों को रायल्टी भी माफ थी। अब

(श्री मोहन लाल मोदी)

रायल्टी भी इनके पास, सैल्स टैक्स भी इनके पास यानि हर तरह से कर दिया। आपने टेंडर में यह दिया है, जांच चौकी तो आपने बता ही दी, अब आप इसके लिए कहीं भी वह ले नहीं सकते कायदे से। यह बात सही है कि दूसरी जगह ले और कोई मारपीट कर दे, नहीं दे तो क्या फिर सरकार उस पर कुछ एक्शन करेगी। एक बात तो यह है उसके अन्दर। आपने यह कह दिया कि जो व्यापारी रजिस्टर्ड है उनसे वह पैसे नहीं लेंगे। लेकिन वह तो उनसे भी पैसे लेते हैं और आपने एक और उनको छूट दे दी......

श्री नारायण सिंह : आप पत्थर पर और फिर उसके बाद रोड़ी पर ले रहे हैं यानि दो दफे सैल्स टैक्स ले रहे हैं। एक दफा पत्थर पर और फिर पत्थर के बाद रोड़ी जाती है, तो उससे आम उपभोक्ता को कितनी परेशानी होती है। इसके कारण से आप यह समझते हैं कि रोड़ी पर और उस पर दो दफे लेंगे तो रोड़ी फैक्ट्री वाला यूं ही दे देगा।

श्री मोहन लाल मोदी : आपने इसमें यह शर्त दी है कि जो रजिस्टर्ड व्यापारी हैं उनका सरकार में जो पैसा आयेगा वह आप उनके ठेके में मुजरा कर देंगे। यह कहां की बात है। इसका मतलब तो यह हुआ कि आपने एकदम अंधेरे में रख दिया सारा। या तो आप यह बता दें कि रजिस्टर्ड व्यापारियों से इतना पैसा आता है। रजिस्टर्ड व्यापारियों का पैसा सरकार में आयेगा और वह भी उनके ठेके में मुजरा देंगे। यह भी एक बहुत ही अजीब बात है। मैं तो समझता हूं कि या तो आपके अधिकारियों ने अंधेरे में रखा है या सरकार इसको समझ ही नहीं पा रही है।

दूसरी बात मैं आपके यहां की बताना चाह रहा हूं कि रेट्स इनकी ऊंची लगा करके 8–10 रुपये टन इन पर चार्ज कर रहे हैं। 1995 में जयपुर में सैल्स टैक्स के उपायुक्त हैं उनके साथ ट्रक होल्डर्स की मीटिंग हुई और वहां रेट तय की उसके अन्दर, 8 टन के ऊपर जितना भी लायेंगे उसके 50 रुपये, 8 टन तक के 30 रुपये और 5 टन के 24 रुपये। यह 1995 में आपके यहां के उपायुक्त ने तय की हुई है। फिर क्या कारण हुआ कि आपने एकदम से इतनी रेटें बढ़ा दीं, इसकी इतनी छूट दे दी? मेरी समझ में नहीं आता। हाफ बॉडी ट्रक वर्क्स ट्रांसपोर्ट सोसायटी ने इसकी रेट्स बतायी थी। पत्थर रोड़ी की खरीद कीमत 100 रुपये, पत्थर व रोड़ी 132.50 रुपये 8 टन के, 5 टन के 108 रुपये। मेरे ख्याल से यह बिक्री कर लेते थे 25 रुपये 50 पैसे और आज देखिये आप, क्या स्थिति है? यानि जो ऐसी जरूरी चीज है, हर किसान को, हर आदमी को कच्चा झोंपड़ा बनाने वाले को भी कुछ पत्थर तो चाहिये। मेरे यहां की सारी आबादी तो डूंगर, पहाडों में ही रहती है। अधिकतर मेरे गुर्जरों की बैल्ट है। यह सारे तो उस पहाड में ही रहते हैं और वही पत्थर निकालते हैं। यह [illegible] पर

(श्री मोहन लाल मोदी)

जाकर के डंडे लेकर उनसे पैसे वसूल करते हैं। यह तो कोई तरीका नहीं है। एक संवेदनशील सरकार, गरीबों को मदद करने वाली सरकार......

श्री सभापति : आप कह चुके। प्रश्न तक अपने आपको सीमित रखें। वरना तो कोई अंत नहीं आयेगा इन सब बातों के बारे में।

श्री मोहन लाल मोदी : प्रश्न है। आप देखिये डूंगर पर बैठे हैं। वहां आपका घर है वहीं से आप पत्थर निकालते हैं, उनसे भी पैसे लेंगे।

श्री सभापति : सीमित प्रश्न है इसलिए प्रश्न पूछ लीजिये सिर्फ।

श्री मोहन लाल मोदी : यह उचित नहीं है।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि किसान लोग जो अनाज पैदा करते हैं, वह इस बजरी और पत्थर से अपना कुंआ बनाते हैं, अपने पशुओं के लिए कुएं पर छाया बनाते हैं, अपने रहने के लिए कच्चे मकानों को पक्के मकानों में परिवर्तित करते हैं, आप कम से कम उन पर तो रहम करो, यह रायल्टी भी माफ करो और सैल्स टैक्स भी माफ करो। अभी–अभी मंत्री महोदय ने बताया कि हम नौ टन तक नब्बे रुपये लेते हैं। लेकिन क्या मालूम कोई ज्यादा भी लाए तो कौनसा वहां पर कांटा लगा हुआ है? वह तो सैल्स टैक्स लेने वाला अपनी मर्जी से कहेगा कि यह तो पन्द्रह टन है। तो उसकी मर्जी होगी क्योंकि ले जाने वाला तो एक आदमी होता है और उसके गिरोह में 10–15 आदमी लाठियां लेकर गाड़ियां भरे रहते हैं जबकि कोई प्रापर चुंगी चौकी नहीं है। आपने मोबाइल चुंगी चौकी लगा रखी है जो जीपों में भर–भर कर माफिया लोग सरेआम जाकर लोगों को रोकते हैं। इससे ज्यादा क्या होगा कि किसी के घर पर यदि चेजा चल रही है तो ईंट, चूना घरट में छा कर फिर मकान बनाता है। तो उससे भी जबर्दस्ती जाकर टैक्स वसूल करते हैं क्योंकि तूने बजरी से यह बनाया है।

यहां तक नौबत आ गई है कि वहां की बहन–बेटियों से जाकर झगड़ा करते हैं। सीकर में हमारे यहां तो यहां तक माहौल हो गया। इन बातों पर आप गहराई से ध्यान दें आम आदमी में जो आक्रोश हुआ है और यह हर आदमी कहता है कि राज नाम की कोई चीज नहीं है, गुण्डा तत्व फैल गए हैं और अपनी मर्जी से उगाही करते हैं। इन लोगों को आप किसी तरह से रोक सकते हैं तो रोकने का कष्ट करें।

इसके साथ–साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि किसान जो अपने देश का अन्नदाता है, गरीब है, उसके कुंओं के लिए, उसके छोटे–मोटे मकान के लिए रायल्टी और टैक्स माफ करने पर आप सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। यही मेरा निवेदन है।

(118)

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) : अब यह आदेश जारी कर दें कि इन दोनों चौकियों के अलावा कहीं भी पैसा नहीं लेंगे तो मैं समझता हूं कि उनकी समस्या आधी से ज्यादा समाप्त हो जाएगी।

श्री सभापति : श्री टीकमचन्द कांत।

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) : सभापति महोदय, ये ठेकेदार नहीं, रजिस्टर्ड माफिया या रजिस्टर्ड दादा हो गए हैं। मैंने भी बजरी के लिए यह निवेदन किया था कि किसान अपने कार्यों के लिए ट्रैक्टर से जो बजरी लाता है, बाड़मेर जिले के समदड़ी में भी 25 रुपये रायल्टी के और 25 रुपये सैल्स टैक्स देना पड़ता है और 10 रुपए वसूली के और देने पड़ते हैं, 60 रुपये देने पड़ते हैं, इसके कारण वहां के लोगों में, किसानों में बहुत बड़ा रिएक्शन है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर विचार करे और आज ही यह घोषणा करे कि किसान अपने कार्यों के लिए अपने ट्रैक्टर से बजरी वगैरह लेकर आए तो उस पर टैक्स न लिया जाए। यह घोषणा कम से कम हो जाए तो, मेरा ख्याल है, ठीक रहेगा। दादाओं तथा माफिया से लोगों को मुश्किल हो रही है। (व्यवधान)

श्री सभापति : शिवनाथ सिंह जी आपको रह रहकर याद आता है।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी जवाब दें उससे पहले मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, भाभड़ा साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि यह सब कार्यवाही हुई है इसमें हम इसको कोई पॉलिटिकल इश्यू नहीं बनाना चाहते हैं और न यह पॉलिटिकल इश्यू है, पहली बार आपने एक्सपेरीमेंट शुरू किया है और उसमें गलतियां होना, वहम होना स्वाभाविक है इसलिए इन मामलों को आप देखें और देखकर तीन–चार चीजें ऐसी हैं, एक तो माननीय मंत्रीजी कह रहे थे कि जिन चौकियों को नीलाम किया है उनके अलावा कहीं वसूल नहीं करेंगे, इसकी घोषणा आप यहां कर ही रहे हैं, दूसरी आपने आठ रुपए टन से दस रुपए टन बढ़ाया है, इसको भी आप रिकंसीडर कीजिए। क्योंकि

(14.44)

(श्रीमती तारा भण्डारी, सभापति, पदासीन)

आठ से दस बढ़ाने में किसी प्रकार का औचित्य नहीं है। तीसरी बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जहां लीज होल्ड है और लीज होल्ड एरिया से वसूली होती है उसको भी आप देखें कि लीज होल्ड एरिया से वसूली करने का अधिकार उनको नहीं है। ये तीन–चार बातें स्पष्ट कर देंगे तो आधी समस्या हल हो जाएगी और कीमत में भी यदि आप यह सोचते हैं कि कीमत आपने वाजिब की है उसके लिए हम आपसे बैठकर बात करने को तैयार हैं। आपको यदि हम कन्विन्स कर दें कि इसकी कीमत यह पड़ती है तो आप हमारी बात मान लेना और वह कीमत नहीं बैठती है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम आपके साथ, आपके अधिकारियों के साथ बैठकर बात

(श्री शिवनाथ सिंह)

करने को तैयार हैं। आपको हम कन्विन्स करेंगे कि इसकी मार्केट वैल्यू यह आती है, यदि ऐसा नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तीन–चार बातें स्पष्ट हो जाएं।

श्री हरिशंकर भामड़ा (उप मुख्य मंत्री) : सभापति महोदया, जो सवाल यहां खड़े किए गए, मैं समझता हूं कि यहां पर डिबेट से कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। लेकिन वाकई में जिस तरह से आप बता रहे हैं किसी तरह का हरेंसमेंट हो रहा है या डबल टैक्सेशन हो रहा है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मुझसे मिल लें और सारी बातें बैठकर हम इसकी किस तरह से रोकथाम करें, जितनी निश्चित चौकियां हैं, उससे ज्यादा चौकियां न हों और डबल टैक्सेशन न हो। मिट्टी पर यदि वह टैक्स लेते हैं, तो उनको सेट ऑफ मिलना चाहिए जो उन्होंने पत्थर पर दिया है ताकि टैक्स ज्यादा न हो। इन सारी बातों पर बैठकर विचार करके उसका रास्ता निकाल लेंगे।

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मंत्री, वित्त) : .....(व्यवधान).....बात सुनिए साहब, मैं तो करेक्ट कर रहा हूं। रिकार्ड पर जो चीजें हैं, उनको करेक्ट कर रहा हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा, आई एम सॉरी फार दैट कि मैंने दो जिलों में चौकियों की जो संख्या बताई थी, चौकियों की जो संख्या सही है वह मैं आपको बता देता हूं, जो गजट नोटिफिकेशन हुआ है। यह क्लेरीफिकेशन करना मेरे लिए जरूरी है।

माननीय सभापति महोदया, राजस्व जिला सीकर में तहसील नीमकाथाना में गुहाला कोटड़ी, सिकोही नदी, एवं कांवट है।.....(व्यवधान).....यदि आप चाहेंगे तो मैं इसकी फोटो कॉपी करवाकर आपको दे दूंगा। बोल देता हूं। तहसील दांतारामगढ़ में रानोली, गौरियां, गोवटी, लढ़ाना, सुरेरा–मण्ढा। तहसील लक्ष्मणगढ़ में ग्राम लक्ष्मणगढ़, तहसील सीकर, ग्राम देवीपुरा, सांवली, पिपराली, रेल्वे स्टेशन सीकर। राजस्व जिला झुन्झुनूं में दादियां, खूड़ी, भैरूंघाट, उदयपुरवाटी, भैसावता व मणकसास, दोनों जिलों की ये चौकियां हैं। मैंने गलती से पहले आपको दो–दो चौकियां बताई थीं इसलिए इनको करेक्ट कर रहा हूं। इन चौकियों के अलावा कोई चौकियां नहीं हैं। इनके अलावा कोई चौकी पर वसूली करेंगे तो जैसा माननीय उप मुख्य मंत्रीजी और वित्त मंत्रीजी ने फरमाया कि बैठकर, बातचीत करके इसका सही सोल्यूशन निकाल लेंगे।

श्री मोहन लाल मोदी : यह इतना सा आप इसमें कर दीजिए कि इन चौकियों के अलावा कहीं से वसूली नहीं की जाएगी ताकि यह अखबारों में आ जाए, लोगों में यह बात आ जाए कि इनसे इल्लीगल वसूल किया जाता है।

श्री हरिशंकर भामड़ा : यहां तक कहा है कि यदि ऐसा होगा तो हम उस पर एक्शन लेंगे, जिन लोगों की कनाइवेंस के कारण ऐसा हो रहा है, उन पर भी एक्शन

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

लेंगे। चौकियों के अलावा कोई वसूली नहीं होगी।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त।

श्री मोहन लाल मोदी : एक बात और रह गई। सभापति महोदया, ये रेट्स सरकार ने तय की है या कमिश्नर ने की है?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैंने आपको बताया है कि सारी बात बैठकर तय करेंगे। कमिश्नर क्या होता है, रेट तो सरकार तय करती है।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 1998

श्री सभापति : श्री हरिशंकर भाभड़ा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 1998 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 1998 (1998 का विधेयक संख्या–3) को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति : श्री रमाकान्त शर्मा।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी): सभापति महोदया, राजस्थान विनियोग (संख्या–3) विधेयक पर चर्चा होने के सम्बन्ध में मैं कुछ आधारभूत बातों पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जब भी हम कहीं पर विनियोजन करते हैं हमारा मुख्य ध्यान इस बात पर जाना चाहिए कि विनियोजन से प्राप्तियां क्या हैं, रिटर्न क्या होने वाला हैं। परन्तु अक्सर यह देखा जाता है कि जब भी बजट आता है तो उस पर आलोचना अन्य–अन्य बातों पर होना शुरू हो जाती है और मुख्य विषय से हम हट जाते हैं। बराबर, हर साल मैं निवेदन करता आ रहा हूं, हमारे सोच में परिवर्तन आना चाहिए। राज्य के बजट के अन्दर राजकोषीय घाटा कोई मायना नहीं रखता। राज्य के बजट के अन्दर घाटे का सकल घरेलू उत्पादन से सम्बन्ध, उसका रेश्यो कोई मायना नहीं रखता। चर्चा बहुत दफे होती है, राजस्व व्यय बहुत हो रहा है, गैर–आयोजना मद पर बहुत खर्चा हो रहा है। जब–जब भी हम विनियोजन करेंगे, निवेश करेंगे, ज्यादा स्कूल बनाएंगे तो ज्यादा अध्यापक होंगे, ज्यादा अस्पताल बनाएंगे तो ज्यादा डॉक्टर होंगे, ज्यादा सड़कें बनाएंगे तो ज्यादा मेंटीनेंस होगी। जितना भी योजना आकार बढ़ेगा उतना ही नान–प्लान एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। वह तो कमिटेड है, उसको तो रोक नहीं सकते। फिर आलोचना होने का प्रश्न ही कहां पैदा होता है कि यहां पर पिछले साल के अन्दर इतना नॉन–प्लान पर खर्चा था,इस साल के अन्दर नॉन–प्लान पर इतने ज्यादा करोड़ का खर्चा हो गया? यह तो खुश होने की बात है, इतना ज्यादा करोड़ रुपया और इसलिए खर्च हो गया कि इतने अधिक स्कूल खुल गए। यदि इतने

(श्री रमाकान्त शर्मा)

हजार अस्पताल और खुल जाएंगे तो अवश्यंभावी वह खर्चा तो बढ़ेगा। इस बात को कहना कि 50 प्रतिशत से भी ज्यादा पैसा नॉन–प्लान पर खर्च हो रहा है। नॉन–प्लान तो प्लान का ही परिणामस्वरूप है। जिस तरीके से हम कैपिटल खाते के अन्दर इतना खर्च कर रहे हैं उसके प्रपोर्शन के अन्दर नॉन–प्लान के अन्दर खर्चा बढ़ेगा। वह तो कमिटेड एक्सपेंडिचर है, उसमें कमी नहीं की जा सकती।

अक्सर यह होता है, दु:ख का विषय है कि जब नॉन–प्लान का बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है तो पूंजीगत खाते से लेना पड़ता है। राजस्व व्यय को मीट करने के लिए पूंजीगत खाते से लेना पड़ता है। पूंजीगत खाते में तो हम कंजूसी कर सकते हैं, कमी कर सकते हैं, वह अपने हाथ में है, परन्तु जो काम कर लिया गया है, जो चालू चीज है उसमें ज्यादा खर्चा कम नहीं कर सकते। कम करना नहीं चाहिए। पूंजीगत खर्चे में। यह देखने की बात है, ऐसा बैलेसिंग हो कि पूंजीगत खर्चा जो हमने तय किया है वह करें वरना हमारे प्लान का साइज घट जाएगा। प्लान का कमिटमेंट हमने पूरा नहीं किया तो नॉन–प्लान में बिलकुल भी वृद्धि नहीं होगी और आगे जो सारी रिटनर्स आएंगी वे रिटनर्स गड़बड़ा जाएंगी। हमको यह देखना चाहिए कि बजट के अन्दर जो और हम विनियोजन कर रहे हैं उस विनियोजन से हमको क्या चीजों के अन्दर लाभ होने की बात है। विनियोजन जितना करेंगे तो हमको यह देखना है कि कृषि के अन्दर उत्पादन बढ़ा या नहीं। विनियोजन हम कर रहे हैं तो हमको यह देखना चाहिए कि उद्योगों के अन्दर उत्पादन बढ़ा या नहीं, सर्विस सैक्टर के अन्दर ज्यादा रोजगार लगे या नहीं। जब ज्यादा से ज्यादा उद्योगों के अन्दर उत्पादन होगा, ज्यादा से ज्यादा कृषि में उत्पादन होगा तो अवश्यंभावी है कि व्यवसाय बढ़ेगा और व्यवसाय बढ़ेगा तो कर ज्यादा जाएंगे। यह मिरेकल जैसी है।

मैं, सभापति महोदय, आपके सामने रखूं। पांच साल के अन्दर कोई कर नहीं लगाया, परन्तु जहां 1993–94 के अन्दर जो करों की टोटल आय थी वह 1,756 करोड़ थी जिसमें बिक्री कर, मनोरंजन कर, विलासिता कर भी शामिल है, खनिज कर भी शामिल है, सारे करों का जोड़ 1,756 करोड़ था वह बढ़कर 1997–98 के अन्दर 3,161 करोड़ हो गया। यह 3,161 करोड़ जो हो गया, प्रतिवर्ष मेरे पास मौजूद है, यह इसलिए हुआ कि हमारी सकल घरेलू उत्पादन के अन्दर जो आशा थी जो प्लान किया था उतनी वृद्धि हो गई। 1993–94 में जो हमारा टोटल सकल घरेलू उत्पादन था वह 28,342 करोड़ था, जो 1998–99 के अन्दर 6,353 करोड़ हो गया। हमने सकल घरेलू उत्पादन दुगुना किया। इसी पर सब कुछ आधारित है। यदि हम और चीजों पर, एग्रीकल्चर पर या उद्योग पर विनियोजन नहीं करें तो सकल घरेलू उत्पादन नहीं बढ़ेगा। सकल

(श्री रमाकान्त शर्मा)

घरेलू उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो बिजनेस नहीं बढ़ेगा, व्यवसाय नहीं बढ़ेगा, नये उद्योग नहीं लगंगे। जब ऐसा नहीं होगा तो नए टैक्स नहीं आएंगे। नये टैक्स नहीं आएंगे तो आगे आने वाले टाइम में हम अपने प्लान का साइज नहीं बढ़ा सकेंगे। इसलिए जब–जब भी हम बजट के बारे में बात करें तो हमें यह देखना चाहिए कि हम जो विनियोजन कर रहे हैं इस विनियोजन से हमारे सकल घरेलू उत्पादन के अन्दर कितनी वृद्धि होने वाली है। यदि उससे सकल घरेलू उत्पादन के अन्दर कोई वृद्धि नहीं हो तो हमें आलोचना करनी चाहिए, न कि आलतू–फालतू बातों के अन्दर। हमारा नॉन–प्लान एक्सपेंडिचर बढ़ गया, राजस्व व्यय बढ़ गया जो बढ़ेगा और बढ़ना चाहिए, बढ़ना खुशहाली की बात है।

ऋणों की बात कही जाती है। ऋण के बिना हम अपना प्लान कैसे करेंगे? जो कुछ हम अपने प्लान का साइज बनाते हैं उसके अन्दर जो हमारी प्राप्तियां हैं, जितनी भी हैं उसके साथ में ऋणों का जोड़ है उसमें 3 हजार करोड़ के प्लान से छलांग लगाकर 12,500 करोड़ पर पहुंचे और फिर छलांग लगाकर 27,500 करोड़ पर पहुंचे, यह केवल मात्र हमारी जो प्राप्तियां हैं उनके आधार पर नहीं हो सकता। लेकिन देखने की बात है कि ऋण हमने लिया तो कहीं हम डिफाल्टर तो नहीं हो गए। मैं सारी फिगर्स, आपके सामने आंकड़ों का जाल नहीं बताना चाहता, लेकिन बताना चाहता हूं लोक ऋण 1993–94 के अन्दर कुल 6,619 करोड़ रुपये था, वह 1997–98 के अन्दर कुल 12,889 करोड़ हुआ है। इसमें जो ऋणों का प्रावधान है बराबर प्रतिवर्ष 1993–94 में 252 करोड़ का दिया, 1994–95 में 208 करोड़ दिया, 1998–99 में 473 करोड़ रुपये दे रहे हैं। मैं बीच की बात नहीं कर रहा हूं। इसी प्रकार से ब्याज का भुगतान है। ब्याज का ड्यू था, 1993–94 के अन्दर 885 करोड़ दे दिया। यह 1998–99 में ड्यू हो गया 2,217 करोड़, वह दे दिया। यह इस प्रकार का एक सुन्दर वित्तीय प्रबन्धन है। तो हम जो ऋण ले रहे हैं इससे कहीं दुगुना, चौगुना, पांच गुना ऋण भी लेंवे तो वह हमारे प्रदेश के लिए अच्छी बात होगी। प्रदेश के अन्दर हम तभी तरक्की कर सकेंगे, हम सकल घरेलू उत्पादन तभी बढ़ा सकेंगे जब जितने भी हमारे रिसोर्सेज उपलब्ध हैं उन रिसोर्सेज के ऊपर अपने पास में सारे मामलों के अन्दर व्यय करके हमारी परिसम्पत्तियां नहीं बढ़ावें, परन्तु हमारा व्यवसाय इतना बढ़े जिसके आधार पर हम आगे विकास करते हुए चले जाएं।

कुछ बात बजट पर निवेदन करनी थी, इस पर बजट के सिलसिले में एक बात बहुत ही आवश्यक है जो मैं अर्ज करना चाहता हूं। लैण्ड बिल्डिंग टैक्स अबकी बार एक ऐसा वज्रपात किया है कि जितने भी स्कूल हैं, सरकारी हैं या प्राइवेट, मिडिल स्कूल से ऊपर के स्कूल हैं उन सब पर लैण्ड बिल्डिंग टैक्स लगा दिया। जयपुर के अन्दर, उदयपुर के अन्दर सैंकड़ों मिडिल

(श्री रमाकान्त शर्मा)

स्कूल्स, सैकण्डरी, हायर सैकेण्डरी स्कूल, कॉलेजेज पर टैक्स लगा दिया। इन पर दो–दो, 5–5 लाख रुपये का टैक्स लगने लग जाएगा तो जो मौजूदा हैं उनको तो किसी न किसी प्रकार से देना पड़ेगा, लेकिन आने वाले समय में जो हमारी शिक्षा के अन्दर वृद्धि होने वाली है उसमें एकदम फुलस्टॉप लग जाएगा। शिक्षा के लिए सरकार के पास इतना पैसा नहीं है, इसलिए शिक्षा के मामले में निजी लोगों को आगे आना पड़ेगा। संसार भर में सब जगह पर आ रहे हैं, हमारे यहां तो बहुत कम हैं। दूसरे देशों के अन्दर शिक्षा का सारा मामला निजी क्षेत्र के अन्दर ही ज्यादा है। निजी क्षेत्र के अन्दर हमको शिक्षा को बढ़ाना है तो यह जो एक रोक लगा दी है, इसको रिटार्ड कर दिया गया है, इसके बारे में माननीय वित्त मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि आप पुनर्विचार करें वरना जितने भी पांचों बड़े– बड़े शहर हैं इनमें आने वाले समय में इतने नये कॉलेज और नये हायर सैकेण्डरी स्कूल वगैरह नहीं आ सकेंगे। साथ–साथ एक और बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी, वे छात्र संख्या तो बढ़ाते चले जाएंगे, परन्तु ज्यादा कमरे नहीं बढ़ाएंगे। तो जो आवश्यक सुविधाएं छात्र–छात्राओं को मिलने वाली है वे आवश्यक सुविधाएं नहीं प्राप्त होंगी। वहां एक अच्छा तरीका बैठा हुआ है वह आवश्यक तरीका बिगड़ जाएगा। एक–एक कमरे में 150–200 छात्र–छात्राएं बैठने लग जाएंगे। यह शिक्षा के मामले में बहुत बड़ा व्यवधान हो जाएगा। इसलिए इस बारे में बहुत अच्छी तरह से, गंभीरता से सोचने की बात है।

मैं वित्त मंत्री जी से इसी शिक्षा के अन्दर दूसरा निवेदन यह भी करना चाहूंगा यदि 50 सैकेण्डरी स्कूल मिडिल स्कूल से क्रमोन्नत करने हैं और 50 सैकण्डरी से हायर सैकण्डरी क्रमोन्नत करने हैं, 200 विधान सभा क्षेत्र हैं, यदि एक भी नम्बर नहीं आता, आधे का नम्बर आता है, मेरे क्षेत्र के अन्दर ऐसी–ऐसी जगह हैं, गोला का बास की मैं निवेदन करना चाहता हूं जहां 30 किलोमीटर तक कोई सीनियर सैकण्डरी स्कूल नहीं है। गोला का बास से इधर दौसा जाइए, दूसरी तरफ राजगढ़ जाइए या टहला जाइए, तीसरे प्रतापगढ़ आइए, आज के दिन 1998–99 के अन्दर भी यदि छात्र को, छात्रा का तो प्रश्न ही नहीं उठता छात्र को वहां सैकण्डरी स्कूल में पढ़ने के लिए 30 किलोमीटर जाना पड़ेगा तो वह क्षेत्र तो अशिक्षित ही रहेगा, वह आगे नहीं बढ़ सकता।

शिक्षा के मामले में, बजट की चर्चा में भी मैंने निवेदन किया था, पुनः कहना चाहता हूं कि मन में एक भावना जाग्रत हुई थी जब प्रधान मंत्री अटलबिहारी वाजपेयी ने कहा था कि सबसे ज्यादा ध्यान वह शिक्षा पर देंगे। उसके बाद में यहां इस बजट में इस तरह की बात आयी, यह बहुत ही शोचनीय है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा के मामले में हमारा यह विचार होना चाहिए कि जहां जितने छात्र हैं, यदि सैकेण्डरी के छात्र हैं तो वहां उस विधान सभा क्षेत्र में दो खुले,

(श्री रमाकान्त शर्मा)

चाहे 4 खुलें, चाहे 6 खुलें, खोलने चाहिए। इसी तरह से प्राइमरी की बात है। यह क्या देख रहे हैं कि राजस्व ग्राम है कि ढाणी है या दो किलोमीटर दूर हैं? यह नहीं देखकर, जहां 60 बच्चे हैं वहां पर प्राइमरी स्कूल खुल जाना चाहिए। इसी प्रकार से जहां पर 35 बच्चे हैं और 35 बच्चे छठी क्लास में जाते हैं तो पांचवी से छठी क्लास हो जानी चाहिए। इसी प्रकार से आठवी क्लास में है तो नवीं क्लास हो जानी चाहिए। इसमें और दूसरी चीज नहीं रखनी चाहिए यदि शिक्षा को आगे बढ़ाने का है तो।

पुनः मैं पुनरोक्ति के दोष के साथ यह निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि मैं पहले यह बात कह चुका, हम कितना ही डवलपमेंट करें, एग्रीकल्चर पर, किसी पर भी, सारे जितने भी मद हैं चाहे उद्योग हो, एग्रीकल्चर हों, इनके पीछे जो आदमी हैं यदि वह पढ़ा लिखा नहीं होगा तो, कृषि में भी, उत्पादन नहीं होगा। क्या वजह है कि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा हम एक हैक्टर में 30 क्विंटल पैदा कर पाते हैं चाहे पंजाब हो, चाहे गंगानगर हो? 32 कर पाते होंगे। जबकि उसके मुकाबले में अमरीका के अन्दर जहां घटिया जमीन है, घटिया पानी है, बीज, खाद हमारे जैसा ही है, वह लोग 60 से 65 क्विंटल पैदा कर लेते हैं। उसके पीछे यह बात है कि वह पढ़ा लिखा आदमी है। वह जानता है कि टेम्परेचर क्या है, जमीन के अन्दर जितने भी रसायन हैं उन सब का अच्छी तरह से एनलेसिस करना जानता है और वह उस सब चीज को टाइमली करता है। तो यदि पढ़ाई–लिखाई में हमने कंजूसी की, शिक्षा के मामले में यदि ढंग से कोप–अप नहीं किया तो हम यह सकल घरेलू उत्पादन पर जो चर्चा कर रहे हैं उसमें आगे नहीं बढ़ पा सकेंगे।

सभापति महोदया, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में थानागाजी के 600 लड़के अलवर में पढ़ते हैं और सड़कों पर रहकर, सोकर पढ़ते हैं। उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, बहुत गरीब हैं, अधिकांश वहां पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग रहते हैं, उनके पास में मकान किराये के पैसे नहीं हैं। वहां होस्टल फैसिलिटी नहीं है। वे जिस तरीके से रह रहे हैं और उनको 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, छात्राओं की एजुकेशन का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, कोई भेजने ही वाला नहीं है कि थानागाजी से जाकर के अलवर पढ़ने जाएंगी। परन्तु जिस क्षेत्र में 600 लड़के हैं, आप गिनवा लीजिये, पुछवा लीजिये, वहां पर पढ़ते हों और वहां पर कॉलेज नहीं खुले तो वहां का जो युवा वर्ग है वह बिलकुल मंजूर नहीं करेगा और वह किसी भी तरीके से इस बात को सहन नहीं करेगा।

सभापति महोदया, मैं दो मिनट में दो छोटे–छोटे सुझाव और देना चाहता हूं। यहां से जयपुर दिल्ली हाई–वे जाता है। पैरेलल यदि हम तालाधोला से प्रतापगढ़ होते हुए,

(श्री रमाकान्त शर्मा)

प्रतापगढ़ से नारायणपुर, हाजीपुर होते हुए रेवाड़ी में जाकर मिला दें तो 25 किलोमीटर का फर्क पड़ता है और बहुत सारे गांव इसके साथ जुड़ जाते हैं। पी. डब्ल्यू. डी. में इस बात का सर्वे हो चुका है मिस्टर लोरिया के समय। उन्होंने सारी की सारी चीजें देखी थीं। इस चीज पर अभी से हमें कुछ न कुछ सोच विचार करना चाहिए, कार्य करना चाहिए क्योंकि आने वाले टाइम में जो डीजल और पैट्रोल का खर्चा है, उस डीजल और पैट्रोल के खर्चे में कमी हेतु हमको सब जगह की दूरियां कम करनी होंगी और दूरियां कम करने से हमारा फोरेन एक्सचेंज बचेगा, यद्यपि वह जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके प्रपोर्शन के अन्दर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होगी।

मैं एक यह भी सुझाव देना चाहूंगा, यद्यपि यह इस सदन का मामला नहीं है परन्तु राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि राजस्थान सरकार भारत सरकार को कहे। एक बड़ा सारा इलाका बानसूर, थानागाजी, बहरोड़ का है जिसमें रेलवे लाइन नहीं है। तो बड़ी अचरू से या खोड़ी से रेलवे लाइन लेकर के थानागाजी होते हुए इसको दौसा से जोड़ना चाहिए। यदि हमने इस लाइन को जोड़ दिया तो इस क्षेत्र का जो विकास होगा, इस क्षेत्र से जो सकल घरेलू उत्पाद भारत सरकार को मिलने वाला है वह फेंटास्टिक होगा जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इस बारे में कभी किसी ने विचार नहीं किया। मैं राज्य सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हम रेल्वे के बारे में बात तो करते हैं परन्तु मुझे दुःख है कि इस प्रकार का प्रस्ताव आज तक कभी नहीं भेजा गया। यह प्रस्ताव वहां पर जाना चाहिए।

सिंचाई विभाग चर्चा थी, उसके अन्दर मुझे दुःख है कि गुड़गांवा कैनाल से जो अलवर को यमुना का पानी मिलने वाला था उसके बारे में बिल्कुल चर्चा ही समाप्त कर दी गयी 2–3 वर्षों से। कोई बात ही नहीं करता। सदा बातें इधर–उधर की होती रहती हैं। पानी हमारा मिलने वाला है। इस बारे में कभी चर्चा हमने नहीं की और वह सारा पानी हरियाणा, दिल्ली में जा रहा है जो हमारा है। पानी बहुत बड़ा महत्व रखता है। इन चीजों के बारे में मुझे आपसे निवेदन करना था, आपने मुझे समय दिया, बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री जगदीप धनखड़।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय सभापति महोदया, राजस्थान एप्रोप्रियेशन (नम्बर 3) बिल, 1998 पर चर्चा करते हुए इसका समर्थन करने में मैं अपने आपको असहाय महसूस कर रहा हूं।

माननीय उप मुख्य मंत्रीजी, वित्त मंत्रीजी विद्वान आदमी हैं और इनकी काम्पिटेंस के ऊपर मैं समझता हूं कि कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगता। पर इनकी शुरूआत कैसे की आप लोगों ने? शुरूआत की पहले मात्र बजट स्पीच पढ़ने से। हमें बड़ा अजीब लगा कि एक वरिष्ठ मंत्री को क्या आप इसलिए प्राप्त कर रहे हैंकि बजट स्पीच पढ़े। धीरे–धीरे परिस्थितियों ने परिवर्तन लिया और

(126)

(श्री जगदीप धनखड़)

एक के बाद एक विभाग जुड़ते गये, अच्छी बात है। आपको पूरा मौका मिलता और आप अपने हिसाब से अधिकारियों पर नियंत्रण भी रख पाते तो मैं समझता हूं कि आपके मन में जो कई बातें हैं वह कह पाते। अब जो हम देखते हैं, थोड़ा बहुत तो जो आपके मन में था वह एक्शन में ट्रांसलेट हो गया और बाकी जो कुछ आप नहीं कर पाये उसका कारण साफ है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप बताओगे।

श्री जगदीप धनखड़ : चतुर्वेदीजी, आप वरिष्ठ आदमी हैं, जरा सुनना। आप तो फर्स्ट ओपनर की तरह से फटाक से खड़े हो जाते हैं. Have some patience. आपके विभाग के बारे में बहुत विशेष बात करूंगा। मैं यह कांप्लीमेंट पे कर रहा हूं I have seen his working as speaker in every position.

ज्यों ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया और फाइनेंस मिनिस्टर बनाया या कोई विभाग दिया, साथ के अन्दर से सैक्रेटरी पोजिशन कर दिया। मैं कहते हुए संकोच नहीं करता, यह प्रजातांत्रिक व्यवस्था के सामने चुनौती है। कोई भी मुख्य मंत्री होता है वह एक रास्ता निकालता है, सबसे ज्यादा अटैक वह नम्बर टू पर करता है और नम्बर टू आदमी वित्त मंत्री हो गया। तो, मान्यवर, जिन बातों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा और जिन कारणों से मैं अपने आपको असहाय महसूस कर रहा हूं, उसमें आपका दोष बहुत कम है। आपने जो कुछ किया है उसके लिए तो मैं समझता हूं, आप बधाई के पात्र हैं। पर जब आप अध्यक्ष की कुर्सी पर थे तब से एक बीमारी चालू हो गयी। मैं पूरी सहमति व्यक्त करता हूं थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य से कि आंकड़ों के मायाजाल में अपने को नहीं फंसना चाहिए, यह नहीं देखना चाहिए कि कर्ज कितना बढ़ गया। यदि अगर उन मापदंडों के आधार पर हमने कोई प्रोग्रेस की है, हमारे अचीवमेंट्स ऐसे हैं जो दिखते हैं तो मैं समझता हूं कि बेपरवाह हो जाना चाहिए। पर यदि हमारी वर्किंग इस प्रकार की है जो बड़ी भारी चिन्ता को जन्म देती है, मान्यवर, मैं कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों की तरफ ध्यानाकर्षित करने से पहले कहूंगा कि बहुत लम्बे समय से एक व्यवस्था बनी हुई है उसमें किसी राजनीतिक दल को मैं दोष नहीं दे रहा हूं, कोई भी सत्ता में आता है तो ग्रामीण व्यवस्था के साथ सौतेला व्यवहार करता है। आप ग्रामीण विकास के नाम पर स्कूल क्रमोन्नत करेंगे और कहेंगे दे दो पांच लाख, कटारियाजी 100 स्कूल क्रमोन्नत करेंगे तो 5 करोड़ हो गये, हजार करेंगे तो 50 करोड़ हो जायेंगे। शहरों में तो इस प्रकार की संस्कृति लागू नहीं है। गरीब, गांव की जनता गांवों में जायें तो एक ही बात कहती हैं कि हमें स्कूल दो। पैसा इकट्ठा करते हैं, भामाशाह तलाशते हैं। गांवों के साथ इस प्रकार का भेदभावपूर्ण रवैया पूरी तरह बन्द होना चाहिए। दूसरा, मान्यवर, यह भेदभावपूर्ण रवैया......

श्री गुलाबचन्द कटारिया : माननीय सदस्य, मैं नम्रतापूर्वक कहता हूं कि पिछले वर्षों में खोले हुए स्कूलों की तुलना करके अगर आप देखेंगे तो 90 प्रतिशत स्कूल गांवों में ही खुले हैं। यह मैं आपको तथ्यों से बता रहा हूं।

श्री जगदीप धनखड़ : मान्यवर सभापति महोदया.....

श्री उगमराज मेहता : माननीय सभापति महोदया, ये अपने एरिये में जाते ही नहीं हैं। इनके यहां विकास के काम हम करवाते हैं। वहां डी.आर.डी.ए. की मीटिंग में हम बैठकर किशनगढ़ और उसके आसपास के एरिये के लिए हम सिफारिश करते हैं, स्कूलों के लिए हम सिफारिश करते हैं। ये तो कभी अपने एरिया में जाते ही नहीं है, हम करते हैं इनके काम। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : और कोई बोले तो और बोल लो।

श्री उगमराज मेहता : एक भी डी.आर. डी.ए. की मीटिंग में नहीं जाते। जिला स्तरीय अन्य मीटिंग में कभी नहीं गये। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सभापति महोदया, मैं कहना चाहता था। वह कहते हैं, +++ ब्यावर के अन्दर जो हालात हुए उसके अन्दर आप बिल में घुस गये थे और...

श्री उगमराज मेहता : बिल में नहीं था, यहां था (व्यवधान) पानी की समस्या का हमारी सरकार ने ही समाधान किया। आपने कुछ नहीं किया। आप तो वहां से चुनाव लड़कर वापस उस एरिया में नहीं गये। जब सांसद बने तो उस एरिया में नहीं आये। बड़े–बड़े आपने लगा दिये पोस्टर और आप कहां आये? आपकी समस्या का समाधान हमारी सरकार ने किया है और हमारी सरकार आने वाले समय में जो आपकी समस्या होगी, उसका समाधान हमारी सरकार करेगी।

श्री जगदीप धनखड़ : सभापति महोदया, माननीय सदस्य की स्थिति मैं समझता हूं।

श्री किशन गोपाल कोगटा : दूसरी जगह से खड़े हो रहे हो?

श्री जगदीप धनखड़ : मैं मुख्य मंत्री हूं क्या? एक जगह से कभी दुबारा लड़े क्या? या गृह मंत्रीजी, यहां पर नहीं है (व्यवधान) ऐसा मत कीजिये। हाँ, मुख्य मंत्रीजी पापुलर थे तभी धौलपुर सीट को बचाते हैं और मुख्य मंत्रीजी पापुलर थे तभी गंगानगर में तीसरे नम्बर में आते हैं। मुख्य मंत्रीजी अस्वस्थ हैं, क्यों उनकी +++ खुलवा रहे हो, मुझे भाषण देने दो। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : क्या कहना चाह रहे हो?

श्री जगदीप धनखड़ : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकारी पक्ष से अनुरोध करूंगा, यदि इस दायरे में बातचीत करनी हो तो मैं तैयार हूं पर (व्यवधान) पुरानी कहावत है, बेटे की शिकायत करने

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(128)

(श्री जगदीप धनखड़)

कोई उसके बाप के पास गया और बेटे से बुरी स्थिति में उसको पाया। माननीय सभापति महोदया, आप बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं। आप पीछे बैठ गये, बहुत अच्छा है, मेरी बात को अगर आप सुन लेंगे, मुझे लगता है कि मैंने उप मुख्य मंत्रीजी की जो प्रशंसा की है, वह इसलिए कि मुझे इनकी कई बातें अच्छी लगीं वरना यहां पर बैठकर इन्होंने कटु से कटु निर्णय मेरे खिलाफ किये हैं पर आप लोगों को यह रास नहीं आया कि आपके वित्त मंत्रीजी की थोड़ी सी कोई प्रशंसा कर दे। पता नहीं कौनसी भावना जागृत होती है कि आप सुनना ही नहीं चाहते? अब मुझे आपकी +++ खोलनी पड़ेगी।

माननीय सभापति महोदया, यदि पिछले पांच सालों की गतिविधियों को देखें तो भारी पीड़ा होती है और ऐसा लगता है कि ग्रामीण जनता, राजस्थान की जनता जिस उम्मीद के साथ इस सरकार को देख रही थी वह पूरी तरह धूमिल हुई है। मान्यवर, इस सरकार को देखिये, आप एक–एक विभाग को ले लीजिये। कृषि विभाग का सबसे पहले लेते हैं। आधारभूत बीजों के उत्पादन में कमी 21 प्रतिशत से लेकर 89 प्रतिशत तक रही इस पीरियड में। इसके लिए दोषी कौन है? It is a very vital input.

ध्यान दिया जाना चाहिए था पर सत्ता में आने के बाद निरन्तर एक ही बात रही कि इसके अन्दर बेफिक्री से कार्य करते रहे। सभापति महोदया, वह बीमारी को ध्यान से देखें कि सरकार ने 82.55 लाख का कपटपूर्ण, यह मैं नहीं कर रहा हूं, यह इतना कठोर शब्द सी.ए.जी. यूज कर रही है अपनी रिपोर्ट में, कपटपूर्ण, अधिक अतिरिक्त भुगतान स्वीकार किया और उसमें से वापस कितना लिया, 23.87 लाख। राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम तथा तीन अन्य संस्थाओं से वह पैसा, जाना और कहीं चाहिए था, एक करोड़ 48 लाख रुपये की सहायता का भुगतान गलत कर दिया और बीजों के वितरण के मामले में तिलम संघ को 13 लाख 95 हजार का दो बार पेमेंट कर दिया। आवश्यकता नहीं थी, दो बार कर दिया। आप इस प्रकार से नियंत्रण रखते है। दो–दो बार पेमेंट करते हैं, करोड़ों का गलत पेमेंट करते हैं और नतीजा, जो चीजें आपको उपलब्ध करानी चाहिए उसके अन्दर भारी गिरावट है। क्या इस प्रकार की स्थिति में हम कहना चाहते हैं कि इनकी बात का समर्थन किया जाये?

माननीय सभापति महोदया, शिक्षा विभाग को देखिये। मंत्रीजी हैं, 3 करोड़ 62 लाख की पुस्तकें राज्य संसाधन केन्द्र के बजाय अन्य संस्थानों से प्राप्त की गई, उस बारे में सी.ए.जी. ने कड़ी आपत्ति की और अधिक प्राप्ति के परिणामस्वरूप 75 लाख रुपये की पुस्तकें स्लेटें और पैंसिलें आपने वितरित ही नहीं कीं। अब मान्यवर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बड़ी भावना से यहां पर बात

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री जगदीप धनखड़)

कह देते हैं, यह सी.ए.जी. की रिपोर्ट आप पढ़ लेना, इसमें मैं फिलहाल पेज नम्बर 7 पढ़ रहा हूं.....

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यह प्रौढ़ शिक्षा का है, थोड़ा इसको स्पष्ट करके बात कहें।

एक माननीय सदस्य : प्रौढ़ शिक्षा का कौन है?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : हां, मैं हूं, लेकिन आप शिक्षा विभाग के लिए कह रहे हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : आपका दिल इस बात के लिए पसीजता नहीं? क्या आप अन्दर से रोते नहीं कि गांव का वह आदमी तो पीड़ित है और आप 75 लाख की पुस्तकें, स्लेटें और पैंसिल वितरित ही नहीं करते? खरीद लेते हैं, पड़ी रहती हैं। क्या पता कागजों में ही खरीदी गई हों। क्या आप इस बात को सही मानते हैं कि 3 करोड़ 62 लाख रुपये की आपने खरीद कर ली उस संस्था से जो अधिकृत नहीं थी? माननीय सभापति महोदया, यह स्थिति एक विभाग की नहीं है, सभी विभागों की है।

यदि आप आगे चलेंगे, सामान्य प्रशासन विभाग, 39.95 लाख किलोमीटर, करीब 40 लाख किलोमीटर की यात्रा का न तो स्थान तय किया गया, न उद्देश्य तय किया गया, न लॉग बुक में अंकित किया गया। और सी.ए.जी. ने कितनी की? मंत्रियों, सरकारी अधिकारियों से सरकारी वाहन व्यक्तिगत उद्देश्यों हेतु निर्धारित सीमा से अधिक उपयोग के लिए 40 लाख 61 हजार रुपये वसूल होने हैं। जनता के लिए काम करते हैं। जब एक बहुत बड़ा आकलन हो गया। मंत्रियों और अधिकारियों का व्यक्तिगत काम के लिए जिसके लिए सरकार पैसा नहीं देगी, जिसका कि पैसा उनको देना था, आप लोगों को देना था, यह बाकी है। क्यों नहीं दिया गया? हम कहते रहे कि आप एप्रोप्रिएशन बिल के माध्यम से अमाउंट एप्रोप्रिएट करते रहिये और फिर उसको मिस एप्रोप्रिएट करते रहिये। इसके अन्दर आगे देखिये, 92–93 से लेकर 96–97 तक 25 अधिकारियों को स्थाई रूप से गाड़ियां दे दीं। सभापति महोदया, they were not entitled.

अब आप क्या कर रहे है? गरीब जनता तो आपकी तरफ देख रही है छोटी–छोटी चीजों के लिए, आगे क्या कहते हैं, आपने इतना खर्चा इसलिए किया कि कुछ अधिकारियों को आपने 2–2 ड्राइवर उपलब्ध करा दिये। अब इस प्रकार के लेखे–जोखे में आप किस प्रकार से चलेंगे?

माननीय सभापति महोदया, आप अगर देखेंगे, सिंचाई विभाग का देख लीजिये, उसकी पोल भी ज्यों आकलन हुआ, उसी प्रकार से खुल रही है। "सरकार ने उनके द्वारा 341 मामलों के सम्बन्ध में जब्त किये गये अभिलेखों से कपटपूर्ण," यदि इस प्रकार का शब्द 'फ्राडूलैंट', 'कपटपूर्ण' सरकार के

(श्री जगदीप धनखड़)

लिए उपयोग होता है तो मैं समझता हूं, यह महत्वपूर्ण मुद्दा है कि कुछ न कुछ स्पष्टीकरण दिया जावे। उसके अन्दर 2 करोड़ 11 लाख का चूना गरीब जनता के लग गया।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी यहां हैं नहीं, इतना अस्वस्थ विभाग और कोई आपको नजर नहीं आयेगा। आप देखिये, चार ब्लड बैंक, आपने उनके लिए लाइसेंस ही नहीं दिये। आपको दो मशीन उपलब्ध कराई भारत सरकार ने कि एड्स की रोकथाम करें। आपने लाइसेंस नहीं लिए, वह इस्टाल नहीं हो पाई। आपके सात अस्पतालों में, अब यह फाइंडिंग बड़ी इम्पोर्टेंट है। गांवों में जाते हैं, कह रहे हैं कि हमारे क्रमोन्नत करके एड पोस्ट कर दो, हमारे को एक नर्स दे दो, इस प्रकार की बात गांव के अन्दर कहते हैं। आप देखिये, सात अस्पतालों के अन्दर नर्सिंग कर्मचारियों की 54 प्रतिशत कमी के बावजूद, आप उनसे एल.डी.सी. का काम करा रहे हैं। पांच अस्पतालों के आपके 28 रोगी वाहन हैं, 13 तो सड़क पर नहीं चल रहे हैं और बाकी से आम ट्रांसपोर्ट का और पैसेंजर को लिफ्ट करने का काम करा रहे हैं। आपकी 85 एक्स–रे मशीनों में से 28 बंद पड़ी हैं और चार करोड़ से अधिक का इक्विपमेंट आप इन्सटाल नहीं कर पाये खरीद के बावजूद। अब इस प्रकार के विभाग के बारे में क्या कहा जाय? अब राजस्थान की गरीब जनता तो देखती है कि हमारे को छोटी–छोटी अमाउंट पर यह कह दें.....

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, जब थानागाजी वाले सदस्य बोल रहे थे, मैंने घड़ी की तरफ देखा था या तो आप समय निश्चित कर दीजिये.....

श्री सभापति : समय तय है।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं–नहीं, आप मुझे समय निश्चित कर दीजिये।

श्री सभापति : आप बोलिये, मनाही नहीं है पर आप इसको कम्पेयर मत कीजिये। थानागाजी वाले कितना मिनट बोले वह भी रिकार्डेड है, आपका भी रिकार्डेड है।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं, आप मुझे समय बता दीजिये, उससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा।

श्री सभापति : बोलिये न आप।

श्री जगदीप धनखड़ : फिर आपने घंटी बजा दी।

श्री सभापति : बजायेंगे।

श्री जगदीप धनखड़ : इसलिए कि मैं राजस्थान की गरीब जनता की बात करके +++ खोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप तो वह रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। आपको तो पता ही नहीं

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

है। राजस्थान की गरीब जनता, गरीब जनता। आपने तो पहली बार एक स्कूल के लिए लिख कर दिया है, जनता की बात।

श्री जगदीप धनखड़ : रिपोर्ट नहीं पढ़ रहा हूं।

श्री सभापति : आपने थानागाजी वालों से ज्यादा समय ले लिया।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वह सी.ए. जी. की रिपोर्ट है जिसको पढ़ रहे हैं आप।

श्री मदन दिलावर (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : और छात्रावास तो मांगा ही नहीं अनुसूचित जाति के लिए इन्होंने अभी तक। पता नहीं इनको हो क्या गया है।

श्री अमराराम (धोद) : जिन्होंने मांगा है उनके तो खोल दिये क्या?

श्री महावीर प्रसाद जैन : ये तो जिसकी फीस लेते हैं उसी की बात करते हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : सभापति महोदया, समाज कल्याण विभाग एक ऐसा विभाग है जिसके बारे में जितनी कम चर्चा की जाय उतना ही ठीक है। 91–92 से लेकर 96–97 के मध्य, अब आपने क्या किया, देखिये। आपने इस विभाग को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। आपका इस विभाग पर कोई नियंत्रण नहीं रहा और आपने उस वर्ग के साथ इस प्रकार एक तरीके से ब्रीच आफ ट्रस्ट किया है। मैं आपको तथ्य दे रहा हूं, उन तथ्यों पर अगर आप कुछ भी बोल पायें, मुझे बताइये।

श्री भंवरसिंह डांगावास : हर बात का जवाब देना जरूरी थोड़े है।

श्री जगदीप धनखड़ : सरकारी निगम के पास 37 करोड़ से अधिक रुपया अनयूज्ड रहा। तीन करोड़ तक रहा और सबसे खतरनाक बात जो इन्होंने की, जो पैसा शिड्यूल कास्ट, शिड्यूल ट्राइब के डवलपमेंट के लिए था, जो पैसा आपका नहीं था, भारत सरकार का था, आप मंत्री......

श्री भंवरसिंह डांगावास : वह सरकार आपकी है क्या, वह सरकार भी हमारी है।

श्री जगदीप धनखड़ : आप बोल लें पहले। तीन महीने के शहीदी जत्थे में आप आये हो....

श्री मदन दिलावर : गलत तथ्य सदन में आप नहीं रखें, वास्तविकता रखें। धनखड़जी, आप विद्वान वकील बताये, एडवोकेट बताये, इसलिए सही तथ्य रखें। कहा करते हैं लोग कि विद्वान हैं, हम तो मानते नहीं हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सभापति महोदया, सी.ए.जी. की रिपोर्ट है। खैर, यह सी.ए.जी. को भी नहीं मानें, मैं कह नहीं सकता। देखिये। 6 करोड़ 75 लाख आर. एस.ई.बी. को दिये गये और मंत्री खड़े रह गये। आर.एस.ई.बी. अपने आप पास इकट्ठा करेगी, एक संस्थान है, किसानों को लूट रही है, 12–12 हजार रुपये पोल के ले रही है, नर्सरी कनेक्शन लेते हैं, दो–दो लाख

132

(श्री जगदीप धनखड़)

रुपया लेती है। आपने उन गरीब शिड्यूल कास्ट्स, शिड्यूल ट्राइब्स का पैसा उनको क्यों जाने दिया? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : सारा पैसा बैंक में रखा हुआ था, बैंक के बराबर ब्याज आर.एस.ई.बी. ने दिया है। उस पीरियड में वह पैसा हम खर्च करने के प्रोसेस में थे छह माह के लिए दिया और छह माह के एक करोड़ दस लाख रुपये इन्टरेस्ट लेकर वापस आ गया जिससे अनुसूचित जाति के लोगों का ज्यादा डवलपमेन्ट हुआ है।

श्री हरजीराम बुरड़क : यह तो और भी गलत बात है।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सभापति महोदया, कितनी +++ की बात है, जो पैसा भारत सरकार एस.सी., एस.टी. के विकास के लिए देती है, वह उस गरीब के पास पहुंचना चाहिए, उससे ब्याज कमाते हैं। आप क्या व्यापारिक संस्था हो गये हैं?

श्री हरजीराम बुरड़क : यह तो और ज्यादा खराब है।

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदया, यह सच है कि भारत सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति के विकास के लिए पैसा देती है। 1980 में अनुसूचित जाति विकास निगम की स्थापना हुई थी। 1980 से 1990 तक इन्होंने पैसा खर्च ही नहीं किया। कभी पचास लाख, कभी अस्सी लाख, कभी एक करोड़, सारा पैसा इकट्ठा हो गया तब 90–91–92–93 से पैसा खर्च करना प्रारम्भ किया। तो साढ़े सैंतीस करोड़ रुपये जो इन्होंने खर्च नहीं किये थे वह मैंने अनुसूचित जाति जनजाति के विकास के लिए खर्च किये। इसलिए +++

श्री हरजीराम बुरड़क : नहीं, यह 80 का बजट डिसकस हो रहा है क्या? आप 80 की बात करते हो, यह कोई चुनाव सभा नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिये आप।

श्री हरजीराम बुरड़क : यह चुनाव सभा नहीं है, चाहे जैसे खड़े होकर बोल दो।

श्री जगदीप धनखड़ : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि माननीय मंत्री कुछ संजीदगी का परिचय दें। इसी सदन के अन्दर दो साल पूर्व मैंने भारत सरकार की वह रिपोर्ट पढ़ी थी जिसके अन्दर आपके काल में पैसा लैप्स हुआ। ट्राइबल डवलपमेंट फण्ड को आप यूज नहीं कर पाये।

श्री हरजीराम बुरड़क : यह खुद मान रहे हैं न कि ब्याज पर दे दिया।

श्री जगदीप धनखड़ : और आप अकेले प्रांत हैं, राजस्थान नम्बर एक पर आ गया, जो फण्ड यूटिलाइजेशन के अन्दर बिल्कुल नीचे रहा। सभापति महोदया, पर मेरे लिए

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री जगदीप धनखड़)

यह गलत बात है कि एक मंत्री को दोषी मानूं। यह तो सभी एक ही कैटेगरी के हैं। देखिये 1 अक्टूबर, 1996 में जीवनधारा योजना, जवाहर रोजगार योजना......

श्री सभापति : पूरा करिये आप। पूरा करिये। सम–अप करिये।

श्री जगदीप धनखड़ : मैंने आपको कहा था, आप मेरे लिए समय तय कर दें। आप कहें एक मिनट, I will agree to that.

श्री सभापति : हां, अब आपको दो मिनट।

श्री जगदीप धनखड़ : मेरी पार्टी का भी टाइम होगा।

श्री सभापति : पार्टी का टाइम तो आप कैसे लेंगे? उसकी लिस्ट है मेरे पास। उनको देना पड़ेगा टाइम मुझे। सब का तो आपको नहीं दे सकती। या फिर लिखा कर ले आयें।

श्री जगदीप धनखड़ : सभापति महोदया, आसन की व्यवस्था को मानना जरूरी है और आप उपाध्यक्षा होने वाली हैं, थोड़ा सा नरम दिल रखिये। जहां सरकार की +++ बोली जाय वहां पर आप थोड़ा सा राजस्थान की जनता पर अपनी नजर रखें।

सभापति महोदया, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के बारे में यदि देखा जाय तो मैं समझता हूं कि कोई सोच नहीं सकता कि क्या सरकार इस प्रकार का नियंत्रण रख सकती है। आपने 18 करोड़ के ऐसे मीटर अविवेकपूर्ण तरीके से खरीद लिये जो काम में ही नहीं आ रहे। आपने 47 करोड़ का फायदा उन लोगों को दे दिया क्योंकि आपको एक चीज तय करनी थी वह आप टाइम पर तय नहीं कर पाये। टेण्डर्स के फाइनलाइ–जेशन में आपने देरी कर दी, फायदा उनको हुआ।

यदि इरिगेशन डिपार्टमेंट को देखा जाय तो आरोप लगा है कि टेण्डर कैंसिल हो गये, काम्पीटेंट अथारिटी ने कैंसिल कर दिये, मंत्रीजी ने उसको बुलाया, मंत्रीजी ने बुलाने के बाद टेण्डर को जीवित कर दिया, सी.ए.जी. ने कहा, 23 लाख का +++ सरकार के लग गया। एक दूसरे अधिकारी है, जब देखा कि मंत्री का आचरण ऐसा है, उस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं है, कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो अधिकारी ने भी देखा, खरबूजे को देख कर खरबूजा रंग बदलता है, अधिकारी ने भी एक टेण्डर दे दिया, 18 लाख की सिक्योरिटी होनी थी, ली नहीं, 6 लाख की ली। जब कहा कि सिक्योरिटी जब्त करो, इसने काम नहीं किया है तो पता लगा कि वह 6 लाख भी बैंक से निकाले जा चुके हैं।

सभापति महोदया, ऐसी स्थिति के अन्दर मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि ग्रामीण व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, पंचायत व्यवस्था को पंगु किया गया है और

++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री जगदीप धनखड़)

सहकारिता आंदोलन को पूरा झटका दिया गया है। गांव का आदमी आज बुरी तरह से पीड़ित है और वह देखता है कि यह सरकार इस प्रकार की है जो हमारे हितों पर कुठाराघात करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती।

सभापति महोदया, यदि यह देखा जाय कि शुरूआत कैसे की, शुरूआत यह कह कर घोषणा कर की थी कि हम बिजली का उत्पादन इतना करेंगे कि हम बिजली दूसरी जगह बेचेंगे। बताते, पांच साल में क्या किया। आपने बेसिक स्ट्रक्चर क्रियेट करने के अन्दर क्या कुछ किया है? उस प्रकार का किसी प्रकार का डवलपमेंट नहीं हुआ है और हुआ क्या है, सभापति महोदया, ब्यूरोक्रेसी का पूरी तरह से पॉलिटिकलाइजेशन कर दिया है, राजनीतिकरण कर दिया है। पूरी सत्ता केबिनेट के पास नहीं है, एक व्यक्ति के हाथ में केन्द्रित रह गई है और एक व्यक्ति के हाथ में केन्द्रित होने पर जो दुष्परिणाम होते हैं वह निकले हैं। एक व्यक्ति राजस्थान की पांच करोड़ जनता के साथ न्याय कैसे कर सकता है? एक व्यक्ति यदि अपने हिसाब से चलायेगा तो यह कोई पारिवारिक संस्थान है?

माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूंगा कि आज के दिन किसी भी वर्ग के पास चले जाओ, हर वर्ग आपका नाराज है और इसका कारण है। चुंगी खत्म करना बहुत ही बढ़िया चीज थी। स्वायत्त शासन मंत्रीजी, तो चार साल पहले कर देते परन्तु आपको विकल्प ढूंढने के लिए इतनी क्या देरी लग रही है? मतलब, जो हथकण्डे अपनाये जा रहे हैं वह दो ही कारणों से हैं।

एक हमें वापस नहीं आना है और दूसरा जो आयें उनको इतना दबा दो कि वे कार्य नहीं कर सके।

श्री मदन दिलावर : ++++ हम तो दुःख भोग लेंगे। आप तो आना ही मत।

श्री टीकमचन्द कान्त : आशा फलीभूत होना अलग बात है। आशा रखना अलग बात है।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सभापति महोदया......सोनगरा जी, आप तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। आप क्यों बोल रहे हैं?

श्री टीकमचन्द कान्त : धनखड़ जी, आशा फलीभूत होना अलग बात है, आशा रखना अलग बात है।

श्री जगदीप धनखड़ : अच्छा, टीकमचन्द जी हैं क्या? माननीय सभापति महोदया....

श्री नन्दलाल मीणा : ये दिल्ली में भी चन्द्रशेखर जी के आसपास घूमते रहते थे कि आगे और कुछ हो जाए लेकिन दुर्भाग्य है कि इनके रेखा पड़ी हुई नहीं है।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सभापति महोदया, नन्द लाल जी मेरे मित्र रहे हैं और हो सकता है इस सरकार के मंत्री बनने के बाद इनकी याददाश्त खराब हो गई हो, कुछ गड़बड़ हो गई हो। चन्द्रशेखर जी के साथ मैं कभी नहीं रहा हूं।

श्री नन्दलाल मीणा : आगे–पीछे कहा है मैंने।

श्री जगदीप धनखड़ : आगे–पीछे मैं किसी के नहीं रहा। आगे–पीछे मैं अगर थोड़ा–बहुत रहा हूं तो स्वायत्त शासन मंत्रीजी के रहा हूं।

श्री किशन गोपाल कोगटा : चौधरी देवीलालजी के पीछे।

श्री जगदीप धनखड़ : चौधरी देवीलाल बहुत महान व्यक्तित्व है। चौधरी देवीलाल देश के किसानों के पितामह हैं। चौधरी देवीलाल ने जो कदम उठाये उनका यदि आप थोड़ा सा भी अनुसरण करते तो पता लगता। 1990 में चौधरी देवीलाल के कन्धों पर बैठकर आप यहां पर आ गये थे। चौधरी देवीलाल के बारे में आप ऐसी बात कर रहे हो। खैर, इनको सिखाना गलत है।

तो, माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से तीन बातों की ओर विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं......

श्री नन्दलाल मीणा : सभापति महोदया, उनको भी धोखा देकर आ गये थे।

श्री मदन दिलावर : ये किसी के भी सगे नहीं हैं।

श्री नन्दलाल मीणा : +++

श्री जगदीप धनखड़ : मैं, माननीय सभापति महोदया, तीन बातों की ओर ध्यान आकर्षित करूंगा। आज के दिन गांव के आदमी को बड़ी पीड़ा होती है कि शहर के अन्दर तो हर चीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अब जब आप जयपुर में हैं तो आपके मकान पर 24 घंटे बिजली आएगी, आपके वहां क्यों नहीं आएगी? वह ही व्यक्तित्व है, वह ही बिजली कानून, आप वहां भी अदायगी करते हैं यहां भी अदायगी करते हैं। आप में तो कोई खोट नहीं है। आप में यदि कोई खोट होता तो आपको यहां भी ये बिजली नहीं देते।

श्री सभापति : आपको मालूम नहीं है, मेरे शहर सिरोही में बहुत अच्छी व्यवस्था है। बिजली की, बहुत अच्छी।

श्री जगदीप धनखड़ : मेरा सिरोही से नहीं, गांव से तात्पर्य है और आप यदि बहुत संतुष्ट हैं.......

श्री सभापति : आपने तो मेरे शहर का नाम बताया है तो क्या करू?....

श्री परसादी लाल मीणा : आपका शहर अभी जयपुर है।

श्री नन्दलाल मीणा : आपके बल्व फ्यूज हो जाते हैं तो हम क्या करें?

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(136)

श्री जगदीप धनखड़ : गांव में कहीं भी चले जाएं, यदि अगर आप लोग ये समझते हैं कि ग्रामीण जनता आपसे संतुष्ट हैं वह पीड़ित नहीं है तो कहीं भी जाकर देख लें, वे सबसे पहले कहेंगे कि लाखों रुपये लेकर हमें बिजली देते हैं गलत समय पर। शहर के अंदर बिजली देते हैं पूरे टाइम, पर्याप्त मात्रा में। हम पैसे देने को तैयार हैं। हम मुफ्त में बिजली नहीं लेते पर हमें देंगे रात को 12 बजे से तीन बजे तक....

श्री भंवरसिंह डांगावास : माननीय धनखड़ साहब, एक मिनट। ये बिजली की बात आप कर रहे हैं। लाखों रुपये दस दफे आपने गिना दिये। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इसी सदन में कहा था कि हम नर्सरी योजना खत्म करने जा रहे हैं तो वहां से विश्नोई साहब खड़े हुए कि बिल्कुल खतम नहीं करें, इसको चालू रखें। लाखों रुपये फर्स्ट क्लास एयर कंडिशन में चलने वालों के लिए लगते हैं, आर्डिनरी आदमी के नहीं लगते। जो हजार आदमियों को पीछे छोड़कर आगे चलना चाहता है, उसके पैसे लगेंगे। अब दूसरी बात आपने अभी की....

श्री जगदीप धनखड़ : अब आप जरा......

श्री भंवरसिंह डांगावास : नहीं, ऐसी बातें न करें जो पूर्णतया मिथ्या हो, असत्य हों। ऐसी बात नहीं करें आप।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सभापति महोदया, मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय मंत्रीजी का......

श्री सभापति : अब पूरा करें इसको।

श्री जगदीप धनखड़ : हां। सात बीघा जमीन जयपुर शहर से 15 किलोमीटर दूर एक उस व्यक्ति ने ली जिसने फौज में रहकर भारत के लिए तीन लड़ाइयां लड़ी और उसको डिमाण्ड नोटिस दिया आपने एक लाख तिहेत्तर हजार रुपये का। उसने जमा करा दिये। किसान, सात बीघा खेती की जमीन, नर्सरी कनेक्शन में एक लाख तिहेत्तर हजार रुपये उसने जमा करा दिये। उसने कहा कि कनेक्शन चालू करो तो कहा गया कि नौ हजार से हमने पोल की कीमत बढ़ा दी, कुछ और जमा कराओ। आप क्या कह रहे हैं, भंवर सिंह जी? देखिये, आप इतने बढ़िया आदमी हैं, आपके साथ मेरी पूरी हमदर्दी है। मुझे पता नहीं आपको किन कारणों से शहीदी जत्थे में सम्मिलित कर लिया।

श्री भंवरसिंह डांगावास : मैं लाचार और बेचारा नहीं हूं। हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सभापति महोदया, मैं अन्त में यह कहना चाहूंगा ....

श्री परसादीलाल मीणा : सेवानिवृत्ति के बाद लाचार ही हो जाते हैं।

श्री जगदीप धनखड़ :.....राजस्थान की गरीब जनता किसान.......

श्री भंवरसिंह डांगावास : मैं तो सेवानिवृत्ति बाद होऊंगा। सौ साल बाद सेवानिवृत्त होऊंगा।

श्री परसादीलाल मीणा : सेवानिवृत्ति के बाद लाचार ही हैं।

श्री भंवरसिंह डांगावास : 100 साल बाद होऊंगा, अभी तो ठहर जाएं। 29 साल बाकी हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : रिटायरमेंट के बाद क्या है?

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सभापति महोदया, मेरा यह कहने का कोई संकेत नहीं है कि सामने बैठे हुए मंत्रीगण बिल्कुल ही कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। मेरा ऐसा नहीं है। इस व्यवस्था का भी दोष हो सकता हे। इस व्यवस्था का दोष इसलिए हो सकता है कि हमारी संस्कृति एक ऐसी बन गई कि गांव के साथ भेदभाव करो। माननीय मंत्रीजी ने यहां कह दिया स्वायत्त शासन मंत्री ने कि शहर में......

श्री मदन दिलावर : संस्कृति का अर्थ समझते हो?

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सभापति महोदया, ऐसा लगता है कि माननीय मंत्री को कोई बीमारी है और......

श्री हरजीराम बुरड़क : चिकित्सा मंत्री हैं नहीं।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं चिकित्सा मंत्री से तो इलाज मत कराना, नहीं तो पता नहीं क्या बुरा हाल होगा। हेल्थ केयर के मामले में जो प्राइवेट व्यवस्था हो रही है, वहीं जाना।

मैं माननीय मंत्री को बहुत पहले से जानता हूं, इन्होंने बिना पढ़े हुए एक बार कह दिया था कि नीचे सोऊंगा जब तक आर्टिकल 370 को हटा नहीं देंगे। फिर मैंने इनको बताया कि आर्टिकल 370 पूरा पढ़ो तो इन्होंने कहा कि इससे पहले मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था। मैं इनसे हमदर्दी रखता हूं। फिर क्या है कि इनका एक बहुत बढ़िया आचरण है। ये पहले बोलते हैं फिर सोचते हैं। साधारणतः बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है कि पहले सोचता है फिर बोलता है। आपके वहां बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति हैं जो सोचते हैं फिर बोलते हैं, आप उनसे कुछ सीखिये।

माननीय सभापति महोदया, चाहे कितना ही व्यवधान हो, मैं मेरी बात इसलिए कहूंगा कि आज के दिन गांव में सबसे बड़ी समस्या है कंजर्वेशन ऑफ सर्फेस वाटर। कहते हैं कि हमारा तालाब ठीक करवा दो और आपके इंजीनियर इस तरीके के हैं। मंत्री के बारे में तो मैंने बता ही दिया, ठेकेदार का ठेका खतम हुआ और वापस जीवित कर दिया। दूसरे का बता दिया। किसी भी गांव में चले जाइये, आपको एक समस्या मिलेगी कि इंजीनियर जनहित के विपरीत काम करेगा। आप उस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं लगा रहे हैं। माननीय मंत्रीजी, मैं आपसे सीधा प्रश्न पूछता हूं कि क्या हैण्डपम्प में ढाई इंच का पाइप लग सकता है? पर चूंकि ठेकेदार को कुछ फायदा है, कुछ इलाकों में लगातार ढाई–ढाई इंच के पाइप लगा दिये। 10 हार्स पॉवर की मोटर से जब

(श्री जगदीप धनखड़)

तक नहीं खींचा जाए तब तक काम नहीं चलेगा। माननीय सभापति महोदया, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज के दिन कहीं भी चले जाइये, हम उम्मीद करते हैं कि गांव का आदमी खुद पैसा इकट्ठा करे, गांव का आदमी भामाशाह ढूंढे, गांव का आदमी स्कूल बनाये और उसके अन्दर बाद में कहे कि मेरे यहां व्यवस्था क्या है? शहर में, माननीय सभापति महोदया, प्राइमरी स्कूल में पांच क्लास होती हैं तो पांच से ज्यादा अध्यापक हैं। गांव में मंत्री जी चले गये, कह गये कि मैंने एक से दो कर दिया। अब आप देखिये, कितनी दयनीय स्थिति उस स्कूल की जिसके अन्दर कक्षाएं तो पांच हैं और अध्यापक आपने दो दिये हैं। एक तो होता ही नहीं है पर मान लिया कि दोनों के दोनों हैं, मैं अच्छी व्यवस्था मानकर चल रहा हूं तो भी माननीय सभापति महोदया, कितनी दयनीय स्थिति है। पांच कक्षाओं में से तीन के अन्दर तो अध्यापक चाहे तो भी नहीं रह सकते और आप कहते हो कि थपथपी लगायी जाए आपके।

माननीय सभापति महोदया, पी.एच.ई.डी. मंत्रीजी के विभाग को ले लीजिये। आप निष्ठावान तरीके से कार्य करते हैं पर आपके हैण्डपम्पों की क्या हालत है? मैंने सुझाव दिया था दो साल पहले, आज भी देता हूं कि आप हैण्डपम्पों की मैकेनिक को एक जिम्मेदारी दीजिये कि आपके जिम्मे दो सौ हैण्ड पम्प देते हैं, ये खराब नहीं होंगे तो आपको पूरा पैसा मिलेगा और ज्यों–ज्यों यह थोड़ा खराब होता जाएगा आपका पैसा कम होता जाएगा। आप एफीसिएंसी के लिए क्यों नहीं देते? यदि एफीसिएंसी ओरिएंटेड कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से उसके अच्छे नतीजे आएंगे।

माननीय सभापति महोदया, आज के दिन अध्यापक कहां रहना चाहता है? अध्यापक आप के दिन शहर में रहना चाहता है। उसको तकलीफ होती है तो वह कहेगा कि मेरी पोस्टिंग शहर के अन्दर कर दो और शहर में जब अध्यापक होता है तो उसको हाउस अलाउंस दिया जाएगा, उसको और भत्ते दिये जाएंगे। आप यह भत्ते गांव में क्यों नहीं चालू करते जहां उसको पीड़ा हो रही है, जहां वह रहना नहीं चाहता। उसके लिए कुछ आकर्षक योजना प्रारम्भ कीजिये। परन्तु उस प्रकार की योजना नहीं की जा रही है।

माननीय सभापति महोदया, चूंकि आप दो बार घंटी बजा चुकी हैं और तीसरी बार आप बजाना नहीं चाहती हैं......

श्री सभापति : आपके मन में हो तो बोल दें।

श्री जगदीप धनखड़ : तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं अन्त में आपके माध्यम से सरकार को.....

श्री सभापति : आपके मन में नहीं रह जाए कोई बात।

श्री जगदीप धनखड़ : मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं आपका और मैं उम्मीद करता हूं कि कल का दिन और भी बढ़िया

(श्री जगदीप धनखड़)

रहेगा कि आप उपाध्यक्षा बनेंगी। चाहे आप एक इतिहास को रच दें कि आपसे कम समय की उपाध्यक्षा आज तक कोई बनी नहीं है और मैं समझता हूं देश की किसी भी विधान सभा में इस प्रकार की बात नहीं होगी फिर भी यह प्रसन्नता का विषय है कि एक महिला को यह सुअवसर दिया जाएगा।

माननीय सभापति महोदया, इस सरकार में सबसे खतरनाक स्थिति क्या है कि चार दिन पहले एक खबर पढ़ी कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने तीन रेड्स कीं, एक गिरदावर, एक क्लर्क और एक क्लास फोर। मैं पूछना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी लोकायुक्त ने गंभीर से गंभीर टिप्पणी आपके वरिष्ठ आई. ए. एस. अधिकारियों के प्रति की हैं। आपको लोकायुक्त की रिपोर्ट की दरकार नहीं है किसी के खिलाफ कार्यवाही करने के लिये, आप कर सकते हैं, परन्तु आप नहीं करते। सबसे बड़ा स्कैंडल इस सरकार ने किया है, सबसे बड़ा स्कैंडल तो आपने जो यह ठेके दिये हैं एक्साइज विभाग में, उस किसी भी ठेके की आप जानकारी ले लो अरबों का घोटाला है। कोई नियंत्रण में अधिकारी कार्य नहीं कर रहे हैं। वे पूरे के पूरे ठेकेदारों से मिले हुए हैं और ऐसा लगता है कि सरकारी तन्त्र को ठेकेदारों के पूरी तरह अधीन कर दिया।

श्री कालूलाल गूजर : यह ठेकेदार पद्धति कब से शुरू हुई, यह बता दीजिए। क्या कांग्रेस के राज में यह ठेकेदारी नहीं थी आबकारी की?

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सभापति महोदया, जवाब देने की स्थिति तो तब आयेगी जब हम इधर से उधर जायेंगे। मुझे यह कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि कोई बात कांग्रेस शुरू करे या भाजपा करे, यदि यह गलत है तो गलत है।

श्री मदन दिलावर : तो कांग्रेस की निन्दा करो।

श्री जगदीप धनखड़ : मुझे तो इस बात में अफसोस लग रहा है कि जब भी मैं आपके पास बैठता हूं मेरे में एक स्फूर्ति आती है परन्तु यह श्री मदन दिलावर किस मिट्टी के बने हुए हैं, जो आपके इतना नजदीक रह कर भी इनमें बिल्कुल परिवर्तन नहीं आ रहा है? जब भी मैं आपके पास जाता हूं आपके घर, मैं बहुत कम मंत्रियों के दफ्तर पर गया हूं पर आपके यहां जरूर गया हूं, कुछ न कुछ स्फूर्ति मिलती है। आप बिल्कुल एक तरीके से अपनी बात से.....

श्री मदन दिलावर : जैसे गाय का बच्चा एक रूमाल देखकर चमकता है +++ आप तो मेरे को देखकर।

श्री भंवरसिंह डांगावास : संबोधन में थोड़ा चेंज करें। मदन दिलावर नहीं कहें, माननीय मंत्री कहें।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री कालूलाल गूजर : आप वकील होकर ऐसी कैसी भाषा बोल रहे हैं?

श्री जगदीप धनखड़ : थैंक यू। माननीय सभापति महोदया, आजादी के 50वें साल में भी अगर हम कुछ मुद्दों को गंभीरता से नहीं लेंगे और हम उस आदमी का दुःख महसूस नहीं करेंगे जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिये सबसे ज्यादा लड़ रहा है, आज के दिन भी जब वोट की बात आती है वह आदमी कष्ट सहन करके अपने मताधिकार का उपयोग करता है और जब वह देखता है कि पूरी राजनीति एक तरीके से गिरावट की ओर जा रही है तो, माननीय सभापति महोदया, इस सदन की गंभीरता कम होगी। इस सदन में यदि हम संजीदगी का परिचय नहीं देंगे तो सरकारी तंत्र Which is composed of very intelligent people. जो सलेक्शन से आते हैं, काम्पीटिशन से आते हैं वे अपने हिसाब से काम करेंगे। प्रजातांत्रिक व्यवस्था का सबसे बड़ा उत्तर दायित्व है कि राजनीतिक व्यवस्था का प्रशासनिक व्यवस्था पर पूरा अंकुश रहे और वह तभी रह सकता है कि जब हम निश्चित मापदण्ड के आधार पर कार्य करें। पर माननीय सभापति महोदया, यदि मैं देखूं कि निश्चित मापदण्ड के आधार पर क्या कोई कार्य किया गया है, मैं सी.ए.जी. की रिपोर्ट का ज्यादा हवाला नहीं देना चाहता पर इस सरकार के किसी भी आकलन को आप देख लें तो पता लगेगा कि विज्ञप्ति प्रसारण में तो इस सरकार का कोई मुकाबला नहीं है। माननीय सभापति महोदया, इसी सरकार के मंत्री ने घोषणा की, आजकल वह भाजपा के अध्यक्ष हैं, कोटा में कि हम शीघ्र एक विदेशी कम्पनी से बिजली उत्पादन की बात कर रहे हैं और ठीक उसी समय उसी विभाग का सचिव जयपुर में बताता है, विधिवत तरीके से कि हमारा कोई इरादा इस प्रकार का एग्रीमेंट करने का नहीं है। एक ही दिन दोनों बातें छपती हैं। एक जगह छपता है हम इतनी बिजली का उत्पादन कर रहे हैं कि हम दूसरे प्रान्तों को बेचेंगे और दूसरी जगह छपती है 100 पर्सेन्ट कट फॉर इण्डस्ट्रीज। इस प्रकार की बातों में यदि सरकारी तंत्र उलझ गया तो मैं समझता हूं कि जनता के कष्टों का निवारण करने का हमारा मानस नहीं है।

माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से एक मार्मिक अपील सत्ता में बैठे लोगों से करूंगा। आपके पास समय कम है। पहली बार आपके मानस में कुछ बदलाव भी आया है। आपके चहरों पर चिन्ता झलक रही है। आप पूरी तरह से अचंभित हैं कि जनता हमसे इतनी नाराज क्यों है? अन्दर से अपना कलेजा टटोलिए, सोचिए ओर कुछ मरहम यदि लगा सकते हैं उन दुःखी आत्माओं को, वह कार्य कीजिए। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री दयाराम जी परमार।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : माननीय सभापति महोदया, विनियोग बिल पर चर्चा हो रही है, मैं भी इस चर्चा में भाग लेते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस बिल के माध्यम से, इस बिल को पास

(श्री दयाराम परमार)

करवा कर सरकारी खजाने से रुपये निकालना चाहती है। जब सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने का सरकार अधिकार लेती है तो सरकार का पैसा गरीब लोगों के विकास के लिये खर्च होता है। लेकिन आज तक, 1990 से लेकर भाजपा की सरकार बनी है तब से लेकर जितने भी बजट यहां विधान सभा में आये हैं और पारित हुए हैं, सरकार ने बजट का आकार तो बड़ा कर दिया लेकिन किस तरह से जनता के विकास के लिये कितना बजट सरकार खर्च करती है, उसकी ओर कभी ध्यान नहीं दिया।

माननीय सभापति महोदया, आज तक हमारी सालाना जो भी योजना बनती है उसका 52 प्रतिशत पैसा तो हम सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर खर्च करते हैं और 30 प्रतिशत पैसा राजस्थान के 4 करोड़ 40 लाख लोगों के विकास के लिये खर्च करते हैं। सरकार को इसके लिये सोचना चाहिये कि 8 लाख के करीब कर्मचारी और 200 विधायक पर सरकार पूरे बजट का 50 पर्सेन्ट पैसा खर्च करती है और बाकी 4 करोड़ 30 लाख लोगों के विकास के लिये 30 प्रतिशत पैसा खर्च करके फिर हम कहना चाहते हैं कि हमारा बजट जनकल्याणकारी है। माननीय सभापति महोदया, यह बजट जनकल्याणकारी नहीं है, यह इस प्रदेश के कुछ चुने हुए लोगों के लिये पढ़े–लिखे विद्वान, नौकरी करने वाले लोगों के लिये है। इसलिए मैं इस बजट को जनकल्याण–कारी नहीं मानता हूं। यही नहीं, 18 पर्सेन्ट हम ब्याज का चुकाते हैं। थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य कहते हैं कि हमको विकास करना है प्रदेश का। यदि हम एक दिन का 5 करोड़ 11 लाख रुपया ब्याज का चुकावें और इतना कर्जा लेकर फिर कहें कि हम विकास करना चाहते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता।

सभापति महोदया, भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने से पहले भ्रष्टाचार के बारे में इतना जोर–जोर से कहा करती थी कि इस प्रदेश से भ्रष्टाचार को उठाकर हम फेंक देंगे और इसी जोश–जोश में माननीय मुख्य मंत्री जी 1990 में जब मुख्य मंत्री बने तो उन्होंने एक विधेयक लाकर पेश किया, लोकपाल विधेयक और उसके अन्दर यह कहा कि मुख्य मंत्री का पद भी इसमें लाया जाएगा ताकि उनके खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की भी जांच होवे। यह बिल पेश होने के बाद थोड़े दिनों में एक कमेटी को रेफर कर दिया और अब 10 साल हो गये, उसका कोई अता–पता नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस बात को लेकर आई थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ नारा लगाकर आई थी उन्होंने उस भ्रष्टाचार को स्वीकार कर लिया क्या? अगर स्वीकार नहीं किया है तो फिर उस बिल को लाने में क्या तकलीफ थी? बिल ले आते और आप अपने आपको आदर से पेश करते देश में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यह लोकपाल विधेयक लाकर मंत्रियों के खिलाफ, चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे, उनके

142

(श्री दयाराम परमार)

खिलाफ जांच कराएगी। लेकिन सरकार में आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के लोगों का धन के प्रति मन ललचाया और जब ललचाया तो उस चीज को लाने में असमर्थ रहे।

माननीय सभापति महोदया, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बजट जब कभी भी विधान सभा में आया है, इतना लुभावना बजट पेश किया जाता है और यह भी कहा जाता है कि हमने इतनी रियायतें दे दीं, इसमें छूट दे दी, उसमें छूट दे दी परन्तु जो बजट में छूट दी गई हैं चाहे वह इस साल का बजट हो या इससे पिछले पांच साल का कोई बजट हो, जनता को उसका कोई फायदा नहीं हुआ। गत साल के बजट में कहा कि हम नारियल से टैक्स हटा रहे हैं, जब टैक्स लग रहा था तब तो 6 रुपये में ही मिलता था, साढ़े 6 रुपये में मिलता था, आज वह 10 रुपये में नहीं मिलता है तो जनता को कहां फायदा हुआ? इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार केवल यह कहकर कि हमने टैक्स रियायतें देकर जनता को बहुत कुछ फायदा दिया है, यह कोई फायदे की बात नहीं की और न उससे जनता को कोई फायदा हुआ है।

सभापति महोदया, हमने गांवों का विकास पंचायती राज विभाग को दिया हुआ है परन्तु पंचायती राज विभाग का कोई भी सरकारी कर्मचारी जिम्मेदार नहीं, न तो जनता के प्रति उत्तरदायित्व है और न ही वह विभाग के प्रति उत्तरदायी है और इसलिए उत्तरदायी नहीं है क्योंकि पंचायत समिति में बैठा हुआ हर कर्मचारी किसी और विभाग से उधार के रूप में लाकर वहां पर लगा रखा है। वह न इस विभाग के प्रति उत्तरदायी है और न गांव के लोगों के प्रति उत्तरदायी है। इसलिए गांव का विकास नहीं के बराबर होता है और इस तरह से वे वहां आकर भ्रष्टाचार फैलाने का काम करते हैं यह सोचकर कि यहां जितने दिन रहें जितना कुछ कवर करके पैसा बना लें। इसके अलावा कोई सोच नहीं है।

माननीय सभापति महोदया, हमारे गांवों की स्थिति यह है कि गांव के अनपढ़ आदमी को चाहे इन्दिरा आवास का पैसा मिले या किसी और स्कीम का पैसा मिले, उसको दो–दो साल तक, अभी तक पंचायत समिति में इन्दिरा आवास का पेमेंट ही नहीं हुआ है और पेमेंट इसलिए नहीं हुआ है कि जो पैसा किसी को कमीशन के रूप में या रिश्वत के रूप में देना है वह पैसा गरीब आदमी पहले नहीं दे पाता है। माननीय सभापति महोदया, सरकार का इस पर किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं है। वह गरीब आदमी परेशान हो रहा है, उसको न तो कलेक्टर सुनने के लिए तैयार है और न बी. डी. ओ. सुनने के लिए तैयार है। बी. डी. ओ. तो सुनता ही नहीं है इसलिए नहीं सुनता है कि वह तो आया है मुसाफिर की तरह कि एक रात निकल गयी धर्मशाला में, ठीक है, वह चैन से सोया या कैसे भी सोये, निकल जायेंगे फिर अपने घर चल देंगे, अपने

(श्री दयाराम परमार)

डिपार्टमेंट में चले जायेंगे। इसी तरह का जे. ईएन. वहां लगा रखा है, वह भी इर्रिगेशन से आया है। तो मुसाफिर की तरह वहां जी रहे हैं, न मालूम कैसे कैसे अधिकारी डिपार्टमेंट को दिये हैं। सरकार को चाहिए था कि इस डिपार्टमेंट को जिम्मेदारीपूर्ण बनाते और उसके लिए विभाग के ही कर्मचारी होते तो वे अपनी जिम्मेदारी तो समझते लेकिन, माननीय सभापति महोदया, इसमे यह लगता है कि हमारी सरकार गांवों के लोगों के प्रति न्याय करने और उनका विकास करने के लिए न तो सोच रखती है, न उसके लिए वचनबद्ध है। इसलिए हम गांवों के लोगों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है।

माननीया सभापति महोदया, गांवों में बिजली की, विशेषकर ट्राइबल एरिया में यह हालत है कि ट्राइबल एरिया डवलपमेंट मिनिस्टर साहब ने 4 साल पहले 5 करोड़ रुपये लाकर जमा करा दिया, बिजली विभाग को कहा कि ट्राइबल एरिया में सब गांवों में बिजली पहुंचा दो लेकिन क्या हुआ, माननीया सभापति महोदया, वहां पर खम्भे पहुंच गये, खड़े कर दिये और कहीं कोई डी.पी. भी टिका दी और विभाग को कह दिया कि मंत्री जी को खबर कर भेज दो कि हमने उस गांव में बिजली तो पहुंचा दी है। अब कनेक्शन किसको मिले? तो 5–5 साल हो गये, फार्म भर कर हम बैठे हैं और जहां कहीं जरूरत हुई, डिमाण्ड भी भर दी लेकिन कोई भी कनेक्शन देने के लिए तैयार नहीं है। यहां पर जब कभी भी बिजली की चर्चा होती है तो सब की बात कही जाती है लेकिन ट्राइबल एरिया में गरीब आदमी को कनेक्शन देने या बिजली के बारे में कोई नहीं कहता है। अगर हम कभी कहेंगे तो अधिकारियों के मन में यह आता है कि ट्राइबल एरिया के बारे में बोलते रहो उसकी क्या बात है, हमारा न तो ट्रांसफर करा सकता है, न हमारा कुछ और बिगाड़ सकता है, मंत्री महोदय के मन में आता है हमको क्या लेना देना, ट्राइबल एरिया में हमको न वोट लेना है, न जाना है, न कोई लेना है, न देना है। तो इसका नतीजा यह होता है कि हम लोगों को कहीं से भी जो फायदा सरकार से मिलना चाहिए या हमारे साथ न्याय होना चाहिए, वह हमारे साथ नहीं होता है। सभापति महोदया, बिजली है व और तरह की जो भी हमारी तकलीफें हैं, उनसे हम सारे के सारे परेशानी में रहते हैं।

माननीय सभापति महोदया, गांवों में जो भी सरकारी विभाग हैं और विशेषकर आयुर्वेदिक विभाग के गांवों में आपने हास्पिटल खोल दिये, वहां एक चिकित्सक भी लगा दिया। एक चिकित्सक को महीने के 7–8 हजार रुपये तनख्वाह देते होंगे और पूरे साल में उसको दवाई देते हैं दो हजार से चार हजार रुपये तक की, मरीजों को देने के लिए। एक आदमी 10 हजार रुपये की तनख्वाह वाला वहां लगाया, उसको बैठा रखा है, क्या करता है? मेरे वहां कनवई गांव में एक वैद्य है, हर महीने वह आता है, पिछले सात साल से वहां है। महीने की 3

(श्री दयाराम परमार)

तारीख करे अपनी तनख्वाह लेकर घर जाकर आराम से सोता है। वह दूसरे महीने की तीसरी तारीख आ गयी फिर वह आकर वहां बैठता है। मैंने एक–दो बार कहा तो उसने कहा, साहब क्या करूं, मेरे पास दवाई नहीं है, इसलिए मैं घर आराम करता हूं। तो मैंने कहा आपकी मजबूरी है, दवाई नहीं तो यहां आकर करोगे क्या? तो मैं अगर शिकायत भी करूं तो शिकायत इसलिए नहीं हो पाती है कि बड़ा होशियार आदमी है और होशियार सरकारी कर्मचारी को अगर काम नहीं करना हो तो सबसे बढ़िया तरीका यह है कि वह दे कि साहब, मैं बी. जे. पी. का आदमी हूं, मैं आपकी पार्टी का समर्थक हूं इसलिए मेरे को यह सब तंग करते हैं, बाकी मैं बहुत बढ़िया काम कर रहा हूं। तो हमारे वह वैद्य जी इतने होशियार आदमी हैं। एक बार मंत्री जी हमारे वहां बिजली का उद्घाटन करने आ गये, वह पता नहीं महीने भर से कहां था लेकिन रात में आये, सुबह कब आये, आकर सुबह दीवार पर लिखा दिया कि माननीय मंत्री जी के द्वारा भवन का उद्घाटन, ऊपर कपड़ा लगा दिया, स्याही से लिखा था तो वैसे ही मिट गया और पत्थर पर भी नहीं लिखवाया लेकिन वह उस तारीख को आया उद्घाटन करवाकर चला गया। अब उस आदमी का ट्रांसफर कराने के लिए मैं कहूं तो वह मंत्रीजी को फौरन पकड़ेगा कि साहब, मैंने आपसे उद्घाटन कराया था, मैं वही अधिकारी हूं, मैं वही डॉक्टर हूं, मैं वही चिकित्सक हूं पर मेरा ही एम.एल.ए. साहब ट्रांसफर करवा रहे हैं। सभापति महोदया, मैं कहना यह चाहता हूं, सरकार को सोचना चाहिए कि सरकारी कर्मचारी का पार्टियों के आधार पर अगर काम करायेंगे तो उससे जनता दुःखी होगी, जनता का काम नहीं होगा और वे सरकारी कर्मचारी आपको वोट देकर यहां विधान सभा में नहीं भेज सकते। वे तो बहुत होशियार हैं और होशियार इसलिए हैं कि वे अपना काम पड़ता है तब उस पार्टी के साथ में हो जाते हैं। जब शिक्षक हड़ताल कर रहे थे तो मैंने कहा, सनाढ्य साहब का बहुत बड़ा गुट है, वह आपके समर्थक हैं, आपकी पार्टी का राज है और यह हड़ताल काहे को कर रहे हैं। उनको क्यों नहीं कहते हो कि आप हमारी सरकार के खिलाफ में हड़ताल कर रहे हो? तो शिक्षक कह रहे हैं कि हमारी तो तनख्वाह का सवाल है, पार्टी का कहां सवाल है। तो वे हड़ताल करते रहे, परीक्षा के दिन थे तो भी उन्होंने काम नहीं किया। तो मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारी अपने काम के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं उसके लिए पार्टी से ऊपर उठकर उसको जो कर्त्तव्य और अधिकार दे रखे हैं, उसी के प्रति वह काम करे, इसके लिए सरकार को उसे पाबंद करना चाहिए और अगर उनको पाबंद नहीं करेंगे व राजनीतिक पार्टी के आधार पर उनको साथ लेकर चलते रहेंगे तो जनता का काम नहीं होगा।

सभापति महोदया, सरकार इस तरह से विनियोग बिल लाकर जो धन लेना चाहती है, मैं समझता हूं कि यह जनता के उपयोग के लिए नहीं है और जनकल्याणकारी काम में यह उपयोग में नहीं आयेगा क्योंकि सरकार

(श्री दयाराम परमार)

न तो सरकार भ्रष्टाचार को रोक पा रही है, न सरकार ने जनता के विकास के लिए पैसे का जो अनुपात बढ़ाना चाहिए था, 20 प्रतिशत से 40 प्रतिशत करके विकास कार्यों के बारे में सोचती तब तो मैं इस बिल का समर्थन करता लेकिन मैं समझता हूं कि यह पैसा लेकर सरकार जनकल्याणकारी कार्यों में खर्च नहीं करेगी। इसलिए मैं इसका विरोध करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री सभापति : श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी (माण्डलगढ़) : माननीय सभापति महोदया, विनियोग विधेयक पर चर्चा हो रही है। अभी प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य बोल रहे थे और यह चर्चा कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार मिटाने की बात करती थी परन्तु भारतीय जनता पार्टी के राज में भ्रष्टाचार बढ़ा है। यह सही है, माननीय सभापति महोदया, कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि भ्रष्टाचार समाप्त हो परन्तु यदि भ्रष्टाचार की हम चर्चा करेंगे और उसके कारणों में नहीं जायेंगे तो भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। आज जो परिदृश्य हो गया, आज जो संस्कार हीनता लोगों में पैदा हो गयी है, किस प्रकार से पैसा प्राप्त किया जाए, चाहे वह तरीका सही हो, चाहे वह तरीका गलत हो, यह एक आम आदमी में भावना बन गयी है। उसी कारण आज भ्रष्टाचार है।

माननीय सभापति महोदया, स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गये। एक ऑफिस में घुसे। खड़ाऊ की आवाज, लोगों ने नजर उठाकर देखा कि गेरूआ वस्त्रधारी संन्यासी, हाथ में कमण्डल, खड़ाऊ की खट–खट करता हुआ ऑफिस में पहुंचा है। केवल उन्होंने नजर उठाकर देखा। जब वे अधिकारी से मिलकर बाहर आए तो आफिस में काम करने वाले लोगों ने लॉन में उनको घेर लिया और उनसे भारत के बारे में प्रश्न पूछने लगे। सभापति महोदया, स्वामीजी ने उसने कहा कि पहले मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए कि जब मैं आया तब आपको उत्सुकता क्यों नहीं हुई, आपने क्यों नहीं पूछा? जैसे अपने यहां होता है कि ऑफिस में काम होता है और यदि क्रिकेट का मैच टी.वी. पर आता है तो सबके कान उधर लगे रहते हैं। लोग आफिस में काम करना छोड़कर क्रिकेट का मैच देखने लग जाते हैं। कोई विदेशी अपने पास से होकर निकलता है तो उसके पीछे लग जाते हैं और एक उत्कंठा, उत्सुकता से सारा काम छोड़कर उसके पीछे दौड़ते हैं। स्वामी जी ने पूछा कि जब मैं आफिस में आया तो आपने इतनी उत्कंठा क्यों नहीं दिखायी? उन्होंने जवाब दिया, कि स्वामीजी वह हमारा काम का समय था। हम उस समय देश का काम कर रहे थे। यह हमारा लंच का समय है। अभी 15 मिनट बाद हम वापिस अपने काम पर जाएंगे और अगर और प्रश्न पूछना होगा तो आपके निवास स्थान पर आकर पूछेंगे।

यह भाव, माननीय सभापति महोदया, आजादी के 50 वर्ष बाद इन कांग्रेस के

(श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी)

नेताओं ने इस देश की जनता में पैदा नहीं किया, हमारे देश के व्यक्ति में पैदा नहीं किया कि मैं जो काम कर रहा हूं इस देश के लिए कर रहा हूं। अब नरसिंह राव से लेकर, ऊपर से नीचे तक, ऐड़ी से चोटी तक राजनेता भ्रष्टाचार में लिप्त हुआ है। यह है भ्रष्टाचार की जड़, माननीय सभापति महोदया।

माननीय सभापति महोदया, कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राज में विकास नहीं हुआ। प्रतिपक्ष का काम है कहना, आलेचना करना। पर कभी–कभी समालोचना भी करें तो उसकी बात और होती है। जैसे लक्ष्मणसिंह जी करते हैं, अपने विधायक महोदय, भीम से आने वाले माननीय सदस्य, पूर्व खनिज मंत्रीजी। समालोचना भी करें तो अच्छा रहता है।

माननीय सभापति महोदया, पेयजल में भारतीय जनता पार्टी के शासन में जितना काम हुआ, अब कहते हैं कि पानी का संकट है, पानी ऊपर से कम बरस रहा है। आज ही चर्चा हो रही थी कि बरसात नहीं आ रही है। बरसात नहीं आ रही है तो दो समस्याएं भयंकर रूप से खड़ी होंगी, पीने के पानी की और चारे की। और सभी आप व्यवस्था कर लेंगे पर ये दो समस्याएं भयंकर रूप से पैदा होंगी। धरती से पानी नीचे जाता जा रहा है। कहां से हम पानी का दोहन करेंगे। यह समस्या हमारे सामने होगी। माननीय सभापति महोदया, ये सारी स्थितियां हैं। आज मैं लम्बा–चौड़ा उदाहरण नहीं दूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में इन 5 साल में कम से कम साढ़े 4 करोड़ रुपये पेयजल पर खर्च हुए हैं। 13 तो रीजनल स्कीम्स बनी हैं जिससे 60 गांव पानी से लाभान्वित हुए हैं। 2 अरबन स्कीम्स बनी हैं जिन पर करीब 2 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं और करीब 500 हैण्डपम्प इन 5 सालों में लगे हैं। आज जितने हैण्ड पम्प लगे हैं और माननीय मंत्री महोदय ने घोषणा की है कि हम जल संधारण भी करेंगे। हम 20 घर की आबादी,जो ढाणी और मजरा, राजस्व गांव नहीं है और वहां हैण्ड पम्प नहीं हैं, वहां बिलकुल लगाएंगे। उच्च प्राथमिक विद्यालय में भी लगाएंगे। अब हमने प्राइमरी स्कूल में हैण्ड पम्प लगाया तो कहते हैं कि यह आपका पैसा थोड़े ही है। आपके दिमाग में कभी यह विचार क्यों नहीं आया कि नन्हे–मुन्ने बच्चे पढ़ने जाते हैं तो उनको हम पानी नहीं दें, उनके पीने के पानी की व्यवस्था नहीं करें। पैसा था तो आप भी इस प्रकार के अपने मन में कोई विचार पैदा करते, इस काम को क्रियान्वित करते, पर भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है उस नाते अब बहुत विकास हुआ है।

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आज आपकी जो रीजनल स्कीम्स बनती है, इसमें जगह–जगह जी. एल. आर. बनाते हैं। एक गांव में 4–4, 5–5 जी. एल. आर. और उस पंचायत में यदि 4 गांवों को जोड़ा गया है, चार गांवों को मिलाकर रीजनल स्कीम बनायी है तो

(श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी)

कम से कम 10–15 जी. एल. आर. उसमें बन जाती हैं। जी. एल. आर. बनने से फिर आप जनता जल योजना में उसको सौंपते हैं। परन्तु उसको कोई लेता नहीं है, न पंचायत उसको चलाना चाहती है न कोई समिति बनाकर उसको चलाना चाहती है। यदि एस. आर. बना दी जाए और वह ग्रामीणों को सौंप दी जाए और कनेक्शन देने का अधिकार उनको दे दिया जाए तो वे जो कनेक्शन देंगे उनको सम्भाल भी लेंगे, रख–रखाव भी कर लेंगे। उससे लोगों के घरों में पानी भी पहुंच जाएगा।

इसी प्रकार विभाग ने आज यह नीति तय कर ली कि हम ढाई हजार, पन्द्रह सौ की आबादी पर जी. एल. आर. बनाएंगे। रीजनल स्कीम भी आजकल बनाना बन्द कर दिया है। पन्द्रह सौ और चार हजार की आबादी पर हम एस. आर. बनाएंगे। परन्तु माननीय मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि किसी गांव में पीने के पानी की समस्या है। आपकी नीति में तो वहां हैण्ड पम्प लगते हैं, वहां जी. एल. आर. नहीं बनते हैं। वहां एस. आर. नहीं बनते हैं। परन्तु यदि किसी गांव के व्यक्ति "अपना गांव–अपना काम" योजना में वहां पर ट्यूब वैल लगाना चाहे, वहां पर नल की व्यवस्था करना चाहे और आप बिजली का बिल जमा करा दें, आपके विभाग में पैसा जमा कराएं वह। कलक्टर और डी. आर. डी. ए. पैसे जमा कराए। कलक्टर उसको स्वीकृति दे देता है परन्तु विभाग के अधिकारी मना कर देते हैं कि यह हमारे नार्म्स में नहीं आता है। गांव के लोग अपनी समस्या हल करना चाहते हैं। वे खुद सुलझाएंगे जनता जल योजना के पेटर्न पर, तो उसको टेक–अप करने में आपका क्या बिगड़ता है उसको बनाकर उनको सौंपने में।

माननीय सभापति महोदया, ऐसे ही विधायक फण्ड से जब मान लो, कोई किसी गांव में ट्यूब वैल दे देते हैं, 500 मीटर पाइप दे देते हैं तो उसके लिए भी विभाग के अधिकारियों द्वारा मना कर दिया जाता है कि यह तो हैण्डपम्प योजना का गांव है। यहां ट्यूबवैल नहीं लगेगा। आपका क्या बिगड़ता है उसमें। आप तो टेक–अप करके जनता जल योजना में उसको सौंपिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : सभापति महोदया, माननीय सदस्य का जो विचार है उस पर जांच परखकर, विचार करेंगे और कोई हल निकालेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : धन्यवाद। माननीय सभापति महोदया, अभी प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य बोल रहे थे कि राजस्थान में बिजली की बहुत समस्या हैं भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। माननीय सभापति महोदया, यह सही है कि बिजली की समस्या एक दिन में पैदा नहीं हुई है। मुझे याद है कि 1993 में जब मैं विधायक

(148)

(श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी)

बना तो 1980 तक के कनेक्शन बाकी थे लोगों के। सन् 1980 तक के कनेक्शन लोगों के नहीं हुए थे, जिन्होंने 1980 में फाइल दी थी। 1980 से 1990 तक किस का राज रहा? कांग्रेस के ही लोगों का राज रहा, कांग्रेस पार्टी का ही राज रहा। तो 10 साल तक के कनेक्शन उन्होंने क्यों नहीं दिये।

यदि 10 साल की बिजली के बराबर कर जाते, बैक–लॉक नहीं रख जाते तो आज यह बिजली की समस्या पैदा नहीं होती। आज यह जो बिजली की समस्या पैदा हुई, इसकी जिम्मेदार यदि है तो प्रतिपक्षी पार्टी है। बिजली कोई कोठे में नहीं भरी जाती है, बिजली का कोई स्टोरेज नहीं किया जाता। यह योजना नहीं बनायी। माननीय सभापति महोदया, कोई भी योजना बनाएंगे, आने वाले 50 साल में कितनी हमारी रिक्वायरमेंट होगी, उसको ध्यान में रखकर बनाएंगे तो आज बनाएंगे, 5 साल में कारखाने लगेंगे। जनसंख्या बढ़ेगी, लोगों की मांग बढ़ेगी और वही की वही समस्या हमारे सामने खड़ी होगी। 50 साल के भविष्य की योजना बनाकर हम अगर आज से काम नहीं करेंगे तो हम इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। मैं तो बिजली मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि आने वाले पचास साल की आप रूपरेखा बनाइये और उसके अनुसार अगर हम काम करेंगे तो कम से कम हम इस समस्या से निजात पाएंगे, वरना हम निजात नहीं पा सकेंगे।

मैं माननीय मंत्री महोदय से एक निवेदन और करना चाहूंगा कि आपकी जो नर्सरी स्कीम है, वाकई उससे लोगों को नाराजगी है। ठीक है, जहां सम्पन्न किसान हैं, पश्चिमी राजस्थान में गंगानगर में उधर उन लोगों को यह नहीं अखरता होगा पर हमारे मेवाड़ अंचल में किसानों के पास इतने पैसे नही हैं, गरीब हैं, उनको बहुत अखरता है, तो मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि आपने जो उसमें सुधार किया है कि दो साल बाद उसको सामान्य श्रेणी में करने का, वह तो सराहनीय है क्योंकि, माननीय सभापति महोदया, मजबूरी भी हम समझते हैं कि कोई भी सरकार यदि विकास कराना चाहती है तो यदि सरकार दिवालिया है, दिवालिया हो गई है, सरकार के खजाने में पैसा नहीं है। तो वह कहां से विकास करेगी? सरकार की प्राथमिकता पेयजल हो। सरकार की प्राथमिकता शिक्षा की व्यवस्था हो। सरकार की प्राथमिकता स्वास्थ्य की व्यवस्था हो। अच्छी सरकार लोगों का जीवन स्तर कैसे उठे, उनको सुविधा कैसे मिले, इस बारे में सोचती है। तो यह समस्या तो है। जिस प्रकार से आर. एस. ई. बी. का ढांचा कांग्रेस पार्टी हमारे पास छोड़ गयी, करोड़ों रुपये का घाटा छोड़ गयी, ट्रांसफार्मर नहीं थे, तार नहीं थे, खम्भे नहीं थे, क्या करते हम? यह सही है इसलिए कुछ मजबूरी में करना पड़ा और माननीय सभापति महोदया, मैं एक सुझाव देना चाहूंगा बिजली मंत्री को। माननीय बिजली मंत्री महोदय, मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि जो कृषि कनेक्शन हों, नर्सरी

(श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी)

कनेक्शन हों, घरेलू कनेक्शन हों, आपके यहां से खम्भा लगता है, वहां से उसके पैसे चार्ज किये जाते हैं। मेरा आपसे यह निवेदन है कि 11 के. वी. की आप जो लाइन खींचते हैं, वह डिपार्टमेंट खींचे और एल. टी. लाइन का खर्च जो पड़ता है, वह किसान से लिया जाए तो निश्चित रूप से इसमें बहुत राहत मिलेगी। मैं तो आपसे यह उम्मीद करूंगा कि इसकी आज से घोषणा नहीं करके 01 जनवरी, 1998 से घोषणा करें तो यह बहुत बड़ी बात होगी।

माननीय सभापति महोदया, यह कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में विकास नहीं हुआ। जब भैरोंसिंह जी शेखावत ने शासन सम्भाला तब इस राजस्थान प्रदेश की स्थिति क्या थी? शिक्षा का स्तर कहां था? माननीय राजेन्द्र जी राठौड़, चिकित्सा मंत्री ने भीलवाड़ा जिले में तेरह बीस–बीस लाख के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मंजूर किये थे। उसमें से आठ मेरे विधान सभा क्षेत्र में किये थे। तो कल जब मैं मेरे क्षेत्र में दो भवनों का उद्घाटन करने गया तो वहां लोगों ने एक ही मांग रखी कि हमारे मिडल स्कूलों को सैकण्डरी स्कूलों में क्रमोन्नत करो। यहां पर से जाते हैं, प्राइमरी स्कूल को मिडल स्कूल में क्रमोन्नत करो। मिडल स्कूल को सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करो। सैकण्डरी स्कूल को हायर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करो और हायर सैकण्डरी स्कूल को कॉलेज में क्रमोन्नत करो। आज यह भूख जाग्रत हुई है शिक्षा के प्रति। मैं कहता हूं कि यह भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी देन है विकास की। आदमी शिक्षित होगा, आदमी पढ़ा–लिखा होगा तो वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होगा परन्तु इन्होंने कभी उस बात के लिये सोचा नहीं। कभी इस बात पर चिन्तन नहीं किया कि व्यक्ति को शिक्षा मिले और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें शिक्षा के साथ–साथ संस्कार भी देने की कोशिश की है कि जो बच्चा निकले, वह संस्कारवान होकर के निकले और देश के प्रति निष्ठावान होकर के निकले।

माननीय सभापति महोदया, मैं कहना तो नहीं चाहता था पर मैंने पहले जैसा कि निवेदन किया राजेन्द्रजी राठौड़, चिकित्सा मंत्री ने चिकित्सा भवनों का काफी निर्माण कराया और मेरे विधान सभा क्षेत्र में (व्यवधान) मैं आखिरी वक्ता हूं, उसके बाद, चिकित्सा मंत्रीजी ने मेरे क्षेत्र में आठ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्वीकृति दी थी। पांच कम्पलीट हो गये हैं। तीन का काम दो–दो, तीन–तीन लाख का बाकी है, पर वह काम बन्द पड़ा है। उस पर तो वे ध्यान देंगे ही पर मैं यह कहना चाहता था कि सारे उप स्वास्थ्य केन्द्रों को....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा) : माननीय सदस्य, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपका क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है, जिसने इस प्रदेश को नेतृत्व दिया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं में जितना निर्माण का काम और जितना बजट अब स्वीकृत हुआ है, क्या आजादी के पिछले पचास साल मे

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कभी हुआ? एक बात। नम्बर दो बात, जो भवन आपके काम के जिम्मे बन्द पड़े हैं, आप मेरे को सूची दे दें। इसी महीने के अन्दर–अन्दर, आप सूची दे देना और उसके तीसरे दिन काम चालू हो जाएंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : माननीय सभापति महोदय, मैं चिकित्सा मंत्री को धन्यवाद दूंगा।

एक माननीय सदस्य : इस गवर्नमेंट में ऐसे काम होते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : मैं जो कह रहा था कांग्रेस के शासन में अस्पताल खोल दिया, मुझे तो याद नहीं मेरे राजनैतिक जीवन में जब से मैंने होश सम्भाला है, मेरे क्षेत्र में सरकार का एक भी नया पैसा सरकारी हॉस्पिटल में लगा हो। सरकारी हास्पिटल्स में नहीं, उप स्वास्थ्य केन्द्रों में नहीं, जनता ने अपने जन सहयोग से बनाया है, अकाल राहत में कभी कोई अकाल पड़ गया तो उसमें भले ही कोई बन गया हो तो बात अलग है वरना माननीय सभापति महोदया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही नहीं मैं तो यहां तक कहता हूं कि प्राइमरी स्कूल तक नहीं बनाये। सैकण्डरी स्कूल और मिडिल स्कूल को तो पैसा लगाना दूर रहा, प्राइमरी स्कूल तक इन्होंने नहीं बनाये। इनका तो सवाल ही नहीं उठता, सोच ही नहीं था। खोल दिया, पढ़ते रहे, नीम की छाया में। जितने भी प्राइमरी स्कूल खुले हैं, चालीस मेरे क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल खुले हैं और चालीस प्राइमरी स्कूल के भवन बने हैं। 27 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन बने हैं, 8 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन बने हैं। यह सही है, माननीय राजेन्द्र जी राठौड़ कह रहे थे कि कभी इस प्रकार के इन्फ्रास्ट्रक्चर में, कभी इस प्रकार की लोगों की आवश्यकता पर पूर्ववर्ती सरकारों ने एक नया पैसा नहीं लगाया है। यह सोच भारतीय जनता पार्टी की सोच है क्योंकि उसके मन में लोगों के विकास की, गरीब को सहायता देने की, लोगों को सुविधा देने की भूख है, सोच है। मैं जो कह रहा था, माननीय सभापति महोदया, मैं वित्त मंत्रीजी के बारे में कह रहा था कि इसको और आगे बढ़ाया जाए। इसमें और ज्यादा प्रावधान किये जाएं। बजट में शिक्षा में अभी पचास सैकण्डरी और पचास हायर सैकण्डरी स्कूल रखे गये हैं, अब हर मिडल स्कूल तो चाहता है कि मुझे सैकण्डरी करो, अब इस पचास–पचास से क्या होगा? तो कम से कम जो स्कूल क्रमोन्नत किये हैं, इनकी संख्या बढ़ाई जाए। चिकित्सा में निर्माण कार्यों पर भी ध्यान दिया जाए।

माननीय सभापति महोदया, ऐसे ही हर क्षेत्र में कार्य हुआ। सड़कों के बारे में, जब मैं विधायक बना तो मेरे क्षेत्र में जब से पंचायत राज की स्थापना हुई, ऐसे नौ पंचायत हैडक्वार्टर सड़क से जुड़े हुए नहीं थे। वहां से राजस्थान के मुख्य मंत्री भी रहे हैं, दो–दो बार और बीस साल तक वहां से प्रतिनिधित्व हुआ है, राजस्थान का और सरकार में रहे हैं, बीस साल तक.........

श्री रतनलाल ताम्बी : कह दो विकास नहीं हुआ। नहीं खुले कुछ भी। पहले की सरकार ने कुछ भी नहीं किया।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : मैं कब कह रहा हूं? असली बात तो माननीय सभापति महोदया, ताम्बीजी ने कह दी। अब जब मैं मेरे क्षेत्र की बात करता हूं तो मेरे साथ यही दिक्कत होती है। मैं सरकारी अफसरों के पास भी जाता हूं तो यही दिक्कत होती है। पांच साल तक निरन्तर मैं इस समस्या से जूझता रहा हूं कि जहां भी जाओ तो कहते हैं कि आपके यहां तो मुख्य मंत्रीजी रह गये, आपके यहां कौनसा काम बाकी है? और काम कुछ हुआ नहीं है। मैं जो सड़कों की बात कर रहा हूं, आठ–नौ पंचायत मुख्यालय, माननीय ताम्बीजी भी जानते हैं कि आपके पास ही राजगढ़ है, जहाजपुर से अड़ रहा है, वह पंचायत मुख्यालय आज का है क्या? आपके पास का ही एक थल है, डामर की सड़क हो गयी है। राजगढ़ मिट्टी की सड़क हो गयी है। आपके पास ही जनजोला में डामर की सड़क हो गयी है, गिट्टी रोड हो गयी है। आपके पा बिकरन है, डामर सेंक्शन हो गया गिट्टी रोड हो गया है। यह तो आपके पास के ही बताये हैं। आपके पास जो जालेबी लगता है वहां गिट्टी रोड हो गयी बारह किलोमीटर की कोटड़ी की दस पंचायतों की बात है, माननीय सभापति महोदया, इस प्रकार नौ पंचायत हैड क्वार्टरों को हमने सड़क से जोड़ दिया। हमने एक हजार की आबादी के गांवों को सड़क से जोड़ा है। एक विकास का लक्ष्य रखा कि हमारा मापदण्ड क्या होगा?

भारतीय जनता पार्टी ने अब नीतियां बनायीं। यह कहते हैं कि यह काम तो नीतियों में हुआ, आपने क्या किया? हमने नीतियां बनायी हैं। इसलिए आपको भी फायदा हो गया वरना हम भी +++ अगर आपकी तरह करते कि +++ इन्होंने विकास किया। माननीय सभापति महोदया, इन्होंने प्रदेश का विकास नहीं किया, विनाश किया है। इन्होंने +++ वाला काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया, जनता मानती है, खुद भी मन में स्वीकार करते हैं, यह भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत काम होते हैं पर कभी–कभी जो मित्र होते हैं वे कह देते हैं कि इनको भुनाने की आपके पास कला नहीं है।

माननीय सभापति महोदया, मैं एक निवेदन यह करना चाहूंगा कि इस बजट में आपने तहसीलों को क्रमोन्नत करने का उप तहसील बनाने का प्रावधान किया है। माननीय सभापति महोदया, मेरे बिजौलिया में अतिरिक्त तहसील है और बिजौलियां.....

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

दो मिनट, माननीय सभापति महोदया, बिजौलियां की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, बिजौलियां का आजादी के बारे में इतिहास किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज वहां करोड़ों की खनिज सम्पदा है। प्रतिवर्ष लाखों टन खनिज

+++ अभिव्यक्तियां अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयीं।

(152)

(श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी)

वहां से निकलता है। राजस्व की दृष्टि से भी, ऊपरमाल की जो माल है, वह प्रसिद्ध है और कृषि की उपज की भी बहुत पैदावार होती है। हर प्रकार से वह डिजर्व करता है। मैं यह चाहूंगा कि आजादी के इस पचासवीं स्वर्ण जयंती वर्ष में सरकार इस पर ध्यान दे और स्वर्गीय विजयसिंह पथिक को सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में बिजौलियां को तहसील के रूप में दर्जा दिलाया जाए।

एक बात मैं और कहना चाहता था, सभापति महोदया, ज्यादा समय नहीं लूंगा। कांग्रेस के राज में नगर पालिकाएं बनी। यह जो छोटी–छोटी नगरपालिकाएं हैं, सही में अपने किसी नेता को किसी पद पर पहुंचा नहीं सके तो नगरपालिका बनाकर उसका चेयरमैन बना दिया, आस–पास के 10–15 गांवों को मिलाकर पंचायतों को तोड़कर बना दिया। इससे उन गांवों की स्थिति बड़ी नारकीय हो गयी। उनको पंचायतों में जो लाभ मिलते थे, वह लाभ मिलने बन्द हो गये। नगरपालिकाओं की आमदनी नहीं है। अंधरे में गांव डूबे हुए हैं। सड़कें नहीं बन पायीं हैं।

माननीय सभापति महोदया, माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। मेरी मांडलगढ़ नगरपालिका का ही उदाहरण देता हूं कि 17 गांव आस–पास के मिलाकर नगरपालिका बनायी गयी। चार पंचायतें तोड़ी गयीं। अब उन 17 गांवों में आज तक जाने का साधन नहीं है, सड़क बनती नहीं है। सरकार से मांग करते हैं डी. आर. डी. ए. का फण्ड वहां लगता नहीं है। सरकार से मांग करते हैं तो सरकार यह कहती है कि यह तो नगरपालिका का काम है, नगरपालिका बनाएगी। बिजली वहां लगती नहीं है। उनके रेवेन्यू के पट्टे होते नहीं हैं। भाड़े के किसानों के पट्टे होते नहीं हैं, बहुत बड़ी समस्या होती है। ऐसी नगरपालिका है जो अनार्थिक है, उपयोगी नहीं है। जनता कष्ट पा रही है। माननीय सभापति महोदया, माण्डलगढ़ नगर की जनसंख्या ही नगरपालिका की जनसंख्या के बराबर हो गयी है। उन गांवों को निकालकर उनको पंचायतें भी बना सकते हैं। यह नहीं कर सकते तो इन सबको पंचायतें बनाओ, जो अनार्थिक हैं, किसी काम के नहीं आती हैं और जनता परेशान होती है। इसके बारे में माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी विशेष ध्यान देंगे, ऐसा मेरा आग्रह है। आपने समय दिया, धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति : रामस्वरूप जी मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय सभापति महोदया, आपको उपाध्यक्ष महोदय भी कह दूं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। आज जो बिल के ऊपर आप बता रहे हैं सारे माननीय सदस्य सरकार की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, इस बात के लिए अभी हमारे माननीय सदस्य बोल रहे थे। गुरुजी +++ नाम तो इनका गुरुजी है पर

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री रामस्वरूप मीणा)

इनको यह पता नहीं है गुरुजी का मतलब क्या निकलता है और वह गृह मंत्रीजी के चेले बता रहे हैं। गुरुजी +++ झूठी तारीफ तो मत किया करो। आप किसी को क्या शिक्षा दोगे? (व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : आपका भी गुरु हूं। मैंने आपको नहीं कहा कि डंकल प्रस्ताव पढ़ा दूंगा, मेरे घर आ जाना ....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं आपको निवेदन कर रहा हूं आप क्या हो? मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदया, मैं तो यह निवेदन कर रहा था आपने अपने नाम के साथ जो गुरुजी लगा रखा है इसका मतलब क्या निकलता है? "गु" माने होता है अंधकार और "रु" माने होता है प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ला देता है, उसका नाम गुरु होता है। लेकिन यह हम तो उल्टे क्या कर रहे हैं? प्रकाश से अंधकार की ओर ले जा रहे हैं ये अभी। वाह साहब, गुरुजी +++ कह रहे थे कांग्रेस ने कुछ नहीं किया।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : मैं आपकी आंखों के आगे से अंधकार को हटा रहा था। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : आपके अंधकार पर यह प्रकाश डाल रहे थे।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदया, मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। यह बात कहना बड़ा आसान है कि किसी ने कुछ नहीं किया। मैं तो यह भी नहीं कहना चाहता कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया लेकिन हकीकत को कहना चाहिए।

आज जिन विभागों के ऊपर चर्चा हुई, उन विभागों के कार्यकलापों को हम देखें तो हमको पता चल जाएगा विभागों में क्या हो रहा है? आप कितने ही बिल ले आएं, कितने ही पैसे और ले लो, सब कुछ कर लो लेकिन वास्तव में हकीकत क्या है इसकी ओर तो ध्यान देना ही पड़ेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से, माननीय सभापति महोदया, निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले जो आवश्यक चीज है, वह है स्वास्थ्य।

स्वास्थ्य विभाग के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मंत्रीजी यहां विराजमान नहीं हैं, हमारे यहां अस्पतालों की हालत बड़ी खराब है। अस्पतालों के अन्दर लोगों को पट्टी बांधने के लिए कपड़ा तक नहीं मिलता। दवाइयां उनको मिलती नहीं हैं और बाहर की दुकानों पर जो पर्चियां भेजकर दी जाती हैं, उन पर्चियों के द्वारा वहां पर उनका कमीशन बंधा हुआ रहता है और वह जिन दुकानों से वह दवाइयां खरीदते

(16.27)

(श्री समर्थलाल मीणा, अध्यक्ष, पदासीन)

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अप्रकाशित किये गये।

(श्री रामस्वरूप मीणा)

हैं उन दुकानों पर शाम को जाकर अपना हिसाब करके पैसे लेते हैं। यह हालत अस्पतालों की हो गयी है। जिन अस्पतालों में जीवन रक्षा होती थी आज उन्हीं अस्पतालों के अन्दर यौन शोषण होने लग गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने वास्तविक घटना निवेदन कर रहा हूं। आप इसको सुनकर आश्चर्य करोगे कि अस्पतालों में क्या हो रहा है। यह मैं कोई खाली यूं ही नहीं कह रहा हूं, मैं प्रामाणिक बात आपके सामने पेश कर रहा हूं। कृपया इसको ध्यानपूर्वक सुनें। हमारे यहां करौली चिकित्सा विभाग में कितना बड़ा शोषण हुआ है, जिसको पढ़कर आज रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हर आदमी यह सोचता है यह तो हैवान भी ऐसा नहीं कर सकता। मैं निवेदन करूं करौली स्वास्थ्य विभाग की (व्यवधान) सुन लें, वही बहुत है बोलने के लिए, आप क्या विरोध करते हो? सुनो अब। अब कोई बोलने वाला आपके पास नहीं है फिर भी बोल रहे हो। आपका क्या बिगाड़ रहा हूं मैं? आप सुनिये शांति से, इसमें क्या दिक्कत आपको आ रही है? (व्यवधान) सुनना चाहिए। आपको मैं कभी भी टोकता नहीं। आप मत टोकिए बीच में किसी को भी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि स्वास्थ्य विभाग के अन्दर वास्तव में जो हो रहा है, उसकी हकीकत मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि आपके सामने यहां न्याय की जगह है, यहां नहीं रखूंगा तो और कहां रखूंगा। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि बड़ा अच्छा हो रहा है, देखो, यह अच्छा हो रहा है। करौली चिकित्सा विभाग में महिला कर्मियों द्वारा डॉक्टर पर यौन शोषण का आरोप। करौली स्वास्थ्य विभाग की....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : यह अखबार पढ़ रहे हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : नहीं, आप सुनिये एक मिनट। मैं तो वह बात पढ़ रहा हूं जो वास्तव में, हकीकत में हुई है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सदन में अखबार नहीं पढ़ते हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं अखबार नहीं पढ़ रहा हूं, अध्यक्ष महोदय। मैं अखबार नहीं पढ़ रहा हूं अध्यक्ष महोदय। यह अखबार नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह क्या है? यह क्या है?

श्री रामस्वरूप मीणा : यह देख लो, यह अखबार नहीं है। यह वहां की जनता ने जो एक अपील निकाली है, वह है।

श्री अध्यक्ष : यह क्या है?

श्री रामस्वरूप मीणा : यह जनता ने वहां जो अपील निकाली है, वहां करौली की जनता ने कि ऐसा यहां पर हो रहा है। उसको मैं दो लाइन आपको बता रहा हूं, मात्र दो लाइन। वह नहीं है अखबार की।

(श्री रामस्वरूप मीणा)

इसमें लिख रहा है "करौली स्वास्थ्य विभाग की कुछ महिला कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि हाड़ौती ब्लॉक प्रभारी डॉक्टर कैलाश चन्द सोनी व यू. डी. सी. नेतराम द्वारा जानबूझकर उनका वेतन रोक लिया जाता है, उनके एवज में यौन शोषण करते हैं। बैठक के बहाने रात्रि को हाड़ौती रोक लिया जाता है और रात्रि को उनके साथ बलात्कार किया जाता है। अंजुलसिंह को गत 8 जनवरी को वेतन का आश्वासन देकर रात्रि को वहां रोक लिया और रात भर उसके साथ दस बार बलात्कार किया गया। यह वहां की मैं हकीकत बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : यह तो इसमें लिखा हुआ है। आपका क्या कहना है?

श्री रामस्वरूप मीणा : करौली चिकित्सा विभाग की मैंने हकीकत बतायी है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं......

श्री अध्यक्ष : इसमें यह लिखा हुआ है, आपका क्या कहना है इस बारे में?

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं यह निवेदन कर रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि अभी आप तो तारीफ कर रहे थे कि बहुत अच्छा हो रहा है। यह तो मैंने सबसे पहले वह विभाग लिया है जो विभाग हमारे जीवन की रक्षा करता है। उसी विभाग के अन्दर यह हकीकत है। आज वहां की जो नर्सें हैं या और भी जो महिला कर्मचारी हैं उनके वेतन तब दिए जाते हैं। जब रात्रि को उनको वहां रोका जाता है और रोकने के बाद उनका यौन शोषण किया जाता है। ऐसी वहां पर कम से कम 10 शिकायतें हो चुकी हैं। विभाग को बारबार लिखा जा चुका है लेकिन विभाग ने आज तक कोई जानकारी नहीं ली। यह हमारा चिकित्सा विभाग का विकास हुआ है, महिलाओं का शोषण। यह तो पहला विकास है एक विभाग का।

दूसरा मैं निवेदन करूं। गृह मंत्रीजी यहां बिराजमान हैं। गृह मंत्रीजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने चाहे कितना भी बजट ले लिया और कितना ही बजट आप ले लो......

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट निवेदन करना चाहता हूं। अभी टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य ने एक मामला अखबार से पढ़कर सुनाया, उसमें कुछ महिलाओं के कुछ लोगों पर आरोप लगाये हैं। पक्ष और प्रतिपक्ष के आप संरक्षक हैं लेकिन एक तीसरा और जो जनता है, उसके भी आप ही संरक्षक हैं। कोई बिना जांच किये इस प्रकार की रिपोर्ट कोई भी है, कोई इस प्रकार के समाचार छपते हैं तो तथ्य गलत हैं, सही हैं अभी अपन कोई निर्णय नहीं कर सकते। अब यह रिपोर्ट जिस प्रकार विधान सभा के माध्यम से छपेगी, जायेगी तो उसका क्या परिणाम होगा, इस पर आप गम्भीरता से सोचें। (व्यवधान) वो तो यह भी कोई जवाब नहीं दे सकते।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : कौन मांग रहा है। निर्णय करने के लिए नहीं बैठे हैं, अपने क्षेत्र की बात उठाने के लिए आये हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्षेत्र की बात कहें लेकिन अपने यहां नियमों में यह व्यवस्था है कि अपन एक छाते के नीचे प्रोटेक्टेड हैं इसका मतलब यह नहीं है कि अपन कुछ भी कह कर चले जाएं।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : एक्ट्स आफ कमीशंस एंड एक्ट्स आफ ओमीशंस यहां पर नहीं बतायेंगे क्या? आपके मिस डीड्स नहीं बताएंगे क्या?

श्री महावीर प्रसाद जैन : मुझे इसके बारे में कोई वो नहीं है, कहीं कुछ हो रहा है उसकी जांच हो, सब कुछ है परन्तु जिन–जिन व्यक्तियों के बारे में यह कहा गया वह सही है, असत्य है, गलत है, तथ्य क्या हैं, रिपोर्ट क्या है, कोई पर्सनल नालेज है? अपने यहां यह भी है कि अखबार के आधार पर हम यहां पर नहीं कह सकते।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : फ्रीडम आफ एक्सप्रेशन को इतना मत दबाइये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अपनी पर्सनल नालेज के आधार पर ही हम कह सकते हैं। फ्रीडम का मतलब यह नहीं है कि हम किसी के लिये कुछ भी कह दें।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : किस के लिये क्या कह दिया? फ्रीडम आफ एक्सप्रेशन को इतना दबाओगे ...(व्यवधान)... एक सीमा होती है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : एब्यूज नहीं कर सकते।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : विधान सभा में अगर आप यहां बोलने से रोकोगे......

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप करना चाहें करें, अध्यक्षजी, व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष : मैं तो यह निवेदन कर रहा था, माननीय सदस्य। खड़े–खड़े ही सुनेंगे?

श्री रामस्वरूप मीणा : नहीं, मैं तो बैठ जाऊंगा, अध्यक्ष महोदय, आप फरमाएं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। हम यहां जो कुछ कहें वो जिम्मेदारी के साथ कहें।

श्री रामस्वरूप मीणा : बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको बीच में भी टोका था।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास उन महिलाओं का, जिनको प्रताड़ित किया गया है, उनके द्वारा लिखा हुआ पत्र भी है। उन्होंने जो मांग की है, विभाग को जो लिखा है, उन्होंने इस बात की इंक्वायरी मांगी है, उन्होंने होम मिनिस्टर को भी लिखा है, इसका भी मेरे पास लिखा हुआ है, आप चाहो तो मैं दिखा सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : पत्र को पढ़ते तो कुछ समझ में आती, आपने अखबार पढ़ा है।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैंने अखबार नहीं पढ़ा है, उसमें यह बहुत महत्वपूर्ण बात

(श्री रामस्वरूप मीणा)

जो लिखी हुई थी वह पढ़ी है। अखबार तो यह रखा मेरे पास। यह है अखबार तो जिसमें फोटो भी है, सारी बातें भी हैं। यह भी मैं बता दूंगा आपको, आप चाहो तो रख दूं मेज पर लाकर।

अध्यक्ष महोदय, मैं कोई बुराई वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैंने तो एक बात बतायी है। हमारी बहनों के साथ जो हो रहा है इतने अच्छे विभाग के अन्दर वह बात बतलायी है। अब महावीरजी अगर इस बात को बुरा मानते हैं तो इनकी मर्जी है।

मैं दूसरा निवेदन कर रहा था पुलिस विभाग का। गृह मंत्रीजी, ठीक है आप बहुत अच्छे मंत्री हैं, आप अच्छे काम कर रहे हैं उसकी तो मैं तारीफ करता हूं लेकिन मेरे यहां की थाने की मैं बात बता रहा हूं। 1947 से पहले की एक बिल्डिंग है उसमें टोडाभीम का थाना चल रहा है। वहां की बिल्डिंग की यह हालत है आज पूरा थाना चुन्ता है आपका। मैंने उस दिन भी निवेदन किया था कि छत गिर चुकी है उसकी। उसमें बैठने वाले घबराते हैं। बाहर कमरे ले-लेकर सिपाही, थानेदार प्राइवेट मकानों में रह रहे हैं। कोई रात्रि को उसमें ठहरने की हिम्मत नहीं करता। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप कृपया इस बजट को उन भवनों में लगायें। जब आपका भवन ही नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? भवन तो सबसे पहली आवश्यकता है। आपकी जेल जो बनी हुई है वहां उसकी हालत खराब हो रही है। जेल के अन्दर डालें उससे पहले यह चिंता रहती है कि छत ऊपर से गिर जाए तो इस जेलर का क्या होगा? इसलिए बड़ी चिंता रहती है वहां पर। इसलिए कृपा करके कम से कम भवनों को तो बनवाएं।

दूसरा निवेदन यह है कि हमारे यहां सबसे बड़ा जो पुलिस विभाग है, जो हमारी रक्षा करता है, आज शिक्षा में कहीं परीक्षा होती है तो पुलिस वाले की ड्यूटी लगती है, कहीं कोई एक्सीडेंट होता है तो वहां यह पहुंच जाते हैं, लाश को उठाते हैं और जहां कोई घायल हो जाता है तो उसको अस्पताल पहुंचाते हैं, यह इनकी हालत है। आज इनके साथ भी अन्याय होने लग गया। इनकी भी कोई जीवन रक्षा नहीं रही। जब इनकी ही रक्षा नहीं होगी तो हमारी क्या रक्षा होगी इसलिए उन रक्षकों की तो कम से कम रक्षा करो। मैंने कई बार इस सदन में निवेदन किया।

अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां एक काण्ड हुआ था। गोपाल नारायणजी मीणा, एडिशनल एस.पी. थे डूंगरपुर में। मैं कोई अखबार की कटिंग, कोई ऐसी बात नहीं पढ़ रहा हूं। एडिशनल एस.पी., डूंगरपुर थे गोपाल नारायणजी मीणा। इनकी यहां पर आत्महत्या बतायी गयी कि इन्होंने आत्महत्या कर ली और उनको कड़े पर लटका हुआ बता दिया गया लेकिन, अध्यक्ष महोदय, आप भी गौर करें, जो आदमी जिसने आत्महत्या की है, उसके पैर नीचे टिक रहे हैं, उसने चप्पल पहन रखी है, वह भी नीचे टिकी हुई है, एक हाथ उसका फ्रिज के ऊपर रखा हुआ है, आंख जिसकी निकली नहीं और उसकी किसी प्रकार की कोई

(158)

(श्री रामस्वरूप मीणा)

ऐसी अवस्था नहीं हो रही है कि जिससे यह पता लगे कि उसने आत्महत्या की। आत्महत्या करने वाले व्यक्ति की आंख निकल आती है, जीभ निकल आती है, तड़फड़ाता है बुरी तरह से। उसके पैर में चप्पल कैसे रह जायेगी? वह चप्पल तो उसकी दूर जाकर गिर जानी चाहिए। इसलिए गृह विभाग में, जो रक्षा करते हैं, जिनके कारण सारा गृह विभाग टिका हुआ है, एक एडिशनल एस.पी. की इस प्रकार से हत्या कर दी जाय और उसमें आत्महत्या कह कर दूर हो जाएं, कोई बात नहीं आपकी मर्जी है।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की सूचना के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकरण को राजस्थान सरकार की ओर से सी.बी.आई. से जांच कराने के लिए निवेदन कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठ जाएं।

श्री रामस्वरूप मीणा : ठीक है। अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी ने यह कहा है कि इसकी सी.बी.आई. से जांच हो रही है, इसके लिए तो मैं बहुत–बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने बहुत बड़ा न्याय किया है।

श्री अध्यक्ष : कराने के लिए पत्र लिखा है राज्य सरकार ने।

श्री रामस्वरूप मीणा : राज्य सरकार को पत्र लिख दिया है, अध्यक्ष महोदय, हां, तो पत्र की पालना होगी, राज्य सरकार इन्हीं की तो बैठी है, यह चाहें जो करा लेंगे राज्य सरकार से तो इसलिए मुझे इस पर विश्वास है कि आप निश्चित रूप से सी.बी. आई. से जांच करा लेंगे।

तीसरा मेरा निवेदन है जल विभाग का। जल मंत्रीजी यहां से चले गये मेरे बोलने से पहले ही। जाने उनको क्यों डर लग गया कि जाने ये क्या बोलेंगे मेरे बारे मे। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पानी विभाग की हालत यह हो रही है कि हमारे यहां टंकियां बना दी गयी हैं। करोड़ों रुपये टंकियों पर खर्च कर दिया, लेकिन टंकियों में पानी कहीं नहीं जा रहा। 20 टंकी इन्होंने बनायी है जिसमें से मात्र दो टंकियों में पानी जा रहा है, बाकी 18 टंकियों में आज तक पानी नहीं आया है। अब जो करोड़ों रुपया इन्होंने खर्च किया है इन करोड़ों रुपयों को बेकार क्यों खर्च किया गया, जब पानी उनमें नहीं जाता है? इसलिए खर्च किया, इसमें कमीशन मिलता है इनको। ठेकेदारों ने अपनी टंकियां बना दीं और गांवों में खड़ी कर दी। बड़ी–बड़ी विशाल टंकियां बना दीं, 10–10 लाख, 20–20 लाख, 50–50 लाख रुपये की टंकियां अलग–अलग प्रकार की बन कर तैयार हो गयीं, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, उसमें पानी नहीं जा रहा है तो यह लाखों–करोड़ों रुपया जानबूझकर इस प्रकार से पानी की तरह बहाया। इसमें कमीशन खा कर इनको छोड़ दिया गया है और पानी की कोई किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गयी।

मेरा पानी विभाग के बारे में दूसरा निवेदन यह है कि मैंने कुछ अधिकारियों की पहले

(श्री रामस्वरूप मीणा)

भी शिकायत की थी कि जो हैंडपम्प लगाये हैं उनमें जो पाइप लगाया है वास्तव में तो वह पाइप लगाया है चार इंच का लेकिन उसको बताया पांच इंच का। मैंने निवेदन भी किया था, स्थान भी बताये थे, नाम भी उस समय बताया था, मंत्री महोदय को लिख कर दिया था लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज तक उसकी पूरी जांच नहीं हो पायी है और उसका परिणाम है कि आज भी उसी प्रकार के हैंडपम्पों में घोटाले फिर होते चले आ रहे हैं। आज भी किसी भी हैंडपम्प में आप नाप करवा कर देख लीजिये। कई बार तो ये पुराने हैंडपम्पों को नये हैंडपम्प में दिखा देते हैं। हैण्डपम्प की यह हालत है कि जो पाइप लाइन उसके अन्दर डाली जाती है वो जिस प्रकार की होनी चाहिये, जिस प्रकार की कम्पनी की इन्होंने निर्धारित कर रखी है, जो बड़ी महंगी होती है उसकी जगह सस्ती वाली डाल देते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि दो साल में, चार साल में वह पूरा पाइप छलनी हो जाता है। इस प्रकार का भ्रष्टाचार इसके अन्दर होता है। प्राइवेट ठेकेदारों को इन्होंने ठेके दे दिये क्योंकि प्राइवेट ठेकेदारों से इनको कमीशन मिल जाता है इसलिए प्राइवेट ठेकेदारों को ठेके दे दिये।

श्री अध्यक्ष : कल इस पर विस्तृत चर्चा हो गयी, जवाब आ गया सरकार की ओर से। संतोषप्रद जवाब आया है।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, मैं विस्तृत चर्चा नहीं करूंगा लेकिन मैंने कुछ बातें कहीं हैं कि जिन विभागों के अन्दर सरकार पैसा दे रही है तो सदन में कम से कम यह तो चर्चा होनी चाहिये कि पैसे का सदुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहीं दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने आपको एक–दो सुझाव दिये हैं।

इसके साथ ही दूसरा आता है शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें बड़ा भेदभाव बरता जाता है। शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसकी सबको जरूरत पड़ती है, लेकिन बड़े दुख की बात है, अध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान में सभी जगह, ज्यादातर जिला हैडक्वार्टर पर, ज्यादातर विधान सभा कांस्टिट्यूएंसी में इन्होंने कालेजों की स्थापना कर दी। मैं इस बात को मानता हूं आपने कालेज भी खोले हैं, कालेज भी एक जगह नहीं कई जगह खोले, कोटा में भी खूब आपने खोले हैं, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने इनका क्या बिगाड़ा है जो इन्होंने मेरे साथ अन्याय कर रखा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में जहां से 100 किलोमीटर दूर तक एक भी कालेज नहीं है और हमारे यहां के बच्चे दौसा में आते हैं तो उनको एडमिशन नहीं मिलता है, करौली में वो जाते हैं तो वहां भी एडमिशन नहीं मिलता है और इसके कारण शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है, कई बार उनके एडमिशन नहीं हो पाते। इसलिए मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम, जिसमें नादौती और टोडाभीम

(श्री रामस्वरूप मीणा)

दो तहसीलें आती हैं, जो हमारे जिले की सबसे बड़ी कांस्टीट्यूएंसी है, कम से कम एक कालेज की स्थापना तो वहां कर दें ताकि हमारे एस.टी. बाहुल्य क्षेत्र में, जिसके बच्चे आज शिक्षा के लिए दूसरी जगह जाकर तरसते हैं लेकिन एडमिशन नहीं मिलता है।

इसलिए आप कृपया मेहरबानी करके हमारे यहां कालेज की स्थापना करायें ताकि शिक्षा में हमारा क्षेत्र आगे बढ़ सके। सरकार की भी यही मंशा है।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्कूलें तो इन्होंने बढ़ा दीं लेकिन स्कूलों में व्याख्याता ही नहीं हैं। पढ़ाने वाले ही नहीं हैं उनके अन्दर। जगह खाली पड़ी हुई हैं। मैंने अभी विधान सभा में एक प्रश्न लगाया था। उसका उत्तर माननीय मंत्रीजी ने दिया कि जल्दी भर दी जायेंगी। पिछले दो साल से जगह खाली पड़ी हुई हैं। पढ़ायेगा कौन? लड़के बैठे हुए हैं, मास्टर हैं नहीं तो उन स्कूलों को खोलने का फायदा क्या? अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमने बहुत सारी स्कूल खोल दीं।

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराज जाएं।

श्री रामस्वरूप मीणा : एक मिनट साहब। कह रहे थे कि बहुत अच्छा काम कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। मैं कह रहा हूं कि स्कूल तो आपने खोल दिये लेकिन अध्यापक उसमें लगाये नहीं। फिर स्कूल खोलने का मतलब क्या निकला? यह बता दो मुझे तो। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप स्कूलों में व्याख्याताओं की नियुक्ति करिये। कई विषय ऐसे हैं जिनमें स्कूल खुलने के बाद आज तक अध्यापक नहीं लगाये गये लेकिन स्कूल क्रमोन्नत कर दिया। अपने आप करेंगे चुनाव आ गये। सैकण्डरी स्कूल ज्यादा खोलेंगे आप वहां पर, सीनियर सैकण्डरी स्कूल भी खोलेंगे। घोषणा कर दी सौ स्कूल खोलने की। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह खाली घोषणा ही होगी। मात्र चुनाव में जनता को लुभाने के लिए इस प्रकार की घोषणाएं की जा रही हैं। शिक्षा जगत के साथ खिलवाड़ नहीं करें। वास्तव में स्कूल खोलें।

श्री अध्यक्ष : हर साल विद्यालय खुल रहे हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : हां, हर साल खुल रहे हैं लेकिन अध्यापक नहीं लगाये जा रहे। मात्र विद्यालय खोले जाते हैं। पहले अध्यापकों को नियुक्त करना चाहिए उसके बाद विद्यालयों को खोलना चाहिए। मेरा यह निवेदन है।

चौथा मेरा निवेदन है नन्द लालजी साहब, आपकी बड़ी–बड़ी तारीफें हुई आपके विभाग पर जिस दिन चर्चा हुई थी। उस दिन इनसे बड़े–बड़े हाथ मिलाये जा रहे थे। वह भी उन लोगों के द्वारा मिलाये जा रहे थे जो जान रहे थे कि ये अनुसूचित जनजाति के हैं। अगर ये आगे की तरफ बढ़ गये तो हमारा क्या होगा। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं

(श्री रामस्वरूप मीणा)

कि आपने जितना पैसा दिया है जनजाति का, वह सारे का सारा पैसा उदयपुर और पश्चिमी राजस्थान में दिया है। आप पूर्वी राजस्थान की तरफ भी देखो कि आपने हमको कितना बजट दिया है। आपने डार्क जोन हमारे यहां करवा रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके इस डार्क जोन को हटवायें ताकि आपका जो पैसा आता है वह अनुसूचित जनजाति के लोगों को मिल सके।

श्री अध्यक्ष : डार्क जोन नन्दलालजी ने थोड़े ही करवायें हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : नहीं इन्होंने नहीं किया साहब। वह तो सरकार ने किया है, लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूं कि मेहरबानी करके डार्क जोन को हटवायें ताकि पम्प सैट वगैरह, बिजली की मोटर है और सामान है उन पर हमको लोन मिल सके। आपके डिपार्टमेन्ट का पैसा हमको मिल सके। हमारे यहां भी जनजातियों का विकास हो जायेगा।

दूसरा मैं निवेदन करूं कि खनिज सम्पदा हमारे यहां करौली में खूब मिलती है। करौली जिले में खनिज सम्पदा की कोई कमी नहीं है। खूब लोगों को अच्छा धन्धा भी वहां मिल सकता है। आप चाहें तो गरीबों के लिए आप वहां खानें दिलवा सकते हैं और भी कई धन्धें खुलवा सकते हैं। जनजातियों के लिए क्रेशर मशीनें लगवा सकते हैं, जो रोड़ी तोड़ने के काम आती है। बड़े–बड़े पैसे वाले लोग इसको लगवा रहे हैं। आप कृपया मेहरबानी करके ऐसी मशीनें हमारे यहां लगवा दें ताकि गरीब अनुसूचित जनजाति के लोगों को बहुत अच्छा धंधा मिल सके। जितनी भी आपने बातें बतलायी थीं, जितनी भी आपने हैण्डपम्प की बातें बतलायीं, हैण्डपम्प भी आज हमारे यहां नहीं लगाये जा रहे हैं वह भी सारा टारगेट उधर के लिए दे रहे हैं। इसलिए आप मेहरबानी करके कृपया जनजाति फण्ड का पैसा जो आता है उसको हमारे यहां पूर्वी राजस्थान में करौली जिले में लगावें क्योंकि हमारा सवाईमाधोपुर है वह अनुसूचित जनजाति की रिजर्व सीट है। वह अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

एक माननीय सदस्य : मोबाइल हैण्डपम्प्स दे दिये जाएं।

श्री नन्दलाल मीणा (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास) : इसका प्रयास किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत जल्दी माडा क्षेत्र के माननीय सदस्य से विचार–विमर्श करने के लिए तिथि आपसे तय करके, स्थान तय करके मीटिंग का आयोजन करूंगा ताकि आपके सुविचार मुझे प्राप्त हो सकें। आपके सुझावों से मुझे मार्गदर्शन मिलेगा, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं।

श्री रामस्वरूप मीणा : बहुत अच्छा माननीय मंत्रीजी, आपने हमारे उधर भी मीटिंग बुलाने का निश्चय किया, मैं उसमें निश्चित आऊंगा और जो भी हमारे सुझाव हैं आप उन पर गौर करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है।

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें। आपस में बात नहीं करें।

श्री रामस्वरूप मीणा : निवेदन कर रहा हूं आपके माध्यम से, बात नहीं कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुनदास मदान, सदस्य विधान सभा प्रक्रिया के नियम 127 के अन्तर्गत चर्चा के लिए उठायेंगे।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन का समय 127 की चर्चा समाप्त होने तक बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष : सदन का समय चर्चा समाप्त होने तक बढ़ाया जाता है।

राजस्थान विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 1998 पर विचार

श्री अर्जुनदास मदान : अध्यक्ष महोदय, मैं जिस विषय के ऊपर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह है तो मेरे विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित, लेकिन मैं यह मानता हूं कि मानवीय दृष्टिकोण और मानवीय मूल्यों को आधार मानकर यदि उस पर चर्चा की जाए तो मेरी दांयी तरफ या बांयीं तरफ और आप सहित जितने भी लोग सदन में विराजमान हैं, चाहे प्रतिपक्ष के समर्थक हो और चाहे मेरे पक्ष के समर्थक हो, उन सब लोगों का इससे नाता है। मैं केवल मात्र आज जे.के. प्रतिष्ठान की इकाइयां बन्द हो गयी हैं, उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, इन मानवीय मूल्यों के ऊपर मेरा पहला निवेदन है कि एक परिवार ने कुछ उद्योग खोले और उन उद्योगों को बिना किसी से पूछताछ के बन्द कर दिया और स्थिति आज इतनी दूभर हो गयी कि आज सारे के सारे जे.के. सिंथेटिक्स के प्रांगण में काम करने वाले पांच हजार मजदूरों के पच्चीस हजार लोग आज रोजी–रोटी के लिए बिल्कुल बेकार दर–दर भटक रहे हैं। आज उनको कोई संभालने वाला नहीं है। कोटा का अर्थ तंत्र पूरा का पूरा बिगड़ चुका है, कोटा की अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है, कोटा का शासन बिगड़ चुका है और कोटा की ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन के ऊपर भी प्रभाव पड़ा है। माननीय, मैंने सदन में देखा है और यहां पर इस प्रकार की कई चीजें हैं जिनका मनुष्य का मनुष्य से नाता है उनके ऊपर मनन और चिन्तन लोग कम करते हैं लेकिन कभी–कभी हम उदासीन हो जाते हैं। बकरे को अगर कसाई घर में काटता है तो दूसरा बकरा घास चरता रहता है। उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक बकरा चाहे कटता रहे, दूसरा चाहे घास चरता रहे, वह तो पशु है, लेकिन हम तो संवेदनशील प्राणी हैं। प्रत्येक व्यक्ति के दुःख के साथ हमारा नैतिक नाता है। अगर कोई व्यक्ति आज पिट रहा है, चाहे मेरा कोई दुश्मन ही क्यों नहीं होगा, मन में भीतर से आवाज आयेगी, मेरा मन भीतर से कचोंटेगा कि भइया, बस करो मारो मत। कारण केवल मात्र इतना है कि हम संवेदनशील हैं। लोगों के दुःख–सुख

(श्री अर्जुनदास मदान)

के साथ उनकी अनुभूति हमारे साथ भी होती है। इसी कारण से मैं निवेदन करता हूं कि आज सदन इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करे। यह स्थिति आज मात्र कोटा की ही नहीं है, मैं तो यहां तक कहूंगा कि पूरे राजस्थान की है, राजस्थान की ही नहीं पूरे हिन्दुस्तान की हो गयी है। आज मालिक की जब इच्छा होती है तब फैक्ट्री बन्द कर देते हैं और चले जाते हैं। उनके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं रह गया है। आज इस सदन में हम इसके ऊपर विचार नहीं करेंगे तो कौन करेगा? समाज के अन्दर कई कुरीतियां फैलती जा रही है। संसार में कई जगहों पर किसी व्यक्ति विशेष द्वारा संक्रामक रोग समाज के भीतर धीरे–धीरे घुसता चला जा रहा है। तो उसका हल कौन ढूंढ़ेगा? उसका निदान किसके हाथों में है?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज एक स्थान पर नहीं अपितु कई स्थानों पर इस प्रबन्धक ने जुलाई, 1997 से लेकर पांच हजार मजदूरों का वेतन नहीं दिया। मैं जुलाई, 1997 से निवेदन कर रहा हूं, पूरा एक वर्ष बीत चुका है लेकिन आज तक उसने एक मजदूर को पैसा नहीं दिया। यह तो वेतन की बात है।

आज श्रम मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, गृह मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, सहकारिता मंत्रीजी यहां विराजमान हैं। कानून मंत्रीजी मेरी बात को सुन रहे होंगे और भाभड़ाजी भी मेरी बात को सुन रहे होंगे। उनसे मेरी याचना है कि यदि सदन में आप पधार सकें, मैं तो निवेदन कर सकता हूं क्योंकि उनके सम्बन्ध में मुझे एक बात ऐसी कहनी है जो मैं निश्चित रूप से उनकी उपस्थिति में ही कहना चाहूंगा। महोदय, मैंने आपको निवेदन किया आज पांच हजार मजदूर लोगों को वेतन न देकर के पच्चीस हजार लोगों को दुखी किया है। आज वे व्याधि की स्थिति में हैं और हम सारे के सारे सदन में बैठे हुए लोग बिल्कुल मौन हैं।

आज कोई पूंजीपति ऐसा नहीं है, मान्यवर, चाहे आप टाटा को ले लें, बिड़ला को ले लें, डालमिया को ले लें, पोद्दार को ले लें, चाहे सिंघानिया को ले लें और मोदी को ले लें। कोई भी उद्योग घराना ऐसा नहीं है जिसने सौ रुपये के धंधें में एक रुपया भी अपनी गांठ का लगा रखा हो। आज लोगों से पैसे लेते हैं, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के नाम पर शेयर फ्लोट करते हैं, बैंको से ऋण उठा लेते हैं और उठाकर 15–20 साल काम किया, आज अपने पैसे बटोरकर, कौन मरता है, कौन जीता है किसी को चिन्ता ही नहीं है। आज हम लोग इस सदन में बैठे हैं जो विधि और विधान के निर्माता हैं, हम भी चिन्ता नहीं करते। एक व्यक्ति व्यथित है, पीड़ित है, घूमता फिर रहा है। आज वह गरीब है, अपने बच्चों की फीस कहां से देता होगा, रोटी कहां से खाता होगा, आज जवान बेटियों के ब्याह, हाथ पीले करेगा तो करेगा कैसे? यह कौन करेगा? आज क्या हमारा दायित्व नहीं बनता है? समाज के अन्दर कुरीतियां फैलती चली

(श्री अर्जुनदास मदान)

जायं और हम मौन दर्शक होकर देखते चले जायं। अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं, इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की धारा 25 (ओ) का यह बिल्कुल उल्लंघन है। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 इसको एक अपराध मानती है। यदि एक मालिक फैक्ट्री बन्द करना चाहे तो उसकी तीन प्रक्रियाएं हैं। आप फैक्ट्री बंद कर दें, लाक आउट कर दें या अनफेथ लेबर प्रैक्टिस अपनाकर आप फैक्ट्री को किसी तरह से ताला लगा दें लेकिन इन तीनों की तीनो चीजों में भी उसको सरकार से पूछना पड़ता है लेकिन उसने सरकार से नहीं पूछा। सरकार की उसे कोई चिन्ता नहीं। उसके जचीं जब उठा, ताला लगाकर चल दिया और पच्चीस हजार लोगों को चौराहे पर खड़ा कर दिया। महोदय, यहीं नहीं, मैं जे.के.प्रतिष्ठान की बात कर रहा हूं। जे.के.प्रतिष्ठान की कोटा और झालावाड़ में स्थित आठ ईकाइयां तो बंद हुई ही हैं लेकिन उसके साथ साथ, अध्यक्ष महोदय आज कानपुर के अन्दर जे.के.काटन मिल, जे.के.रेयन्स, जे.के. मैन्यूफैक्चरर्स, जे.के.प्लास्टिक, जे.के.जूट, सारी की सारी बन्द हुई हैं और एक लाख लोगों के साथ खिलवाड़ हुआ है। लेकिन एक लाख लोगों के साथ एक घराना खिलवाड़ कर दे, वह आदमी इतना अधिकृत है, वह चुपचाप जाकर फिर भी एयर कंडीशन्ड कमरों में सोता रहे और उनको दिग्भ्रमित छोड़कर के चौराहे पर ऐसा खड़ा कर दे कि चलने वाला आदमी यह भी न सोच सके कि मुझे जिन्दगी के किस रास्ते पर आगे बढ़ना है। क्या यह अहदृयता का प्रश्न नहीं है? क्या यह पीड़ा का प्रश्न नहीं है? क्या यह चिन्तन और मनन का प्रश्न नहीं है?

अध्यक्ष महोदय, मैं इसके अतिरिक्त आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज यदि मैं इसको यह मानू कि लाक आउट था तो भी यह अपराध है। यह इण्डस्ट्रियल डिस्प्युट एक्ट की धारा 25 का सरासर उल्लंघन है। यदि अनफेथ प्रेक्टिस की संज्ञा में लेता हूं तो 25–क के अन्तर्गत यह अपराध है। यह मैं आपको इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि यह सारे के सारे अपराध की संज्ञा में आते हैं और उसके उपरांत भी राज्य सरकार को इण्डस्ट्रियल डिस्प्युट एक्ट की धारा 34 के अन्तर्गत केवल मात्र एक अधिकार है कि यदि कोई अपराधी है,दोषी है, फैक्ट्रियों को बंद करता है, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है तो उसके ऊपर धारा 34 के अन्तर्गत मुकदमा करें। मैं नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते, केवल मात्र राज्य सरकार को अधिकार है और उस अधिकार का उपयोग हुआ होगा। मैं यह नहीं मानता कि मेरी सरकार मौन है। मेरी सरकार ने जो जो काम किये हैं मैं उनके प्रति आभारी हूं। मैं इस विषय पर आपके सामने आगे चर्चा करूंगा। अभी मैं आपसे केवल मात्र यह निवेदन करना चाहता हूं कि धारा 34 के अन्तर्गत यह अपराधी व्यक्ति, दोषी व्यक्ति, जिसने पूरे हिन्दुस्तान के एक लाख लोगों को चौराहे पर खड़ा किया आज बिल्कुल मस्त होकर सरकारी सांड की तरह घूम रहा है। कोई उससे पूछने वाला नहीं है। उसके जंचती है जिधर चलता है, जो चाहता है वह करता

(श्री अर्जुनदास मदान)

है। कानून का सहारा लेकर वह किसी अदालत का दरवाजा खटखटाकर के स्टे प्राप्त कर लेता है और हम सदन में बैठे हुए लोग कोई चिन्तन नहीं करते। मान्यवर, मैं यह मानता हूं कि यह हमारा सामाजिक अपराध होगा। किसी पाप को बढ़ावा देने के लिए पापी ही दोषी नहीं होता पाप सहन करने वाला भी दोषी है।

आज सदन में बैठे हुए सभी बंधुओं से, जो भी पक्ष या प्रतिपक्ष के सदस्य बंधु हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि आज इसके ऊपर, चूंकि यह बहुत ही गम्भीर विषय है, सदन को निर्णय लेना होगा। आज न लें, कल लें। निश्चित रूप से हो सकता है कि हमारे भीतर की अन्तरआत्मा गलत काम करने के बाद मुझे माफ कर दे। आदमी पाप करता है, अपराध करता है, कभी कभी भाव प्रधान हो जाता है, विवेक प्रधान नहीं रहता, गलत और सही का निर्णय नहीं कर पाता कि मुझे जाना किस साइड में है उस समय मेरी अन्तरआत्मा का न्यायालय मुझे क्षमा कर देगा। हो सकता है किसी न्यायालय का न्यायालय मेरे अपराध के ऊपर मुझे क्षमा कर दे लेकिन समय एक ऐसा न्यायालय है, मान्यवर, जो किसी इन्सान को माफ नहीं करता इसलिए हमें सोचना होगा कि आज इस समय को यदि हम चूक गये तो कहीं दिनों में की गयी कोई त्रुटि कहीं वर्षों तक लोगों के परिवारों को तो दुखी नहीं करेगी। इस पर विचार आज इस सदन को करना होगा। इसलिए मैं सदन के लोगों को, सारे माननीय सदस्यों के बीच में अपनी याचना बहुत आर्त भाव से, बहुत दुखी भाव से करना चाहता हूं।

मैं उसके बाद आपसे निवेदन करूं कि आज इन सारी चीजों के ऊपर शिथिलता आयी। 14 मई से उनको वेतन नहीं दिया। प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 है। मान लीजिये मेरी कटौती होती है और फंड के अन्तर्गत मेरा जितना पैसा कटता है उतना ही मालिक मिला देता है, वह प्रोवीडेंट फंड एक्ट है। उसमें 1936 का एक्ट है। पी. एफ. एक्ट के अन्तर्गत पेमेंट आफ वेजेज एक्ट, 1936 का सरासर उल्लंघन है। दूसरा पी.एफ. एक्ट 1952 का सरासर उल्लंघन है। 1965 के पैमेंट आफ बोनस की तरफ देखता हूं तो उसका सरासर उल्लंघन है। ई.एस.आई., 1948 का सरासर उल्लंघन है। पेमेंट आफ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 का सरासर उल्लंघन है। सभी कानूनों को ताक पर रखकर एक आदमी मदमस्त होकर घूमता फिरे और हम उसके ऊपर कुछ अंकुश न लगा सकें। आखिर कौन लगायेगा? कौन सोचेगा? किसके मन में त्रुटि आएगी? किसके मन में यह वेदना उठेगी कि आखिर मैं एक मानव हूं और मानव के प्रति मेरा भी कुछ उत्तरदायित्व बनता है, मेरा भी कुछ नैतिक दायित्व बनता है? क्या मैं मौन धारण करके चुप्पी साधकर समझौतावादी हो जाउंगा कि कोई आदमी गलत काम कर रहा है तो मैं उसकी हां में हां मिलाता चला जाऊं? मान्यवर, मैं निवेदन करता हूं लोग हमारे ऊपर उंगली उठायेंगे कि पूंजीपति कोई अपराध करता है तो कोई भी आदमी उसके ऊपर उंगली नहीं उठाता। मैं क्षमा चाहता हूं सदन में यह कहते कि यदि कोई गरीब

(श्री अर्जुनदास मदान)

परिवार की महिला किसी से हंस कर बात करती है तो हो सकता है समाज उसे किसी दूसरी नजर से देखे और यदि कोई पढ़े लिखे परिवार और किसी संभ्रान्त परिवार की महिला किसी पुरूष से हंसकर बात करें तो लोग कहते हैं यह फारवर्ड घराने की बच्ची है, पढ़ी लिखी बच्ची है। यह गरीब और अमीर के सोच में हमारे और सारे जगत में आज अन्तर आ गया है। यह पूंजीपति और गरीब के बीच में भी अन्तर है। गरीब अपराध करता है तो कानून के सारे शिकवे उसको जकड़ लेते हैं और एक पूंजीपति अपराध करता है, मस्त होकर घूमता रहता है तो उसके ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं।

अब मैं जैसा आपसे निवेदन कर रहा था, पी.एफ. के अन्तर्गत पहले तो मैंने एक्ट बताये अब मैं वह धाराएं बता रहा हूं जिनके अन्तर्गत अपराध है। श्रम विभाग के पदाधिकारीगण यहां बैठे हैं, माननीय श्रम मंत्री बैठे हैं, माननीय उद्योग मंत्री मेरी बात को अपने कक्ष में बैठे बैठे निश्चित रूप से सुन रहे होंगे, मुझे माननीय यादव साहब से भी एक निवेदन करना है। को–आपरेटिव एक्ट 1965 की धारा 74 यह कहती है कि यदि आदमी गबन करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा। मान्यवर, यदि मेरे कार्यालय में मोहर रखी हो और उसका बाउचर नहीं हो तो भी गबन की संज्ञा में आ जाता है लेकिन आज वह पूंजीपति को–आपरेटिव के लोग पचास लाख रुपये हाई रेकिंग डिपोजिट्स के अन्तर्गत लेकर बैठ गये। मैंने अपने जीवन के पच्चीस साल इस संस्था में बिताये हैं। मैंने अपने सेवा काल में 25 साल 4 महीने जे.के.प्रतिष्ठान में सेवा की है। मेरे को उनसे कोई द्वेष नहीं, यह मत समझियेगा कि मैं उनका कोई विरोधी हूं, मेरी रगों में भी, मेरी धमनियों में, मेरी शिराओं में भी आज जे.के. का ज्यादा खून बह रहा है। आज दस साल ही तो हुए हैं मुझे नौकरी छोड़े हुए और 9 साल से मैं आपके इस सदन में बैठा हूं। मैं आपसे केवल मात्र यह निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि धारा 74 के अन्तर्गत को–आपरेटिव एक्ट 1974 की धारा, यह गबन करने के ऊपर लगती है और 75 के अन्तर्गत रिकवरी के नोटिस दिये जाते हैं। भंसाली द्वारा लिखा हुआ को–आपरेटिव एक्ट, 1965 आज हमको यह तो बताता है लेकिन पूंजीपतियों पर कोई एक्शन नहीं। मैंने तो यहां तक निवेदन किया कि जब तीस वर्ष पूरे हो चुके और वहां पर आज तक कार्य समिति नहीं तो फिर एक प्रशासक क्यों नहीं नियुक्त कर देते हो। आज यहां से पैसे की रिकवरी या कुछ होगा भी तो जाएगा किन लोगों के पास? क्या चने के ढ़ेर पर घोड़े को रखवाला छोड़ना चाहते हो? यह स्थिति है आज लेकिन वहां पर हम चूक जाते हैं। मेरे लिये, को–आपरेटिव मंत्री महोदय आदरणीय हैं, चिन्तित हैं, मननशील हैं लेकिन कहीं हो सकता है उदासीनता में ध्यान में भी न आया हो। कोई बात नोटिस में नहीं आती है तो आदमी आगे ही बढ़ जाता है। मैंने जब सारे कानूनों की बात की तो को–आपरेटिव की बात भी याद आ गयी जो मैंने निवेदन कर दी। पी.

(श्री अर्जुनदास मदान)

एफ. एक्ट की धारा 14 का उल्लंघन, बोनस, एक्ट, 1965 की धारा 28 का उल्लंघन, ई. एस.आई. एक्ट 1947 की धारा 84 का सरासर उल्लंघन, को–आपरेटिव एक्ट, 1965 की धारा 74 का सरासर उल्लंघन है, यह सारे कानून वह हैं 25,25,(ओ),25–क, 25–आर. औद्योगिक अधिनियम की धारा, जिनका मैं पहले निवेदन कर चुका हूं उनका तो उल्लंघन है ही और जो दूसरे कानून हैं उनका भी उल्लंघन हैं। लेकिन सारे के सारे कानून आज इस डेढ़ वर्ष की अवधि में कुछ नहीं कर सके। अपराधी या दोषी को शिकंजें में जकड़ा जा सकता है, कानून की प्रक्रिया उसको निश्चित रूप से कुछ शिक्षा दे सकती है लेकिन हमने अहसास नहीं कराया। मैं कई बार पहले भी सदन में निवेदन कर चुका हूं, भगवान को मैंने देखा नहीं, किसी साधक ने देखा होगा, किसी अराधक ने देखा होगा, किसी उपासक ने देखा होगा, किसी कंदरा में बैठने वाले आदमी, किसी साधु सन्यासी ने देखा होगा लेकिन भगवान यदि धरती के लोगों को अहसास कराना बंद कर दें तो माननीय शायद भगवान को लोग भगवान नहीं मानेंगे। किसी का जवान बेटा ले लेता है, किसी के लड़कियां ही लड़कियां दे देता है, किसी की टांग तोड़ देता है। आदमी अहसास करता है कि मेरे से बड़ी शक्ति इस संसार में है जो किसी का नियंत्रण करती है तब जाकर इस भगवान के प्रति हम आस्था रखते हैं। लेकिन हमने क्या अहसास कराया उस पूंजीपति को? क्या हम चिंतित हुए कि आप उन लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? आपको क्या अधिकार है, 25,000 लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का? आज वह कैसे चौराहे पर खड़े कर दिये गये? 4,000–5,000 रुपये पाने वाले आदमी को 1500 की नौकरी नहीं मिल रही। यह स्थिति है आज जे.के. की और मैंने जैसा आपसे निवेदन किया यह कोटा की आर्थिक आय को मैं निवेदन कर रहा हूं लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार ने किया, मैं मानता हूं। मैं निश्चित रूप से सरकार का बहुत आभारी हूं कि इन्होंने किया है। लेकिन जैसा मैंने पहले निवेदन किया हमारे स्कूल बंद हो रहे थे, कॉलोनी है, चार सौ लोग उसमें रहते हैं। चार सौ परिवार। नौकरी तो गयी है, 5,000 लोगों की कॉलोनी में रहते हैं चार सौ परिवार उन चार सौ परिवारों के स्कूल को चलाया। भाभड़ाजी को और निश्चित रूप से मुख्य मंत्री महोदय को भी मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं कि इन्होंने वहां 15 लाख रुपये की सब्सिडी देकर उस स्कूल को चालू रखा। बच्चों की स्कूल चल रही है। पानी और लाईट कनेक्शन कट गया था उसकी व्यवस्था वापस रेस्टोर कर दी गयी। लेकिन आज मान लीजिएगा अगर आपने 5,000 लोगों को कर भी दिया, पांच सौ लोगों के जीवन को हमने बनाया लेकिन आज आदमी के पास रोजी–रोटी न हो, औरत तो तब विधवा होती है जब उसका पति मरता है लेकिन मेरी दृष्टि में पुरुष तब विधुर होता है जब उसका रोजगार छिन जाता है। जब उसके पास खाने और कमाने की कोई स्थिति नहीं रहती उस दिन वह अपने आपको पीड़ित समझता है। इसी तरह मैं यह निवेदन करूंगा कि वह लोग जो आज एक विधुर का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैंने जैसा

168

(श्री अर्जुनदास मदान)

कहा पति मर गया, औरत तो विधवा हो गयी लेकिन आदमी के पास रोजी नहीं है, रोटी नहीं है, अपने अर्थोपार्जन, अपने जीविकोपार्जन के कोई साधन नहीं हैं तो वह विधुर हो गया। वह जाए तो जाए कहां? जिम्मेदारियों का बोझ अपन पीठ पर लेकर खड़ा है। रोजगार है नहीं। रोटी–रोजी के लिये रोजगार अच्छा चाहिये। आज वह भटका हुआ है और इसलिये मैं निवेदन करूंगा इस सदन के माननीय सदस्यों से कि आज किसी न किसी माध्यम से हम नहीं देंगे तो कौन देगा। एक द्रोपदी का चीर हरण हुआ था वह तो दुशासन ने किया था लेकिन वहां पर बैठे हुए +++ जैसे, यहां पर बड़े–बड़े बुजुर्ग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। वह यहां के वयोवृद्ध लोग हैं, उस दुशासन ने तो एक द्रोपदी का चीर हरण किया था, आज 25,000 या 5,000 लोगों के घरों को निर्वस्त्र करने की जिम्मेदारी एक पूंजीपति ने ले ली और हम मौन धारण करके बैठे रहें और उस पर कोई अंकुश नहीं लगाते। यह सारी की सारी स्थितियां निश्चित रूप से हमको एक ऐसे स्थान की ओर ले जाएंगी जहां आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जहां से आने में काफी कठिनाई होगी। मैंने जैसा आपसे कहा मुझे कोई द्वेष नहीं है, विश्वास कीजिएगा मेरी कोई लड़ाई नहीं है जे. के. से। मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैंने जितना सेवाकाल अपने जीवन का दिया है उसमें सवा 25 साल केवल मात्र उसी जे. के. में बिताए जिसकी परिचर्चा मैं यहां कर रहा हूं। लेकिन अगर कोई पुष्टि करेगा मैं किसी का ओविडिएंट सर्वेंट नहीं हूं, मैं फेथफुल सर्वेण्ट हूं। मैं आज्ञाकारी सेवक नहीं हूं कि आप इसको जाकर कत्ल कर आओ और मैं जाकर गर्दन काट आऊं। खुद भी फंसू उसको भी फसाऊं। मैं फेथफुल सर्वेण्ट हूं। जहां वाजिब बात होगी कहूंगा। जहां गलत बात होगी उसका विरोध भी करूंगा। मेरी आत्मा इतनी मरी हुई भी नहीं है कि विरोध न करूं। मैं तो कई बार मेरे भीतर की जो चीज समझ में नहीं आती तो मैं अपनी भाषा में कह सकता हूं। हो सकता है किसी को मैं अंधा नहीं कहूं लेकिन सूरदास तो जरूर कहूंगा। मेरे शब्दों की परिधि में मेरे शब्दों को परिमार्जित करके रखने का एक तरीका अलग हो सकता है लेकिन मैं मौन धारण करके बैठा रहूं, गलत को गलत न कहूं और सही को सही न कहूं तो मैं यह समझता हूं कि इस सदन में आना मेरे लिये बिलकुल निरर्थक है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसके ऊपर यह पवित्र सदन थोड़ा विचार करें क्योंकि सिनेमा मैंने भी देखा था, वहां पर एक गाना भी सुना था कि "जाएं तो जाएं कहां, समझेगा कौन यहां इस दर्द भरे मेरे दिल की जुबां, दर्द भरे मेरे दिल की जुबां" यह तो तलत महमूद गा गये लेकिन सदन सिनेमा तो नहीं है। यहां तो दुःख दर्द की आवाज समझने और परखने वाले लोग बैठे हैं। यहां तो बैठे हैं। यहां तो दर्द की आवाज को समझने वाले लोग क्या मैं यह

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री अर्जुनदास मदान)

मानूं नहीं बैठे हैं? बैठे हैं। लेकिन भीतर की आत्मा कचोटे तो सही। मन में कोई चिंतन तो उठे, मन में कोई ज्वार भाटा तो आए। संसार में आए हैं तो मेरा भी कोई नैतिक दायित्व बनता है समाज में। मैं जो कुछ हूं पहले इंसान हूं, बाद में एम.एल.ए. हूं, बाद में मंत्री हूं, इसलिए इंसान होने के नाते एक इंसान की पीड़ा, उसके दुःख दर्द को समझने की जिम्मेदारी मेरी भी बनती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज स्थिति यहां तक दूभर है कि उन परिवारों का बचपन रोता है। रोता ही नहीं बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि सिसकियां भरता है। जवानी में कोई मस्ती नहीं रह गयी, उदासीनता है, निराशा के भाव हैं और बुढ़ापा बेसहारा होकर घूम रहा है। क्या उसको लाठी का सहारा देने की जिम्मेदारी इस सरकार में, यहां बैठे हुए लोगों की नहीं बनती? यदि बनती है तो निश्चित रूप से मैं प्रार्थना करूंगा यहां पर बैठे हुए सारे ++++ से, सारे ++++ से कोई दुशासन यदि द्रोपदी का चीर हरण कर रहा है तो बोलो ताकि महाभारत न हो। अध्यक्ष महोदय, आज सवाल एक निर्णय की ओर आगे बढ़ने का है, नैतिक दायित्व के निर्वहन का है। उप मुख्य मंत्रीजी ने जैसा आपसे कहा बड़ी कृपा की उन्होंने। उन्होंने स्कूल को चलाया, उनका योगदान है। चल रही हैं, बसे बच्चों की, उनका योगदान है। फैक्ट्रियों के संचालन में कई कठिनाइयां हैं, मैं उसको स्वीकार करता हूं लेकिन रास्ते भी कठिनाइयों में आदमी बनाता है। बनी बनायी सड़कों पर तो सारे लोग चलते हैं, आप भी कार चला लेते हो, मैं भी अपना स्कूटर दौड़ा लेता हूं, पैदल भी चल लेता हूं लेकिन जिंदगी के रास्ते जो इंसान स्वयं बनाता है उनको चाहे जिंदगी में और कुछ मिले न मिले सुकून जरूर मिलता है, आत्म विश्वास जरूर मिलता है और इसी आधार पर वह आगे बढ़ते हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कोई कानून नहीं बना तो कानून बनाया जा सकता है। आज इतने कानूनों का उल्लंघन करने वाला आदमी क्यों नहीं जकड़ में आता? माननीय गृह मंत्रीजी भी यहां पर विराजमान हैं उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि 15 लोगों के नाम नोटिस निकले हैं सर्व होने के लिए, सवा साल में केवल वहां पांच लोगों के सर्व हुए, 10 आज भी बाकी हैं। सर्व होते–होते तीन साल बीत जाएंगे। फिर वह जवाब दावा पेश करेंगे, फिर जाकर मुकदमा चलेगा। होगा क्या? तीसरी पीढ़ी जाकर देखेगी कि मेरे बाबा ने कहां नौकरी की थी और उनको क्या मिला। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केवल इतना ही निवेदन कर देना चाहता हूं कि आज इस सदन को इस बात के लिये सोचना पड़ेगा। पिछला दीपावली का त्यौहार था। मैंने मेरे साथी से कांटेक्ट किया। वहां रहने वाले परिवारों से मेरा बहुत निकट का नाता है। विश्वास कीजिएगा, मेरी आंखों देखी बात है। छोटा बालक था जब उसके पिता दीपावली के ऊपर मिठाई लेकर, पटाखे लेकर आए तो उस छोटे से अबोध बालक ने कहा कि पापा पहले तो

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री अर्जुनदास मदान)

आप मिठाई ज्यादा लाते थे, पिछली बार तो पटाखे ज्यादा थे, इस बार कम क्यों लाए? उस बाप की आंखें केवल मात्र नम थीं। जबान बंद थी और आंखें नम थीं। क्या जवाब दे अपने बेटे को कि बेटा मेरा तो रोजगार नहीं रहा। अर्थोपार्जन का मेरे पास साधन नहीं है लेकिन वह आज इस स्थिति में अपने बेटे को जवाब नहीं दे सकता। कई लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे दूसरी जगहों पर पढ़ते हैं, आज उनके सामने एक मात्र प्रश्न है कि वह करें तो करें क्या। इसलिये मेरा आज आपसे निवेदन है कि आज पी.एफ. का पैसा भी एक मजदूर को नहीं मिलता। अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहां के प्रोविडेंट फंड कमिश्नर महोदय से बात की। प्रोविडेंट फंड एक्ट में एक नियम है कि यदि फैक्टरी बंद हो गयी तो आप अपना सारा फंड ले सकते हो, यह एक नियम है। उस नियम और कानून की परिधि में रहते आपने फैक्टरी को क्लोज डाउन नहीं किया, फैक्टरी बंद की कोई घोषणा नहीं की। आज फैक्टरी बंद है, महोदय, विश्वास कीजिएगा मैं पूरी ईमानदारी के साथ, और पूरी जिम्मेदारी के साथ इस सदन में कह रहा हूं कि उसको वहां जाकर बहन, बेटी का दस्तूर पूरा करना पड़ता है। यदि वह कुछ पैसा न दे तो अपना पैसा भी नहीं ले सकता है। यह स्थिति है। आज वह दुखी आदमी को और दुखी करने की स्थिति आ गयी और इसीलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि कम से कम फैक्ट्री नहीं चलती तो यह कानून तो बना दें कि जिसका जो पैसा है उसको ले। इसके लिए प्रोविडेंट फंड कमिश्नर से बात की जाए, दिल्ली जाया जाए। मुझे वह भी स्मरण है माननीय भाभड़ा साहब यहां पर विराजमान हैं। ललितजी भी यहां विराजमान नहीं है। मुख्य मंत्रीजी का आज स्वास्थ्य खराब है, लेकिन एक दिन ऐसा था जब सदन में मैंने मुख्य मंत्रीजी से यह बात की तब उस समय भाभड़ा साहब वहां उपस्थित थे, ललितजी वहां उपस्थित थे। मैंने जब अपनी पीड़ा रखी, अपनी वेदना रखी तो उन्होंने कहा भाभड़ा साहब मेरी सलाह है कि कम से कम एक–दो लोगों का डेलीगेशन सिकन्दर बख्तजी से जाकर मिले। हम प्रयास करें कि यह फैक्ट्री चल सकती है कि नहीं चल सकती और नहीं भी चल सकती तो इसके पैसे तो दिलवायें जो उसकी देनदारियां हैं। मान लीजियेगा नहीं चल सकती तो उसकी.......

श्री अध्यक्ष : अब आप बातों को दोहरा रहे हैं। कृपया अब आप बिराज जायें।

श्री अर्जुनदास मदान : ....तो उसके पेमेंट तो मिल जाये। खैर मैं बैठूंगा....

श्री अध्यक्ष : आपने बड़ी विस्तृत व्याख्या कर दी।

श्री अर्जुनदास मदान : आखिर में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमको निश्चित रूप से इस पर थोड़ा मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा और एक निर्णय लेकर के उठें कि जिन कानूनों के अंतर्गत एक बड़े घराने ने अपराध किया है, वह उसके ऊपर भी लागू हैं जो गरीब घराने के ऊपर लागू हैं। यह मेरा निवेदन है। लोग दुःखी

(श्री अर्जुनदास मदान)

हो गये तो तुलसीदास जी के शब्दों में इतना ही कहूंगा, "आरत काहे न करे कुकर्म, आरत फिर चित्त रहे न चेतु।" उसका फिर विवेक काम नहीं करेगा और किसी भी पाप की ओर वह बढ़ जाये तो मुझे क्षमा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री पराक्रम सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो मदान साहब ने विचार प्रकट किये हैं उसमें मैं अपने आपको सम्मिलित करते हुए सहमति जाहिर करता हूं और निश्चित रूप से इस उद्योगपति ने चाहे इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूटर एक्ट हो, पी.एफ. का मामला हो या ई.एस. आई. के मामले हों, इन सब कानूनों को ताक में रखकर गरीब मजदूरों के साथ बड़ा खिलवाड़ किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह स्थिति सिर्फ कोटा की ही नहीं है। यह आजकल हर जगह होता जा रहा है कि एक उद्योगपति जब चाहे तब अपना उद्योग बंद कर देता है और श्रमिकों के साथ खिलवाड़ करता है। सरकार यह कहती है कि हम इसके ऊपर कुछ कर नहीं सकते। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन उद्योगों को लगाने के लिए सरकार कृषि की जमीन सस्ती दर पर इनको उपलब्ध कराती है और सुविधाएं देती है तो क्यों नहीं सरकार इनके ऊपर अंकुश रखे। मेरा आपसे यही निवेदन है कि मदान साहब ने जो मामला रखा है इसके ऊपर सरकार गंभीरता से सोचे और श्रमिकों का पूरा–पूरा ध्यान रखे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : शांतिकुमार धारीवाल ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, जे.के. उद्योग बंद हुआ और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह रहा कि यह वह उद्योग था जो कि कम से कम कोटा शहर ही नहीं बल्कि कोटा नगर निगम और राजस्थान का राजस्व और केन्द्रीय राजस्व में अपना बहुत बड़ा योगदान रखता था। इसकी सारी इकाइयों में जो भी प्रोडक्ट यह पैदा करता था उनकी एक राष्ट्रीय छवि थी। देश में वह अच्छे प्रोडक्ट माने जाते थे और कम से कम इन पांच इकाइयों में से दो इकाइयां तो ऐसी थीं कि जिन्होंने 1995 का आई.एस. ओ. 9002 का अवार्ड अभी कुछ साल पहले ही लिया था। 1988 का प्रोडक्टिविटी अवार्ड भी इन्हीं कम्पनीज ने लिया था। जैसा अभी मदान साहब ने बताया कि पांच हजार आदमी इन यूनिट में कार्यरत थे और जिन पर कम से कम 25 हजार लोग आश्रित थे। हजार से ज्यादा लगभग ग्रोसरी शॉप से लेकर के बड़ी–बड़ी शॉप तो इन्हीं मजदूरों की तनख्वाहों पर और कर्मचारियों की तनख्वाहों पर जिन्दा थीं। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात तो यह है कि जिस रोज सदन यहां पर कार्यरत था माननीय लेबर मिनिस्टर ने उस रोज सदन में घोषणा की थी कि 10–के का नोटिस जारी कर दिया गया है और मालिकों को पाबन्द कर दिया है कि वह फैक्ट्री के ताले नहीं लगाये और रात के 12 बजे उन्होंने ताला लगा दिया। 10–के का नोटिस सर्व होने के बाद। सरकार की तरफ देखते हुए बड़ी लाचारी–सी महसूस होती है कि सरकार में बैठे हुए लोग किस हल्के–फुल्के अंदाज में इस बात को ले रहे

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

थे कि जे.के. बंद होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। उसकी आर्थिक स्थिति गिरती जा रही है। आज से ही नहीं बल्कि 2–3 सालों से गिरती जा रही है। पी.एफ. उन्होंने वक्त पर जमा नहीं कराया। वेतन मजदूरों का उन्होंने वक्त पर नहीं बांटा। ई.एस.आई. का पैसा जमा नहीं करवाया। बीमा का, सोसायटी का, कई चीजों का उन्होंने पैसा नहीं जमा करवाया और यहां तक कि बोनस की इजाजत तो आपने दी। सरकार के द्वारा रियायत दी गयी कि बोनस बाद में बांट दिया जायेगा। एक बार नहीं दो–दो बार आपने उनको रियायत दी। यह सब कुछ हो गया था, आपकी नजर में था कि यह उद्योग दिन पर दिन रूग्ण होता जा रहा है, होता जा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से इसके बचाव के लिए कोई प्रयत्न नहीं किये गये। हम लोग यहां पर बराबर आग्रह करते रहे कि इस उद्योग को बचाइये। इस उद्योग को बचाइये, यह राजस्थान की शान है। यह 1960 से वह उद्योग है जिससे कि कोटा को कानपुर कहा जाता था। यह कहा जाता था कि कोटा राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है। यह उसको पहचान दिलाता था और वह हमारी आंखों के सामने बीमार होता गया और बीमार होते–होते खत्म हो गया।

अध्यक्ष महोदय, इसी उद्योग से कोटा नगर निगम को एक करोड़ रुपये साल की चुंगी मिलती थी। इसी उद्योग से कस्टम वालों को 12 करोड़ रुपये से ज्यादा पैसा मिलता था। एक्साइज वालों को 25 करोड़ रुपये मिलते थे और राजस्थान के सेल्स टैक्स वालों को कम से कम 3 करोड़ रुपये हर साल मिला करते थे। कितना बड़ा एक स्रोत था राजस्थान के राजस्व के लिए। लेकिन ताज्जुब की बात है कि यह बंद हुआ। सरकार का भी नुकसान हुआ और जैसा मदान साहब ने अभी चित्रण किया, वहां के मजदूरों का और वहां के छोटे–छोटे व्यापारियों का भी हुआ जिसे पुनः दोहराना नहीं चाहता। लेकिन आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या अभी भी सरकार की सोच इसको पुनर्जीवित करने का है और अगर है तो क्या है? जिस प्रकार का सोच सरकार ने पहले दिखाया था कि मजदूरों का वेतन दिलाने के लिए हम इसकी प्रोपर्टी बेच देंगे, हम जे.के. का बंगला नीलाम कर देंगे, वहां के टेनिस कोर्ट नीलाम कर देंगे, वहां के बंगले नीलाम कर देंगे। उनका तो कोई नतीजा निकला नहीं। आपने जितनी भी नीलामी करी वह कोर्ट केसेज में फंसकर के रह गयी और मजदूरों को वेतन तक नहीं मिला। एक महीने, दो महीने तक का भी वेतन नहीं मिल पाया और दूसरा पी. एफ. और ई.एस.आई. का जितना पैसा था वह भी आज किसी न किसी लिटिगेशन के चक्कर में उलझा हुआ है। मजदूर आज भी तरस रहे हैं। बल्कि कई तो पलायन कर गये। 5–6 हजार आदमी कोटा को छोड़ चुके। उनकी प्रोपर्टीज मौजूद हैं, उनके छोटे–छोटे मकान मौजूद हैं। उनके ताले लगा–लगाकर के लोग चले गये रोजी–रोटी कमाने के चक्कर में। लेकिन न वह

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

रोटी–रोजी कमा पा रहे हैं और न वह और कुछ कर पा रहे हैं। नतीजा यह है कि दिन पर दिन क्राइम कोटा में बढ़ते जा रहे हैं जो क्राइम रेट इन दिनों कोटा में बढ़ा है जिछले डेढ़–दो साल में उसमें एक मुख्य कारण मैं यह भी मानकर चलता हूं कि जे. के. बंद होने के बाद लोग बेराजगार हो गये। वह लोग भी किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई गतिविधियों में लिप्त रहते हैं और हम उनको रोक नहीं पाते। उनके बच्चे फीस नहीं दे सकते स्कूलों की। वहां कई समाजसेवी सोसायटियां बनी हुई हैं जिन्होंने कि थोड़ा–थोड़ा चंदा देकर उनके बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की लेकिन वह भी थककर के हार गयीं कि कहां तक वह उनकी मदद करें। माननीय उप नेता यहां विराजमान हैं, उद्योग विभाग आपके ही पास है और आपने इस बारे में मालिकों से उस वक्त पर बात भी की थी। बात करने के बाद में भी आपके काबू में नहीं आये। वह आपको भी चक्कर दे गये। सरकार को ही चक्कर क्यों, जनता को भी चक्कर दे गये। वहां के एक इण्डस्ट्रियल ऐसासिएशन वाले उनके पास कानपुर गये तो उनको बैठाकर के उनसे चार घंटे बात करके यह वादा कर लिया कि 50 हजार रुपये तक का जिस छोटे व्यापारी का हम पर कर्जा है हम उस कर्जे को चुकाने के लिए तैयार हैं। वह भागे–भागे कोटा आये। कोटा आकर के उन्होंने व्यापारियों से, सबसे अपनी–अपनी एप्लीकेशंस मांगी कि किस–किसका कर्जा जे.कें. के ऊपर 50 हजार से कम का है। मालिकों ने आश्वासन दिया है कि उनको हम पूरा कर देंगे। वह दरख्वास्तें वहीं की वहीं पड़ी रहीं। आज भी धूल चाट रही हैं। व्यापारी लोग गये, मजदूर गये। मजदूरों से कह दिया कि हम जो जे. के. सीमेन्ट फैक्ट्री, निम्बाहेड़ा में है उसको बेच देंगे। 700 करोड़ रुपये उससे मिलेगा और उससे जे.के. का यह कोटा और झालावाड़ के जो प्लांट हैं वह चला लेंगे। मतलब असत्य पर असत्य वह लोग बोलते गये। सरकार ने 2–2, 4–4 बार इस बात की कोशिश करी कि मालिक किसी तरह से माने जाएं। लेकिन आपकी जितनी भी कोशिश थी, मेरा निश्चित रूप से यह आरोप है कि आपकी कोशिश एक थानेदारी अप्रोच नहीं थी। आपकी कोशिश इस प्रकार की थी जिस प्रकार की एक अध्यापक छात्र को समझाने की करे। आप पूरी सख्ती से, पाबंदी से उन मालिकों के साथ पेश आते तो वह इतनी हिम्मत नहीं कर सकते कि 10–के का नोटिस देने के बादे में भी रात के 12 बजे ताला लगा दें।

अध्यक्ष महोदय, मैं 2–4 बातें कहकर के अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं क्योंकि मन काफी दुखी होता है जब भी जे. के. की बात चलती है। बहुत पीड़ा होती है। मुझे ही नहीं हर कोटा निवासी को पीड़ा होती है और मुझे पक्की उम्मीद है कि कोटा से आने वाले विधायक माननीय चतुर्वेदी जी साहब को भी बहुत पीड़ा होती होगी कि जे.के. आज बंद है। कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरह से फाइनेंशल इन्स्टीट्यूशंस का हमें सपोर्ट मिले इस जे. के. को चलाने के लिए। सरकार की तरफ से मैं यह चाहूंगा कि पहल हो और जितनी

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

भी फाइनेंशल इन्स्टीट्यूशंस जो इसमें इन्वाल्व्ड हैं उनसे बातचीत की जानी चाहिए और इस सारी बातचीत के लिए कम से कम सरकार को एक कमेटी तो बना देनी चाहिए। कोटा में जे.के. के जितने भी प्लांट है, जो आज बंद पड़े हैं, उनको पुनर्जीवित करने के लिए किस प्रकार से क्या–क्या वर्किंग प्लान बने और उस वर्किंग प्लान को इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हों, फाइनेंशियल इन्स्टीट्यूशन्स से कौन बात करेगा, मालिकों से कौन बात करेगा, मजदूरों से कौन बात करेगा, वहां के छोटे–छोटे व्यापारी हैं, जो इसमें इन्वाल्व थे जे.के. में, उनसे कौन बात करेगा, किस तरह से जे.के. की चिमनी में वापस धुआं उगलना शुरू हो और वे लोग वापस रोजगार पा जाएं इस प्रकार का प्लान, अगर कोई आपका है तो कृपया वह बताने का कष्ट करें। वरना मैं तो यह मानकर चलता हूं कि कितनी भी पुरानी इण्डस्ट्री हो जाए लेकिन इस इण्डस्ट्री में आज भी इतना दम है क्योंकि जब यह बंद हुई तब भी यह प्रोफिट कमा रही थी, नुकसान में नहीं थी, कोई इस प्रकार के सर्कम्स्टांसेज नहीं थे कि मजदूरों ने मालिकों को इतना पाबन्द कर दिया हो या इतना परेशान कर दिया हो कि वे वहां से भाग जाएं। यह जो कुछ हुआ है सिर्फ मालिकों के आपसी झगड़े की वजह से हुआ है, मजदूरों से अनरेस्ट की वजह से नहीं हुआ। जितनी भी तीन–चार यूनियनें थीं, वे बराबर, बाकायदा काम करती थीं। रिट्रेंचमेंट भी यहां पर हुआ, पिछली बार एक साले के लिए बंद भी रही, गोलियां भी चली हैं यहां पर लेकिन इसके बावजूद भी यहां पर उत्पादन कभी कम नहीं हुआ क्योंकि यह प्लांट नुकसान में नहीं गया। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर सरकार में इच्छा शक्ति है, सरकार चाहती है कि जे.के. को चालू किया जा सके तो आज आपके सामने कोई बैरियर नहीं है। केन्द्र की सरकार आपकी सरकार है, आप चाहे जितनी मदद वहां से ले सकते हैं। जसवंत सिंहजी तो यह वादा करके गए थे कि मैं इन चुनावों के दो महीने बाद इस फैक्ट्री को चालू करवा दूंगा, चुनाव हारे, चाहे जीते, एक अलग बात है लेकिन कार्यकर्त्ता जो चुनाव लड़ता है, उसको अपनी बात को, हार और जीत को नहीं देखते हुए, उस पर पाबन्द रहना पड़ता है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कोई कार्य योजना बनाए और इस फैक्ट्री को चालू करवाये। बेरोजगार लोग हैं, उनको वापस रोजगार में लिया जाए, उनके पेमेंट, पुरानी तनख्वाह का, जब वे काम नहीं कर पाए, वह अलग बात है, उनसे बैठकर बात की जा सकती है, समझाया जा सकता है, कि किसी तरह से उसका एडजस्टमेंट किया जा सकता है लेकिन इच्छाशक्ति तो कम से कम हो सरकार की। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं। कृपया कोई न कोई वर्किंग प्लान बनाकर, कोई न कोई कमेटी बनाकर इस जे.के. को जीवित किया जाए, चालू किया जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री ओमप्रकाश शर्मा।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : अध्यक्ष महोदय, मदान साहब नें जो चिंता व्यक्त

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

की है, कोटा, झालावाड़ और बूंदी, ये तीन जिले इन फैक्ट्रियों से प्रभावित हुए हैं। मेरा आपके माध्यम से उप मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि सरकार इन फैक्ट्रीज के बारे में अण्डरटेकिंग ले सकती है जैसे दिनांक 17.12.77 को जयपुर मैटल्स में, दिनांक 30.6.76 को जयपुर स्पिनिंग मिल्स में किया था। दिनांक 18.11.82 को यह अधिकृत किया था, धारा 3 राजस्थान रिलीफ अण्डरटेकिंग स्पेशल प्रोविजन, 1961 की अधिसूचना से यह अधिकृत किया जा सकता है। उपरोक्त उद्योगों को अण्डरटेक किया जा सकता है।

आज राजस्थान में हमारी सरकार, दिल्ली में हमारी सरकार है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो निश्चित रूप से दिल्ली जाकर वहां उद्योग मंत्री से मिलकर इसका समाधान किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मैं इन उद्योगों को चलाने के बारे में कुछ निवेदन आपके माध्यम से माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय से करना चाहता हूं। क्या यह सही है कि उपरोक्त उद्योगों को चलाने के लिए सरकार व्यवस्था करने जा रही है, यदि हां तो क्या और कब तक? कोटा के पांच, झालावाड़ की तीन और बूंदी की तीन यूनिट्स बंद पड़ी है। सरकार की बिना इजाजत के, बिना नोटिस दिए, बिना सूचना दिए, ये फैक्ट्रियां बंद कर दी गई और कोटा की फैक्ट्रीज के बारे में स्वयं उप मुख्य मंत्रीजी ने दो बार उनकी मीटिंग बुलाई परंतु वहां से कोई व्यक्ति नहीं आया। अब उप मुख्य मंत्रीजी बुलाएं, राजस्थान सरकार बुलाए और वे न आएं, इसका मतलब उनकी कितनी जिद है और उनकी जिद ने किस प्रकार से कोटा के हाड़ौती में हालात पैदा किए, यह उनकी मनमर्जी से हो रहा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार मजदूरों की देनदारिया उनको दिलाने की व्यवस्था कब तक करने जा रही है? जे.के. चलाने हेतु केन्द्र सरकार से हस्तक्षेप करावें या मदद ले।

अध्यक्ष महोदय, हम इन बड़े उद्योगपतियों को सब्सिडी देते हैं, जमीन देते हैं, सरकार सभी प्रकार की सुविधाएं देती हैं। अब तो ऐसी परम्परा बन गई कि जो भी नये उद्योग आ रहे हैं, बड़े उद्योग आते हैं, उनको सब्सिडी देते हैं, चार–पांच साल में वे उद्योग स्वयं बंद करके मजदूरों पर सारी जिम्मेदारी डालकर बंद करके चले जाते हैं। उनका स्वयं का पैसा होता नहीं है, वह सारा ऋण लेते हैं, सब्सिडी से सारा काम चलाते हैं और फैक्ट्री बंद करके चले जाते हैं। हम उनको जितनी सुविधाएं दे सकते हैं, वे लेते हैं और हमारे लिए वे वहां पर समस्याएं खड़ी कर जाते हैं।

किसानों की फसल का पैसा होता है, उनकी फसल ले लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं बूंदी की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, बूंदी में धान की फसल होती है, वह किसान जब धान की फसल लेकर मण्डी जाते हैं तो वहां से उनके दलाल माल खरीद लेते हैं, माल खरीदने के बाद 12 महीने, दो साल तक उन किसानों को पैसा नहीं मिलता, वे फैक्ट्री मालिक पंजाब

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

जाकर बैठ जाते हैं, कोई हरियाणा जाकर बैठ जाते हैं क्योंकि फैक्ट्री मालिक वहां के नहीं हैं, बाहर के हैं, वहां जाकर बैठ जाते हैं और वह किसान चिल्लाता है, आढ़तियों को पकड़ता है, और कई बार ऐसे हालात हो गए कि मण्डी बंद हो गई। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों पर सरकार कानूनन कार्यवाही करे और मजदूरों को पैसा दिलाए, किसानों को पैसा दिलाएं और जो इस प्रकार की हालात पैदा करते हैं, चार–पांच साल में फैक्ट्री बंद करके चले जाते हैं, उन पर इस प्रकार का अंकुश डाला जाए कि वे फैक्ट्री बंद न करें। आज कानून व्यवस्था भी बिगड़ रही है। इसमें भी कोटा के उद्योगों के बंद होने का बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि जो मजदूर, वहां का व्यक्ति, वहां के मालिक जिस प्रकार से मदान साहब ने, धारीवाल साहब ने जो बात रखी है, बिल्कुल सही है, आज वे दर–दर की ठोकरें खा रहे हैं। वह व्यक्ति कभी कोटा जाता है, कभी झालावाड़ जाता है, कभी भीलवाड़ा जाता है, वहां उनको जगह नहीं मिलती, बेरोजगार हो गए। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी व्यवस्था की जाए, इन मजदूरों की व्यवस्था की जाए, उनकी रोजी–रोटी की व्यवस्था की जाए और उनकी देनदारियां चुकाई जाएं। धन्यवाद। आपने मुझे समय दिया।

श्री अध्यक्ष : श्रम मंत्री महोदय। (व्यवधान) मंत्रीजी का वक्तव्य आने दीजिए, बाद में कोई बात शेष रह जाए तो पूछ लेना। (व्यवधान) मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कृपया नियमों का भी ध्यान रखें। 127 के अंदर जो चर्चा....(व्यवधान)....कृपया बिराजें, आप भी विराज जाएं।

श्री अमराराम (धोद) : विराज जाऊंगा लेकिन एक ही मुझे पूछना है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं। एक मिनट का तो कोई मुद्दा नहीं है।

श्री अमराराम (धोद) : मिनट नहीं, मैं तो एक ही.......

श्री अध्यक्ष : वे माननीय सदस्य भी एक मिनट मांग रहे हैं, मैंने उनको भी नहीं दिया। आप भी विराजें, कृपया।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, दूसरे कारखानों के बारे में, मैं तो जे.के. के बारे में.......

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें, मैं समय नहीं दे पाऊंगा, मैंने मंत्री महोदय को पुकार लिया आप विराज जाएं।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : मैं यह कहना चाहता हूं इस मुतलिक जिससे मजदूर का कोई फायदा होता हो, दो मिनट में कहूंगा, वैसे भी सदन का समय बहुत जाया होता है......।

श्री अध्यक्ष : बिराजें, माननीय सदस्य।

श्री नन्दलाल मीणा (राज्य मंत्री, श्रम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा से आने वाले माननीय सदस्य, अर्जुनदासजी मदान, धारीवाल साहब, पराक्रमसिंह जी, बूंदी के माननीय सदस्य श्री ओमप्रकाशजी शर्मा, ने

(श्री नन्दलाल मीणा)

जे.के. सिंथेटिक्स के अंतर्गत जो सात ईकाईयां कोटा में चल रही थीं, पिछले समय से बंद पड़ी है, इनको पुनः चालू करने के बारे में राज्य सरकार ने क्या प्रयास किए और फैक्ट्री बंद होने, वहां तालाबंदी होने की वजह से जो श्रमिक कार्यरत थे, उन श्रमिकों, उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति किस प्रकार प्रभावित हुई है, एक भावात्मक भाषण, वर्णन सदन में प्रस्तुत किया है। मैं श्रम मंत्री की हैसियत से....

श्री अध्यक्ष : उन्होंने बड़ी दर्दपूर्ण स्थिति बतायी है। उसको आप इस तरह लीजिए। स्थिति बड़ी दर्दनाक लगी है, ऐसा लगता है।

श्री नन्दलाल मीणा : मैं सदन में राज्य सरकार द्वारा इन सातों इकाइयों को किस तरह से पुनः प्रारम्भ किया जा सकता है, जिन श्रमिक बन्धुओं को वेतन भुगतान आदि नहीं हुआ है उनको समय–समय पर भुगतान की व्यवस्था के क्या प्रयास कर रहे हैं यह अवगत कराना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जे. के. कोटा लिमिटेड के अन्तर्गत कोटा स्थित 7 इकाइयां हैं जिनमें पी. एस. जी. ग्रुप के अन्तर्गत पदम सिन्थेटिक्स, जे. के. स्टेबल, गोपाल सिन्थेटिक्स, स्टीम एण्ड पावर, सर पदमपत रिसर्च सेन्टर, इनमें लगभग तीन हजार श्रमिक कार्यरत थे।

इसी तरह से दूसरा ग्रुप है ए. टी. सी. जिसमें जे. के. एक्रेलिक तथा जे. के. टायर कार्ड। इसमें 731 श्रमिक कार्यरत थे। ए. टी. सी. ग्रुप में कुल 1,331 श्रमिक थे।

अध्यक्ष महोदय, पी. एस. जी. ग्रुप के पदम सिन्थेटिक्स, जे. के. स्टेबल, गोपाल सिन्थेटिक्स और स्वीस एण्ड पावर, इन इकाइयों में 12.9.97 से और सर पदमपत रिसर्च सेन्टर में 23.9.97 से तालाबन्दी की गई। इसी तरह से जे. के. एक्रेलिक और जे. के. टायर्स में जून, 96 से उत्पादन बन्द कर दिया और अक्टूबर, 1996 से वहां के श्रमिकों का वेतन भुगतान बंद कर दिया, नहीं किया गया। इस प्रकार इस पी. एस. जी. ग्रुप की पांच कम्पनियों का मासिक वेतन 1.80 करोड़ बनता है और ए. टी. सी. ग्रुप की दो इकाइयों का मासिक वेतन 85 लाख रुपये बनता है।

अध्यक्ष महोदय, जून में बंद होने के बाद राजस्थान का श्रम विभाग स्थानीय स्तर पर कोटा में संयुक्त श्रम आयुक्त, जिला कलेक्टर और श्रमिक संगठन और इकाइयों के मालिक, किस तरह से यह फैक्ट्री वापस चले, जैसा कि शांति जी धारीवाल ने अपने वक्तव्य में बताया कि यह फैक्ट्री लम्बे समय से चलती रही है, कभी घाटे में नहीं रही है, परन्तु पारिवारिक विवाद की वजह से और यह सत्य भी है कि आज केवल इस स्थिति में यह फैक्ट्री पहुंची यह आपसी परिवार के बंटवारे के विवाद की वजह से यह फैक्ट्री बंद पड़ी है।

वहां जिला स्तर पर प्रयास करने के बाद यहां पर माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय की अध्यक्षता में श्रम विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ मैनेजमेंट के साथ बराबर

178

(श्री नन्दलाल मीणा)

प्रयास किए जाते रहे कि समझौते के आधार पर विचार–विमर्श के आधार पर कोई तीसरा रास्ता निकले, इस आधार पर विचार–विमर्श किया गया। परन्तु अन्त में विभाग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इन सभी चर्चाओं के बावजूद यह फैक्ट्री चलना संभव नहीं है तो हमें कानून को हाथ में लेना पड़ा और कानून के आधार पर, जो श्रम कानूनों के अन्तर्गत प्रावधान हैं उसके हिसाब से हमने जो कार्यवाही की है, मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने विभिन्न स्तर पर वार्ताएं करने के अतिरिक्त इन इकाइयों को चालू रखने व श्रमिकों का नियोजन बनाये रखने के लिए ए. टी. सी. ग्रुप की जे. के. टायर कार्ड तथा जे. के. एक्रेलिक इकाइयों में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 (के) के अन्तर्गत आदेश दिनांक 1.7.97 को जारी कर नियोजक को इन इकाइयों में तालाबन्दी न करने के लिए आदेशित किया तथा श्रमिकों के बकाया वेतन के भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33 (सी)(i) के अन्तर्गत श्रमिक संगठनों द्वारा प्रस्तुत दावों में से कुल राशि रुपये 8,06,21,371.80 के लिए वसूली प्रमाण–पत्र जिला कलेक्टर, कोटा को जारी किये जिनके अनुसरण में संस्थान की विभिन्न सम्पत्तियों को कुर्क व नीलाम कर राशि 86.42 लाख रुपये वसूल कर श्रमिकों को अक्टूबर, 1996 तथा नवम्बर, 1997 का आंशिक भुगतान कराया गया।

अध्यक्ष महोदय, विभाग किस प्रकार सक्रिय है क्योंकि यह हिन्दुस्तान में पहला दृष्टांत है जो राजस्थान की फैक्ट्रियों को नीलाम करके मजदूरों के भुगतान की व्यवस्था की। यह उल्लेखनीय है कि राज्य में श्रमिकों के बकाया वेतन की वसूली के लिए नियोजक की सम्पत्ति को कुर्क व नीलाम करने की कार्यवाही प्रथम बार की गई है। शेष बकाया राशि की वसूली के लिए जयपुर स्थित जे. के. हाउस को कुर्क कर नीलाम करने की कार्यवाही की जा रही थी, परन्तु इस नीलामी पर अतिरिक्त जिला न्यायालय, जयपुर द्वारा रोक लगाने का निर्णय दिया गया है जिसके विरुद्ध राज्य सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर कर दी है। इसके अतिरिक्त माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नियोजक कम्पनी के विरुद्ध विभिन्न अन्य कम्पनियों द्वारा दायर याचिकाओं में दिनांक 8.1.98 को जे. के. सिन्थेटिक्स लिमिटेड की सम्पत्तियों को नीलाम नहीं करने तथा नहीं बेचने के आदेश दिये हैं। इन याचिकाओं में राज्य सरकार द्वारा संयुक्त श्रम आयुक्त, कोटा को प्रभारी अधिकारी तथा उत्तर प्रदेश राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता को पैरवी के लिए नियुक्त कर राज्य सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने की व्यवस्था की है।

पी. एस. जी. ग्रुप के नाम से कार्यरत 5 इकाइयों में भी श्रमिकों के भुगतान में विलम्ब होने तथा इकाइयों में क्षमतानुसार उत्पादन कार्य न होने की स्थितियां उत्पन्न होने पर राज्य सरकार द्वारा दिनांक 3.9.97 को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 (के) के अन्तर्गत आदेश जारी कर

(श्री नन्दलाल मीणा)

पदम सिन्थेटिक्स, जे. के. स्टेबल एण्ड टोज, गोपाल सिन्थेटिक्स तथा स्टीम एण्ड पावर इकाइयों में तालाबंदी न करने के लिए पाबंद किया। नियोजक पक्ष द्वारा इन इकाइयों में क्रमशः दिनांक 22.9.97 तथा 23.9.97 को तालाबंदी घोषित कर दी गई। राज्य सरकार के आदेश की अवहेलना कर तालाबंदी करने के लिए नियोजक पक्ष के प्रतिनिधियों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अभियोग दायर किये गये हैं।

कर्मचारियों के वेतन से कर्मचारी राज्य बीमा तथा कर्मचारी भविष्य निधि के अंशदान की राशि को जमा कराने की कार्यवाही क्रमशः कर्मचारी राज्य बीमा निगम व कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा की जाती है जो भारत सरकार के अधीन है। कोटा स्थित जे. के. सिन्थेटिक्स लिमिटेड की इकाइयों में से जे. के. टायर कार्ड तथा जे. के. एक्रेलिक के कर्मचारियों के जनवरी, 1997 से मार्च, 1997 तक की अवधि के कर्मचारी राज्य बीमा के अंशदान की वसूली हेतु कार्यवाही कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा की जा रही है। भविष्य निधि संगठन द्वारा जे. के. टायर कार्ड व जे. के. एक्रेलिक के विरुद्ध दिसम्बर, 1996 से मार्च, 1997 तक के भविष्य निधि अंशदान जमा नहीं कराने के लिए बकाया राशि का निर्धारण कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटा के समक्ष अभियोजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। जे. के. टायर कार्ड तथा जे. के. एक्रेलिक इकाइयों में अप्रेल, 1997 से जून, 1997, जे. के. स्टेपल एण्ड टोज में जून, 1997 से अगस्त, 1997 तथा गोपाल सिन्थेटिक्स में मई, 1995 से जुलाई, 1997 की अवधि के लिए भविष्य अंशदान की राशि का निर्धारण करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 7 ए के अन्तर्गत कार्यवाही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रारम्भ की गयी है। कर्मचारी भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम को जे. के. सिन्थेटिक्स लिमिटेड, कोटा की इकाइयों से बकाया अंशदान की वसूली की कार्यवाही शीघ्र करने तथा विधिक प्रावधानों की अवहेलना करने के लिए नियोजक के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए लिखा जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा की जा रही बकाया वेतन की वसूली (औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33–सी के अन्तर्गत) की कार्यवाहियों के विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रबन्धन पक्ष ने याचिकाएं दायर की हैं जो अभी विचाराधीन हैं लेकिन इन याचिकाओं में वसूली के विरुद्ध कोई स्थगन आदेश न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया। परन्तु माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के सक्षम विभिन्न कम्पनियों/संस्थानों ने अलग अलग रिट याचिकाएं जे. के. सिन्थेटिक्स लि. के विरुद्ध प्रस्तुत की हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है :–

1. 101/97 बी. एल. कंटेनर प्रा. लि. बनाम जे. के. सिन्थेटिक्स लि. व अन्य

2. 107/97 बोम्बे डाइंग मैन्यूफैक्चरिंग बनाम जे. के. सिन्थेटिक्स लि. व अन्य

3. 10/98 गिनी पैकिंग लि. बनाम जे. के. सिन्थेटिक्स लि. व अन्य

(श्री नन्दलाल मीणा)

4. 11/98 खेमका कन्टेनर बनाम जे. के. सिन्थेटिक्स लि. व अन्य

5. 12/98 निधि पैकर्स बनाम जे. के. सिन्थेटिक्स लि. व अन्य

उपरोक्त वर्णित याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने इस आशय का आदेश जारी कर रखा है कि कम्पनी की किसी सम्पत्ति को नीलाम या बेचान नहीं किया जाए।

यह भी उल्लेखनीय है कि रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (स्पेशल प्रोविजन) एक्ट 1985 के अन्तर्गत गठित बोर्ड फोर इण्डस्ट्रियल एण्ड फाइनेन्सियल रिकन्स–ट्रक्शन (बी. आई. एफ. आर.) ने जे. के. सिन्थेटिक्स लि. को दिनांक 2.4.98 को हुई बैठक में रूग्ण इकाई के रूप में पंजीकृत कर लिया है तथा इस कम्पनी के पुनर्चालन के प्रस्ताव तैयार करने हेतु अन्य कार्यवाहियों के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई. डी. बी. बाई.) को–ऑपरेटिव एजेन्सी नियुक्त किया है। बी. आई. एफ. आर. के समक्ष हुई कार्यवाही में विभिन्न बैंकिंग संस्थानों के साथ–साथ राज्य सरकार की ओर से श्री एम. एल. गुप्ता, विशेषाधिकारी (उद्योग) ने भी भाग लिया तथा मजदूर संगठन बी. आई. एफ. आर. की कार्यवाही में उपस्थित हुए।

उपरोक्त तथ्यों एवं विवरण से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने इस संस्थान की कोटा स्थित इकाइयों में कार्य बन्द न होने देने, श्रमिकों का नियोजन बनाये रखने तथा इनके पुनः प्रारम्भ करने के लिए यथासम्भव कार्यवाही की है तथा भविष्य में भी राज्य सरकार इन इकाइयों में कार्य पुनः प्रारम्भ कराने के लिए सभी नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु कृतसंकल्प है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संस्थान की सम्पत्तियों के नीलाम व बेचान से रोक समाप्त कर दिये जाने पर श्रमिकों के बकाया वेतन की वसूली हेतु कार्यवाही पुनः प्रारम्भ की जाएगी। इस संस्थान के सभी प्रकरणों का प्रभावी समन्वय करने के लिए अतिरिक्त श्रम आयुक्त को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इससे हटकर और निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय अर्जुनदास जी मदान, शांतिकुमार जी धारीवाल से कि मेरी उद्योग मंत्रीजी, उद्योग मंत्रालय से बात हुई है। 19 तारीख को सम्भवतः हमें वह दिल्ली में समय देंगे। आपको भी आमंत्रित करता हूं कि आप 19 तारीख को दिल्ली पधारें तो आपके समक्ष ही इस समस्या का किस प्रकार से भारत सरकार निदान कर सकती है, फैक्ट्री किस तरह से चालू हो सकती है, श्रमिकों का भुगतान कैसे किया जा सकता है, इन सारी समस्याओं का हल निकल जाएगा।

श्री रमाकान्त शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ प्रश्न पूछने हैं।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 28 जुलाई, 1998 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.45 बजे मंगलवार, दिनांक 28 जुलाई, 1998 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट–1

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर)

नगरपालिका लाडनूं में कनिष्ठ अभियंता की नियुक्ति प्रकरण

297. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) नगरपालिका लाडनूं जिला नागौर में कितने कनिष्ठ अभियंता कार्यरत हैं? उनमें से कौन कब से कार्यरत हैं, तथा इनकी नियुक्ति कब और किस के द्वारा की गई? नियुक्ति आदेश की प्रति सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कनिष्ठ अभियंता के नियुक्ति प्राधिकारी कौन हैं तथा नियुक्ति में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है और उक्त नियुक्तियों में क्या प्रक्रिया अपनाई गई?

(3) क्या यह सही है कि इनकी नियुक्ति सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं की गई?

(4) क्या उक्त कनिष्ठ अभियंताओं ने राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट दायर की थी? यदि हां, तो इसमें किस–किस को पार्टी बनाया गया?

(5) क्या इस रिट याचिका में नियुक्ति प्राधिकारी और नगरपालिका को पार्टी बनाया गया था? यदि हां तो पालिका और नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दिये गये जवाब की प्रति मय रिट याचिका के सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह भी सही है कि नगरपालिका ने इस मामले में कनिष्ठ अभियंता से मिलकर उनके पक्ष में फैसला करवाया है? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की?

(7) क्या सरकार ने कोर्ट के आदेश की समीक्षा की है? यदि हां, तो बिना सक्षम अधिकारी के नियुक्ति के इस आदेश की पालना किस प्रकार से हो गई और समीक्षा नहीं की गई तो क्यों तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जावेगी?

(8) पालिका की ओर से इस मामले में किस–किस ने क्या–क्या गलती की है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी या प्रस्तावित है?

उत्तर

(1) नगरपालिका लाडनूं जिला नागौर में एक कनिष्ठ अभियन्ता श्री ललित कुमार ओझा दिनांक 24.8.95 से कार्यरत हैं। इनकी नियुक्ति तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा परियोजना निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर के आदेश क्रमांक 9716 दिनांक 5.8.95 की अनुपालना में नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत की गई। उक्त नियुक्ति नेहरू रोजगार योजना के निर्देशानुसार दैनिक वेतन पर की जानी थी, परन्तु तत्कालीन अध्यक्ष ने नियमित वेतन श्रृंखला में अस्थायी नियुक्ति के आदेश जारी किये। इस कारण से अधिशासी अधिकारी ने अपने आदेश क्रमांक 2285 दिनांक 21.11.95 के द्वारा श्री ओझा की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी, जिसके विरुद्ध श्री ओझा ने मा.

(स्वायत्त शासन मंत्री)

उच्च न्यायालय, जोधपुर एकलपीठ में याचिका संख्या 3946/1995 प्रस्तुत की। याचिका स्वीकार कर ली गई, जिसके विरुद्ध नगरपालिका ने माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में अपील दायर की, जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई। नियुक्ति आदेश की प्रति संलग्न है।

(2) राजस्थान नगर पालिका (सेवा) नियम 1963 में कनिष्ठ अभियन्ता का पद वर्गीकृत है, जिसमें नियुक्ति अधिकारी राज्य सरकार है तथा नियुक्ति में चयन प्रक्रिया अपनाई जाती हैं। श्री ओझाा की नियुक्ति सीधी ही अध्यक्ष द्वारा की गई जिसे राज्य सरकार ने उचित नहीं माना था, परन्तु श्री ओझाा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करने पर माननीय उच्च न्यायालय ने अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित आदेश को उचित माना हैं।

(3) जी हां। श्री ओझा की नियुक्ति सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं की गई। माननीय उच्च न्यायालय ने अध्यक्ष के हस्ताक्षरों से जारी किये गये नियुक्ति आदेश को वैध माना है एवं इसी कारण से श्री ओझा कार्यरत हैं।

(4) जी हां। श्री ओझा कनिष्ठ अभियन्ता ने राजस्थान उच्च न्यायालय की एकलपीठ जोधपुर में रिट याचिका दायर की थी, जिसमें निदेशक, स्थानीय निकाय, नगरपालिका लाडनूं, अध्यक्ष नगरपालिका लाडनूं तथा अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका लाडनूं को पार्टी बनाया गया है।

(5) जी हां। पालिका व नियुक्ति प्राधिकारी को पार्टी बनाया गया, नगर पालिका लाडनूं द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में जवाब दिया, जिसकी प्रति मय याचिका के सदन की मेज पर रख दी गई है।

(6) जी नहीं। नगरपालिका ने कनिष्ठ अभियंता से मिलकर कोई फैसला नहीं करवाया है, निर्णय माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा दिया गया है, जिसकी अपील भी माननीय उच्च न्यायालय की खंड पीठ में की गई, परन्तु वहां पर भी अपील खारिज हो चुकी है।

(7) माननीय उच्च न्यायालय की खंड पीठ के निर्णय को राज्य सरकार के विधि विभाग द्वारा देखा गया एवं उच्चतम नयायालय में एस.एल.पी. दायर करने का निर्णय नहीं लिया गया।

(8) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने उक्त कार्यवाही को उचित ठहराया है। अतः किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं की गई।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला अजमेर में अकाल राहत कार्य

298. **श्री परसराम मोरदिया** (लक्ष्मणगढ़) एवं **श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत** (श्रीमाधोपुर) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में अकाल घोषित करने की क्या प्रक्रिया है?

(श्री परसराम मोरदिया)

(2) क्या अकाल घोषित करने के लिए जिला कलेक्टर की रिपोर्ट सरकार के पास आती है?

(3) गत पांच वर्षों में अजमेर जिले में कहां–कहां कितने प्रतिशत अकाल कब घोषित किया गया? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्ष 1993 से जून, 1998 तक अजमेर जिले में अकाल राहत कार्यों के लिए प्रतिवर्ष कितनी राशि स्वीकृत की गई? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अकाल घोषित नहीं करते है। सामान्यतया फसल खराब खरीफ फसल का 50 प्रतिशत या अधिक होने पर गांव अभावग्रस्त घोषित किये जाते है। राज्य सरकार द्वारा आवश्यकता महसूस करने पर इस बार रबी की फसल खराबे के आधार पर भी गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये।

(2) अभावग्रस्त घोषित करने हेतु रिपोर्ट आती है।

(3) प्रतिशत अकाल घोषित नहीं होता है।

(4) राहत कार्यों हेतु श्रमिक सीलिंग जिला अनुसार दी जाती है तदनुसार राशि आवंटित विभाग करता है।

ग्राम खेडिया जगा (नदबई) में वृक्षों की अवैध कटाई प्रकरण

299. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि तहसील नदबई ग्राम पंचायत गांगरौली के ग्राम खेडिया जगा में चारागाह सिवाय चक भूमि में वन विभाग ने करीब 4–5 वर्ष पूर्व बबूल का वृक्षारोपण करवाया था और वृक्षों के बड़े होने पर ग्राम पंचायत की सुपुर्दगी में वृक्षों को दे दिया गया था? यदि हां, तो कितने वृक्ष बबूल सुपुर्दगी में दिये गये तथा किस व्यक्ति का सुपुर्द नामा लिखवाया गया व क्या–क्या कीमत वृक्षों की आंकी गई?

(2) क्या उक्त वृक्ष उस भूमि पर अभी खड़े हुए हैं? यदि नहीं, तो उन वृक्षों को किस आदेश से काटा गया?

(3) क्या स्थानीय अधिकारियों को वृक्षों के काटने की जानकारी हो गई है? यदि हां, तो उन्होंने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है?

(4) क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच करवाकर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब?

उत्तर

(1) ग्राम खेडिया जगा की चरागाह भूमि में वृक्षारोपण वर्ष 1988 में कराया गया था। वर्ष 1995 में वृक्षारोपण सरपंच ग्राम पंचायत गांगरोली श्री नरेश कुमार शर्मा को संभलाते समय 4331 बबूल तथा बिलायती बबूल के पेड़ सुपुर्दगी में देकर सुरक्षा हेतु सुपुर्दनामा लिखवाया गया। वृक्ष पूर्ण परिपक्व न होने के कारण वृक्षों की कीमत नहीं आंकी गई।

(2) जी नहीं। वन विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं दिया गया।

(राज्य मंत्री, वन)

(3) जी, हां। जांच प्रारम्भ की गई है।

(4) जी, हां। जांच पूर्ण होने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

जिला भीलवाड़ा में बसों पर बकाया यात्री रोड टैक्स

300. श्री जीतराम (मालपुरा) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले में बसों पर यात्री कर एवं रोड टैक्स राशि बकाया है? यदि हां, तो किस–किस बस पर कितनी–कितनी बकाया राशि की सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) उक्त बसों की यात्री कर एवं रोड टैक्स की वसूली क्यों नहीं हुई? इसके लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? सरकार टैक्स वसूली एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब क्या कार्यवाही करने जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। जिन बसों पर यात्री कर बकाया है उसकी सूची परिशिष्ट "क" पर है। जिन बसों पर पथकर एवं विषप पथकर बकाया है उसकी सूची परिशिष्ट "ख" पर है।

(2) बकाया कर की वसूली नहीं होने का मुख्य कारण वाहन समाप्त हो जाना, स्थायी पते पर वाहन स्वामियों का नहीं मिलना अथवा अचल सम्पत्ति की जानकारी न हो पाना है। बकाया टैक्स वसूली के लिए भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। जहां तक दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न है, यह जांच का विषय है। आवश्यकतानुसार जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की क्रियान्विति

301. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) एवं **श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम राज्य में कब शुरू किया? उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1995–96 से 1997–98 तक जिलेवार किस–किस कार्यक्रम में कितने–कितने लक्ष्यों की पूर्ति की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त, 1995 से सभी राज्यों में लागू किया गया। उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही तीन योजनाएं यथा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक सहायता योजना एवं राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना की वर्ष 1995–96 से 1997–98 की जिलेवार एवं योजनावार प्रगति सदन के पटल पर रख दी गई है।

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
RURAL DEVELOPMENT & PANCHAYATI RAJ DEPTT.
National Social Assistance Programme (NSAP)
National Old Age Pension Scheme (NOAP)

(Upto March 31, 1998)

Sr. No.	District	Physical Target	Achievements 1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5	6
1.	Ajmer	7860	0	1690	2665
2.	Alwar	10430	0	2614	11371
3.	Banswara	5250	0	1445	10045
4.	Baran	3690	0	772	4605
5.	Barmer	6530	0	688	1199
6.	Bharatpur	7510	2295	3838	8421
7.	Bhilwara	7240	0	1581	9390
8.	Bikaner	5510	0	1562	2134
9.	Bundi	3500	0	553	1172
10.	Chittorgarh	6750	0	314	2888
11.	Churu	7010	0	1207	2385
12.	Dausa	4520	0	1072	1077
13.	Dholpur	3400	0	2465	3107
14.	Dungarpur	3970	0	1096	3970
15.	Sri Ganganagar	6490	0	1765	3351
16.	Hanumangarh	5430	0	2822	3648
17.	Jaipur	17660	0	4658	4816
18.	Jaiselmer	1570	0	1144	1570
19.	Jalore	5190	0	546	4371
20.	Jhalawar	4350	0	1689	5816
21.	Jhunjhunu	7190	0	1142	4026
22.	Jodhpur	9790	0	2631	7511
23.	Kota	5550	0	525	6876
24.	Nagour	9750	0	1267	2120
25.	Pali	6760	1764	1873	5230
26.	Rajsamand	3740	0	1977	2727
27.	S. Madhopur	8190	0	2684	2039
28.	Sikar	8370	0	1950	9551
29.	Sirohi	2970	0	407	463
30.	Tonk	4440	0	1169	1891
31.	Udaipur	9390	0	4030	4416
32.	karauli	0	0	0	2935
	Total	200000	4059	53176	137786

(186)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
RURAL DEVELOPMENT & PANCHAYATI RAJ DEPTT.
National Social Assistance Programme (NSAP)
National Family Benefit Scheme (NFBS)

(Upto March 31, 1998)

Sr. No.	District	Physical Target	Achievements 1995-96	1996-97	1997-98	Total
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ajmer	620	0	0	115	115
2.	Alwar	830	0	0	440	440
3.	Banswara	410	0	0	122	122
4.	Baran	290	0	0	6	6
5.	Barmer	520	0	0	252	252
6.	Bharatpur	590	0	6	182	188
7.	Bhilwara	570	0	6	734	740
8.	Bikaner	430	0	0	3	3
9.	Bundi	280	0	0	79	79
10.	Chittorgarh	530	0	0	230	230
11.	Churu	550	0	0	335	335
12.	Dausa	360	0	0	73	73
13.	Dholpur	270	0	0	206	206
14.	Dungarpur	310	0	0	180	180
15.	Sri Ganganagar	510	0	0	58	58
16.	Hanumangarh	430	0	0	89	89
17.	Jaipur	1400	0	0	258	258
18.	Jaiselmer	410	0	0	99	99
19.	Jalore	120	0	0	322	322
20.	Jhalawar	340	0	0	299	299
21.	Jhunjhunu	570	0	31	517	548
22.	Jodhpur	780	0	6	398	404
23.	Kota	440	0	0	315	315
24.	Nagour	770	0	0	451	451
25.	Pali	530	0	73	587	660
26.	Rajsamand	300	0	0	202	202
27.	S. Madhopur	650	0	0	159	159
28.	Sikar	660	0	0	777	777
29.	Sirohi	240	0	0	187	187
30.	Tonk	350	0	0	25	25
31.	Udaipur	740	0	0	158	158
32.	Karauli	0	0	0	112	112
	Total	15800	0	122	7970	8092

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
RURAL DEVELOPMENT & PANCHAYATI RAJ DEPTT.
National Social Assistance Programme (NSAP)
National Maternity Benefit Scheme (NMBS)

(Upto March 31, 1998)

Sr. No.	District	Physical Target	Achievements 1995-96	1996-97	1997-98	Total
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ajmer	8530	0	0	135	135
2.	Alwar	11330	0	0	386	386
3.	Banswara	5700	0	0	1411	1411
4.	Baran	3990	0	0	601	601
5.	Barmer	7080	0	0	1867	1867
6.	Bharatpur	8140	0	0	838	838
7.	Bhilwara	7860	0	0	3310	3310
8.	Bikaner	5970	0	0	7	7
9.	Bundi	3800	0	0	283	283
10.	Chittorgarh	7320	0	0	4364	4364
11.	Churu	7620	0	0	2206	2206
12.	Dausa	4910	0	0	74	74
13.	Dholpur	3700	0	0	291	291
14.	Dungarpur	4320	0	164	1151	1315
15.	Sri Ganganagar	7050	0	0	83	83
16.	Hanumangarh	5890	0	0	148	148
17.	Jaipur	19190	0	0	23	23
18.	Jaiselmer	1700	0	0	1332	1332
19.	Jalore	5630	0	0	4732	4732
20.	Jhalawar	4720	0	0	1729	1729
21.	Jhunjhunu	7800	0	18	2877	2895
22.	Jodhpur	10620	0	0	4187	4187
23.	Kota	6030	0	0	4622	4622
24.	Nagour	10580	0	0	651	651
25.	Pali	7330	0	48	5599	5647
26.	Rajsamand	4060	0	0	448	448
27.	S. Madhopur	8900	0	0	325	325
28.	Sikar	9090	0	0	1726	1726
29.	Sirohi	3230	0	0	1801	1801
30.	Tonk	4810	0	0	172	172
31.	Udaipur	10200	0	0	237	237
	Total	217100	0	230	47617	47846

(१८८)

दरगाह अब्बन शाह (सांचौर) का रख–रखाव प्रकरण

302. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : क्या वक्फ राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जालौर जिले की सांचोर तहसील के पीर की जाल (प्रतापपुरा) स्थित दरगाह अब्बन शाह की देखभाल हेतु वक्फ बोर्ड द्वारा दरगाह इन्तजामिया वक्फ कमेटी गठित की गई है? यदि हां, तो वर्तमान में अध्यक्ष एवं सचिव कौन–कौन हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि दरगाह इन्तजामिया वक्फ कमेटी, पीर की जाल ने आम सभा बुलाकर सर्व सम्मति से दरगाह अब्बन शाह के पूर्व मुजावरान को हटाकर नए मुजावर नियुक्त कर दिये थे? यदि हां, तो यह निर्णय कब हुआ तथा क्या इस निर्णय की क्रियान्विति हो गई है?

(3) वर्तमान में दरगाह अब्बनशाह के मुजाविर के रूप में कौन काम कर रहा है तथा दरगाह की कृषि भूमि पर काबिज काश्त कौन है?

(4) वक्फ कमेटी एवं वक्फ बोर्ड के आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध सरकार क्या कर रही है?

उत्तर

(1) जी, हां। इस कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष ठाकुर इकराम अली सैयद तथा सचिव श्री अब्दुल शकूर हैं।

(2) जी, हां। दिनांक 09.02.96 को आम सभा द्वारा सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया, इस निर्णय का क्रियान्वयन हो गया है।

(3) वर्तमान में दरगाह अब्बनशाह में श्री गुलाब शाह मुजाविर है। दरगाह की कृषि भूमि पर नाजायज काबिज निम्न है :–

1– श्री अमीर शाह पुत्र नूर शाह

2– श्री मिट्‌ठू शाह पुत्र नूर शाह

3– श्री अन्तर शाह पुत्र नूर शाह

4– श्री कासिम शाह पुत्र अमीन शाह

5– श्री युसुफ शाह पुत्र हमीर शाह

6– श्री मोह. शाह पुत्र मिट्‌ठू शाह

7– श्री जाल मोह. पुत्र अमीन शाह

(4) इस मामले में ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत सम्पदा अधिकारी वक्फ के न्यायालय में बेदखली की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। माननीय उच्च न्यायालय में रिट दायर किया जाना प्रस्तावित है।

सरदारशहर में उचित मूल्य की दुकानों का आवंटन प्रकरण

303. श्री भंवरलाल शर्मा (सरदार–शहर) : क्या खाद्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) तहसील सरदारशहर में माह जून, 1997 में कितनी उचित मूल्य की दुकानों की स्वीकृति जारी की गई है?

(श्री भंवरलाल शर्मा)

(2) इन दुकानों के लिये कितने प्रार्थना–पत्र प्राप्त हुए और इस हेतु समिति की बैठकें कब–कब बुलाई गई और इनमें से कितनी–कितनी बैठकें निरस्त की गई?

(3) क्या यह सही है कि सरदार शहर कस्बे की दुकानों का आवंटन हो गया एवं इनकी अमानत राशि चालान द्वारा दिनांक 1–7–97 को बैंक में जमा करा दी गई थी?

(4) उक्त स्वीकृत दुकानों में से कितनी दुकानों का आवंटन पत्र कब जारी किया गया और इन दुकानों द्वारा कब से राशन वितरण कार्य शुरू किया गया? यदि नहीं, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माह जून, 1997 में 8 उचित मूल्य की दुकानों की स्वीकृति आवंटन कमेटी द्वारा की गई है।

(2) इन दुकानों के लिये 50 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। इस हेतु समिति की बैठकें दिनांक 6.2.97, 21.2.97, 30.4.97, 24. 5.97 एवं 16.6.97 को बुलाई गई थी। उक्त दिनांकों में से दिनांक 6..2.97, 21.2.97, 30. 4.97 एवं 24.5.97 की बैठकें निरस्त की गई है।

(3) यह सही है कि कस्बे सरदारशहर के लिये आठ दुकानों का आवंटन हुआ है और इन दुकानों में से कुल छह दुकानदारों द्वारा बैंक में अमानत राशि जमा करवाई गई है।

(4) कस्बा सरदारशहर के लिये आठ दुकानों का समिति द्वारा चयन किया गया, चयनित दुकानदारों द्वारा दुकान का नक्शा 10 दिवस में, प्रतिभूति राशि बैंक में जमा कराते हुए, उसकी चालान प्रति कार्यालय द्वारा चाही गई थी, किन्तु आज दिनांक तक भी उक्त कार्यवाही चयनित दुकानदारों द्वारा पूर्ण नहीं की गई है। इसी कारण से किसी भी दुकानदार को राशन सामग्री का आवंटन नहीं हुआ। इसके लिए स्वंय दुकानदार जिम्मेदार है।

बूंदी में अधिशासी अभियन्ता कार्यालय का सृजन

304. श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य के कोटा जिले में नहरों/ड्रेनों में पानी छोड़ने, रख–रखाव, निर्माण आदि की व्यवस्था किस श्रेणी के अधिकारी/कर्मचारी को दी गई है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त जिम्मेदारी एक ही व्यक्ति को दिये जाने से व्यवस्था में व्यवधान पैदा होता है? क्या सरकार इसे पृथक्–पृथक् करने का विचार रखती है? यदि हां, तो इसे अब कब तक पृथक् कर दिया जावेगा और नहीं, तो क्यों?

(3) बूंदी स्थित बाईं मुख्य नहर में कुल सिंचित भूमि कितनी है? क्या यह सही है कि यहां अधिशासी अभियन्ता कार्यालय नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार केशोरायपाटन में अधिशासी अभियन्ता कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(190)

उत्तर

(1) कोटा जिले में चम्बल नहरों से जल वितरण एवं नहरों के रखरखाव तथा निर्माण कार्यों की व्यवस्था सी. ए. डी. की सिंचाई शाखा के अधीक्षण अभियन्ता के अधीन अधिशासी अभियन्ता, दाईं मुख्य नहर खण्ड प्रथम, कोटा, अधिशासी अभियन्ता, दाईं मुख्य नहर, द्वितीय खण्ड, अन्ता तथा अधिशासी अभियन्ता, बाईं मुख्य नहर खण्ड, बूंदी द्वारा सम्पादित की जाती है। इनकी सहायता हेतु सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता एवं कार्य प्रभारी कर्मचारी नियुक्त हैं।

ड्रेनों के रख–रखाव की व्यवस्था अधीक्षण अभियन्ता (भूमि विकास वृत्त) तथा उनके अधीन अधिशासी अभियन्ता, खेत सुधार खण्ड–द्वितीय के द्वारा सम्पादित की जाती है।

(2) जी, नहीं। गत दो वर्षों से नहरों एवं ड्रेनों की व्यवस्था की जिम्मेदारी अलग–अलग अधिकारियों को दे दी गई हैं।

(3) बाईं मुख्य नहर प्रणाली से एक लाख दो हजार हैक्टेयर भूमि सिंचित होती है। बूंदी में अधिशासी अभियन्ता, बाईं नहर खण्ड, बूंदी का कार्यालय स्थापित है। केशोरायपाटन में अधिशासी अभियन्ता का कार्यालय खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

कैर के महादेवजी मन्दिर पर अनधिकृत कब्जा

305. श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा (बयाना) : क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सागर रोड आमेर (जयपुर) स्थित कैर के महादेव जी का मन्दिर देवस्थान विभाग का है?

(2) क्या उक्त मन्दिर एवं उसकी जमीन पर किसी व्यक्ति ने अनधिकृत कब्जा कर रखा है? यदि हां, तो किसने?

(3) क्या सरकार मन्दिर एवं उसकी जमीन पर किये गये अनधिकृत कब्जे को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, नहीं। मन्दिर श्री कैर के महादेवजी सागर रोड आमेर वर्तमान में देवस्थान विभाग से प्रतिबन्धित एवं नियंत्रित नहीं है।

(2) जी, हां। मन्दिर भूमि पर श्री हनुमान सहाय ताम्बी का कब्जा है।

(3) मन्दिर की सम्पत्ति के अवैध विक्रय एवं कब्जे को हटाने हेतु पत्र क्रमांक प. 1(46) सामा./देव/97/6081 दिनांक 9.6.98 द्वारा जिला कलेक्टर, जयपुर को लिखा गया है।

ग्राम आकेड़ा डूंगर (विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र) में भूमि अधिग्रहण प्रकरण

306. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या उप मुख्य (उद्योग) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र विस्तार के तहत ग्राम आकेड़ा

(१९)

(श्री गोपीराम जाट)

डूंगर की सिवाय चक भूमि को रीको द्वारा अधिग्रहित कर भू–खण्ड आवंटित किये गये हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि गत दिनों में इस अधिग्रहण को रद्द कर आवंटियों के आवंटन निरस्त कर दिये गये हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या उक्त सिवायचक भूमि पर वर्ष 1995 में वन विभाग द्वारा सक्षम प्राधिकारी की अनुमति बिना वृक्षारोपण किया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु ग्राम आकेड़ा डूंगर की 170 बीघा भूमि का आवंटन जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा रीको के पक्ष में कर भूमि का कब्जा माह मार्च, 97 में सम्भलाया गया। जिसके पश्चात् आवंटित भूमि पर भूखण्ड नियोजित कर भूखण्डों का आवंटन इच्छुक उद्यमियों के पक्ष में जारी किया गया था।

(2) रीको को आवंटित भूमि के कुछ हिस्से पर वन विभाग द्वारा अपना स्वामित्व बताने के कारण रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने की योजना को निरस्त कर दिया एवं औद्योगिक क्षेत्र के भूखण्डों के आवंटियों को रीको के अन्य औद्योगिक क्षेत्र सरनाडूंगर या प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र बडारना में भूखण्ड आवंटित कराने अथवा जमा राशि को वापस लेने हेतु सूचित कर दिया गया था।

(3) आकेडा डूंगर में वर्ष 1995 में समन्वित बंजड भूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत "बॉडीबेसिन वृक्षारोपण परियोजना" में स्थानीय विधायक एवं स्थानीय जनता के प्रस्ताव पर आकेडा डूंगर क्षेत्र को हरा भरा तथा प्रदूषण मुक्त करने की दृष्टि से ही वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण व्यापक जनहित में कराया गया है।

जिला सिरोही के ग्रामों की पेयजल योजनाएं

307. **श्रीमती तारा भण्डारी** (सिरोही) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1994 से जून, 1998 तक सिरोही जिले में ग्रामीण विकास अभिकरण एवं राज्य सरकार द्वारा अब तक कुल कितनी राशि किन–किन पेयजल योजनाओं के लिए कब–कब दी गई? योजनाओं एवं गांवों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनाओं में से कितनी योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं तथा अब कितनी अपूर्ण हैं?

(3) अपूर्ण योजनाएं कब तक पूर्ण करा दी जायेंगी?

(4) सिरोही जिले में कुल कितने गांवों में फ्लोराइड युक्त पानी है तथा इन गांवों

(192)

(श्रीमती तारा भण्डारी)

में शुद्ध पेयजल देने की क्या योजना है? गांवों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1994 से 6/98 तक ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा 243.42 लाख व राज्य सरकार द्वारा 917.20 लाख की राशि पेयजल योजनाओं पर दी गई। चाही गई सूची परिशिष्ट अ, ब व स पर संलग्न है।

(2) उक्त योजनाओं में से 136 योजनाएं पूर्ण कर दी गई हैं व 56 अपूर्ण हैं।

(3) अपूर्ण योजनाओं को इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(4) सिरोही जिले के कुल 11 गांवों में 3 पीपीएम से अधिक फ्लोराइड युक्त पानी है। इन गांवों को शुद्ध पेयजल देने हेतु भूजल वैज्ञानिक से स्त्रोत का चयन कराकर योजना प्रस्तुत की जायेगी। चाही गई सूची परिशिष्ट–द पर संलग्न है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

तहसील फुलेरा में अकाल राहत के अन्तर्गत सड़क निर्माण

308. श्री रामनारायण किसान (फुलेरा) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि तहसील फुलेरा में वर्ष 1997 से जून, 1998 तक ओलावृष्टि हुई थी? यदि हां, तो कौन–कौन से गांवों में सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार ने उक्त क्षेत्र में जिला कलेक्टर जयपुर को सड़के बनाने के कोई निर्देश दिये हैं? यदि हां तो कितनी सड़के स्वीकृत की गई और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राहत कार्यों में सड़क नीति लागू है? यदि हां, तो नीति/नियम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। गांवों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट–अ)

(2) जी, हां। दो सड़के स्वीकृत की गई, स्वीकृति आदेश की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट–ब)

(3) जी, नहीं।

वर्ष 1997 से जून, 1998 तक तहसील सांभर में ओलावृष्टि से प्रभावित ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ओलावृष्टि का दिनांक	प्रभावित ग्रामों के नाम	क्र.सं.	ओलावृष्टि का दिनांक	प्रभावित ग्रामों के नाम
1	2	3	1	2	3
1.	1.4.97	1. बधाल			16. सांखलों का वास
		2. तुर्कियावास			17. रूपसिंहपुरा
		3. ईटावा			18. रामसिंहपुरा
		4. लूनियावास			19. कालख
		5. गदड़ी			20. हरिपुरा
		6. कंवरपुरा			21. गोकुलपुरा
2.	22.3.98	1. चक जोबनेर			22. बागड़ों का बास
		2. सूझों की ढाणी			23. ढाणी चन्द्रपुरा
		3. बेबरवाला की ढाणी			24. डाकनियावास
		4. प्रतापपुरा			25. बामनियावास
		5. गुमानपुरा			26. भोजपुरकला
		6. बंशीपुरा			27. तुर्कियावास
		7. ढेहरा			28. मुरलीपुरा
		8. माछरखानी			29. चिरनोटिया
		9. बस्सीनागान			30. जयसिंहपुरा
		10. अगरपुरा			31. जगमालपुरा
		11. तिवारिया			32. सिंहपुरी
		12. जोशीवास			33. जैतपुरा
		13. कुच्यावास			34. सायपुरा
		14. भीखावास			35. आयदानकावास
		15. खेजड़ावास			36. खेड़ी अलूपा

१९४

1	2	3	1	2	3
		37. आसलपुर			54. मोहनपुरा
		38. ढाणी बोराज			55. माजीपुरा
		39. बाढ़ मथुरादासपुरा			56. बिजारनियों का बास
		40. माल्यावास			57. चक बुद्ध जी काबास
		41. भगवतपुरा			58. सूण्डों का बास
		42. भासिंहपुरा			59. चन्दपुरा
		43. ढिढा			60. श्यामपुरा
		44. सुरसिंहपुरा			61. ढोडवाड़ियों का बास
		45. भैसलाना			62. पहाड़पुरा
		46. भदवा			63. भूखरों की ढाणी (भैंसलाना)
		47. सिनोदिया			64. विजय गोविन्दपुरा
		48. मुण्डावाडा			
		49. बुद्धजी का बास			
		50. ढाणी नागान			
		51. जाण्या का बास			
		52. प्रेमपुरा			
		53. पृथ्वीपुरा			

जिला कलक्टर,
जयपुर

कार्यालय जिला कलक्टर, जयपुर

क्रमांकः–सहायता/अ.रा./98 दिनांक :

अधिशासी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
जिला खण्ड दक्षिण, जयपुर।

विषय :– राहत कार्य सन् 1998–99 के अन्तर्गत सम्पादित करवाये जाने वाले राहत कार्यों की स्वीकृति।

सहायता विभाग राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ1/1/1/सहा/रवी/97–98/7001–20 दिनांक 4.4.98 के द्वारा जयपुर जिले के जो ग्राम अभावग्रस्त घोषित किये है उनमें सहायता विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक 11.5.98 के अनुसार जयपुर जिले के अभावग्रस्त क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राहत कार्य सन् 1998–99 के नाम से आपके विभाग/अभिकरण के माध्यम से कार्य कराये जाने हेतु संलग्न विवरण में कार्यो की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। स्वीकृति का प्रोफोर्मा संलग्न है।

(1) उपरोक्त समस्त कार्य राहत कार्य सन् 1998–99 के नाम से सम्पादित होंगे।

(2) कार्यों पर स्वीकृत राशि से अधिक व्यय नहीं किया जायेगा।

(3) कार्य प्रारम्भ करने की तिथि व उस पर नियोजित श्रमिक संख्या की सूचना इस कार्यालय को कार्य प्रारम्भ होते ही तुरन्त भिजवाये।

(4) इन स्वीकृत कार्यों पर सामान की खरीद उतनी ही मात्रा में की जावे जिसका की उपयोग दिनांक 30.6.98 तक किया जा सकें। इसके अतिरिक्त कोई खरीद नहीं की जावेगी। जिसका उक्त अवधि में पूर्ण उपयोग न हो सके।

(5) इस स्वीकृति के द्वारा जो कार्य स्वीकृत किये गये है उनको दिनांक 30.6.98 तक पूर्ण करा लिया जावे। जो कार्य दिनांक 30.6.98 के पश्चात् अपूर्ण रहेंगे उनको उक्त विभाग अपने विभागीय बजट मद/अन्य योजनाओं मे पूर्ण करवायेंगे।

(6) प्रत्येक कार्य तकनीकी स्वीकृति जारी होने के पश्चात् ही प्रारम्भ किया जाये।

(7) इन कार्यों पर श्रम एवं सामग्री का अनुपात 50:50 **होगा**। सामग्री मद में किसी भी सूरत में 50 प्रतिशत से अधिक राशि व्यय नहीं की जायेगी।

(196)

(8) इस स्वीकृति के द्वारा राहत कार्य स्वीकृत किये गये है उन पर कुल व्यय 32,000/– रुपये मात्र होंगे।

(9) राहत कार्य 1998–99 के दौरान निर्मित स्थाई सम्पदाओं के संधारण की जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी। संबंधित विभाग अपने बजट से इस हेतु उचित प्रावधान रखेंगे।

(10) मजदूरी का भुगतान पखवाड़े की समाप्ति के 10 दिवस के अन्दर–अन्दर किया जाना आवश्यक है अतः समय–समय पर मजदूरी का भुगतान करवाने हेतु संबंधित तहसीलदार से सम्पर्क किया जावे तथा भुगतान कराने की व्यवस्था में उन्हें सहयोग दिया जावे।

(11) राहत कार्यों पर जो श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान संबंधित तहसीलदार के माध्यम से ही स्वीकृति के अनुसार किया जायेगा। संबंधित एजेन्सी श्रम का भुगतान अपने स्तर से नहीं करेंगे।

(12) राहत कार्यों पर लगे श्रमिकों को मजदूरी 44.00 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दी जावेगी यह मजदूरी कार्य मात्रा में (टास्क बेसिस) के आधार पर दी जायेगी।

(13) राहत कार्यों पर ओलावृष्टि से प्रभावित उसी ग्राम के व्यक्तियों को रोजगार दिया जायेगा तथा एक परिवार के अधिकतम दो व्यक्ति को रोजगार दिया जायेगा।

(14) प्रत्येक कार्य के लिये 3 सदस्य समिति का गठन किया जावे ताकि उक्त समिति की निगरानी में उक्त कार्य सम्पादित किया जा सके।

(15) किसी भी कार्य पर मजदूरी टास्क के अनुसार देय होगी यदि टास्क के अनुसार देय मजदूरी से अधिक का मस्टररोल पारित किया जाता है, तो इसके लिये मस्टररोल पर ही सुस्पष्ट अंकित किया जाये, तथा कार्य की कमी के लिए प्रभावी पर्यवेक्षण नहीं करने सम्बन्धी दायित्व भी निर्धारित किया जावे।

(16) राहत कार्यों का समय प्रातः 7.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक रहेगा।

(17) मस्टररोल का कार्य स्थल पर संधारण मेट द्वारा किया जायेगा। मेट जिस गांव में कार्य चल रहा है उसी गांव के पढ़े लिखे लोगों में से ही रखा जावे जो श्रमिकों की पहचान कर सकें।

(18) राहत कार्य जिस विभाग/अधिकारी के द्वारा सम्पादित किये जावेंगे उसी विभाग के अधिकारियों को तकनीकी स्वीकृतियों के जो अधिकारी विभाग द्वारा प्रदत्त है उसी के अनुसार राहत कार्यों के अन्तर्गत चलाये जाने वाले कार्यों के लिये भी तकनीकी स्वीकृति के अधिकार प्राप्त होंगे।

(19) अकाल राहत कार्यों का तकनीकी पर्यवेक्षक सहायक अभियंता/सी.डी./जिला परिषद जयपुर करेंगे तथा कनिष्ठ अभियंता के क्षेत्राधिकार के बाहर के कार्यों का सत्यापन सहायक अभियंता/सी.डी. के द्वारा किये जाने पर भुगतान किया जायेगा।

(20) राहत कार्यों पर पानी की व्यवस्था हेतु अकुशल श्रमिक रखे जावे, जो कि निकटतम स्त्रोत से पानी का परिवहन कर सके। पानी पिलाने तथा पानी लाने वाले व्यक्ति/पशु चलित वाहन मय चालक को मस्टररोल में दर्शाया जावे, तथा भुगतान बी.एस. आर. दरों से किया जावे। इस हेतु अधिकतम व्यय जिले में राहत कार्यों हेतु निर्धारित श्रम व्यय 50 प्रतिशत का 3 प्रतिशत या वास्तविक व्यय जो भी कम हो देय होगा।

(21) राहत कार्यों पर छाया व्यवस्था पर होने वाले व्यय सामग्री राशि से होगा। छाया व्यवस्था के लिये होने वाला व्यय जिले के लिए निर्धारित सामग्री राशि 50 प्रतिशत का एक प्रतिशत तक या वास्तविक व्यय जो भी कम हो देय होगा।

(22) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रस्तावित स्थल का टाइटल देखा जाये एवं स्थल का मानचित्र की प्रति प्राप्त की जावे।

ह./–

जिला कलक्टर, जयपुर

198

कार्यालय जिला कलक्टर, जयपुर

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राहत कार्य 1998–99
स्वीकृत कार्यों के विस्तृत तकनीकी अनुमान विभाग द्वारा तैयार कर लिये गये है।

नाम अभिकरण अधिशासी अभियन्ता, सा.नि.वि.
जिला खण्ड दक्षिण, जयपुर
स्वीकृति क्रमांक सहा./अ.रा./4337
दिनांक 17.6.98

क्र.सं	कार्य का नाम	कार्य अपूर्ण/नया	ग्राम का नाम	ग्राम पं. का नाम	पंचायत समिति का नाम	तहसील का नाम	पूर्व में स्वीकृत राशि	पूर्व में व्यय हुई राशि	स्वीकृत राशि (लाखों में)			सृजित कुल मानव दिवस	प्रतिदिन नियोजित होने वाले श्रमिकों की संख्या	कार्य पूर्ण होने की तिथि
									श्रम	सामग्री	योग			
1.	ग्रेवल सड़क गोकुल पुरा से कालख 1 कि. मी.	नया	गोकुलपुरा कालख	खेजड़ावास कालख	सांभर	फुलेरा	–	–	0.83	0.83	1.66	6384	145	30.6.98
2.	ग्रेवल सड़क प्रेमपुरा से भैसलाना वाया गीधा का बास 1 कि.मी.	–"–	प्रेमपुरा भैसलाना	डयोडी भैसलाना	–"–	–"–	–	–	0.83	0.83	1.66	6384	145	–"–
					योग–		–	–	1.66	1.56	3.32	12768	290	

(अक्षरे तीन लाख बत्तीस हजार रुपये मात्र)

जिला कलक्टर,
जयपुर

रणथम्भौर बाघ परियोजना स्थित जोगी महल का उपयोग

309. **श्री हरेन्द्र मिर्धा** (नागौर) एवं **श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत** (श्री माधोपुर) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या रणथम्भौर बाघ परियोजना में स्थित जोगी महल को विभाग द्वारा गैस्ट हाऊस के रूप में प्रयोग में लिया जा रहा है? यदि हां, तो कब से? उक्त गैस्ट हाऊस में गत पांच वर्षों में कौन–कौन व्यक्ति कब–कब ठहरे? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा नियुक्त कुमट कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 27 अगस्त, 1992 को सरकार को प्रस्तुत की गई, जिसके पैरा 7, 3, 4 के सुझावानुसार जोगी महल को वी.आई.पी. को ठहरने से तुरन्त बंद कर दिया जाये? यदि हां, तो क्या इसकी पालना की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या रिजर्व क्षेत्र में इस प्रकार गैस्ट हाऊस चलाना वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन गैर वानिकी कार्य होने के कारण अपराध है?

(4) क्या उस विषय में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। गत लगभग बीस वर्ष से बाघ परियोजना रणथम्भौर में स्थित जोगी गेस्ट महल रेस्ट हाऊस के रूप में प्रयोग में लिया जा रहा है। दिनांक 12.10.94 से 26.6.98 की अवधि में जो व्यक्ति ठहरें, उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी, हां।

(3) जी, नहीं।

(4) कोई अधिकारी दोषी नहीं है। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करना जरूरी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

निगम की बसों में चिकित्सा किट का रख–रखाव

310. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि परिवहन निगम की स्थापना के समय से ही बसों में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स लगवाने के साथ ही परिचालकों को भी प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र हासिल करने पर ही नियुक्ति की जाती रही है?

(2) क्या यह भी सही है कि प्राथमिक चिकित्सा किट की खरीद के लिए निगम द्वारा अलग से बजट निर्धारित किया जाता है? यदि हां, तो गत पांच वर्षों में कितनी–कितनी राशि उक्त प्रयोजनार्थ आवंटित की गयी तथा कितनी राशि वास्तव में व्यय की गयी? मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

2०

(श्री विष्णु मोदी)

(3) क्या यह सही है कि प्राथमिक चिकित्सा किट खरीद कर विभिन्न आगारों को आवंटित किये जाने तथा उसे उपयोग में लेने वाले परिचालकों के नाम, आवंटित सामग्री का पूर्ण रिकार्ड, आगारों के मुख्य प्रबंधक कार्यालयों में रखा जाता है? यदि हां, तो जयपुर, अजमेर, कोटा के आगारों का गत पांच वर्षों का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि निगम की लम्बी दूरी की द्रुतगामी तथा साधारण बसों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित की जा रही यात्री बसों के परिचालकों को निगम की स्थापना के बाद से कभी भी प्राथमिक चिकित्सा सामग्री उपलब्ध नहीं करवायी गयी है? यदि हां, तो क्यों तथा सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, नहीं। प्राथमिक चिकित्सा किट की खरीद के लिये पृथक से बजट का प्रावधान नहीं है। उक्त व्यय बजट मद "ए ट्रेफिक, 37–अन्य व्यय" के अन्तर्गत किया जाता है। गत पांच वर्षों में उक्त मद के अन्तर्गत बजट प्रावधान एवं व्यय निम्न प्रकार रहा है :–

वर्ष	बजट प्रावधान	कुल व्यय (लाखों में)	किट्स पर व्यय राशि
1993–94	1.25	0.47	–
1994–95	0.50	0.26	–
1995–96	0.50	1.44	–
1996–97	4.79	1.35	73,558/
1997–98	2.00	0.20 (प्रोविजनल)	4,597/

(3) जी, हां। जयपुर, अजमेर एवं कोटा के आगारों का गत पांच वर्षों की अवधि में क्रय किये गये चिकित्सा किट्स एवं परिचालकों को जारी की संख्या का विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(4) जी, नहीं। निगम की द्रुतगामी एवं साधारण सेवाएं भी ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित होती है। गत पांच वर्षों की अवधि में 2765 प्राथमिक चिकित्सा किट्स खरीद कर परिचालकों को जारी किये गये है। परिचालकों की ड्यूटी बदलती रहती है, वे द्रुतगामी–साधारण दोनों सेवाओं में कार्यरत रहते हैं।

जयपुर, अजमेर एवं कोटा के आगारों द्वारा गत पांच वर्षों की अवधि में क्रय किये गये प्राथमिक चिकित्सा किट्स का विवरण

क्र.सं.	नाम आगार	क्रय का वर्ष	चिकित्सा किट्स की संख्या	परिचालकों को जारी किट्स की संख्या
1.	जयपुर	1996	150	130
		1997	50	30
		1998	50	30
2.	डीलक्स, जयपुर	1996	100	100
3.	दौसा (जवाहर नगर जयपुर)	1996	100	90
4.	वैशाली नगर, जयपुर	1996	60	37
5.	सांगानेर, जयपुर	1996	37	35
6.	विद्याधर नगर, जयपुर	1996	50	45
7.	झालाना डूंगरी, जयपुर	1996	11	11
8.	अजमेर	1996	100	90
9.	अजय मेरू–अजमेर	1996	50	50
10.	कोटा	1996	80	70

(202)

जिला टौंक में प्राथमिक शालाओं का सृजन

311. श्री जगदीश प्रसाद मीणा (उनियारा) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) उनियारा एवं देवली तहसील जिला टोंक अन्तर्गत गत 5 वर्षों में कहां–कहां प्राथमिक शालाएं खोली गई और उनके खोलने के क्या मानदण्ड थे?

(2) 150 से 300 तक की जनसंख्या वाले ग्राम जिनमें लगभग 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्ति हैं, में कहां–कहां प्राथमिक शालाएं खोली गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) सरकार अब कब तक उक्त ग्रामों में पाठशालाएं खोलने का विचार रखती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत 5 वर्षों में (1993–94 से 1997–98 तक) खोले गये प्राथमिक विद्यालयों की संख्या निम्न प्रकार है :–

पं०स० उनियारा में 18 विद्यालय

पं०स० देवली में 20 विद्यालय

गत 5 वर्षों में पंचायत समिति देवली एवं पंचायत समिति उनियारा में जहां प्राथमिक विद्यालय खोले गये उनके नामों की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट–1)

प्राथमिक विद्यालय खोलने के मापदण्ड राजस्व ग्राम एवं गैर राजस्व ग्राम ढाणी मजरों के संबंध में निम्न प्रकार हैं:–

- वर्ष 1991 की जनगणना में घोषित राजस्व ग्राम
- उक्त राजस्व ग्राम की वर्ष 1991 की जनगणना में जनसंख्या सामान्य क्षेत्र में 250 से अधिक एवं जनजाति मरूस्थलीय क्षेत्र में 150 से अधिक हो।
- उक्त राजस्व ग्राम विद्यालय विहीन हो।
- गैर राजस्व ग्राम ढाणी मजरे, जिनकी जनसंख्या 300 से अधिक हो उक्त गांव ढाणी मजरे विद्यालयविहीन हो।
- उक्त ग्राम/ढाणी/मजरों के 3 किमी क्षेत्र में अन्य शिक्षण सुविधा उपलब्ध न हो।

(2) 150 से 300 तक की आबादी वाले गांव जिनमें 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं में खोले गये कुल 19 प्राथमिक विद्यालय के नामों की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट–2)

(3) निर्धारित मापदण्ड में आने वाले विद्यालय विहीन गांवों/ढाणियों/मजरों में उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे।

पंचायत समिति देवली एवं उनियारा में गत 5 वर्षों में खोली गई शालाओं के नाम

पंचायत समिति **देवली**			पंचायत समिति **उनियारा**		
क्र. सं.	**प्रा. वि. का नाम**	**खोलने का वर्ष**	**क्र. सं**	**प्रा. वि. का नाम**	**खोलने का वर्ष**
1.	नोन्दपुरा	1993–94	1.	अल्लाहपुरा	1993–94
2.	कुशालपुरा	1993–94	2.	आली	1993–94
3.	बा. देवली गांव	1993–94	3.	सेदरी मालियान	1993–94
4.	बा. सावन्तगढ़	1993–94	4.	सूथड़ा	1993–94
5.	माताजी का थावला	1994–95	5.	कन्या पचाला	1993–94
6.	भगवानपुरा	1994–95	6.	कन्या अलीगढ़	1993–94
7.	गोपालपुरा	1994–95	7.	चौरू	1993–94
8.	अलेक्जेंडरपुरा	1994–95	8.	गोपाली	1994–95
9.	बोयड़ा	1994–95	9.	ककोड़	1994–95
10.	कालानाड़ा	1994–95	10.	विजयगढ़	1994–95
11.	बालापुरा	1994–95	11.	मीणों की झोपड़ी	1995–96
12.	बास लक्ष्मणा	1994–95	12.	गोपाली	1995–96
13.	राजनगर	1994–95	13.	पागड़ा	1995–96
14.	संग्रामपुरा	1994–95	14.	विजयनगर	1995–96
15.	रामसागर	1994–95	15.	कुम्हारिया	1995–96
16.	दुर्गापुरा ढाणी	1994–95	16.	किशनपुरा	1995–96
17.	रतनपुरा ढाणी	1996–97	17.	बासला	1995–96
18.	पोल्याडी	1996–97	18.	चैनपुरा	1996–97
19.	देवपुरा ढाणी	1997–98			
20.	दौलतपुरा	1997–98			

(204)

पंचायत समिति–**उनियारा**		पंचायत समिति–**देवली**	
क्र. सं.	**प्रा. वि. का नाम**	**क्र. सं**	**प्रा. वि. का नाम**
1.	पचाली	1.	बाथेड़ा
2.	गफूरपुरा	2.	बास लक्ष्मणा
3.	अलीनगर	3.	राजनगर
4.	कोटड़ी	4.	संग्रामपुरा
5.	महमूद नगर	5.	पोल्याड़ी
6.	नवाबपुरा	6.	रतनपुरा
7.	खेड़ली	7.	देवपुरा
8.	चैनपुरा	8.	दौलतपुरा
9.	रघुनाथकला		
10.	किशनपुरा		
11.	बांसला		

सिंचित क्षेत्रीय विकास विभाग कोटा को आवंटित बजट

312. श्री रामकिशन वर्मा (रामगंज–मण्डी) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गत तीन वर्षों में सिंचित क्षेत्रीय विकास कार्यालय कोटा को निर्धारित बजट में से कितनी राशि स्वीकृत की गई थी? खण्डवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत तीन वर्षों की प्रत्येक अनुभाग की निविदाओं की प्रति सदन की मेज पर रखें। इनके विरुद्ध कितना व्यय किया गया तथा कहां–कहां का भुगतान बाकी है?

(3) चालू वर्ष में बजट में कितना व्यय हुआ है? कितना बजट उपलब्ध है तथा कितना भुगतान बाकी रह जायेगा?

(4) सरकार बकाया भुगतान कितना अतिरिक्त बजट उपलब्ध करवा रही है?

उत्तर

(1) सी.ए.डी. के सिंचाई वृत्त के अधीन कार्यरत खण्डों को गत तीन वर्षों में कुल 1,735.54 लाख रुपये बजट आवंटन का खण्डवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है (परिशिष्ट–'क')

(2) गत तीन वर्ष की प्रत्येक अनुभाग की निविदाओं की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है (परिशिष्ट–ख)। वर्ष 1995–96 से 1997–98 की अवधि में खण्डवार व्यय एवं बकाया भुगतान का विवरण परिशिष्ट–ग पर संलग्न है।

(3) चालू वर्ष 98–99 में कार्यों हेतु खण्डवार मई, 98 तक व्यय एवं आवंटित बजट एवं शेष उपलब्ध बजट का विवरण परिशिष्ट–'घ' पर संलग्न है।

(4) वर्ष 1998–99 का जो बजट प्रावधान उपलब्ध है, इसके अलावा और कोई अतिरिक्त बजट उपलब्ध करवाया जाना अभी प्रस्तावित नहीं हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

आर्थिक उदारीकरण के अन्तर्गत लघु उद्योगों को राहत

313. श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : क्या उप मुख्य (उद्योग) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सरकार द्वारा किस–किस श्रेणी के उद्योग के लिये किस–किस किस्म/प्रकार की प्रतिबद्धताएं निर्धारित की हैं?

(2) क्या सरकार आर्थिक उदारीकरण के मौजूदा दौर में छोटे व्यापारियों को इंस्पेक्टर राज और कोटा परमिट तथा विभिन्न प्रक्रियाओं से मुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस–किस रूप में और कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के उद्योगों के विकास के लिये प्रतिबद्धताएं राज्य की नवघोषित औद्योगिक नीति, 1998 में सन्निहित है। राजस्थान सरकार द्वारा निम्न श्रेणी के उद्योगों को विकसित करने

(उप मुख्य (उद्योग) मंत्री)

हेतु अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए औद्योगिक नीति, 1998 में उन्हें थ्रस्ट सेक्टर के रूप में घोषित किया है :–

1. गारमेंट एवं नीटवीयर 2. रत्न एवं आभूषण 3. टैक्सटाइल 4. इलेक्ट्रोनिक्स एवं टेलीकम्यूनीकेशन 5. इनफार्मेशन टैक्नोलोजी 6. ऑटोमोबाइल्स एवं कंपोनेंटस 7. फुटवीयर एवं लेदर गुड्स 8. डाइमेंशनल स्टोन्स 9. सीमेंट 10. ग्लास एण्ड सिरेमिक 11. कृषि प्रसंस्करण उद्योग इनके अतिरिक्त फ्लाइऐश एवं मार्बल स्लेरी के आधार पर लगने वाले उद्योगों के विकास हेतु विशेष प्रावधान किया गया है। 150 करोड़ रुपये से अधिक पूंजी विनियोजन करने वाले एवं कम से कम 500 व्यक्तियों को नियमित रोजगार प्रदान करने वाली इकाइयों हेतु बिक्री कर मुक्ति/आस्थगन का कस्टमाईज्ड पैकेज प्रदान किया जावेगा। कम से कम दस करोड़ रुपये से अधिक नियोजन की आटो तथा आटो एन्सलीरी इकाइयों हेतु सुविधाओं का विशिष्ट पैकेज घोषित किया गया है। रूग्ण इकाईयों को नई इकाइयों के समान मात्रा की सुविधाएं प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है। इन्टीग्रेटिव एग्रो इण्डस्ट्रियल काम्पलेक्स को प्रोत्साहन देने के लिये राज्य सरकार ने 500 हैक्टेयर तक के वेस्ट–लैंड क्षेत्र को आवंटित किये जाने की घोषण की है। विशिष्ट प्रकरणों में यह आवंटन एक हजर हैक्टेयर तक हो सकता है।

उपरोक्त श्रेणी के उद्योगों को सामान्य श्रेणी के उद्योगों की अपेक्षा बिक्री कर मुक्ति/आस्थगन योजना, 1998 में अधिक मात्रा व अवधि के लिये लाभ देने का प्रावधान किया गया है। इन क्षेत्रों मे लगने वाले उद्योगों को अपने स्थाई पूंजी विनियोजन का 125 प्रतिशत तक लाभ 13 वर्षों के लिये टेपरिंग बेसिस पर देय है जबकि अन्य सामान्य उद्योगों को उनके स्थाई पूंजी विनियोजन के 100 प्रतिशत व 11 वर्ष तक टेपरिंग बेसिस पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। राज्य सरकार ने छोटे उद्योगों को इन्सपैक्टर राज से मुक्त करने हेतु निम्न कदम उठाये हैं :–

1. एक ही सामान्य निरीक्षण फैक्ट्री अधिनियम के अतिरिक्त, 14 श्रम कानून है, जिनके अंतर्गत निरीक्षक निरीक्षण करते हैं। अलग–अलग श्रम कानूनों के लिये अलग निरीक्षण की व्यवस्था को त्याग कर, एक उद्योग पर एक सामान्य निरीक्षण लागू होगा।

2. पूर्वानुमति एवं निरीक्षणों में कमी लघु उद्योग एवं लघुत्तर क्षेत्र के 20 व्यक्तियों से कम नियोजन वाले संस्थनों में से केवल 5 प्रतिशत इकाइयों का अक्रमिक चयन आधार पर निरीक्षण होगा। अन्य प्रकरणों में केवल 10 प्रतिशत इकाइयों का वर्ष में एक बार निरीक्षण होगा।

3. लघु उद्योगों के लिये एक रजिस्टर, एक वार्षिक प्रतिवदेन और एक सूचना लघु उद्योग इकाइयों को सभी श्रम कानूनों के

(उप मुख्य (उद्योग) मंत्री)

लिये केवल एक वार्षिक प्रतिवेदन भेजना होगा तथा एक सामान्य सूचना प्रदर्शित करनी होगी। 10 से कम श्रमिक नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों को केवल एक रजिस्टर रखना होगा।

4. कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत कम निर्धारित निरीक्षण निर्धारित निरीक्षणों की संख्या को घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है।

5. दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम के अन्तर्गत नवीनीकरण एवं निरीक्षण इस अधिनियम के अन्तर्गत वार्षिक शुल्क के दस गुणा के बराबर शुल्क देने पर एक बार नवीनीकरण का विकल्प उपलब्ध होगा। इससे बार–बार नवीनीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है।

6. औद्योगिक नीति, 1998 के अनुसार कलेक्ट्रींग के आधार पर निरीक्षण किया जावेगा।

पेयजल के बिल की न्यूनतम राशि में वृद्धि

314. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने पूर्व की अपेक्षा बिल की न्यूनतम राशि में वृद्धि कर दी है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार इस वृद्धि में कमी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां। जल प्रदाय योजनाओं में संधारण पर होने वाले व्यय एवं जल प्रदाय से प्राप्त के मध्य भारी अन्तर को कम करना तथा पेयजल वितरण की पाइप लाइनों को सुधारने के लिये वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने हेतु बिलों की न्यूनतम राशि में दिनांक 12.11.97 की अधिसूचना द्वारा वृद्धि की गई।

(2) बिलों की न्यूनतम राशि में वृद्धि को दिनांक 29.5.98 की अधिसूचना द्वारा कम कर दिया गया है। न्यूनतम सकल दर राशि रु. 25/– के स्थान पर 20/– करके, राशि रु. 5/– कम की गई है। इसके अलावा शहरी जल योजनाओं की कच्ची बस्तियों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में फ्लेट रेट प्रभावी रखी है। ताकि ग्रामीण एवं गरीब जनता को राहत मिले। इसमें फ्लश लेट्रीरिन ओवर हैड टैंक एवं अतिरिक्त नल पर लगने वाले अतिरिक्त चार्ज को समाप्त कर दिया गया है।

रणथम्भौर गणेशजी के मन्दिर तक वाहनों के प्रवेश पर रोक

315. श्री तैयब हुसैन (कामां) एवं **श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत** (श्री माधोपुर) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 28 मई, 1998 को रणथम्भौर गणेश जी के दर्शनों के लिये जा रहे वाहनों को मिश्रीदरा पर ही रोक दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि वन विभाग ने बोर्ड लगाया कि न्यायालय के आदेश से

(श्री तैयब हुसैन)

वाहनों को रोका जा रहा है? यदि हां, तो उक्त रोक हेतु जारी न्यायालय के आदेशों के प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी.हां। यह रोक सम्मानीय न्यायालय क.ख. सवाई माधोपुर द्वारा टी.आई. वाद संख्या 71/98 दिनांक 26.5.98 के सम्बन्ध में 27.5.98 को प्रभारी अधिकारी को सुनाए गए आदेश के पश्चात् लगाई थी जिसे न्यायालय के संशोधित आदेश के आधार पर उसी दिन पुनः हटा लिया गया था।

(2) जी, हां। उक्त न्यायालय के टी. आई. संख्या 71/98 पर दिये गये आदेश 26.5.98 व 28.5.98 की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने हेतु न्यायालय में आवेदन किया गया है जो न्यायालय से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर के माध्यम से इन आदेशों की प्राप्त प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

परिवहन विभाग का लाभ–हानि प्रकरण

316. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान पथ परिवहन निगम में जनवरी, 1994 से जून, 1998 तक प्रतिमाह कितनी लाभ/हानि हुई? लाभ/हानि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पथ परिवहन निगम में हो रही हानि के कारणों से निपटने हेतु कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक?

उत्तर

(1) राजस्थान पथ परिवहन निगम को माह जनवरी, 1994 से मई, 1998 माहवार अनुमानित लाभ/हानि का विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है। माह जून, 98 के लाभ/हानि की गणना किया जाना शेष है।

इस वर्षों के लेखों के अनुसार निगम द्वारा निम्न प्रकार लाभ अर्जित किया गया है :–

वर्ष	लाभ का विवरण	राशि (लाख रु. में)
1993–94	(अंकेक्षित लेखे अनुसार)	+ 2293.08
1994–95	(अंकेक्षित लेखे अनुसार)	+ 2412.83
1995–96	(अंकेक्षित लेखे अनुसार)	+ 774.29
1996–97	(अंकेक्षित लेखे अनुसार)	+ 401.99
1997–98	(प्रोविजनल लेखे अनुसार)	+ 325.69
1998–99	(अप्रेल, मई–98 अनुमानित लेखे अनुसार)	+ 429.58

(2) निगम वर्ष 1994–95, 95–96, 96–97, 97–98 एवं वित्तीय वर्ष 1998–99 के प्रथम दो माह क्रमशः अप्रेल व मई में हानि में नहीं रहा है।

209

जनवरी, 1994 से मई, 1998 तक लाभ/हानि का विवरण

(राशि लाख रु. में)

माह	1994	1995	1996	1997	1998
जनवरी	−56.75	+18.25	−28.54	−215.50	−283.99
फरवरी	+139.05	+275.84	+290.42	+225.26	+135.90
मार्च	+243.41	+346.53	+345.77	+352.65	+739.25
अप्रेल	+261.19	+259.52	+154.23	+252.11	+188.18
मई	+504.88	+575.40	+472.66	+697.08	+241.40
जून	+510.91	+93.29	+176.91	+407.27	
जुलाई	+46.05	−104.09	−163.04	−139.77	
अगस्त	+136.84	−226.28	−369.54	−192.07	
सितम्बर	+7.28	−268.77	−219.14	−521.68	
अक्टूबर	−84.91	+5.89	−341.67	−506.65	
नवम्बर	+140.70	+10.18	+11.85	−102.95	
दिसम्बर	+101.86	−118.57	+157.81	−158.81	
मार्च, 97 प्रोग्रेसिव में समायोजन				+174.89	

ग्राम ऊमरी (थानागाजी) में प्राथमिक शाला प्रकरण

317. श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि दो वर्ष पूर्व ग्राम ऊमरी में प्राथमिक शाला खोलने की स्वीकृति दी गई थी?

(2) क्या यह भी सही है कि इस विद्यालय हेतु भवन बनाने की स्वीकृति भी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा दी गई थी?

(3) क्या वन विभाग के बाधा डालने के कारण ना तो विद्यालय ने कार्य करना प्रारम्भ किया और ना ही भवन बना है?

(4) क्या सरकार ऊमरी गांव के लोगों को शिक्षित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार?

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 1994–95 में विभागीय आदेश क्रमांक 2689 दिनांक 15.11.94 के द्वारा ग्राम ऊमरी में प्राथमिक शाला खोलने की स्वीकृति दी गयी थी।

(2) जी, हां। विद्यालय हेतु भवन बनाने की स्वीकृति जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ने आदेश दिनांक 18.3.95 के द्वारा दी गई थी।

(3) वन क्षेत्र (सेंचुरी एरिया) की भूमि होने के कारण विद्यालय का भवन निर्मित नहीं हो सका। भवन के अभाव में विद्यालय दिनांक 14.12.94 से छप्पर में निर्मित अस्थायी भवन में चल रहा है।

(4) जी, हां।

शाला आरम्भ कर दी गयी है।

राज्य में करों से प्राप्त आय

318. श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) : क्या उप मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

वर्ष 1993–94 से 1997–98 में राज्य को बिक्रीकर, खनन एवं आबकारी करों और अन्य मदों से कितनी–कितनी अतिरिक्त आय प्राप्त हुई? मदवार और वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्ष 1993–94 से 1997–98 में राज्य में बिक्री कर एवं विभाग द्वारा प्रशस्त अन्य करों से निम्न आय प्राप्त हुई :–

राशि लाख रुपये में

वर्ष	बिक्री कर	मनोरंजन कर	विद्युत कर	विलासिता कर (तम्बाकू)	होटल कर
1	2	3	4	5	6
1993–94	105813.61	1760.31	5690.40	–	–
1994–95	118470.96	1742.05	7265.35	288.76	–

(उप मुख्य (वित्त) मंत्री)

1	2	3	4	5	6
1995–96	139965.60	2070.09	7868.09	296.10	–
1996–97	159885.21	2144.44	9059.56	351.28	–
1997–98	182625.00	2214.00	8705.00	675.00	423.00

वर्ष 1993–94 से 1997–98 में खनिज विभाग द्वारा वर्षवार प्राप्त की गई राजस्व आय का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	1993–94	1994–95	1995–96	1996–97	1997–98
राशि (लाख रु.में)	16304.30	18275.06	21452.22	27122.83	29278.21

वर्ष 1993–94 से 1997–98 में आबकारी राजस्व आय प्राप्ति की सूचना निम्नानुसार है :–

मद/वर्ष	1993–94	1994–95	1995–96	1996–97	1997–98
आबकारी राजस्व (राशि करोड़ रु. में)	461.12	558.86	705.57	784.56	922.79

धौलपुर की शरद प्रदर्शनी का विद्युत ठेका प्रकरण

319. श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका धौलपुर द्वारा वर्ष 1997–98 में शरद प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था? यदि हां, तो कब तथा प्रदर्शनी में बिजली का ठेका किस व्यक्ति को दिया गया था और उसे कितनी राशि का भुगतान किया गया?

(2) क्या यह भी सही है कि विद्युत ठेकेदार द्वारा अनियमित रूप से दुकानदारों से राशि वसूल किये जाने के सम्बन्ध में पार्षदों द्वारा शिकायत की गई थी? यदि हां, तो जांच उपरांत ठेकेदार के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। नगरपालिका, धौलपुर द्वारा वर्ष 1997–98 में शरद प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था जो दिनांक 2–10–97 से 30–10–97 तक चला। इस प्रदर्शनी में बिजली लगाने का ठेका श्री संजय मिश्रा, मिश्रा लाइट हाउस धौलपुर को दिया गया था, उन्हें 1,42,450 रु0 की राशि का चुकारा किया गया।

(2) यह सही है कि विद्युत ठेकेदार द्वारा अनियमित रूप से दुकानदारों से राशि वसूल किये जाने के सम्बन्ध में पार्षदों द्वारा

(स्वायत्त शासन मंत्री)

शिकायत की गई थी। जिसकी जांच मेला कमेटी द्वारा की गई जिसमें जांच उपरान्त ठेकेदार को निर्दोष पाया गया था, परन्तु इसके पश्चात जिला कलेक्टर, धौलपुर द्वारा इस मामले की जांच महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, धौलपुर से करवाई जा रही है जिसकी जांच रिपोर्ट अभी अपेक्षित है। जिला कलेक्टर से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

उदयपुर में प्रदूषण प्रकरण

320. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में प्रदूषण नियंत्रण के लिये पर्यावरण विभाग का कार्य क्षेत्र क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उदयपुर के प्रतापनगर से लेकर दरौली गांव तक सड़क के किनारे–किनारे एवं पास में अनेक फैक्ट्री लगी होने के कारण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हुई है? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कभी निरीक्षण कराया है? यदि हां, तो क्या प्रदूषण के फलस्वरूप कृषि भूमि और जल प्रदूषण के कारण किसानों एवं ग्रामीणों को मुआवजा दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उदयपुर में कितनी होटलों को पर्यावरण मण्डल से किन–किन धाराओं के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गए हैं और उनके द्वारा कथित प्रदूषण को लेकर कब–कब जांच की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या पिछौला झील के अन्दर और समीप होटलें स्थित हैं? क्या पर्यावरण मण्डल ने इन होटल मालिकों को पानी के प्रदूषित होने के सम्बन्ध में निरीक्षण कर चेतावनी दी है? यदि हां, तो कब–कब और उसके क्या परिणम रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में प्रदूषण नियंत्रण के लिये पर्यावरण विभाग द्वारा निम्न कार्य किये जाते हैं:–

(क) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के कार्य कलापों के सम्बन्ध में प्रशासनिक विभाग का कार्य करना।

(ख) अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों जिनके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ही पर्यावरणीय क्लियरेन्स जारी करने के लिये अधिकृत है उनको छोड़कर उक्त संबंधी अन्य उद्योगों की पर्यावरणीय दृष्टि से साईट क्लियरेन्स जारी करना।

(ग) प्रदूषण नियंत्रण व पर्यावरण सुधार संबंधी शिक्षा व जन जागरण संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन कराना।

(घ) केन्द्रीय सहायता से संचालित होने वाली प्रदूषण निवारण एवं नदी व झीलों के संरक्षण संबंधी योजनाओं के लिये "नोडल–डिपार्टमेन्ट" का कार्य करना।

(राज्य मंत्री, पर्यावरण)

(2) जी हां। उदयपुर में प्रतापनगर से लेकर दरौली गांव तक सड़क के किनारे फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, विवरण परिशिष्ट 'अ' पर दर्शाया गया है। इन फैक्ट्रियों से प्रदूषण की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इन फैक्ट्रियों द्वारा स्थापित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जांच राज्य मंडल द्वारा समय–समय पर की जाती है तथा नियंत्रण उपकरणों को सुचारू रूप से कार्यरत रखने हेतु बाध्य किया जाता है। जिला कलेक्टर से प्राप्त सूचनानुसार उक्त संबंधी कोई मुआवजा नहीं दिया गया है।

(3) राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम के तहत उदयपुर में स्थित 185 होटलों को समय–समय पर जांच करके नोटिस जारी किये गये जिनका विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(4) जी, हां। पिछौला झील के अन्दर एक एवं समीप में 44 होटल (अधिकांश पेईंग गेस्ट हाउस) हैं।

जी हां। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा समय–समय पर निरीक्षण किया जाता रहा है तथा ऐसे होटल जिन्होंने प्रदूषित जल के उपचार हेतु प्रभावी व्यवस्था नहीं कर रखी है अथवा उसके भली भांति कार्यरत नहीं पाये जाने पर उनको समय–समय पर नोटिस/चेतावनी दी गई है। जिसके फलस्वरूप 13 होटलों ने प्रदूषित जल के उपचार हेतु प्रभावी व्यवस्था कर ली है उनके बावजूद भी जिन होटलों ने प्रभावी व्यवस्था नहीं की है उनके विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत कठोर कार्यवाही की जाती है। विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला डूंगरपुर के आदिवासी क्षेत्र में निगम बस सेवा

321. श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्तमान में जिला डूंगरपुर के आदिवासी क्षेत्रों में राज्य पथ परिवहन निगम की कुल कितनी बसें संचालित हैं?

(2) सरकार ने आदिवासी क्षेत्र जिला डूंगरपुर में किन–किन सड़कों को राष्ट्रीयकृत करने का विचार किया है? अब इन सड़कों पर बसें कब तक संचालित कर दी जावेगी?

उत्तर

(1) वर्तमान में जिला डूंगरपुर के आदिवासी क्षेत्रों में परिवहन निगम द्वारा दैनिक 350 एकल परिचक्र संचालित किये जा रहे हैं।

(2) राज्य सरकार का नये मार्गो का राष्ट्रीयकरण करने का विचार नहीं है।

ग्राम घाटोल में ग्राम पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण

322. श्री जितेन्द्र नीनामा (घाटोल) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री जितेन्द्र नीनामा)

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत घाटोल के ग्राम घाटोल में पंचायत की जमीन सर्वे नं. 1869 पर किसी व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर लिया है? यदि हां, तो किसने?

(2) उक्त भूमि पर बनाई गई दुकानें मुख्य सड़क घाटोल से कितनी दूर हैं? उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। 1869/1 श्री बाबू लाल पिता देवजी, घाटोल के नाम है। जिसे आबादी भूमि में परिवर्तित कराकर श्री विनोद कुमार पिता कुनणजी एवं दिलीप कुमार पिता राजेन्द्र कुमार पंचाल, घाटोल को विक्रय किया है जिस पर पंचायत द्वारा निर्माण कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की है। स्वीकृति की प्रति संलग्न है।

(2) ग्राम पंचायत, घाटोल द्वारा उक्त स्वीकृति रोड से 50 फीट छोड़कर दी गई थी। परन्तु उक्त भूमि पर बनाई गई दुकानें मुख्य सड़क घोटाल से पूर्व में 46 फीट, उत्तर में 42 फीट, दक्षिण में 37 फीट जगह छोड़कर बनाई है। राज्य सरकार द्वारा उक्त अवैध निर्माण कार्य को हटाने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है। ए. ईएन. पी.डब्लू.डी. द्वारा जारी नोटिस की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

परिशिष्ट–2

अतारांकित प्रश्न संख्या 408 की सूची

उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 10–9–96 के पश्चात पेंशनरों द्वारा विभिन्न जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच में दायर किये गये वादों की सूची

क्रम संख्या	परिवाद संख्या	परिवादी का नाम	जिला मंच का नाम	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	748/96	श्री कृष्ण दत्त शर्मा, पेंशनर	श्री गंगानगर	निरस्त किया गया
2.	62/96	श्री खेमचन्द, पेंशनर	सिरोही	निरस्त हुआ।
3.	249/96	श्री लाल दास, पेंशनर	उदयपुर	निरस्त हुआ।
4.	407/96	श्रीमती इचरज कंवर	जोधपुर	निरस्त हुआ।
5.	421/96	श्री नवरतनसिंह कोठारी	उदयपुर	निरस्त हुआ।
6.	92/96	श्री आई.ए.कुरेशी, पेंशनर	धौलपुर	निर्णित हुआ व निर्णय के विरूद्ध की गई अपील लंबित है।
7.	364/96	श्री देवीलाल मेहरा,पेंशनर	बीकानेर	निर्णित हुआ।
8.	496/96	डा0 आर.एन. परिहार	जोधपुर	निर्णित हुआ।
9.	1068/96	श्री के.एन.पारीक, पेंशनर	जयपुर (प्र.)	लंबित है।
10.	1495/96	श्री कुन्दनमल जैन, पेंशनर	जयपुर (द्वि.)	लंबित है।
11.	13/97	श्री एन.डी. चोरडिया	जयपुर (द्वि.)	लंबित है।
12.	273/97	समस्त पेंशनर्स, मा0 आबू	सिरोही	निरस्त हुआ।
13.	529/96	श्री मुकनाराम, पेंशनर	श्रीगंगानगर	निर्णित हुआ।
14.	21/97	श्री नेमीचन्द, पेंशनर	झालावाड़	निर्णित हुआ व अपील लंबित है।

216

1	2	3	4	5
15.	175/97	श्री कांतीप्रसाद भटनागर	श्रीगंगानगर	निर्णित हुआ।
16.	1241/96	श्री सत्यनारायण टेमाणी	जयपुर (द्वि.)	लंबित है।
17.	1872/97	श्री दुल्हे सिंह, पेंशनर	चित्तौडगढ़	लंबित है।
18.	311/97	श्री पुखराज पोखरना	अजमेर	लंबित है।
19.	312/97	श्री पुखराज पोखरना	अजमेर	लंबित है।
20.	/97	श्री आई.ए. कुरेशी, पेंशनर	धौलपुर	लंबित है।
21.	1487/97	श्री गिरधारीलाल खण्डेलवाल	राज्य आयोग	लंबित है।
22.	1507/97	श्री जोगेन्द्रपाल सिंह, पेंशनर	जयपुर (द्वि.)	लंबित है।
23.	1516/97	श्री अभय सिंह, पेंशनर	जयपुर (द्वि.)	लंबित है।
24.	127/98	श्री लालसिंह चौधरी, पेंशनर	जोधपुर	लंबित है।
25.	169/98	श्री मनमोहन चंद वैध, पेंशनर	जोधपुर	लंबित है।
26.	118/97	श्री धनराज मेहता, पेंशनर	उदयपुर	लंबित है।
27.	216/98	श्री धनराज मेहता, पेंशनर	उदयपुर	लंबित है।

217

परिशिष्ट–3

अतारांकित प्रश्न संख्या 418 का विवरण

(1)	वर्ष 1997–98 में नगर निगम, जयपुर को गृहकर से हुई कुल आय :–	7,93,36,982.00 रु0
(2)	गृहकर की वसूल की गई कुल राशि में से भवनो/निगमों/बोर्डो आदि से प्राप्त गृहकर राशि :–	70,77,500.00 रु0
	गृहकर की वसूल की गई कुल राशि में से जनता से प्राप्त गृहकर राशि :–	7,22,59,482.00 रु0
(3)	वर्ष 1997–98 में बकाया तथा वसूल की गई राशि तथा शेष राशि का विवरण :–	
	(अ) बकाया राशि :–	16,96,49,792.00 रु0
	(ब) वसूली गई राशि :–	7,93,36,982.00 रु0
	(स) शेष राशि :–	9,03,12,810.00 रु0
(4)	गृहकर वसूली पर कैम्पों के प्रचार आदि के अलावा कर्मचारियों के वेतन भत्तों आदि पर हुए व्यय की गई राशि :–	143.96 लाख रु0

218

परिशिष्ट–4

अतारांकित प्रश्न संख्या 421 का विवरण

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

मालवीय नगर आवासीय योजना मध्यम आय वर्ग 'ब' के आवासों की लागत

वर्ष	ढांचा	पूर्ण
1989–90	–	79,450/– से 83,850/–
1990–91	–	–
1991–92	–	1,12,150/–
1992–93	–	–
1993–94	–	–
1994–95	–	–
1995–96	–	–
1996–97	–	–
10997–98	–	–

1. जिन वर्षों में लागत निर्धारण नहीं हुए हैं उनमें कॉलम खाली छोड़े गये।
2. यह सूचनाएं उस वर्ष के दौरान मध्यम आय वर्ग "ब" के आवासों में सबसे कम तथा अधिकतम दर्शायी गई है।
3. उक्त लागत में भूमि व विकास दर तथा निर्माण लागत एवं लागत सिद्धान्तों अनुसार जो चार्जेज लिये जाने हैं सम्मिलित है। अन्य चार्जेज आवंटन के समय के यथा विविध व्यय, लीज मनी, ए.एस.सी, किराया, क्रय राशि, सीड मनी पर ब्याज आदि का समावेश नहीं किया गया है।

लेखाधिकारी (लागत)
राज. आवा. मण्डल, जयपुर।

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

प्रताप नगर आवासीय योजना सांगानेर मध्यम आय वर्ग "ब" के आवासों की लागत

वर्ष	ढांचा	पूर्ण
1989–90	–	–
1990–91	–	–
1991–92	–	1,81,900/–
1992–93	1,03,800/–	1,84,400/– से 2,62,850/–
1993–94	–	2,26,200/– से 2,29,750/–
1994–95	2,36,400/–	2,62,850/– से 3,95,600/–
1995–96	2,41,900/–	3,38,400/– से 4,13,900/–
	2,80,000/– से 3,03,250/–	4,18,750/– से 5,56,550/–
	–	3,64,000/– से 4,17,250/–

नोट :–

1. जिन वर्षों में लागत निर्धारण नहीं हुए हैं उनमें कॉलम खाली छोड़े गये।
2. विभिन्न वर्षों में जो लागत निर्धारित की गई है वह मध्यम आय वर्ग "ब" श्रेणी के आवासों की है, दर्शायी गई है तथा लागत में अन्तर का कारण आवासों की प्लिंथ एरिया एवं विशेषताएं अलग–अलग होना है तथा कुछ आवासों में भूमि अधिक है एवं कुछ में कम है।
3. यह सूचनाएं उस वर्ष के दौरान मध्यम आय वर्ग "ब" के आवासों में सबसे कम तथा अधिकतम दर्शायी गई है।
4. उक्त लागत में भूमि व विकास दर तथा निर्माण लागत एवं लागत सिद्धान्तों अनुसार जो चार्जेज लिये जाने हैं, सम्मिलित है। अन्य चार्जेज आवंटन के समय के यथा विविध व्यय, लीज मनी, ए.एस.सी., किराया क्रय राशि, सीड मनी पर ब्याज आदि का समावेश नहीं किया गया है।

लेखाधिकारी (लागत)
राज. आवा. मण्डल, जयपुर।

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

मानसरोवर आवासीय योजना मध्यम आय वर्ग "ब" के आवासों की लागत

वर्ष	ढाँचा	पूर्ण
1989–90	–	87,650/– से 1,38,150/–
1990–91	–	90,950/– से 95,350/–
1991–92	–	1,04,100/– से 1,19,350
1992–93	–	1,28,750/– से 2,17,850/–
1993–94	–	1,76,600/– से 2,59,000/–
1994–95	1,87,050/– से 2,36,850/–	–
1995–96	2,47,250/– से 2,90,200/–	2,40,000/– से 3,62,850/–
1996–97	2,90,200/– से 3,34,550/–	4,11,450/–
1997–98	3,53,350/– से 3,74,950/–	4,16,450/– से 5,21,700/–

नोट :–

1. जिन वर्षों में लागत निर्धारण नहीं हुए हैं उनमें कॉलम खाली छोड़े गये।
2. विभिन्न वर्षों में जो लागत निर्धारित की गई है वह मध्यम आय वर्ग "ब" श्रेणी के आवासों की है, दर्शायी गई है तथा लागत में अन्तर का कारण आवासों की प्लिंथ एरिया एवं विशेषताएं अलग–अलग होना है तथा कुछ आवासों में भूमि अधिक है एवं कुछ में कम है।
3. यह सूचनाएं उस वर्ष के दौरान मध्यम आय वर्ग "ब" के आवासों में सबसे कम तथा अधिकतम दर्शायी गई है।
4. उक्त लागतें में भूमि व विकास दर तथा निर्माण लागत एवं लागत सिद्धान्तों अनुसार जो चार्जेज लिये जाने हैं, सम्मिलित है। अन्य चार्जेज आवंटन के समय के यथा विविध व्यय, लीज मनी, ए.एस.सी., किराया क्रय राशि, सीड मनी पर ब्याज आदि का समावेश नहीं किया गया है।

लेखाधिकारी (लागत)
राज. आवा. मण्डल, जयपुर।

परिशिष्ट–5

अतारांकित प्रश्न संख्या 427 की सूची

विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन सिटी में हैण्डपम्प विहीन प्रा. शाला की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	प्रा.वि. का नाम	स्वीकृत है
1	खेड़ली गुर्जर	2	जाटव बस्ती प्रा.शा.	स्वीकृत है
2	अटकोली	3	प्रा.शा.	"
3	सिधान जट्ट	6	रा.प्रा.शा.	"
4	गुढ़ापाल	14	"	"
5	करई	16	"	"
6	गोपीपुर	28	"	"
7	पट्टी नारायणपुर	30	"	"
8	ढिढोरा	35	रा.प्रा.शा. त्रिमूर्ति	"
9	जटवाड़ा	40	रा.प्रा.शाला	"
10	नांगल दुर्गशी	41	"	"
11	सोमला	43	"	"
12	राराशाहपुर	47	"	"
13	आलावाड़ा	49	"	"
14	ऐकोरासी	53	"	"
15	कारवाड़ी जट्ट	60	रा.प्रा.वि.	"
16	झिरना	69	"	"
17	पोछरी	69	"	"
18	बाढ़ पोछरी	70	"	"
19	जेवर बाढ़ अटक	71	"	"

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	प्रा.वि. का नाम	स्वीकृत है
20	भगो	72	"	"
21	फुलवाड़ा	75	"	"
22	खेड़ी शीप	78	"	"
23	झारेड़ा	82	रा.प्रा.वि. बालिका	"
24	बिनेगा	86	"	"
25	कजानीपुर	90	"	"
26	खेड़ी चांदला	89	"	"
27	हिगोंट	90	"	"
28	बनवारीपुर	91	"	"
29	दुब्बी	94	"	"
30	कुतकपुर	107	"	"
31	गुनसार	115	"	"
32	सिधानमीना	116	"	"
33	खानवाड़ा	123	"	"
34	कालाखाना	125	"	"
35	कटकड़	109	रा.प्रा.वि. नंदू का पुरा	अस्वीकृत है
36	खेड़ा	105	रा.प्रा.वि. कल्हारों का पुरा	"
37	जगर	59	रा.प्रा.वि. खातीका पुरा	"
38	जगर	59	रा.प्रा.वि. खानाका	"
39	जगर	59	रा.प्रा.वि. चमनपुरा	"
40	बाजना कलां	51	रा.प्रा.शाला	"
41	सनेट	104	रा.प्रा.वि. (कन्या)	"

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न संख्या 429 का विवरण

कब्रिस्तान की चारदीवारी व मरम्मत

1	कब्रिस्तान घाटघेट, जयपुर	27,444.00
2	कब्रिस्तान तिजारा (अलवर)	20,000.00
3	कब्रिस्तान सिंधीयों की ढाणी पीपाड़ सिटी, जोधपुर	24,893.00
4	कब्रिस्तान मीरशाह सिंधीयों की ढाणी, पीपाड़ सिटी, जोधपुर	15,000.00
5	कब्रिस्तान नून्दरी मन्द्रावान, ब्यावर, अजमेर	20,000.00
6	कब्रिस्तान जसपाली पीपाड़ सिटी जोधपुर	15,929.00
7	कब्रिस्तान अन्दरी सुमेरपुर पाली	10,000.00
8	कब्रिस्तान भाकरी की ढाणी, पीपाड़ सिटी, जोधपुर	20,000.00
9	कपासन कब्रिस्तानों की चारदीवारी	4,000.00
		1,57,266.00

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 430 की सूची

PROTECTED AREA	DESTRICT
KEOLADEO NATIONAL PARK	BHARATPUR
RANTHAMBORE NATIONAL PARK	SAWAIMADHOPUR
SAWAI MANSINGH WILDLIFE SANCTUARY	SAWAIMADHOPUR
KELADEVI WILDLIFE SANCTUARY	KARAULI, SAWAIMADHOPUR
SAWAIMADHOPUR WILDLIFE SANCTUARY	SAWAIMADHOPUR
SARISKA NATIONAL PARK	ALWAR
SARISKA WILDLIFE SANCTUARY	ALWAR
DESERT WILDLIFE SANCTUARY & NATIONAL PARK	BARMER, JAISALMER
KUMBHALGARH WILDLIFE SANCTUARY	UDAIPUR, RAJSAMAND, PALI
PHULWARI KI NAL WILDLIFE SANCTUARY	UDAIPUR
TADGARH RAOLI WILDLIFE SANCTUARY	AJMER, PALI, RAJSAMAND
SITAMATA WILDLIFE SANCTUARY	CHITTORGARH, UDAIPUR
RAMGARH VISHDHARI WILDLIFE SANCTUARY	BUNDI
JAMVARAMGARH WILDLIFE SANCTUARY	JAIPUR
MOUNT ABU WILDLIFE SANCTUARY	SIROHI
	KOTA
	SAWAIMADHOPUR
	BUNDI, DHOLPUR
NATIONAL CHAMBAL WILDLIFE SANCTUARY	KARAULI
DARRAH WILDLIFE SANCTUARY	KOTA, JHALAWAR
BHENSRODGARH WILDLIFE SANCTUARY	CHITTORGARH
BAND BARETHA WILDLIFE SANCTUARY	BHARATPUR
BASSI WILDLIFE SANCTUARY	CHITTORGARH
JAWAHAR SAGAR WILDLIFE SANCTUARY	BUNDI, KOTA, CHITTORGARH
SHERGARH WILDLIFE SANCTUARY	BARAN
JAISAMANAD WILDLIFE SANCTUARY	UDAIPUR
NAHARGARH WILDLIFE SANCTUARY	JAIPUR
RAMSAGAR WILDLIFE SANCTUARY	DHOLPUR
VAN VIHAR WILDLIFE SANCTUARY	DHOLPUR
KESARBAGH WILDLIFE SANCTUARY	DHOLPUR
TALCHHAPAR WILDLIFE SANCTUARY	CHURU
SAJJANGARH WILDLIFE SANCTUARY	UDAIPUR

SANCTUARY	NO. OF TIGERS	NO. OF PANTHERS
RANTHMBORE TR	32	79
SARISKA TR	24	49
RAMGARH VISHDUARI WLS	1	10
JAMVARAMGARH WLS	1	51
MT. ABU WLS	-	36
KUMBHALGARH WLS	-	48
RAOLI TODGARH WLS	-	34
JAISAMAND WLS	-	6
DARRAH WLS	-	15
JAWAHAR SAGAR WLS	-	11
BHENSROADGARH WLS	-	13
BASSI WLS	-	6
SITAMATA WLS	-	36
TALCHHAPAR WLS	-	-
DESERT NP	-	-
NAHARGARH WLS	-	5
SHERGARH WLS	-	5
VAN VIHAR WLS	0	-
BANDH BARETHA WLS	-	-
KEOLADEO NP	-	-
PHULWARI KI NAL WLS	-	12
SAJJANGARH WLS	-	2
NATIONAL CHAMBAL WLS	-	-
	58	418

226

परिशिष्ट–8

अतारांकित प्रश्न संख्या 435 की सूची

क्र.सं.	जिला परिषद का नाम	क्र.सं.	जिला परिषद का नाम
1	अजमेर	16	हनुमानगढ़
2	अलवर	17	जयपुर
3	बारां	18	जालौर
4	बांसवाड़ा	19	झालावाड़
5	बाड़मेर	20	झुंझुनूं
6	भरतपुर	21	जोधपुर
7	भीलवाड़ा	22	कोटा
8	बीकानेर	23	नागौर
9	बूंदी	24	पाली
10	चित्तौड़गढ़	25	राजसमंद
11	चूरू	26	सवाई माधोपुर
12	दौसा	27	सीकर
13	धौलपुर	28	सिरोही
14	डूंगरपुर	29	टोंक
15	गंगानगर	30	उदयपुर

क्र.सं.	जिला परिषद का नाम	नियुक्ति दी गयी	शेष
1	अजमेर	202	–
2	अलवर	247	03
3	बारां	94	10
4	बांसवाड़ा	390	49
5	बाड़मेर	1281	–
6	भरतपुर	139	77
7	भीलवाड़ा	288	20
8	बीकानेर	–	328
9	बूंदी	167	{–4}
10	चित्तौड़गढ़	895	–
11	चूरू	240	–
12	दौसा	91	–
13	धौलपुर	200	66
14	डूंगरपुर	212	–
15	गंगानगर	200	54
16	हनुमानगढ़	45	32
17	जयपुर	354	16
18	जालौर	402	74
19	झालावाड़	128	06
20	झुंझुनूं	187	–
21	जोधपुर	314	–
22	कोटा	155	–
23	नागौर	625	–
24	पाली	320	17
25	राजसंमद	190	–
26	स.माधोपुर	–	230
27	सीकर	207	{–16}
28	सिरोही	281	–
29	टौंक	182	23
30	उदयपुर	563	{–07}
	योग–	8599	978

परिशिष्ट–9

अतारांकित प्रश्न संख्या 437 की सूची

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	छात्र संख्या
1	प्राथमिक विद्यालय डाकन बावड़ी	50
2	प्राथमिक विद्यालय गोपालपुर	55
3	प्राथमिक विद्यालय ढाणी (सिपुर)	111
4	प्राथमिक विद्यालय लिम्बड़ी	63
5	प्राथमिक विद्यालय निचला गुड़ा	74
6	प्राथमिक विद्यालय सिपुर	112
7	प्राथमिक विद्यालय मगरा थोरी	52
8	प्राथमिक विद्यालय प्यावड़ी	58
9	प्राथमिक विद्यालय मेन्दड़ा	50
10	प्राथमिक विद्यालय भारिया	116
11	प्राथमिक विद्यालय जुनपुरिया	60
12	प्राथमिक विद्यालय भीमपुर	78
13	प्राथमिक विद्यालय गामड़ी	107
14	प्राथमिक विद्यालय गुनीझर	79
15	प्राथमिक विद्यालय करोड़िया	108
16	प्राथमिक विद्यालय खोड़ी मउड़ी	103
17	प्राथमिक विद्यालय सगतपुर	55
18	प्राथमिक विद्यालय भवराकलां	63
19	प्राथमिक विद्यालय सगतड़ी (भोप)	70
20	प्राथमिक विद्यालय खेरूआ	61
21	प्राथमिक विद्यालय मानपुर	102
22	प्राथमिक विद्यालय ओड़ा	109
23	प्राथमिक विद्यालय लोहारिया	78
24	प्राथमिक विद्यालय सुवेड़ा	50

परिशिष्ट–10

अतारांकित प्रश्न संख्या 438 की प्रति

निरीक्षण प्रतिवेदन, ग्राम पंचायत अलीपुरा, पं.स. हिण्डौन द्वारा श्री आर.सी. गुप्ता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद करौली

1. ग्राम पंचायत अलीपुरा में श्री रतनलाल जाटव 9.2.95 से सरपंच थे, तथा सम्बन्धित ग्रा.पं. में सरपंच के अलावा 11 वार्ड पंच है।

2. इस ग्राम पंचायत में श्री गोविन्दलाल शर्मा ग्राम पदेन सचिव, ग्राम पंचायत अलीपुरा में दिनांक 4.11.96 से कार्यरत है। 9.2.95 से 22.4.95 तक रामस्वरूप वर्मा ग्राम सेवक 22.4.95 से 5.2.96 तक नवल सिंह, 5.2.96 से 4.11.96 तक रामजीलाल डागुर।

3. निर्माण कार्यों की स्थिति–

(1) रा.उ.प्रा.वि. अलीपुरा पाटोर पीस निर्माण इस कार्य को जे.आर.वाई.–1 से रु. 1,00,000/– की स्वीकृति विकास अधिकारी, पं.स. हिण्डौन द्वारा वर्ष 96–97 में पत्र क्रमांक–351–52 दिनांक 18.6.96 से जारी की गई है। जिसका क.अभियंता द्वारा रु. 1,01,564/– का तकमीना बनाया गया है। जिस पर ग्राम पंचायत अलीपुरा द्वारा रु. 13,500/– की सामग्री तथा रु. 29,536/– की मजदूरी इस प्रकार कुल व्यय रु. 43,036/– का किया गया है। जबकि क.अभियंता द्वारा रु. 5000/– का कार्य का मूल्यांकन किया गया है। इस प्रकार रु. 38,036/– का ग्राम पंचायत द्वारा अधिक व्यय किया गया है। जो वसूली योग्य है।

(2) पंचायत भवन अलीपुरा–इस कार्य की जे.आर.वाई. से रु. 1,04,000/– की स्वीकृति बतलाई गई है। जबकि ग्राम पंचायत की पत्रावली में स्वीकृति पत्र उपलब्ध नहीं है। जबकि यह कार्य 4/95 से प्रारम्भ होना बतलाया गया है। इस कार्य पर अब तक ग्राम. पं. द्वारा सामग्री पर रु. 24,232/– तथा मजदूरी पर रु. 19892/– इस प्रकार कुल रु. 44,104/– का व्यय किया गया है। जबकि इस कार्य पर रु. 20,000/–, 25.3.95 तथा रु. 40,000/– दिनांक 14.10.96 को पं.स. से भुगतान प्राप्त किया है। जबकि क.अभि. द्वारा एम.बी.नं. 10 के प्र.सं. 1 व 2 पर रु. 24078/– का मूल्यांकन किया है। इस प्रकार रु. 35922/– का ग्रा.पं. द्वारा अधिक व्यय किया गया है। जो वसूली योग्य है।

(3) आंगनबाड़ी भवन निर्माण–इस कार्य की सुनिश्चित रोजगार योजना से रु. 96,000/– की स्वीकृति बतलाई गई है। जबकि पत्रावली में स्वीकृति पत्र उपलब्ध नहीं है। इस कार्य पर ग्राम पंचायत अलीपुरा द्वारा सामग्री पर रु. 24,000/– तथा मजदूरी पर रु. 11,780/–

खर्च होना बतलाया गया है। इस प्रकार कुल 35,780/– का खर्चा किया गया है। जबकि ग्रा.पं. ने रु. 48,000/– का भुगतान पं.स. से प्राप्त किया है। जिसका क.अभि. द्वारा "निल" मूल्यांकन है। क्योंकि मौके पर टूटी फूटी 23 फुट नींव भरी हुई है। इस प्रकार खर्च की गई राशि रु. 35,000/– वसूली योग्य है।

(4) नवीन तलाई अलीपुरा–इस कार्य की आश्वासित रोजगार योजना से विकास अधिकारी पं.स. हिण्डौन द्वारा पत्र क्रमांक–347 दिनांक 14.6.96 द्वारा रु. 1,00,000/– की स्वीकृति जारी की गई है। जिस पर ग्राम पंचायत अलीपुरा द्वारा रु. 99,840/– का व्यय होना बतलाया गया है। जिसका क.अभि. द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है। इस कार्य हेतु दिनांक 24.1.97 को रु. 50,000/– का पं.स. से भुगतान प्राप्त किया है, तथा दिनांक 12.8.97 रु. 49,840/– का भुगतान प्राप्त किया गया है। कार्य पर उपयोग में लाई गई मस्टररोल का विवरण निम्न प्रकार है–

क्र.सं.	मस्टररोल सं.	अवधि	राशि	भुगतान तिथि
1	27415	1.12.96 से 15.12.96	5760/–	9.5.97
2	27416	" " " " " " " " "	5760/–	"
3	27417	" " " " " " " " "	5760/–	4.6.97
4	30321	19.12.96 से 31.12.96	5280/–	"
5	30322	" " " " " " " " "	5280/–	"
6	30323	" " " " " " " " "	5280/–	"
7	30324	" " " " " " " " "	5280/–	"
		कुल योग–38400/– (रु. अड़तीस हजार चार सौ)		
8	33055	17.1.97 से 31.1.97	6240/–	4.6.97
9	33056	" " " " " " " " "	6240/–	13.8.97
10	33311	2.2.97 से 15.2.97	5760/–	"
11	33312	" " " " " " " " "	6912/–	"
12	33313	" " " " " " " " "	6912/–	"
13	33314	" " " " " " " " "	6912/–	"

14	33315	2.2.97 से 15.2.97	6912/–	13.8.97
15	33316	" " " " " " " " "	4032/–	"
16	33317	" " " " " " " " "	5760/–	"
17	33318	" " " " " " " " "	5760/–	"
		कुल योग	99,840/–	

मौके पर ग्राम वासियों द्वारा ट्रक्टरों से कीर्य होना बतलाया गया है। जबकि ग्रा.पं. द्वारा मस्ट्रोल से कार्य होना बतलाया गया है तथा जिन व्यक्तियों के तलाई में ट्रेक्टर लगे है। उन्होंने भी अपने ट्रेक्टर से तलोई पर कार्य करना बतलाया है।

(5) रोकड़ पुस्तिका–वर्ष 94–95 से 97–98 तक की रोकड़ देखी गई। रोकड़ में ग्राम सेवक पदेन सचिव के हस्ताक्षर कहीं भी नहीं है। केवल सरपंच के ही हस्ताक्षर थे चूंकि राशि निकालने व जमा कराने पर दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर होते है।

(6) पंचों की बैठक की कार्यवाही के विवरण का रजिस्टर–ग्राम पंचायत द्वारा माह में दो बार बैठक आयोजित की जाती है।

(7) काईन हाउस–इस ग्राम पंचायत में काईन हाउस नहीं है। इसलिये काईन हाउस रजिस्टर संधारण नहीं है।

(8) वृद्धावस्था पेंशन–इस ग्रा.पं. क्षेत्र से 25 प्रार्थना पत्र पं.स. में जमा कराये जा चुके हैं। तथा 10 फार्म और तैयार है। जिन्हें शीघ्र जमा करावें।

(9) विधवा पेंशन–इस ग्रा.पं. क्षे0 से 9 फार्म तैयार हो चुके है। जिन पर सरपंच के हस्ताक्षर कराकर शीघ्र ही प्रस्तुत करें।

(10) विकलांग पेंशन–इस ग्रा.पं. क्षेत्र में 3 फार्म भरे गये हैं। जिन्हें पटवारी की रिपोर्ट के बाद शीघ्र ही भिजवाया गया है।

(11) राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना–इस योजना के अन्तर्गत एक भी व्यक्ति को लाभ अभी तक भी नहीं दिलवाया गया है।

(12) राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना–इस योजना के अन्तर्गत एक भी व्यक्ति को लाभ अभी तक भी नहीं दिलवाया गया है।

(13) सरपंच के नाम अग्रिम धनराशि–सरपंच ग्रा.पं. अलीपुरा के नाम निम्न राशि अग्रिम स्वरूप बकाया चल रही है।

क्र.सं.	नाम कार्य	अग्रिम राशि	भुगतान का दिनांक
1	कूप सिकन्दरपुरा	8,000/–	9.2.96
2	उ.प्रा.वि. भवन पटौर पोश, अलीपुरा	20,000/–	24.2.96
3	" " " " " " " " "	20,000/–	11.3.97
4	आंगन बाड़ी भवन निर्माण	19,500/–	15.3.97
5	उ.प्रा.वि. शाला पटौर पोश, अलीपुरा	10,000/–	1.9.97

इस प्रकार रतनलाल सरपंच द्वारा रु. 77,500/– की जारी राशि अग्रिम स्वरूप प्राप्त कर रखी है। इस प्रकार राशि को इतने समय तक रखना अस्थाई गबन की परिभाषा में आता है। जो कि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः विकास अधिकारी पं.स. हिण्डौन सम्बन्धित प्रकरणों जांच कर सम्बन्धित के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराकर जिला कार्यालय को की गई कार्यवाही से अवगत करावें।

ह./–

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, करौली

परिशिष्ट–11

अतारांकित प्रश्न संख्या 439 की सूची

पंचायत समिति सांभर के अन्तर्गत चल रहे प्राथमिक विद्यालय की सूची

1. बधाल
2. इटावा
3. गदड़ी
4. बाज्यों का बास
5. राजवाली नाडी
6. तुरकियावास
7. सूरपुरा
8. अमरखेड़ा
9. कुडियों की ढाणी
10. बोचल्यों की ढाणी
11. खोब्यातलाई
12. रेल्वे स्टेशन बदाल
13. काबरों का बास
14. कंवरपुरा
15. मोहनपुरा बालाजी
16. रेनवाल
17. किशनगढ़
18. रणजीतपुरा
19. डयोडारामसिंहपुरा
20. हाथीपुरा
21. रामपुरा
22. जेतपुरा
23. जयसिंहपुरा
24. पृथ्वीपुरा
25. सायपुरा
26. जगमालपुरा
27. अमीपुरा
28. रसूलपुरा
29. हिंगोनिया
30. झरीवाली ढाणी
31. सुदरियावास
32. मिश्रों की ढाणी
33. भैसावा
34. भैसावा कन्या
35. रामजीपुरा कला
36. सापों की ढाणी
37. नाथी का बास
38. सावन्त का बास
39. जोधपुरा
40. बागावास
41. बागावास कन्या
42. ध्योलियों का बास

43. डीसां
44. ढहर कुमावतान
45. बुडिया डहर
46. इरोलाव
47. कंवरासा
48. भूरोदिया की ढाणी
49. चूल्या की ढाणी
50. इटावा
51. पणिहारी
52. बागी की ढाणी
53. पीपली का बास
54. भादरपुरा
55. खतवाडीखुर्द
56. खतवालीकला
57. आला का बास
58. ठाकुरसी का वास
59. डूंगरी हिंगोनिया
60. कुडियों का बास
61. बेणा का बास
62. लोहरवाड़ा
63. रामतलाई आबादी
64. करणसर
65. किशोरपुरा
66. केश्या का वास
67. चारणवास
68. डुंगरसी का बास
69. सुदरपुरा
70. बांसडीकला
71. डूंगरीकला
72. सांगा का बास
73. मोहनपुरा
74. ओलों की ढाणी
75. अभयपुरा
76. झालरा
77. रामपुरा रायथल
78. गुमानपुरा
79. भोजपुरा कला
80. बांकली कोठी
81. चारणवास
82. लक्ष्मीपुरा
83. विजयगोविन्दपुरा
84. धानास
85. बंशीपुरा
86. चिरनोटिया
87. सुखालपुरा
88. सुण्डा की ढाणी
89. रघुनन्दनपुरा
90. आइदान का वास
91. तुर्कियावास
92. बानो की ढाणी

93. चक चोबनेर
94. कूच्यावास
95. कालख नं. 2
96. हरिपुरा
97. भीखावास
98. कीरों की ढाणी
99. कालख नं. 1
100. रामसिंहपुरा
101. बस्सीनागा
102. सांखलों का वास
103. तिवारिया
104. ढाणी नागान
105. इन्द्रगढ़
106. कन्या कोडी
107. अगरपुरा
108. ढाका की ढाणी
109. नयावास
110. भैंसलाना
111. मंडाभीमसिंह
112. भादवा
113. श्यामपुरा
114. सूण्डों का बास
115. अणतपुरा
116. प्रेमपुरा
117. गीदा का बास
118. पहाड़पुरा
119. डोगीवालों का बास
120. बिजारनियां का बास
121. स्टे. भैंसलाना
122. प्रतापपुरा, मडा
123. भादवा
124. मूडियागढ़
125. चारणवास
126. हरतोली
127. बीरमपुरा
128. रामजीपुराखुर्द
129. श्योसिंहपुरा उर्फ गूजरों बा बास
130. सलहेदीपुरा
131. भावरियों की ढाणी
132. प्रसापुरा
133. मीण्डी
134. हरनादपुरा
135. गुमानपुरा
136. सिंगाटियों की ढाणी

पं. सं. दूदू

137. काचरोदा
138. सामोता का बास

परिशिष्ट–12

अतारांकित प्रश्न संख्या 440 की सूची

क्र.सं.	नाम पद	रिक्त पदों की संख्या	रिक्त होने का दिनांक
1.	शिक्षा प्रसार अधिकारी	3	1– 11.9.97 से 2– 19.3.96 से 3– 28.5.97 से
2.	सहकारी प्रसार अधिकारी	1	13.8.97 से
3.	पंचायत प्रसार अधिकारी	1	30.11.95 से
4.	कनिष्ठ लेखाकार	1	12.9.97 से
5.	कनिष्ठ अभियन्ता	1	जनवरी, 97 से
6.	लेखाकार अनौपचारिक शिक्षा	1	12.9.97 से
7.	ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव	3	जून, 97 से
8.	जीप चालक	1	1.6.92 से
9.	सहायक कर्मचारी	1	30.6.97 से
10.	अध्यापक	55	96–97 से

परिशिष्ट–13

अतारांकित प्रश्न संख्या 441 का विवरण

मुख्य प्रबन्धक, टोंक आगार से विभागीय कर्मचारियों के संगणक पद पर प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण

क्र.सं.	कर्मचारी/पिता का नाम	पद	विज्ञप्ति सं./ दिनांक	मु. प्र. के समक्ष दिनांक करने की दिनांक	मुख्यालय में प्राप्ति दिनांक
1.	श्री हरिनारायण पुत्र श्री लादूलाल	परिचालक	3419/ 11.8.97	29.8.97	11867/ 30.8.97
2.	श्री हीरालाल पारीक पुत्र श्री श्रवणलाल	परिचालक	218/ 24.3.98	15.4.98	5080/ 17.4.98

संगणक पदों हेतु चयनित प्रत्याशियों की सूची

क्र.सं.	नाम/पिता का नाम		पद
1.	श्री ए. रमेश मेनन/के. ए. अप्पूमेनन		हेल्पर
2.	श्री राजवीर सिंह/मूलीराम		मैके. ग्रेड–3
3.	श्री राजेन्द्र प्रसाद/गुलाबचन्द		आर्टिशियन ग्रेड–3
4.	श्री मनोहरलाल/फतेहलाल		परिचालक
5.	श्री लक्ष्मीनारायण/भंवरलाल पुरोहित		परिचालक
6.	श्री कृष्णमोहन तिवाड़ी/हरिमोहन		परिचालक
7.	श्री अशोक कुमार बंसल/मूलचन्द		यांत्रिक ग्रेड–2
8.	श्री रमेशचन्द गुप्ता/कृष्ण कुमार		मैके. ग्रेड–2
9.	श्री दिनेश कुमार सोनी/रामेश्वर		परिचालक
10.	श्री सुबोध सिन्हा/भगवानस्वरूप		आर्टिशियन ग्रेड–3
11.	श्री सीताराम जांगिड़/भैरूराम	ओ. बी. सी.	आर्टिशियन ग्रेड–3
12.	श्री कान्तिप्रसाद/फतेहसिंह	एससी	मैके. ग्रेड–2
13.	श्री ओमप्रकाश शर्मा/गोविन्दराम	ओबीसी	हैल्पर
14.	श्री सूरजन मोजेस/विमल कुमार	एससी	हैल्पर
15.	श्रीमती प्रभा सोनी/मोहनलाल	ओबीसी	कनिष्ठ लिपिक
16.	श्री नवराम कुराडिया/लक्ष्मणदास	एससी	आर्टिशियन ग्रेड–3
17.	श्री महेन्द्र कुमार/ईश्वरराम	ओबीसी	चालक
18.	श्री राजकुमार मीणा/हरिराम	एसटी	कनिष्ठ लिपिक